BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 329 OF 2024

IN THE MATTER OF:

RAJENDRA TYAGI **...APPLICANT**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. **...RESPONDENT(S)**

INDEX

NDOH. 27.03.2025

S. NO.	PARTICULARS	PG NO.
1.	**REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.15 (NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY)**	1-6
2.	**ANNEXURE R15/1** Copy of NOIDA's letter dated 21.11.2022	7
3.	**ANNEXURE R15/2** Copy of letter dated 24.11.2022 sent to Police Depar. .nt.	8
4.	**ANNEXURE R15/3 (Colly)** Copy of images taken on date 30.11.2022, 01.06.2022, 22.03.2022 and 05.08.2021 showing the action taken on illegal constructions in the villages.	09-34
5.	**ANNEXURE R15/4 (Colly)** Copy of geo-tagged images dated 16.10.2023 showing demolition of illegal construction.	35-49
6.	**ANNEXURE R15/5 (Colly)** Copy of newspaper reports.	50-52
7.	**ANNEXURE R15/6** Copy of NOIDA's letter dated 13.09.2024 issued to Police Department.	53
8.	**ANNEXURE R15/7 (Colly)** Copy of the detailed action report for the villages Salarpur, Gheja, Shardra and Bhangel.	54-167
9.	**ANNEXURE R15/8 (Colly)**	168-191

	Copy of images taken on date 08.06.2022, 11.06.2022, 16.06.2022 and 17.10.2023 showing the action taken on illegal constructions in villages Raipur MajraSadarpur and Sultanpur.	
10.	**ANNEXURE R15/9 (Colly)** Copy ofdemolition notice against illegal construction in the flood plain area dated 22.02.2024, 13.06.2024 and 01.09.2023.	192-198
11.	**ANNEXURE R15/10 (Colly)** Copy of images taken on date 13.02.2024 showing the action taken on illegal constructions in village Illahabas.	199-201
12.	**ANNEXURE R15/11** Copy of the letter dated 05.12.2024 issued by the Senior Manager of Work Circle – 5, NOIDA.	202
13.	**ANNEXURE R15/12** Copy of the letter dated 05.12.2024 issued by the Senior Manager of Work Circle – 4, NOIDA.	203
14.	**ANNEXURE R15/13 (Colly)** Copy of letters issued to the Police Department.	204-206
15.	**ANNEXURE R15/14** Copy of the letter dated 06.12.2024 issued by the Senior Manager, Work Circle – 6, NOIDA.	207
16.	Proof of Service	208

THROUGH

Awasthy
CG/258/12

Sameer Jain/SuvigyaAwasthy
Rohan Gulati/ Ashvin Raj Jaiswal
Counsel for Respondent No. 15
PSL Advocates & Solicitors
A-220, Defence Colony, New Delhi-110091

Place: Noida
Date: 26.03.2025

NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 329 OF 2024

IN THE MATTER OF:

RAJENDRA TYAGI ...**APPLICANT**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ...**RESPONDENT(S)**

AFFIDAVIT IN REPLY TO THE ORIGINAL APPLICATION ON BEHALF OF RESPONDENT NO.15 (NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY)

I, Ramesh Kumar Sharma aged about 32 years, son of Sh. Panna Lal Sharma, having office at New Okhla Industrial Development Authority, Main Administrative Office, Sector 6, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201301, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am presently serving as the Manager(Civil) of New Okhla Industrial Development Authority (**'NOIDA/ Respondent No. 15'**) and I am well conversant with the facts and circumstances of the captioned case having perused the records pertaining to case available and maintained by NOIDA. I am authorised to swear the present affidavit on behalf of NOIDA and competent to make the present affidavit.

2. I say that nothing contained in this reply should be deemed to have been admitted unless the same is expressly admitted herein. As such, I crave liberty of this Hon'ble Tribunal to file a detailed paragraph-wise response to the captioned matter at an appropriate stage or as and when directed by this Hon'ble Tribunal.

3. I say that the present reply is being filed in pursuance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 09.12.2024 wherein NOIDA entered appearance for the first time. The facts occasioning the impleadment of NOIDA were recorded vide order dated 27.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, as it considered the attendant facts and circumstances coupled with the reliefs sought by the Shri Rajendra Tyagi ('Applicant') in the captioned matter and deemed it fit to implead NOIDA as a necessary party for just and proper decision making of the environmental questions involved therein.Accordingly, NOIDA entered appearance in the captioned matter only on 09.12.2024 and sought time to file its response to the captioned matter.

रमेश कुमार शर्मा
प्रबन्धक (सिविल)
वर्क सर्किल-10, नौएडा

4. I say that by way of the Original Application ('Application') filed by the Applicant, it has erroneously alleged that NOIDA has failed to address or take appropriate action against the illegal and unauthorized construction activities within its territorial jurisdiction. The Applicant has misdirected itself in asserting that such acts have resulted in significant environmental degradation including air and water pollution in the nearby villages falling under the territorial limits of the NOIDA.

5. I say that at the outset, the contents of the Original Application are ripe with falsities and is a deliberate attempt to misuse and abuse the process of law. The Applicant has made false statements in the Original Application in a vile attempt to mislead this Hon'ble Tribunal and deserves no indulgence as the Applicant is only indulging in fanciful litigation at the cost of this Hon'ble Tribunal's precious time and effort. The contents of the Original Application are baseless, unsubstantiated and fall out of thin air.

6. I say that NOIDA has been sincerely and dutifully undertaking its role and responsibilities for initiating action against the illegal and unauthorized construction from time to time and there is no element of lapse which can be attributed to NOIDA. I state that NOIDA been diligent and acted with reasonable alacrity in initiating necessary actions against any form of illegal construction to the extent that the same falls within the territorial limits of NOIDA.

7. I say that in terms of paragraph no. 5 of the Original Application, the Applicant has baldly alleged that illegal and unauthorized constructions are being carried out in various villages within NOIDA viz., Sorkha, Sarfabad, GarhiChowkhandi, ParthlaKhanjarpur, Behlolpur, Salarpur, Sultanpur, Raipur, Gejha, Naya Gaon, Shahdara, Ilahabaas, Bhangel, Momnathalpur, Tilwara, Kondli, and Badauli. It is further alleged that the settlements in these unauthorized colonies lack proper sewerage systems and discharge waste onto roads, farmland, or irrigation canals, thereby contributing to environmental pollution. In response thereto, I state that the Applicant has completely misdirected itself in naming the concerned villages without adducing any documentary evidence in support thereof. As such, the said assertions fall out of thin air and are a figment of the Applicant's imagination. The Applicant has relied on certain geo-tagged photographs purportedly depicting illegal and unauthorized constructions in the villages of NOIDA and Greater NOIDA, however, none of the said photographs reveals any illegal and unauthorized construction within the territory of NOIDA.

NOTARY ★ GOVT OF INDIA ★ Rajpal Singh Nagar Advocate Reg. No. 1316

रमेश कुमार शर्मा
प्रबन्धक (सिविल)
वर्क सर्किल-10, नौएडा

8. I state that most of the villages where the Applicant alleges illegal construction activities are located adjacent to the Hindon River, which is the border of NOIDA. It is pertinent to highlight that NOIDA has been actively conducting campaigns to address illegal and unauthorized constructions in the designated flood plain areas of the Hindon and Yamuna rivers. To effectuate and efficiently implement the same, an action plan was formulated by a joint team comprising the Irrigation Department, Police Department, and NOIDA, pursuant to which large parcels of land were made free from all sort of illegal constructions. The letter dated 21.11.2022 issued by NOIDA evinces that it has undertaken actions against illegal constructions in the flood plains area of the Yamuna and Hindon rivers and that such actions have been consistently and continuously been undertaken by NOIDA. A copy of letter dated 21.11.2022 is annexed herewith and marked as **Annexure R-15/1**.

9. I say that NOIDA, with the consistent support and cooperation of the Police Department, has undertaken continuous and sustained actions against unauthorized and illegal constructions within the flood plain areas of villages Kondali, Monnathan, Tilwara, and Badauli. In this regard, NOIDA vide letter dated 24.11.2022 had sought the aid and assistance of the local Police department for undertaking the necessary demolition drives. Notably, NOIDA also conducted demolition and enforcement drives on multiple occasions such as 16.10.2023, 30.11.2022, 01.06.2022, 22.03.2022 and 05.08.2021. These actions reflect NOIDA's sincere, proactive approach and commitment to addressing such violations and maintaining compliance with the applicable regulations in these areas. A copy of letter dated 24.11.2022 sent to Police Department for assisting NOIDA in the demolition campaign are annexed herewith and marked as **Annexure R-15/2** . A copy of the images taken on 30.11.2022, 01.06.2022, 22.03.2022 and 05.08.2021 showing the action against the illegal constructions in the said villages is annexed herewith and marked as **Annexure R-15/3 (Colly).**

10. In continuation of NOIDA's commitment to ensure that no illegal and unauthorised building and construction is taking place within its territory, NOIDA once again conducted another demolition campaign of such constructions on 16.10.2023 wherein a large area of land occupied by illegal occupants was demolished and cleared. Such genuine and legitimate actions undertaken by NOIDA solely in public interest and welfare were widely reported and circulated by various media sources through their

NOTARY GOVT. OF INDIA Rajpal Singh Nagar Advocate Reg. No. 1316

रमेश कुमार शर्मा
प्रबन्धक (सिविल)
वर्क सर्किल-10, नौएडा

respective newspapers. A copy of geo-tagged images dated 16.10.2023 are annexed herewith and marked as **Annexure R-15/4 (Colly).** A copy of newspaper reports are annexed herewith and marked as **Annexure R-15/5 (Colly).**

11. I state that in August 2024, it was brought to NOIDA's notice that some illegal construction of farmhouses is being undertaken in the notified flood plain area of village KondliBangar. Upon identifying the unauthorized activity, NOIDA promptly intimated the same to the Police Department and decided that the demolition action shall be taken against the same which was scheduled for 27.09.2024. A copy of NOIDA's letter dated 13.09.2024 issued to the Police Department is annexed as **Annexure R-15/6**.

12. I say that it was brought to the notice of NOIDA that some illegal and unauthorised constructions have been taking place in villages namely Salarpur, Gheja, Shardra and Bhangel. Accordingly, NOIDA has undertaken several actions against such unauthorised and illegal constructions including registration of First Information Reports ('FIRs'), publication of Public Notices in largely circulated newspapers such as the Hindu and Hindustan to sensitize the general public to not purchase any land in such villages owing to constant demolition and enforcement drives against such illegal constructions. NOIDA had also undertaken demolition drives in the abovementioned villages on several occasions that is demonstrable through the detailed action report prepared for villages namely Salarpur, Gheja, Shardra and Bhangel. A copy of the detailed action report for the villages Salarpur, Gheja, Shardra and Bhangel is annexed herewith and marked as **Annexure R-15/7 (Colly).**

13. Isay that NOIDA has also taken note of the fact that there have been some illegal construction activities being taken up in the surrounding flood plain area of village Raipur MajraSadarpur and Sultanpur that is evinced from the photographs taken on 08.06.2022, 11.06.2022, 16.06.2022 and 17.10.2023. It is appropriate to mention that these villages are close to the flood plain area of Yamuna river. It is stated that NOIDA has issued several demolition notices against the illegal construction in the said area on 22.02.2024, 13.06.2024 and 01.09.2023 respectively and demolition actions are being taken against the same. A copy of the images taken on date 08.06.2022, 11.06.2022, 16.06.2022 and 17.10.2023 showing the action taken on illegal constructions in village in the said villages Raipur MajraSadarpur and Sultanpur are annexed herewith and marked as **Annexure R-15/8 (Colly).** A copy of demolition notices against illegal

NOTARY GOVT. OF INDIA Rajpal Singh Nagar Advocate Reg. No. 1316

रमेश कुमार शर्मा
प्रबन्धक (सिविल)
वर्क सर्किल-10, नौएडा

construction in the flood plain area dated 22.02.2024, 13.06.2024 and 01.09.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R-15/9 (Colly).**

14. Similarly NOIDA, with the help of the concerned local Police force has been carrying out regular demolition action against the encroachment, unauthorised and illegal construction in village Ilahabas. A copy of images taken on 13.02.2024 showing the action taken on illegal constructions in village Ilahabas are annexed herewith and marked as **Annexure R-15/10 (Colly).**

15. I say that insofar as the flood plain area of village GhariChowkandi is concerned, it is stated that the same have been inhabited since many years and there is no illegal or unauthorized construction in the said area. The same has been affirmed by the Senior Manager of Work Circle – 5, NOIDA vide letter dated 05.12.2024. Vide letter of even date, the Senior Manager of Work Circle – 4, NOIDA has affirmed that village Bhelapur does not possess any illegal or unauthorized construction. A copy of the letter dated 05.12.2024 issued by the Senior Manager of Work Circle – 5, NOIDA is annexed herewith and marked as **Annexure R-15/11**. A copy of the letter dated 05.12.2024 issued by the Senior Manager of Work Circle – 4, NOIDA is annexed herewith and marked as **Annexure R-15/12**.

16. I say that with respect to village SorkhaZahihabad, regular demolition actions have regularly been undertaken by NOIDA with the help of the local Police that is demonstrable through demolition drives that were held in SorkhaZahihabad fixed for 19.01.2024, 23.02.2024 and 23.07.2024. However, due to non-availability of the requisite Police force, the said demolition drive could not been held. A copy of letters issued to the police department are annexed herewith and marked as **Annexure R-15/13 (Colly).**

17. I say that insofar as village Parthala is concerned, it has been affirmed by the Senior Manager, Work Circle – 6, NOIDA that only an old colony is existing at this point in time and no new construction is being undertaken. Vide letter of even date, the Senior Manager, Work Circle – 6, NOIDA has further stated that Safarabad does not fall under the flood plain area. A copy of the letter dated 06.12.2024 issued by the Senior Manager, Work Circle – 6, NOIDA is annexed herewith and marked as **Annexure R-15/14**.

NOTARY GOVT. OF INDIA

रमेश कुमार शर्मा
प्रबन्धक (सिविल)
वर्क सर्किल-10, नौएडा

18. I say that NOIDA has continuously undertaken necessary action and requisite steps against all types of illegal and unauthorized construction and building activities by unscrupulous individuals which falls within the territorial jurisdiction of NOIDA. It is further stated that NOIDA undertakes to continue taking such necessary and appropriate actions against such illegal activities, unauthorised and illegal construction within its territorial limits and will abide by any directions that may be passed by this Hon'ble Tribunal.

19. I say that NOIDA has already taken and continues to take remedial steps for illegal and unauthorized constrictions which falls within its territorial jurisdiction, thereby addressing all the grievances raised by the Applicant. As such, the Original Application deserves no indulgence from this Hon'ble Tribunal and it is prayed that the same may be disposed of by taking into account the aforementioned information and actions taken by NOIDA.

रमेश कुमार शर्मा
प्रबन्धक (सिविल)
वर्क सर्किल-10, नौएडा
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Gautam Budh Nagar on 26.03.2025 that the factual contents of this Reply Affidavit are true and correct to my knowledge as derived from the records of the case and nothing stated therein is false and nothing material has been concealed there from. The last paragraph is prayer to this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT
रमेश कुमार शर्मा
प्रबन्धक (सिविल)
वर्क सर्किल-10, नौएडा

NOTARY
Rajpal Singh Nagar
Advocate
Reg. No. 1316
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
Rajpal Singh Nagar
Notary Public Noida
Gautambudh Nagar (U.P.)

26 MAR 2025

ANNEXURE R15/1

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6, नौएडा
जिला-गौतमबुद्ध नगर-201301

पत्र सं0 - नौएडा/भूलेख/2022/2279

दिनाँक 21/11/22

Office of the D.G.M.(Civil) Diary No. 1507 Date 21/11/2022

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-10 डिस्पैच सं0 2092 दिनांक 22/11/22 सेक्टर 6 नोएडा

1. उप-महाप्रबन्धक (सिविल),
   नौएडा।
2. समस्त लेखपाल,
   नौएडा।

विषयः- **नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हिण्डन एवं यमुना नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरूद्ध अभियान चलाये जाने के संबंध में।**

जैसा कि आप विदित हैं कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग एवं नौएडा प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा कार्ययोजना बनाकर लगातार डूब-क्षेत्र में कार्यवाही की गई थी, जिसमें बडे पैमाने पर भूमि को रिक्त कराया गया था। वर्तमान में संज्ञानित हुआ है कि उक्त संयुक्त टीम द्वारा रिक्त कराई गई भूमि एवं हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब-क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों द्वारा लगातार अवैध निर्माण कार्य किये गये/जा रहे हैं, जिसे कई बार रूकवाया भी गया है, किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा देर-सवेर निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में आज दिनाँक 21.11.2022 के दैनिक समाचार पत्र में भी नौएडा के डूब-क्षेत्र में अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने हेतु सूचना प्रकाशित की गई है। उल्लेखनीय है कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के डूब-क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोके जाने एवं उक्त के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु पूर्व में भी कई बार पत्र प्रेषित किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के हिण्डन एवं यमुना नदी के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को चिन्हित कर उक्त के विरूद्ध तत्काल अभियान चलाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए अविलम्ब आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

S.M. Work 21/11

(प्रसून द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम.) महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी.के.) महोदय को सादर सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि पूर्व की भाँति नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के डूब-क्षेत्र में भूमि चिन्हित कराते हुए अतिक्रमण मुक्त अभियान संबंधी कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. डिप्टी कलेक्टर (भूलेख), नौएडा को संबंधित वर्क सर्किल से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्र0-10(R)

22/11

वरिष्ठ प्रबन्धक

विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

ANNEXURE. R15/2

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा

पत्रांकः नौएडा / अ०मु०का०अ० / व०स०–10 / 2022 / 1522
दिनांकः 24-11-2022

पुलिस आयुक्त (मुख्यालय)
गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)

विषयः–नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम तिलवाडा एवं कोंण्डली बांगर के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यबाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ग्राम तिलवाडा एवं कोंण्डली बांगर के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध नौएडा प्राधिकरण द्वारा अभियान के तहत सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग के सहयोग से लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम तिलवाडा एवं कोंण्डली बांगर के डूब क्षेत्र में हुए / हो रहे अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित हैं इस हेतु मौके पर शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल की आवश्यकता है।

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध हे कि उक्त अभियान को सफल बनाने एवं स्थल पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दिनांक 30-11-2022 को प्रातः 8.00 बजे पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपिः

1. निजि सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के सादर सूचनार्थ।
2. अपर पुलिस उपायुक्त, ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभियन्ता को नियत तिथि को मौके पर उक्त कार्यवाही के दौरान उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. विशेष कार्याधिकारी (भू–लेख) नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. डिप्टी कलेक्टर, नौएडा को मौके पर लेखपाल के साथ उपस्थित रहने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. उप महाप्रबन्धक (सिविल) नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
7. वरिष्ठ प्रबन्धक–वर्क सर्किल–10 नौएडा को मौके पर अपनी टीम के साथ उपस्थित रहने एवं समस्त कार्यवाही को अपने निर्देशन में संचालित करने हेतु।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक (वि० / यॉ०)–1, को नियत तिथि पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वि० / यॉ०) को निम्नलिखित मशीनरी की व्यवस्था एवं आवश्यक स्टॉफ उपलब्ध कराने हेतु।

जे०सी०बी०	–	08 (अनिवार्य रूप से) मय चालक।
टिपर / डम्पर	–	06 (अनिवार्य रूप से) मय चालक।
हाईड्रोलिक लैडर मशीन	–	दो (अनिवार्य रूप से) मय इलैक्ट्रीशियन एवं हैल्पर।

9. थानाध्यक्ष, थाना–नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. पुलिस निरीक्षक, नौएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्वयं एवं समस्त पुलिस बल के साथ उपलब्ध रहने व जिला पुलिस से सामजस्य करने हेतु।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

ANNEXURE -R15/3(COLLY)

Date-30-11-2022

Date-30-11-2022

JCB
Date-30-11-2022

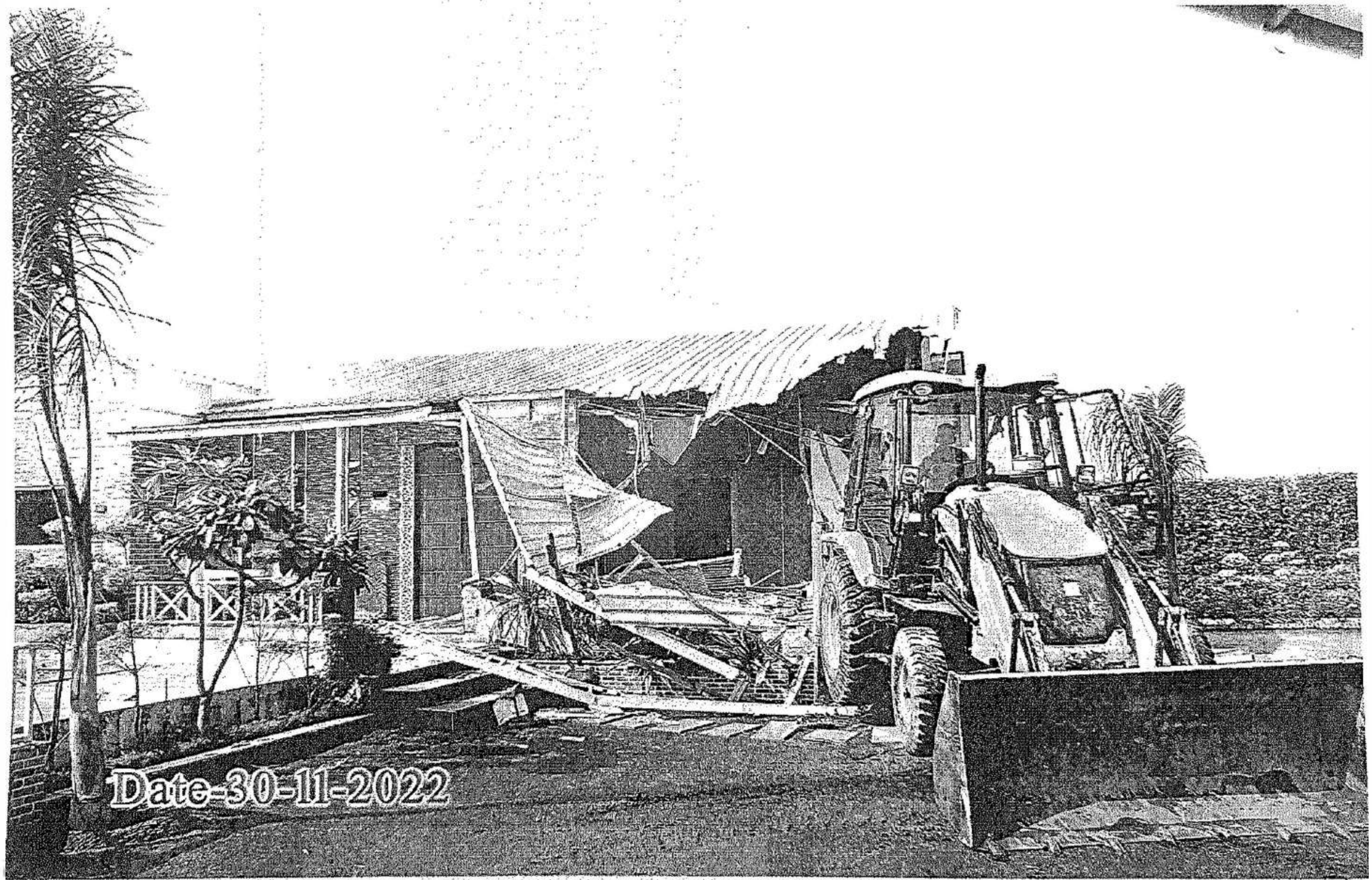

65

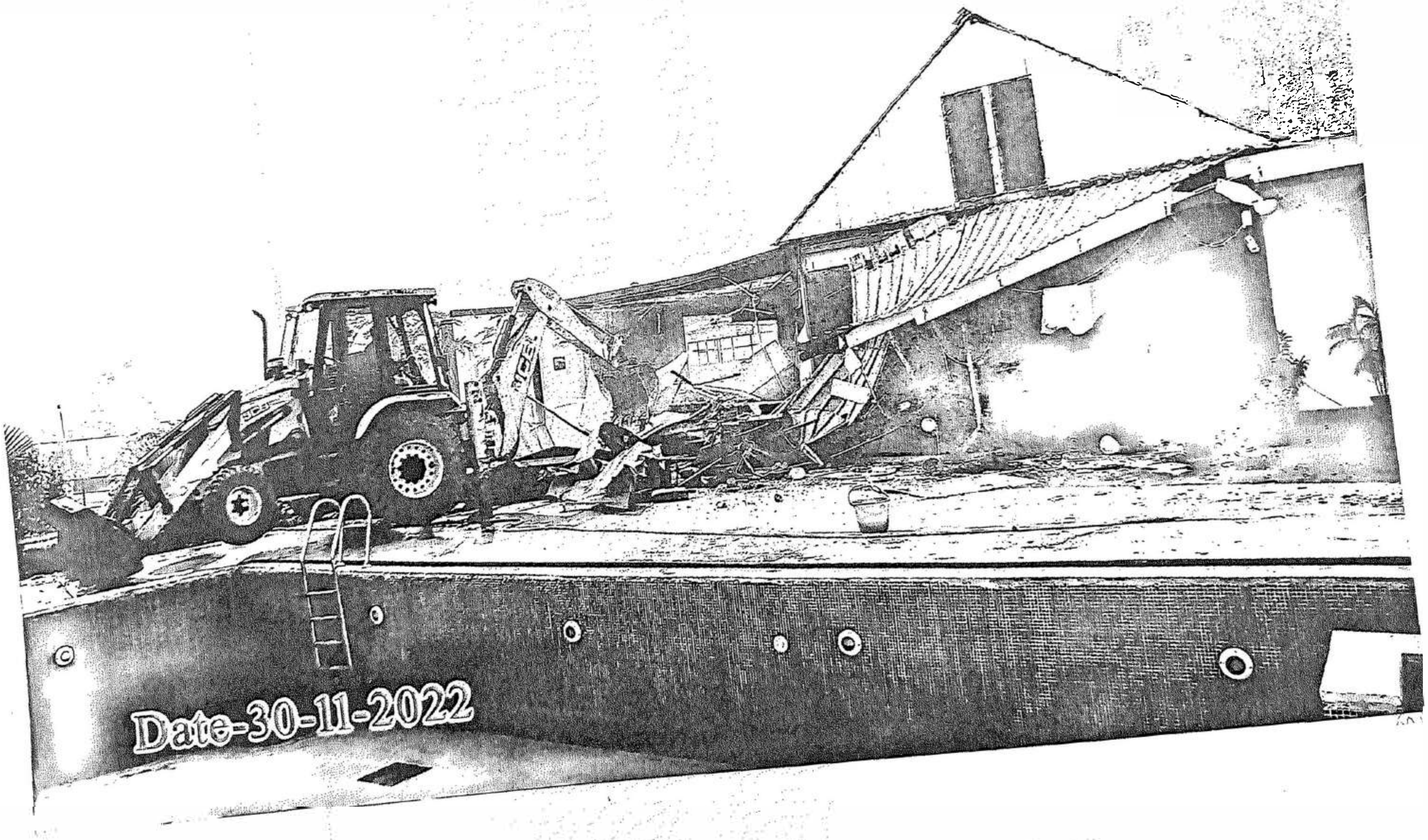
Date-30-11-2022

Date-30-11-2022

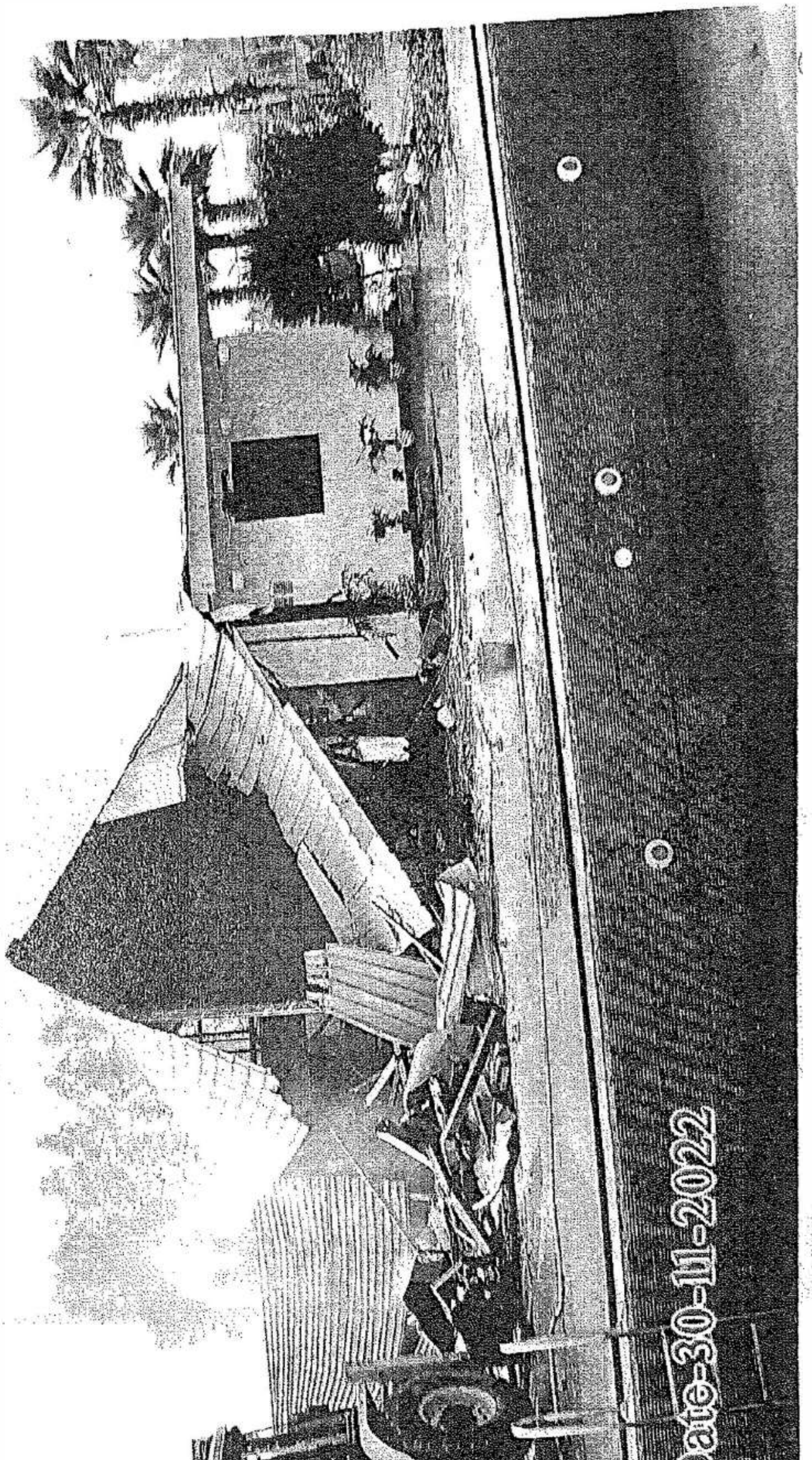
Date-30-11-2022

(5)

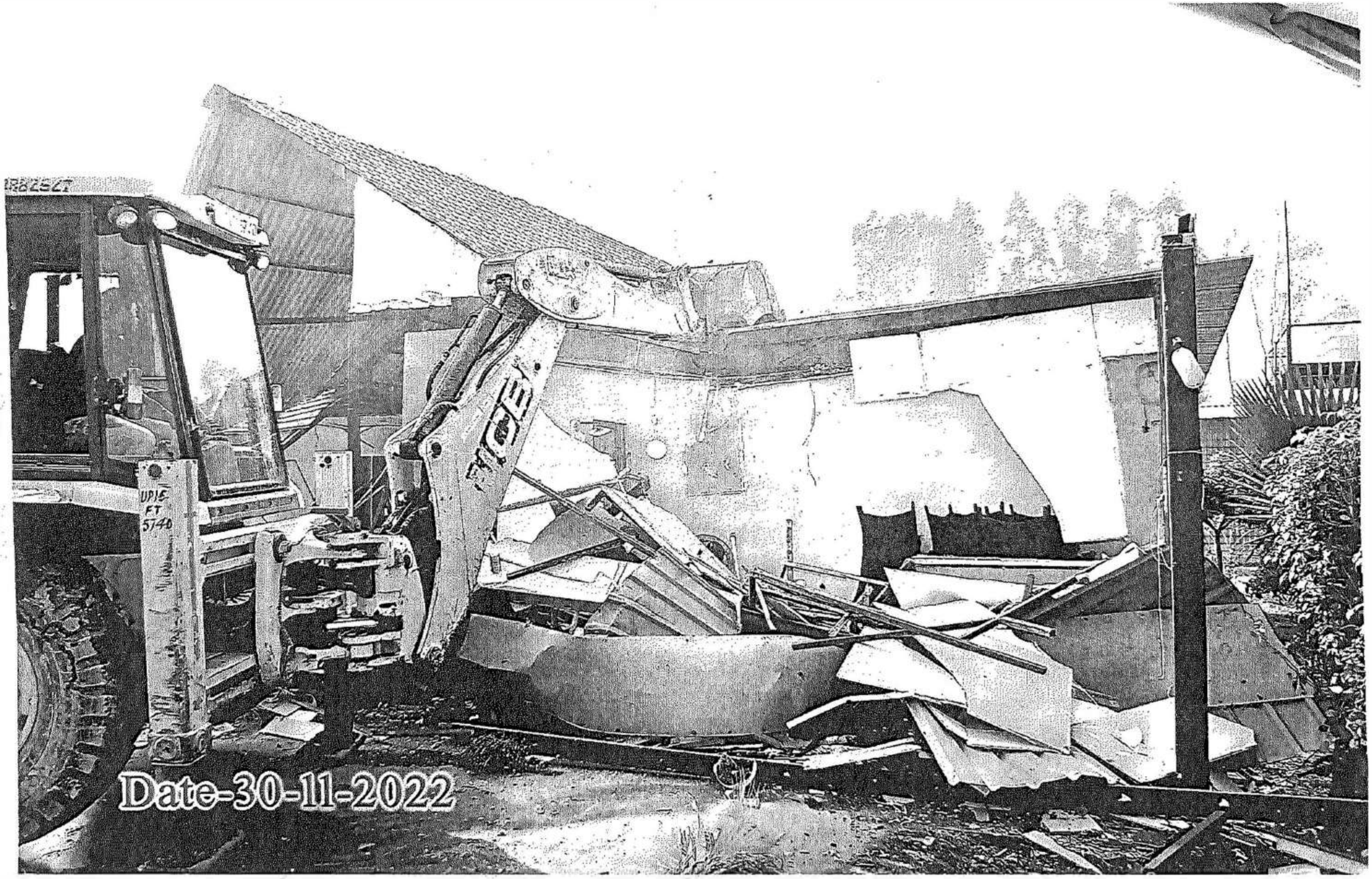
Date-30-11-2022

Date-30-11-2022

Date-30-11-2022
JCB

(5)

JCB
Date-30-11-2022

Date-30-11-2022

Date-30-11-2022

Date-30-11-2022

(12) (124)

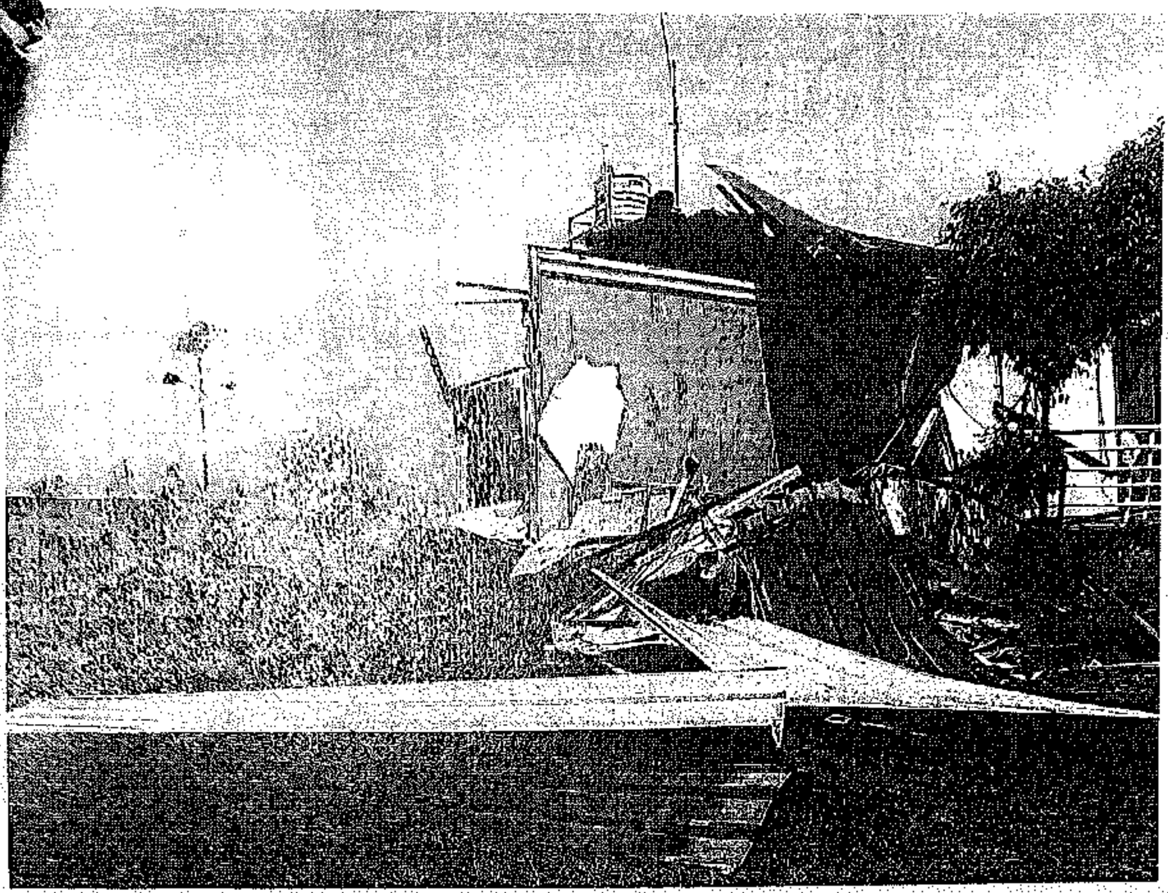

01/06/22

(11) (120)

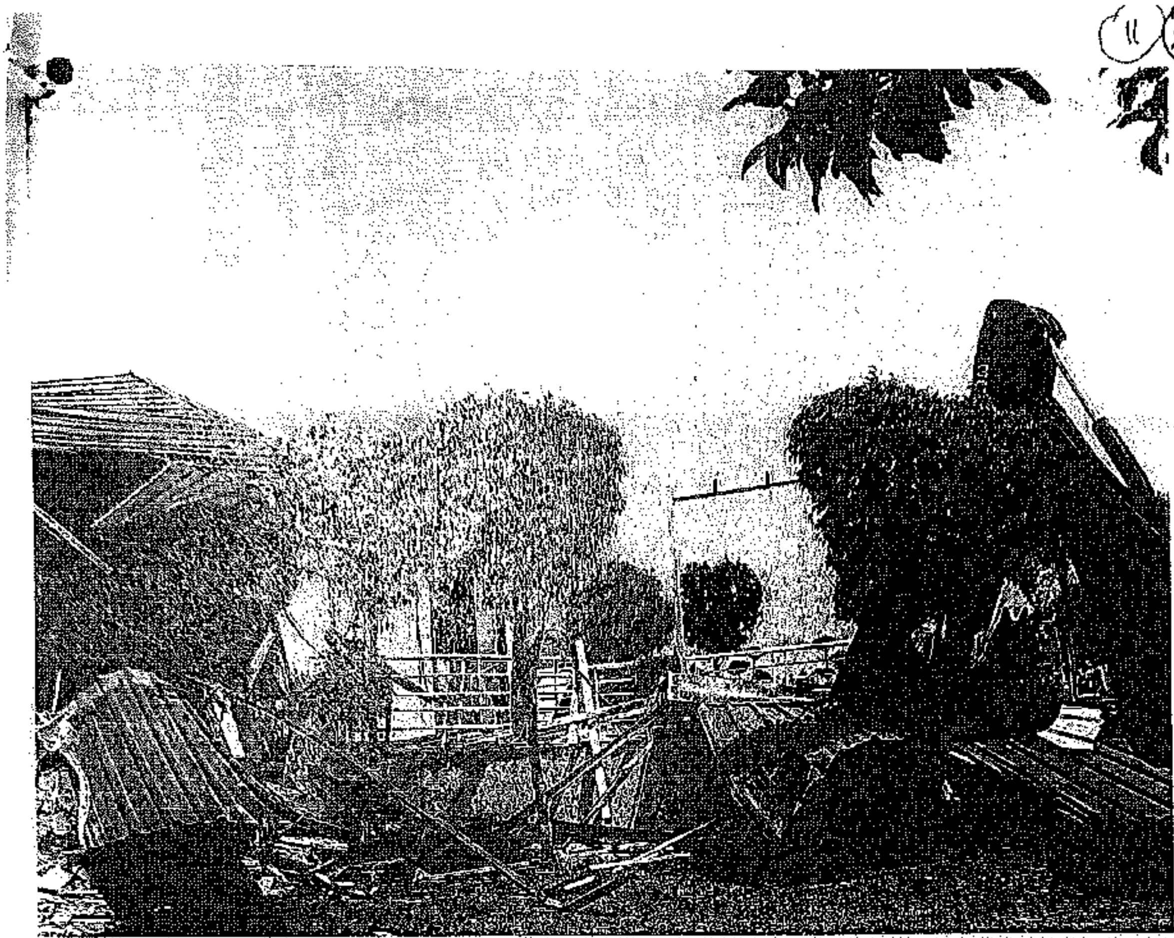

01/06/22

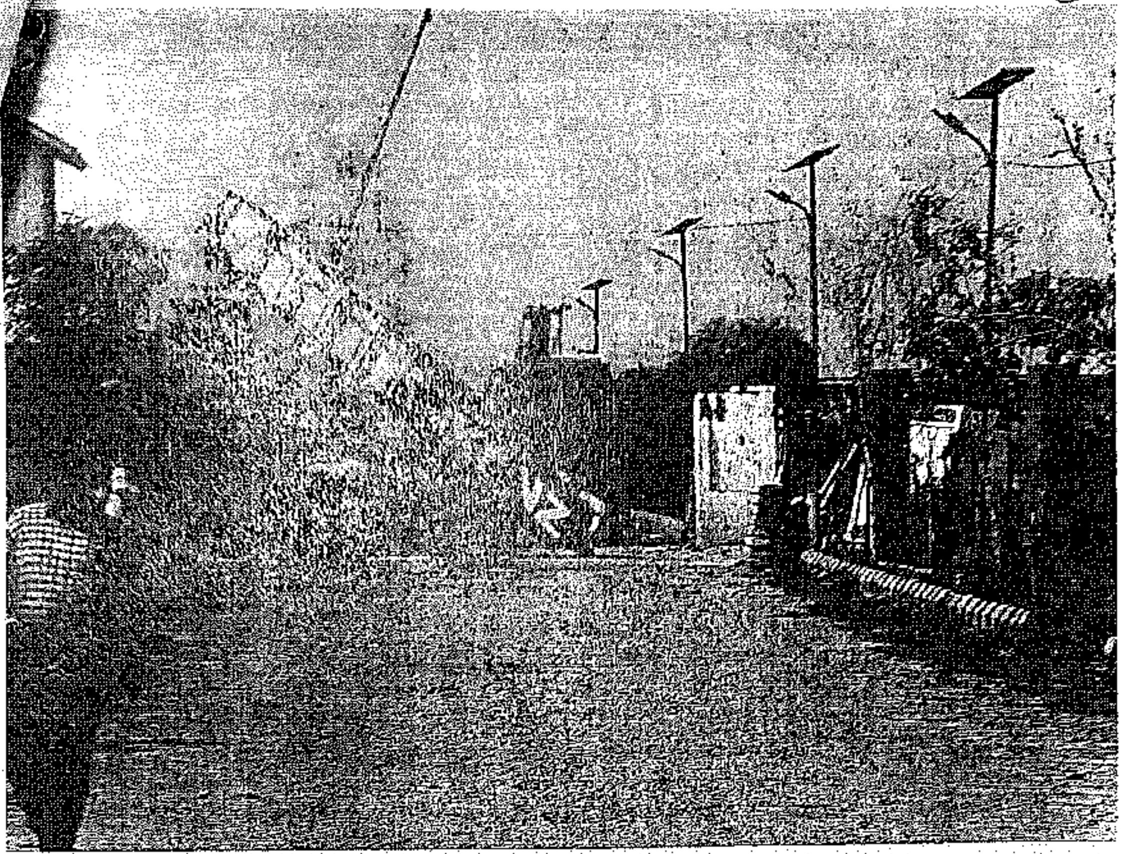

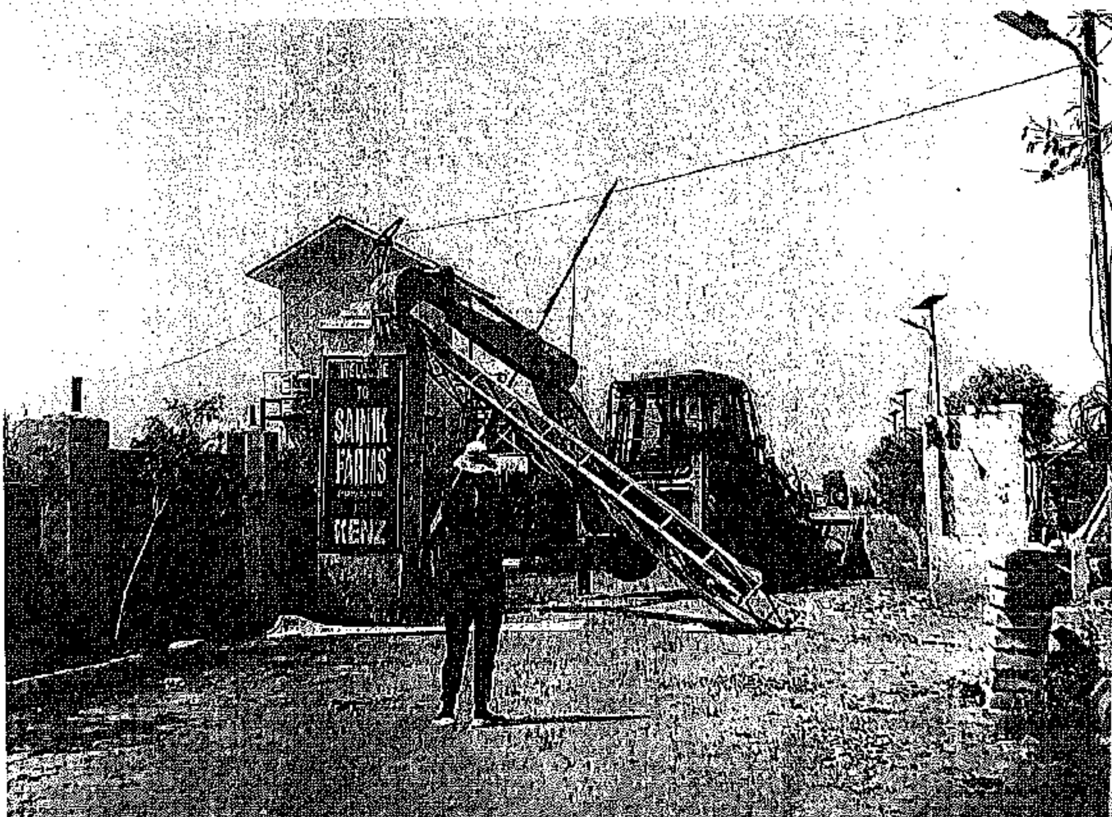

01/06/22

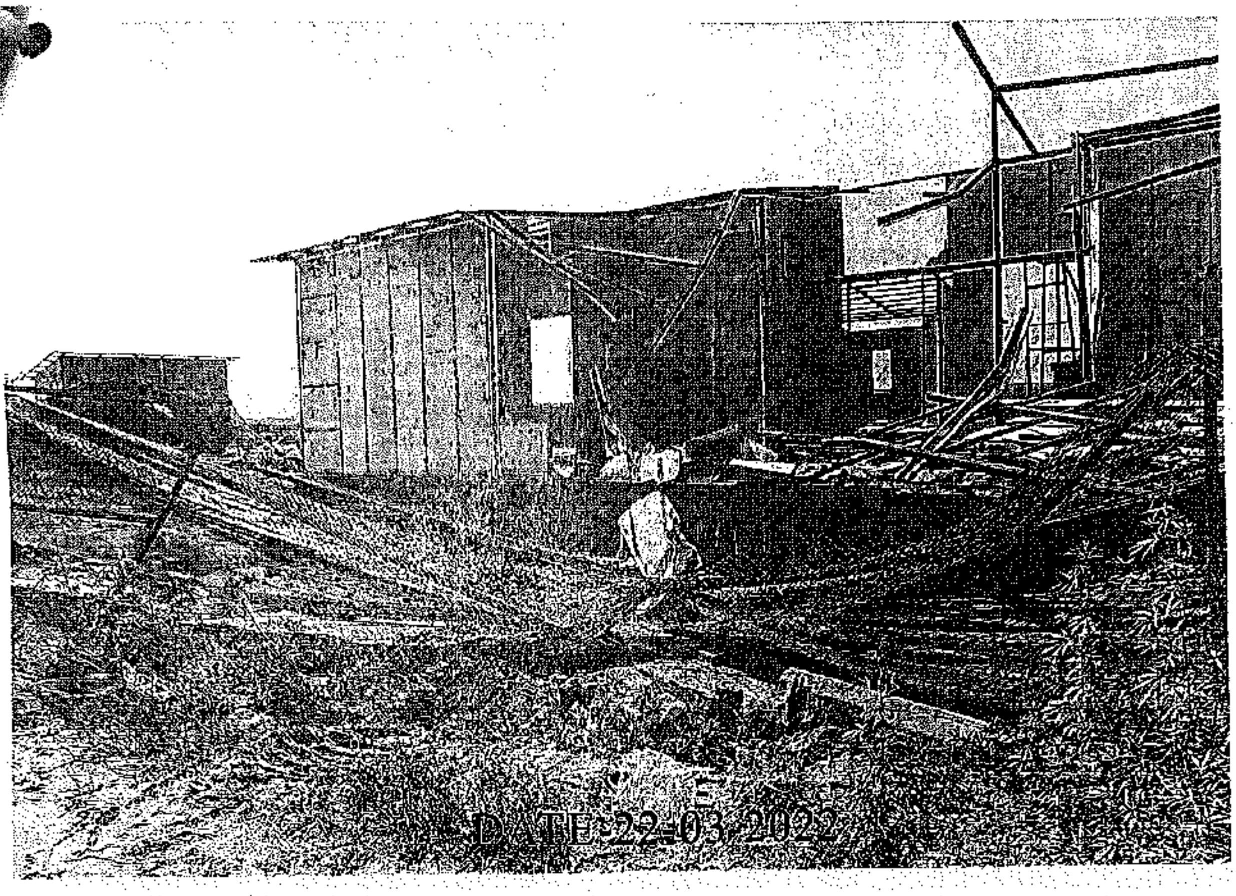
DATE-22-03-2022

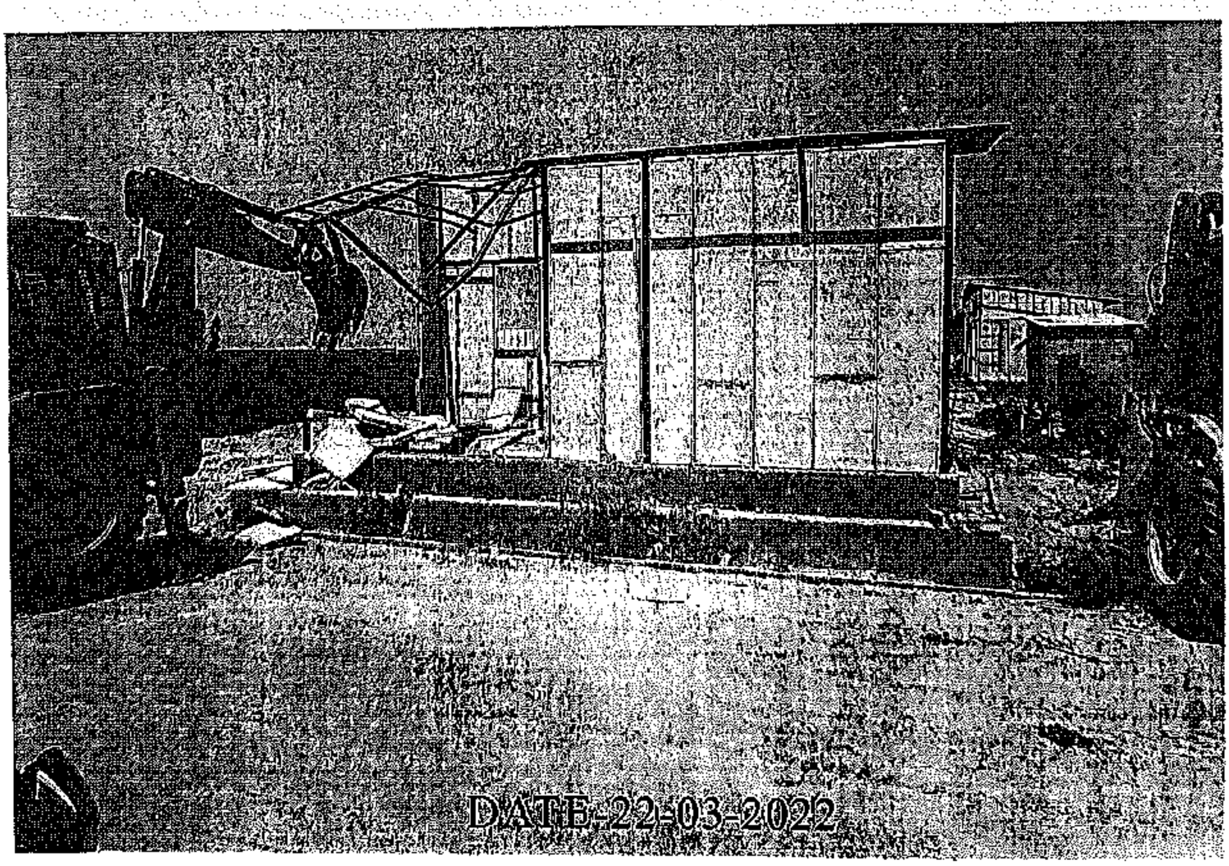
DATE-22-03-2022

DATE-22-03-2022

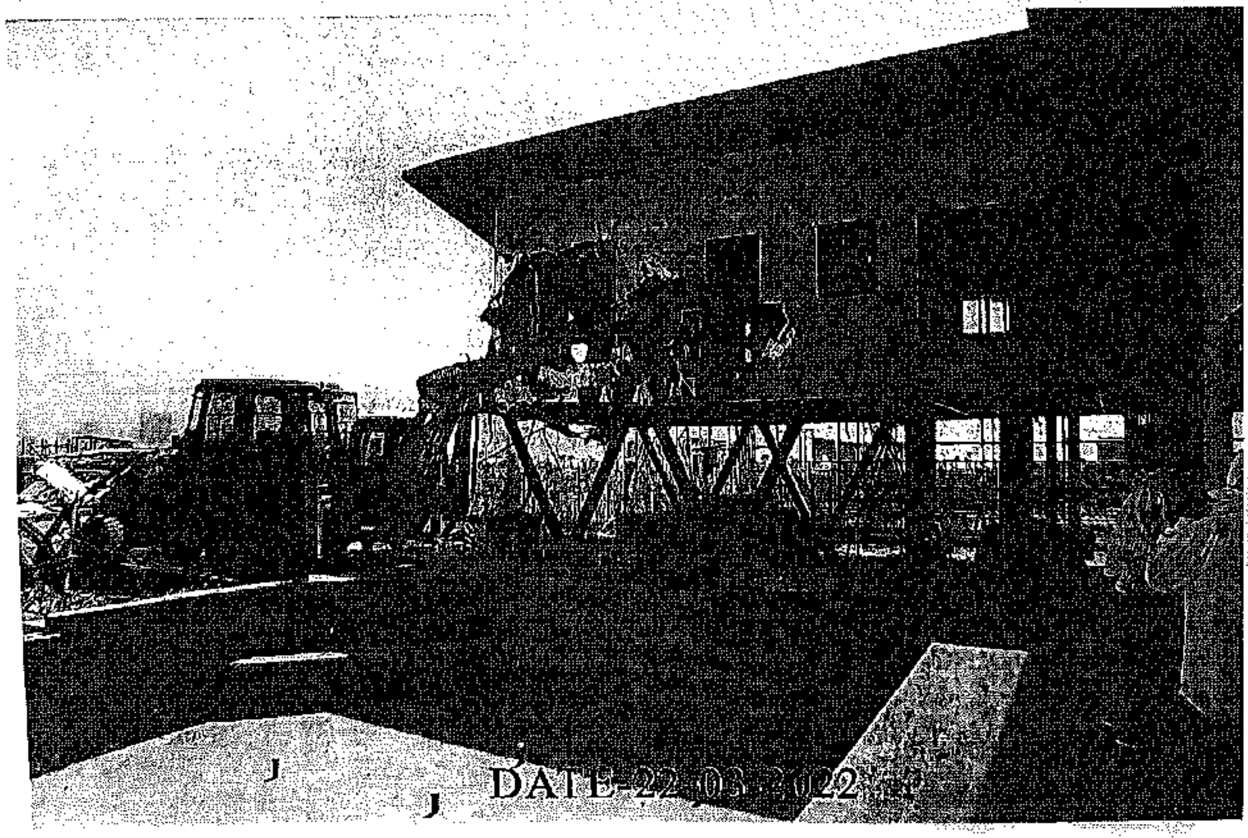
DATE-22-03-2022

75 13

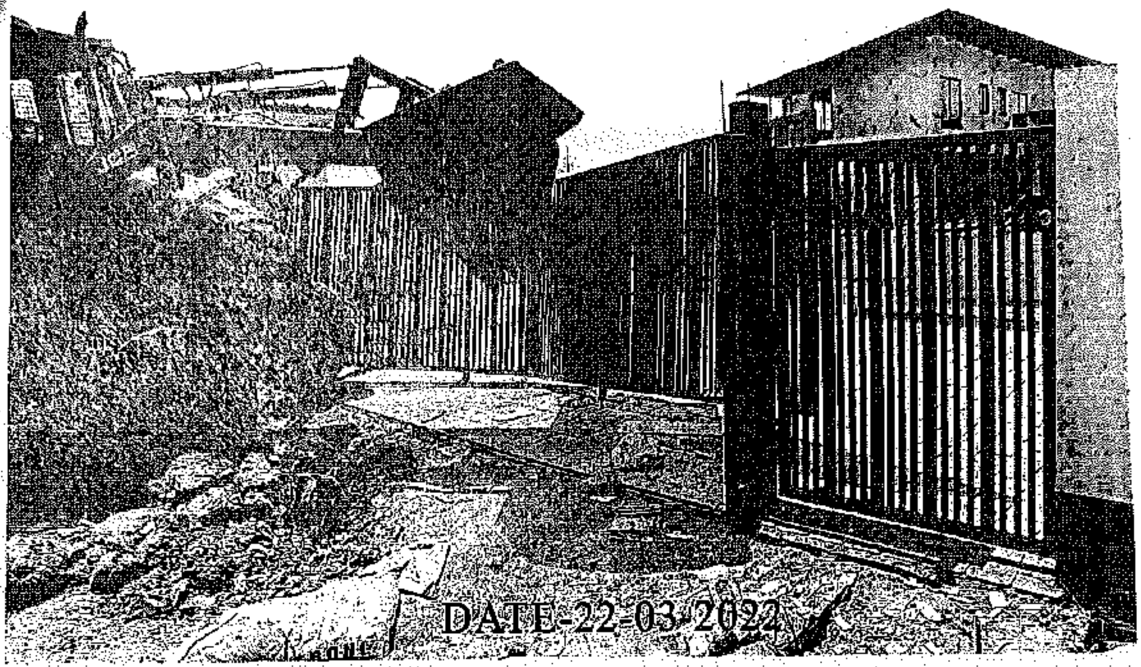

05/08/21

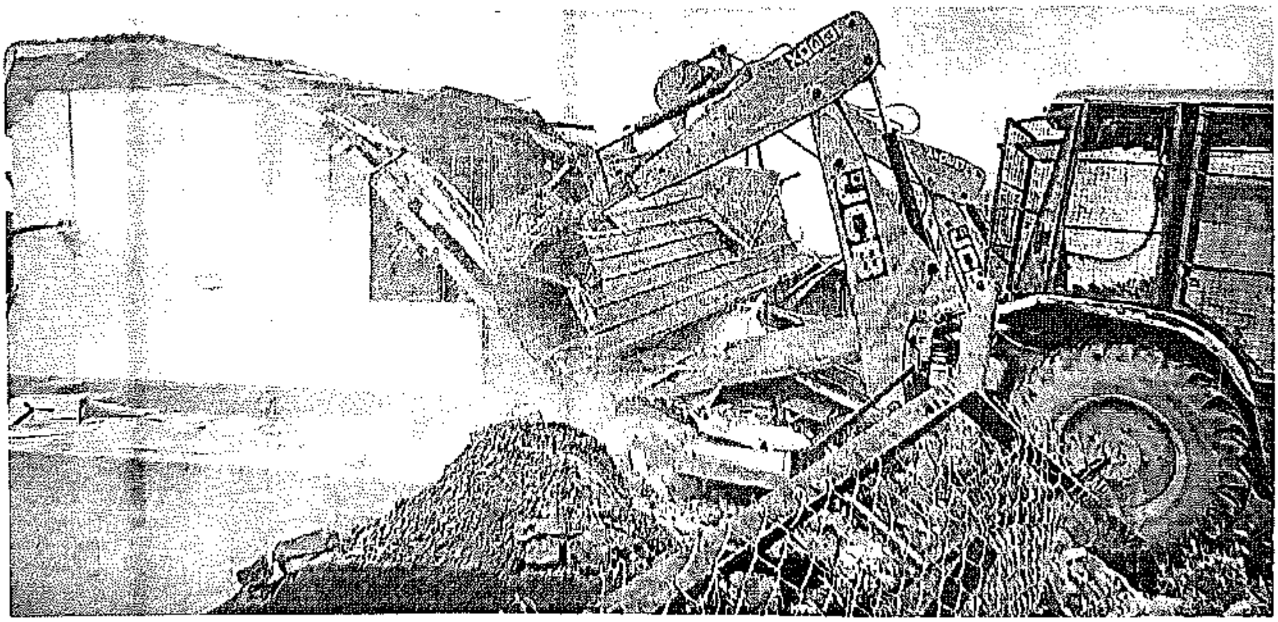

05/08/21

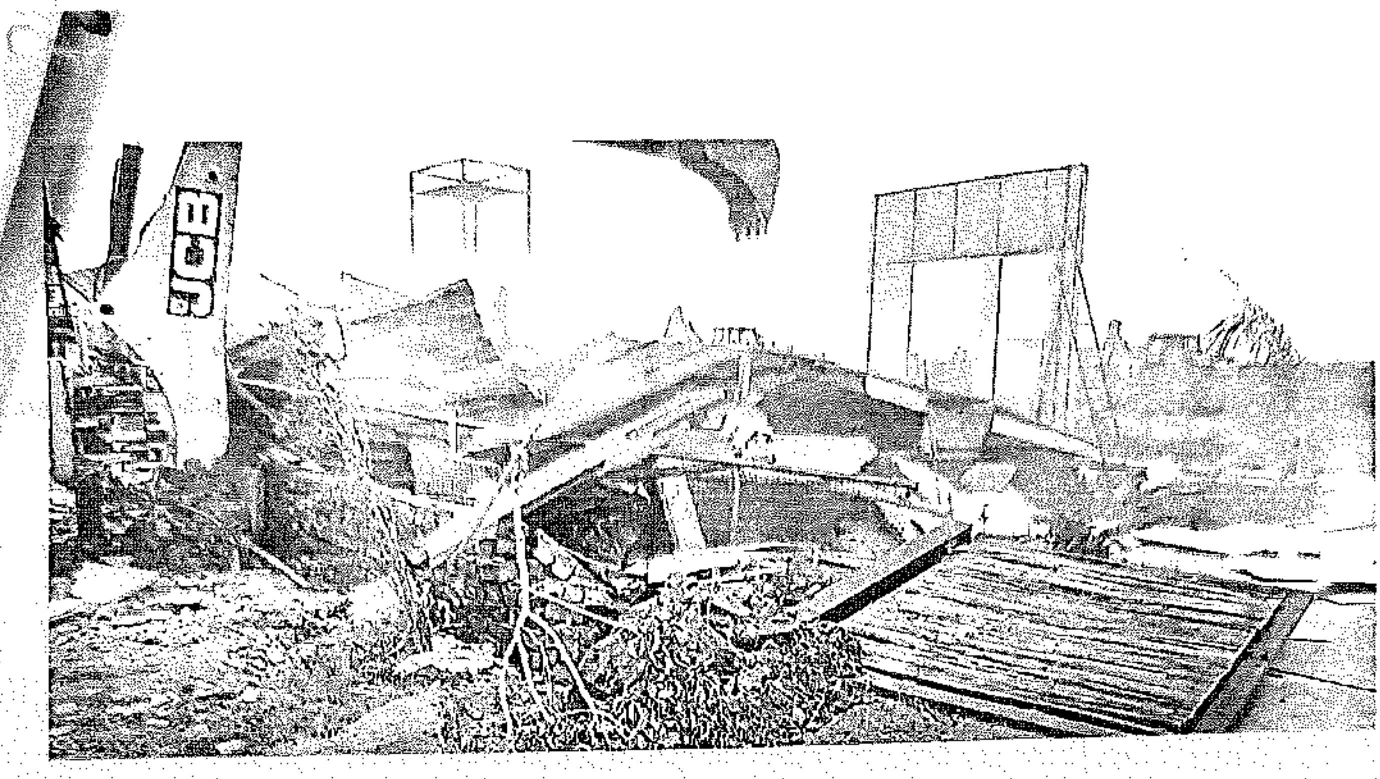

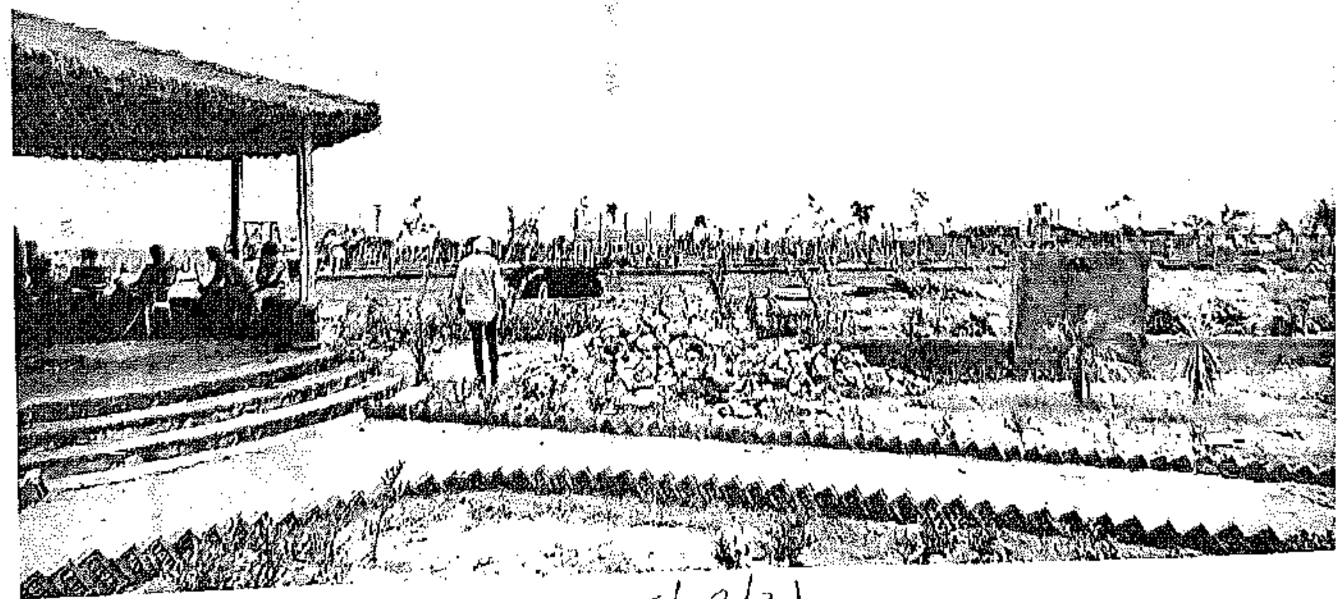

05/08/21

JCB
3DX
GPS Map Camera
Aurangabad, Uttar Pradesh, India
N16, Jaypee Aman, Sector 151, Aurangabad, Noida, Uttar Pradesh
201310, India
Lat 28.444101°
Long 77.463563°
16/10/23 12:34 PM GMT +05:30
Google

JCB
GPS Map Camera
Google
Noida, Uttar Pradesh, India
CFQ7+J7X, Sector 151, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.438595°
Long 77.462983°
16/10/23 12:46 PM GMT +05:30

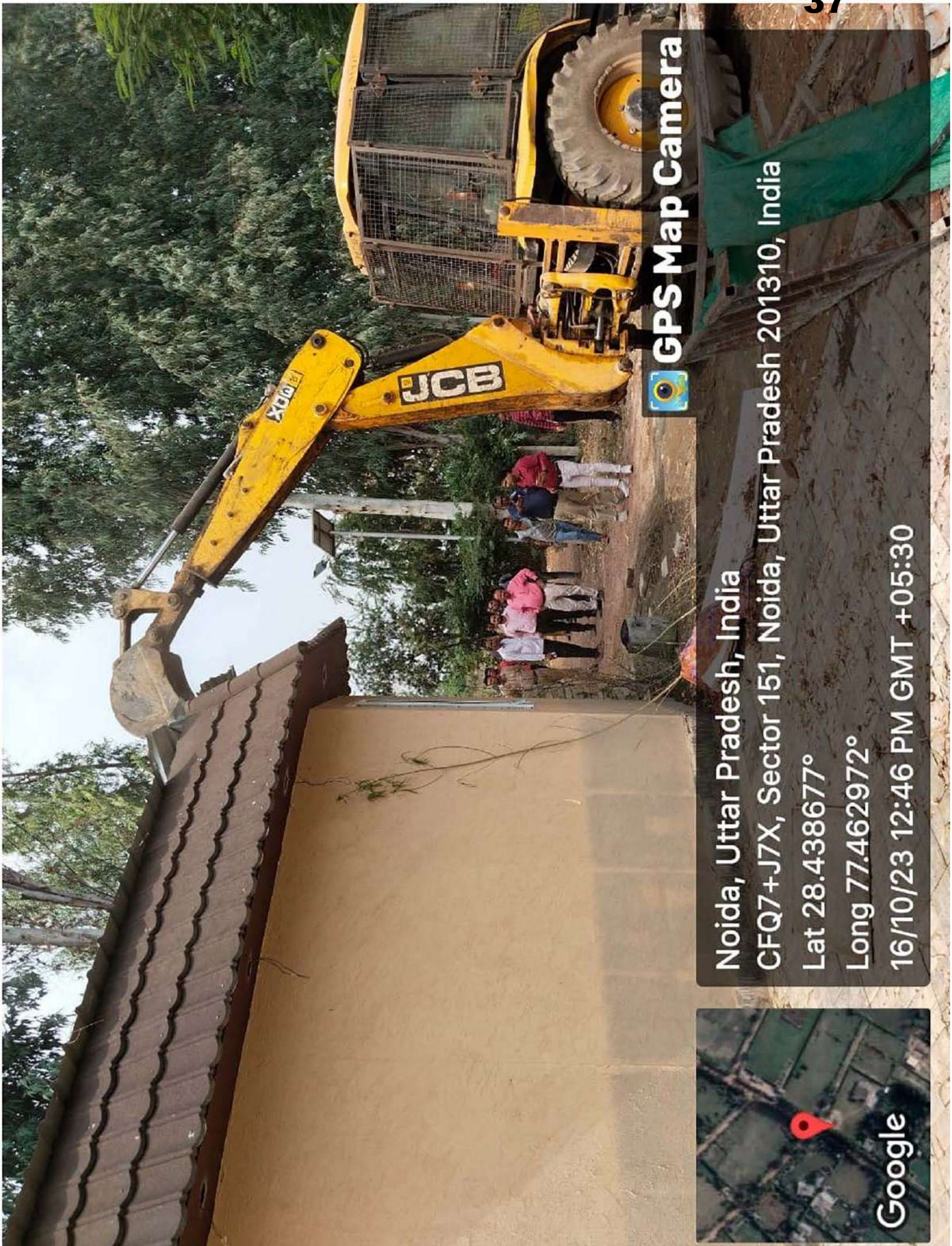
JCB
GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
CFQ7+J7X, Sector 151, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.438677°
Long 77.462972°
16/10/23 12:46 PM GMT +05:30
Google

JCB
YA
FARM
GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
Cluster_gautam Buddha Nagar 8 Tower 22, IP AMAN SOCIETY, Sector 151, Aurangabad, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.44385°
Long 77.46623°
16/10/23 12:44 PM GMT +05:30
Google

JCB
3DX
UP16DT4979
GPS Map Camera
Aurangabad, Uttar Pradesh, India
N16, Jaypee Aman, Sector 151, Aurangabad, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.444101°
Long 77.463563°
16/10/23 12:34 PM GMT +05:30
Google

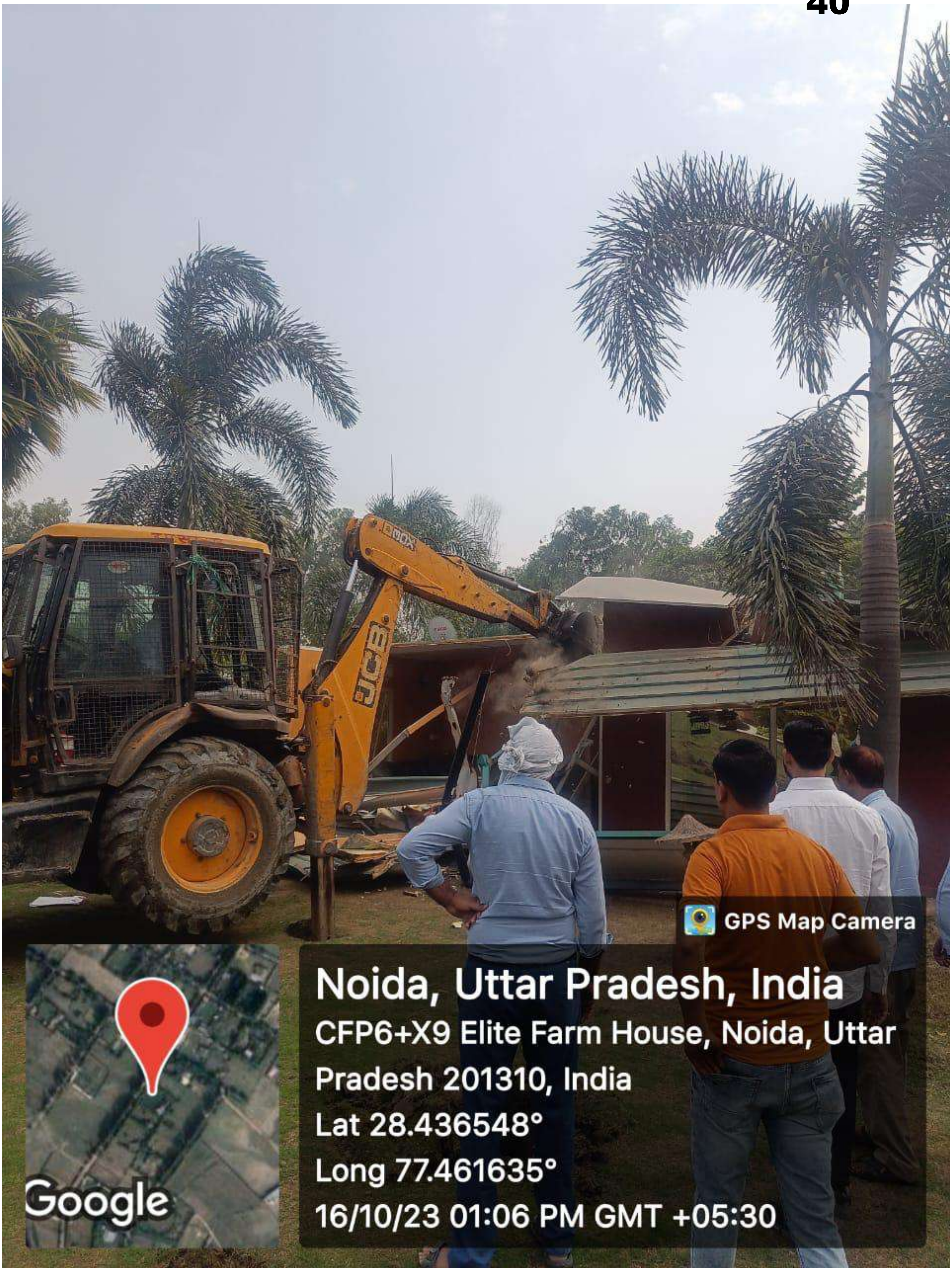
JCB
GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
CFP6+X9 Elite Farm House, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.436548°
Long 77.461635°
16/10/23 01:06 PM GMT +05:30
Google

JCB
JCB
GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
Shiv Narayan Harsana G, Sector 151, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.44008°
Long 77.463424°
16/10/23 12:39 PM GMT +05:30
Google

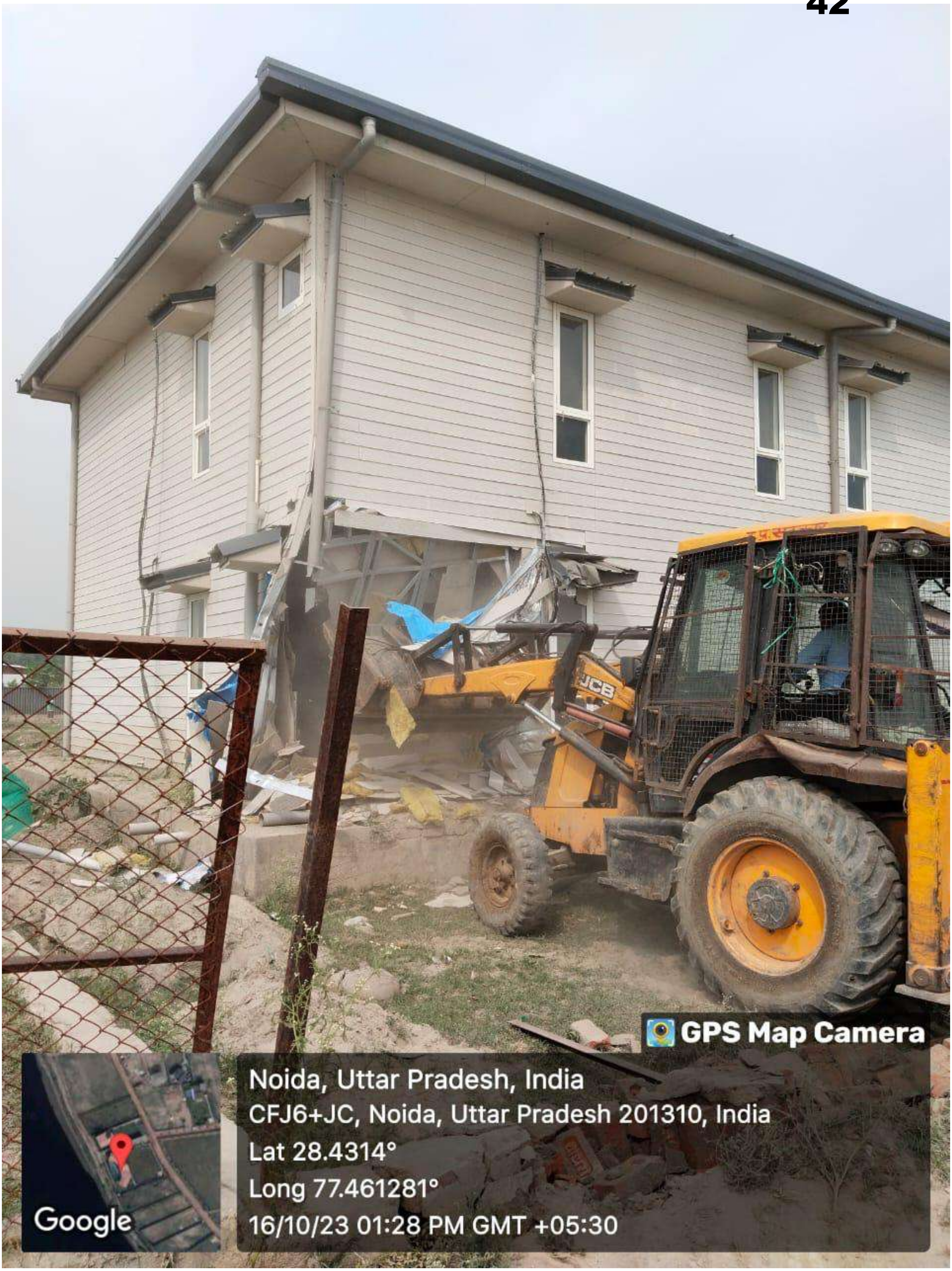
JCB
GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
CFJ6+JC, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.4314°
Long 77.461281°
16/10/23 01:28 PM GMT +05:30
Google

JCB
3DX
GPS Map Camera
Noida, UP, India
Sector 157, Noida, 201306, UP, India
10/16/2023 01:03 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

P16CT5055
GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
The Farms, Ecnon Sports Land, Sector 151, Noida, Uttar Pradesh
201310, India
Lat 28.440768°
Long 77.46382°
16/10/23 12:35 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
CFQ7+J7X, Sector 151, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.439052°
Long 77.464026°
16/10/23 12:40 PM GMT +05:30
Google
JCB

JCB
GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
Shiv Narayan Harsana G, Sector 151, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.44008°
Long 77.463424°
16/10/23 12:38 PM GMT +05:30
Google

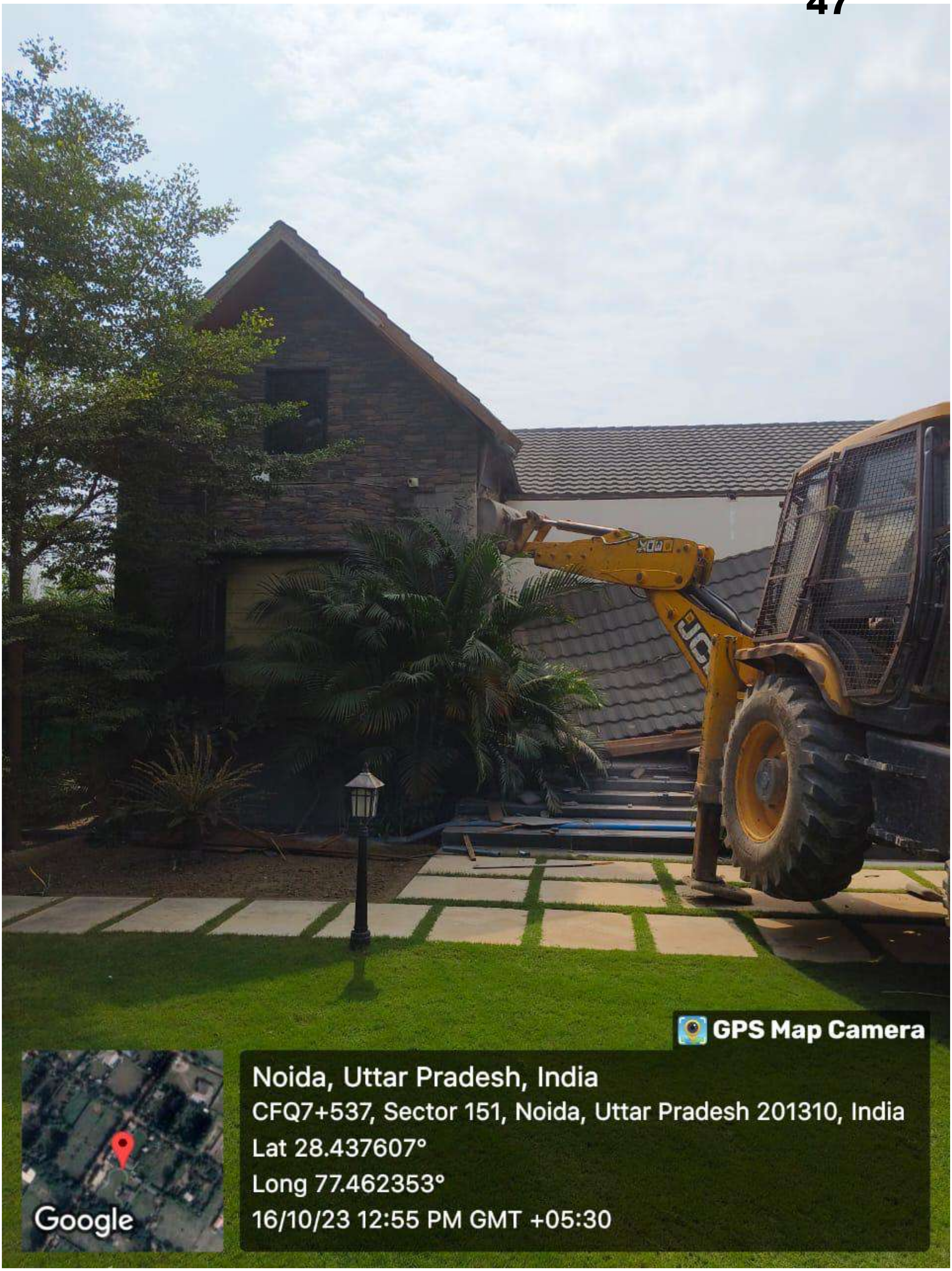
JCB
GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
CFQ7+537, Sector 151, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.437607°
Long 77.462353°
16/10/23 12:55 PM GMT +05:30
Google

GPS Map
Camera Lite
CFQ7+J7X, Sector 151, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Latitude
28.43875714°
Longitude
77.46280721°
Local 12:46:46 PM
GMT 07:16:46 AM
Altitude 196 meters
Monday, 16.10.2023

GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
CFQ7+537, Sector 151, Noida, Uttar Pradesh 201310, India
Lat 28.437659°
Long 77.462439°
16/10/23 12:55 PM GMT +05:30
Google

ANNEXURE-R15/5 (COLLY)

नोएडा अथॉरिटी ने डूब क्षेत्र में की कार्रवाई

अवैध रूप से बने 50 फार्म हाउस पर चला बुलडोज़र

विशेष संवाददाता, नोएडा

यमुना में आई बाढ़ के दौरान डूब गए थे ये फार्महाउस

अथॉरिटी ने सोमवार को यमुना के डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्महाउसों को ध्वस्त किया। सोमवार को सर्कल-10 के वरिष्ठ प्रबंधक केवी सिंह की अगुवाई में 50 से ज्यादा फार्महाउस तोड़े गए। इनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। उन्होंने बताया कि ये फार्म हाउस कई हजार वर्गमीटर पर बने थे। इन अवैध फार्म हाउसों का पक्का कंस्ट्रक्शन करने के साथ ही कमर्शल एक्टिविटी भी चल रही थी। यमुना में जुलाई में आई बाढ़ के दौरान इस स्थान पर बने सभी फार्म हाउस डूब गए थे। यहां से लोगों को निकालने के लिए तीन से चार दिनों तक एनडीआरएफ, पुलिस और प्राधिकरण को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इसमें कई मवेशियों की जान तक चली गई थी। इसके बाद प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने एक हवाई सर्वे कराया था, जिसमें अवैध निर्माण वाले फार्म हाउसों का चिन्हित किया गया था। सर्वे के बाद सोमवार को यहां बने 50 फार्म हाउसों को ध्वस्त किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई यदि दोबारा कंस्ट्रक्शन किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यमुना का करीब 5 हजार हेक्टेयर एरिया डूब क्षेत्र में है। यहां किसी प्रकार का पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी यहां करीब एक हजार से ज्यादा फार्म हाउस बने हैं। इससे पहले जो अभियान चलाया गया था उसमें करीब 164 फार्म हाउस ध्वस्त किए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे के बाद यहां यथा स्थिति बनाए रखने को कहा गया।

17.10.2023

डूब क्षेत्र में बने 50 फार्म हाउसों पर चला बुलडोजर

करीब 75 हजार वर्गमीटर में बनाए गए थे अवैध फार्म हाउस, नोएडा प्राधिकरण ने की कार्रवाई

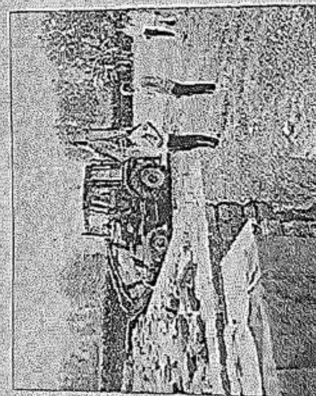

फार्म हाउस को गिराते प्राधिकरण कर्मी। स्रोत : प्राधिकरण

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र में कांडली गांव के पीछे सेक्टर-151 और 156 में करीब 50 अवैध फार्म हाउस जमींदोज कर दिए। यहां करीब 75 हजार वर्गमीटर में अवैध तरीके से फार्म हाउस बनाए गए थे। प्राधिकरण के बार-बार नोटिस देने के बावजूद फार्म हाउस संचालक अवैध निर्माण नहीं हटा रहे थे। सोमवार को प्राधिकरण के भूलेख विभाग, वर्क सर्किल-10, पुलिस और प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया।

दोनों सेक्टरों में लोगों ने एक से दो-दो फ्लोर तक के अवैध फार्म हाउस बनाए गए थे। जबकि करीब 12 फार्म हाउसों का निर्माण जारी था। वर्क सर्किल-10 के वरिष्ठ प्रबंधक केवी सिंह ने बताया कि यमुना के डूब क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध है। इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की भी है। लेकिन यहां अवैध तरीके से अवैध फार्म हाउस का निर्माण कर लिया गया था।

सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक चिह्नित किए गए फार्म हाउस गिरा दिए गए। जिन फॉर्म हाउसों का मामला कोर्ट में है उनपर कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार को गिराए गए फार्म हाउसों का क्षेत्रफल 1000 से लेकर 2000 वर्गमीटर का था। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि इसी कड़ी में कुछ और अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं। जहां जल्द कार्रवाई होगी। इस मसले पर प्राधिकरण और जिला प्रशासन के बीच चर्चा हो चुकी है।

डूब क्षेत्र में बने 50 फार्म हाउसों पर चला बुलडोजर

करीब 75 हजार वर्गमीटर में बनाए गए थे अवैध फार्म हाउस, नोएडा प्राधिकरण ने की कार्रवाई

फार्म हाउस को गिराते प्राधिकरण कर्मी। स्रोत : प्राधिकरण

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र में कोंडली गांव के पीछे सेक्टर-151 और 156 में करीब 50 अवैध फार्म हाउस जमींदोज कर दिए। यहां करीब 75 हजार वर्गमीटर में अवैध तरीके से फार्म हाउस बनाए गए थे। प्राधिकरण के बार-बार नोटिस देने के बावजूद फार्म हाउस संचालक अवैध निर्माण नहीं हटा रहे थे। सोमवार को प्राधिकरण के भूलेख विभाग, वर्क सर्किल-10 , पुलिस और प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया।

दोनों सेक्टरों में लोगों ने एक से दो-दो फ्लोर तक के अवैध फार्म हाउस बनाए गए थे। जबकि करीब 12 फार्म हाउसों का निर्माण जारी था। वर्क सर्किल-10 के वरिष्ठ प्रबंधक केवी सिंह ने बताया कि यमुना के डूब क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध है। इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की भी है। लेकिन यहां अवैध तरीके से अवैध फार्म हाउस का निर्माण कर लिया गया था।

सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक चिह्नित किए गए फार्म हाउस गिरा दिए गए। जिन फॉर्म हाउसों का मामला कोर्ट में है उनपर कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार को गिराए गए फार्म हाउसों का क्षेत्रफल 1000 से लेकर 2000 वर्गमीटर का था। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि इसी कड़ी में कुछ और अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं। जहां जल्द कार्रवाई होगी। इस मसले पर प्राधिकरण और जिला प्रशासन के बीच चर्चा हो चुकी है।

17.10.2023

नोएडा अथॉरिटी ने डूब क्षेत्र में की कार्रवाई

अवैध रूप से बने 50 फार्म हाउस पर चला बुलडोज़र

■ विशेष संवाददाता, नोएडा

यमुना में आई बाढ़ के दौरान डूब गए थे ये फार्महाउस

अथॉरिटी ने सोमवार को यमुना के डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्महाउसों को ध्वस्त किया। सोमवार को सर्कल-10 के वरिष्ठ प्रबंधक केवी सिंह की अगुवाई में 50 से ज्यादा फार्महाउस तोड़े गए। इनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। उन्होंने बताया कि ये फार्म हाउस कई हजार वर्गमीटर पर बने थे। इन अवैध फार्म हाउसों का पक्का कंस्ट्रक्शन करने के साथ ही कमर्शल एक्टिविटी भी चल रही थी। यमुना में जुलाई में आई बाढ़ के दौरान इस स्थान पर बने सभी फार्म हाउस डूब गए थे। यहां से लोगों को निकालने के लिए तीन से चार दिनों तक एनडीआरएफ, पुलिस और प्राधिकरण को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इसमें कई मवेशियों की जान तक चली गई थी। इसके बाद प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने एक हवाई सर्वे कराया था, जिसमें अवैध निर्माण वाले फार्म हाउसों को चिन्हित किया गया था। सर्वे के बाद सोमवार को यहां बने 50 फार्म हाउसों को ध्वस्त किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई यदि दोबारा कंस्ट्रक्शन किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यमुना का करीब 5 हजार हेक्टेयर एरिया डूब क्षेत्र में है। यहां किसी प्रकार का पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी यहां करीब एक हजार से ज्यादा फार्म हाउस बने हैं। इससे पहले जो अभियान चलाया गया था उसमें करीब 164 फार्म हाउस ध्वस्त किए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे के बाद यहां यथा स्थिति बनाए रखने को कहा गया।

ANNEXURE-R15/6

AB H.L-140-2024

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा

पत्रांकः नौएडा/अ.मु.का.अ.(एस0के0/2024/WC-10/663

दिनांकः 13-09-2024

पुलिस आयुक्त
जिला-गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)
सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा

विषयः-नौएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-कोण्डली बांगर के डूब क्षेत्र में अवैध/अनाधिकृत फार्महाउसों के ध्वस्तीकरण हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भः- नौएडा/अ0मु0का0अ0(एस0के0)/2024/433 दिनांक 18.07.2024

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था कि नौएडा प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र ग्राम-कोण्डली बांगर के डूब क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से फार्महाउसों का निर्माण किया गया है जिसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही दिनांक 09.08.2024 को हटाने का कार्यक्रम प्रातः 10.00 बजे नियत किया गया था परन्तु पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः उक्त **अतिक्रमण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण** की कार्यवाही **पुनः दिनांक 27.09.2024 को प्रातः 10:00 बजे नियत की गई है**। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में कई बार डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 27.09.2024 को प्रातः 10 बजे NPX चौराहे पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी (एम.पी.) नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप महाप्रबन्धक (सिविल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) नौएडा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यवाही के समय सम्बन्धित लेखपाल के स्थल पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-10, नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद, (थाना कविनगर के सामने), उत्तर प्रदेश।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक वि0/याँ0-प्रथम को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि एवं समय पर 6 नग जेसीबी, 4 नग हाइवा, एक मोबाइल क्रेन उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।
8. थानाध्यक्ष, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नौएडा।
9. पुलिस निरीक्षक, नौएडा प्राधिकरण, सैक्टर-6 को इस निर्देश के साथ कि थाना नॉलेज पार्क ग्रेटर नौएडा, से समन्वय स्थापित कर स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

ND-5270, 6/12/24

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक

वर्क सर्किल–8

वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड, सैक्टर–19, नौएडा

पत्रांकः– नौएडा/व.प्र.(व0स0–8)/2024/2610
दिनांक 05–12–2024

विधि अधिकारी (वि.वि.)
नौएडा

विषयः– O.A. No. 329/2024 Rajendra Tyagi Vs Union of India & Ors. के सम्बध में।
(Village Sorkha, Sarfabad, Garhi Chowkhandi, Parthla Khanjarpur, Behlolpur, Salarpur, Sultapur, Gejha, Naya Baon, Shahdara, Ilahabaas, Bhangel, Momnathalpur, Tilwara, Kondli and Badauli में हो रहें अनाधिकृत निर्माण के सम्बंध में।)

सन्दर्भ :– पत्र संख्या नौएडा/उ.म.प्र.(सिविल)/2024/2232, दिनांक 21.10.2024
पत्र संख्या नौएडा/वि.वि./2024/5701, दिनांक 18.10.2024

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवगलोकन ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आपके द्वारा O.A. की प्रति आख्या/Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित की गयी थी।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्क सर्किल–8 के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सलारपुर, गेझा, शहदरा, भंगेल आते है। उक्त सभी ग्रामों में अवैध निर्माण उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही की आख्या पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

05-12-24
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–8, नौएडा

प्रतिलिपिः–

- उप महाप्रबन्धक (सिविल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- सम्बंधित प्रबन्धक/सहा. प्रबन्धक/अवर अभियन्ता को उनकी आख्या के कम में।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–8, नौएडा

LO(PG)/SPL

noida

AN AREA OF EXCELLENCE

वर्क सर्किल–8

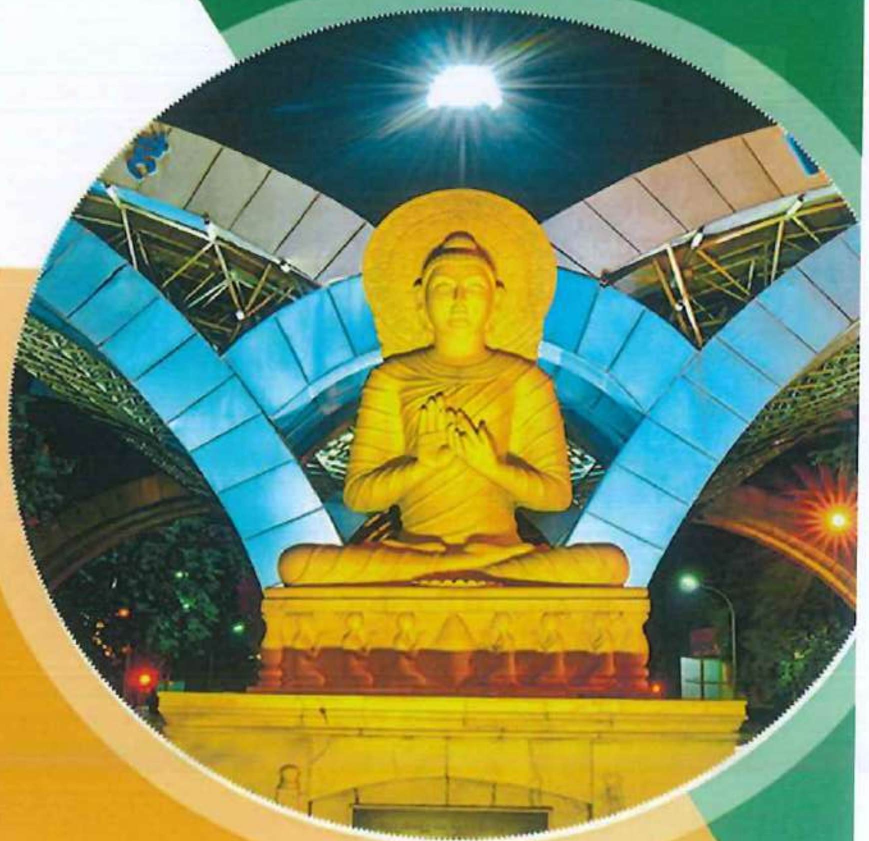

अतिक्रमण ध्वस्तीकरण/सीलिंग की कार्यवाही

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

ग्राम :– सलारपुर, खसरा संख्या :– 779

कम संख्या	विवरण	कार्यवाही
1	ध्वस्तीकरण नोटिस	Letter No. 373 Dt.12.02.2021,
2	एफ.आई.आर. दिनांक	07.01.2021, Letter No. 557, Date 19.04.2022 Letter No. 873, Date 24.05.2022 Letter No. 1751, Date 16.09.2021
3	ध्वस्तीकरण की दिनांक	20-04-2022, 26-04-2022, 11-05-2022, 20-05-2022, 07-02-2023, 09-02-2023, 24-08-2023, 02-09-2023, 08-12-2023, 17.01.2024,
4	कार्यवाही अवलोकनार्थ	सीलिंग / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु पत्रावली गतिमान है।

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

एफ.आई.आर.

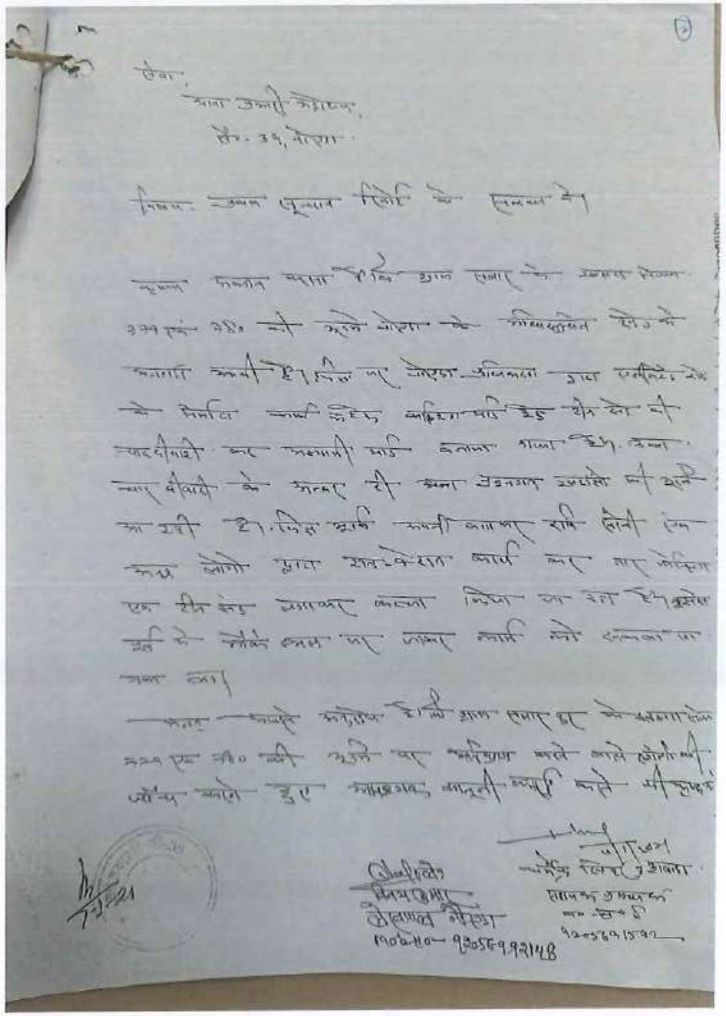

सेवा,
थाना प्रभारी महोदय,
सै.- 39, नोएडा

विषय- [illegible] के सम्बन्ध में

[illegible]

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

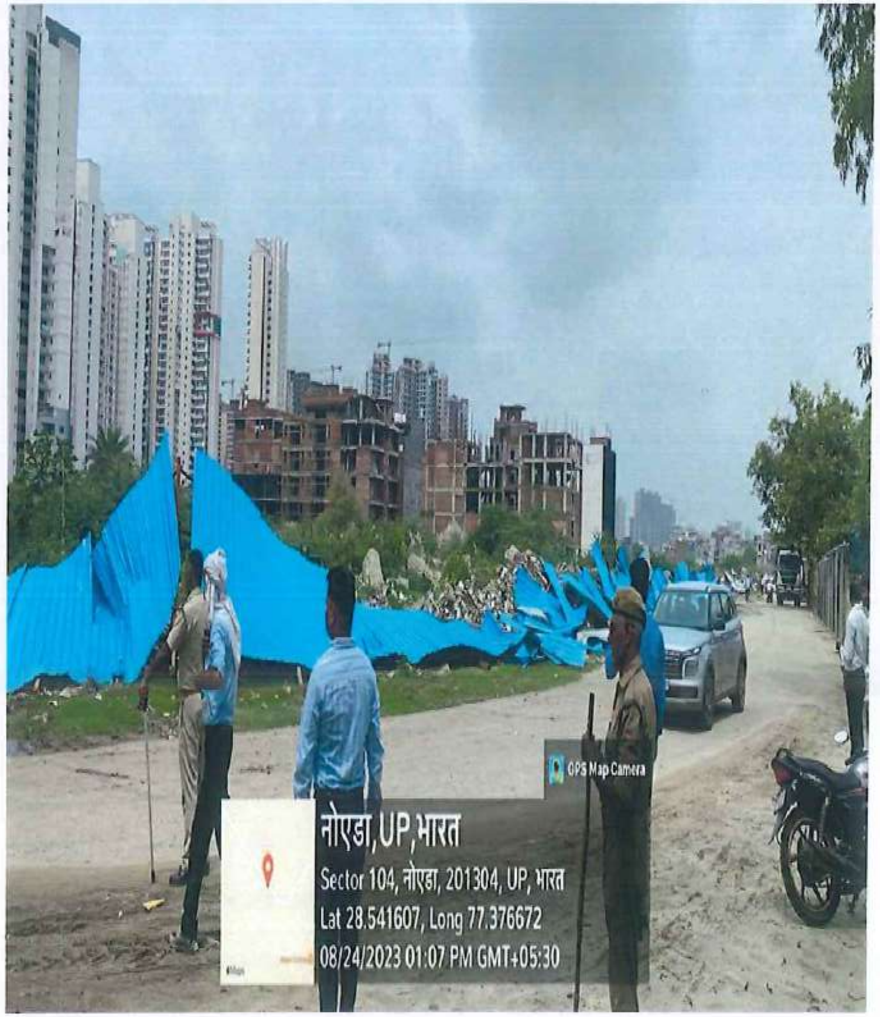

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

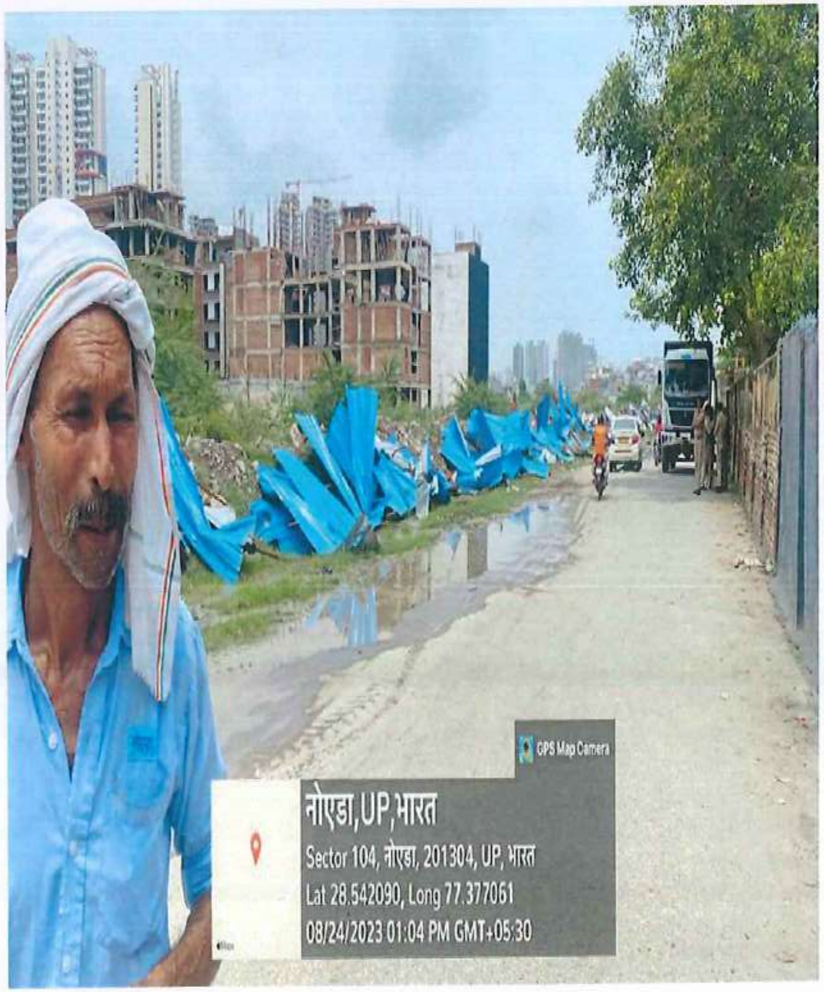

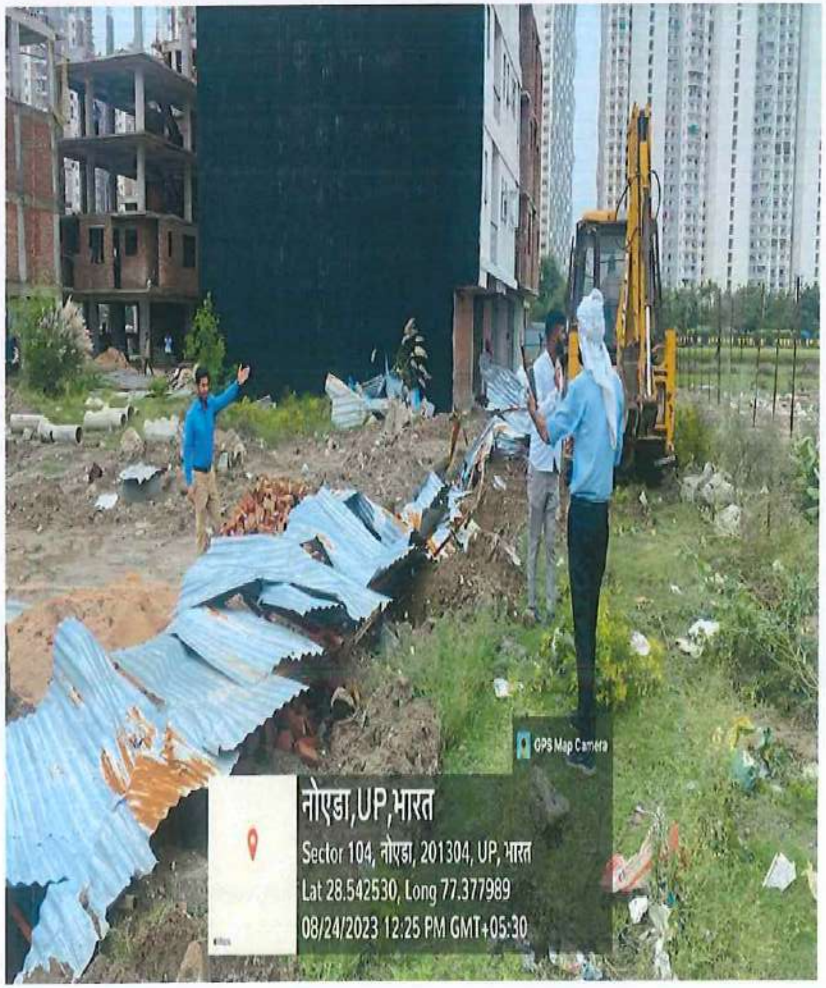

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

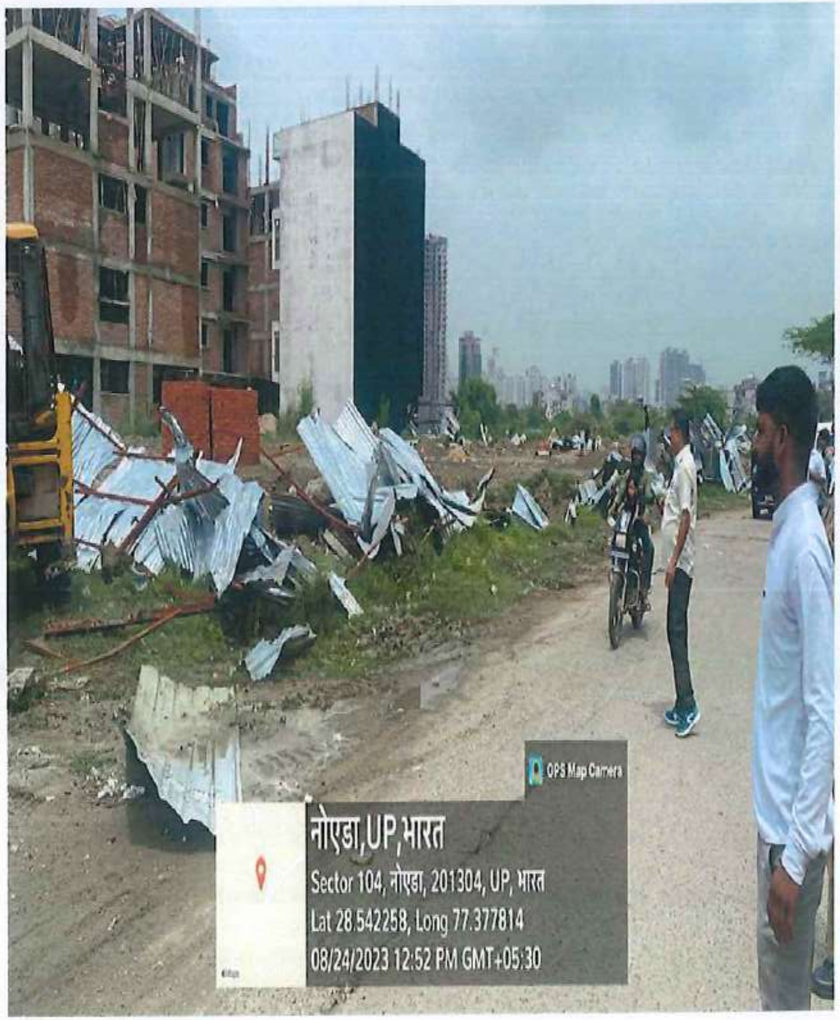

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

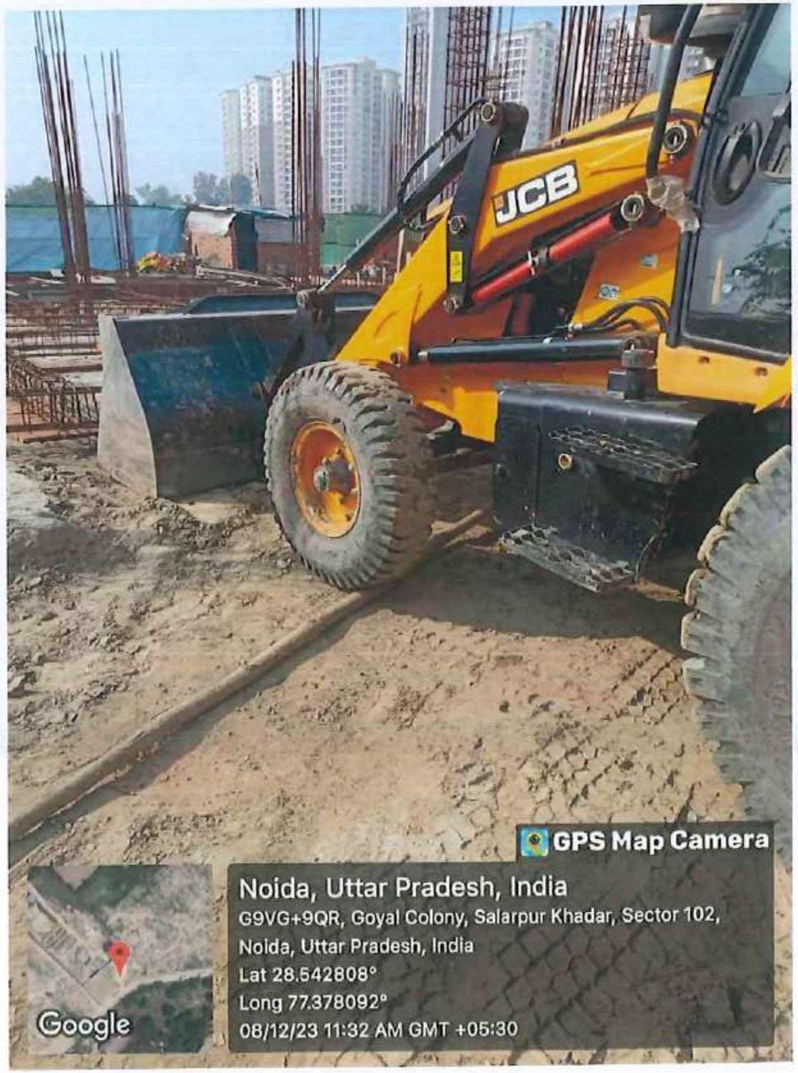

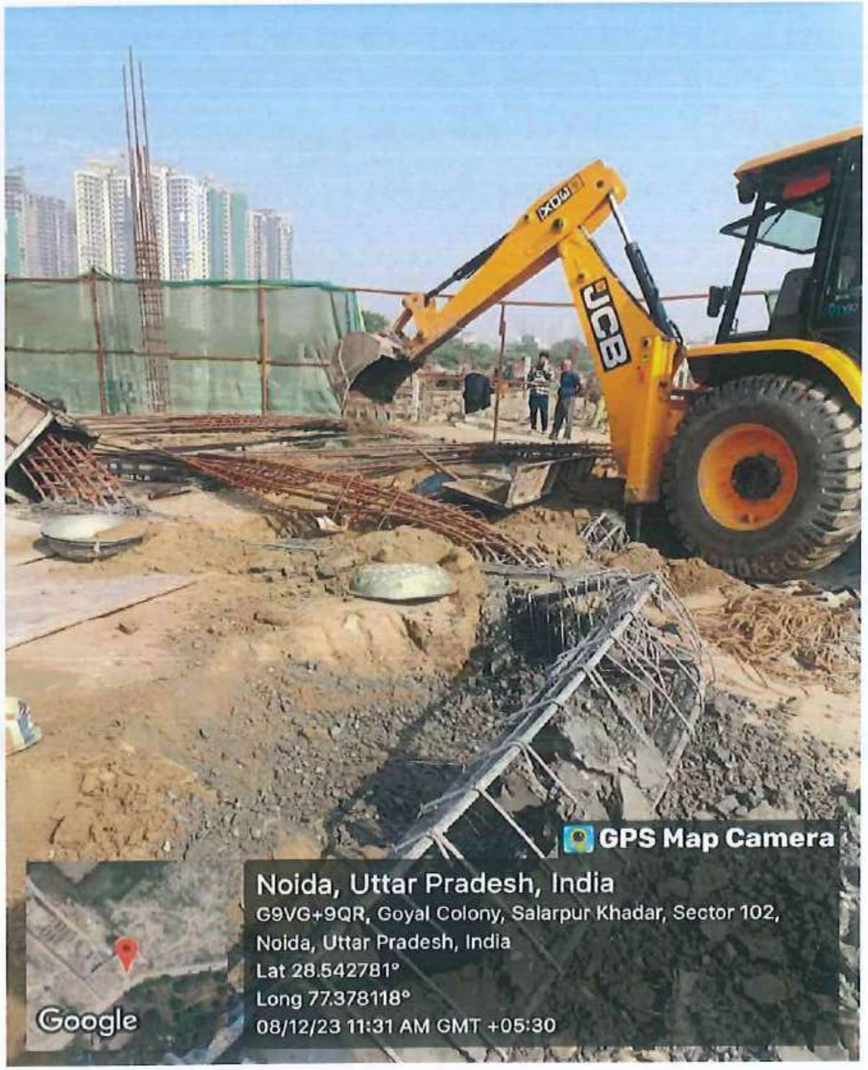

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

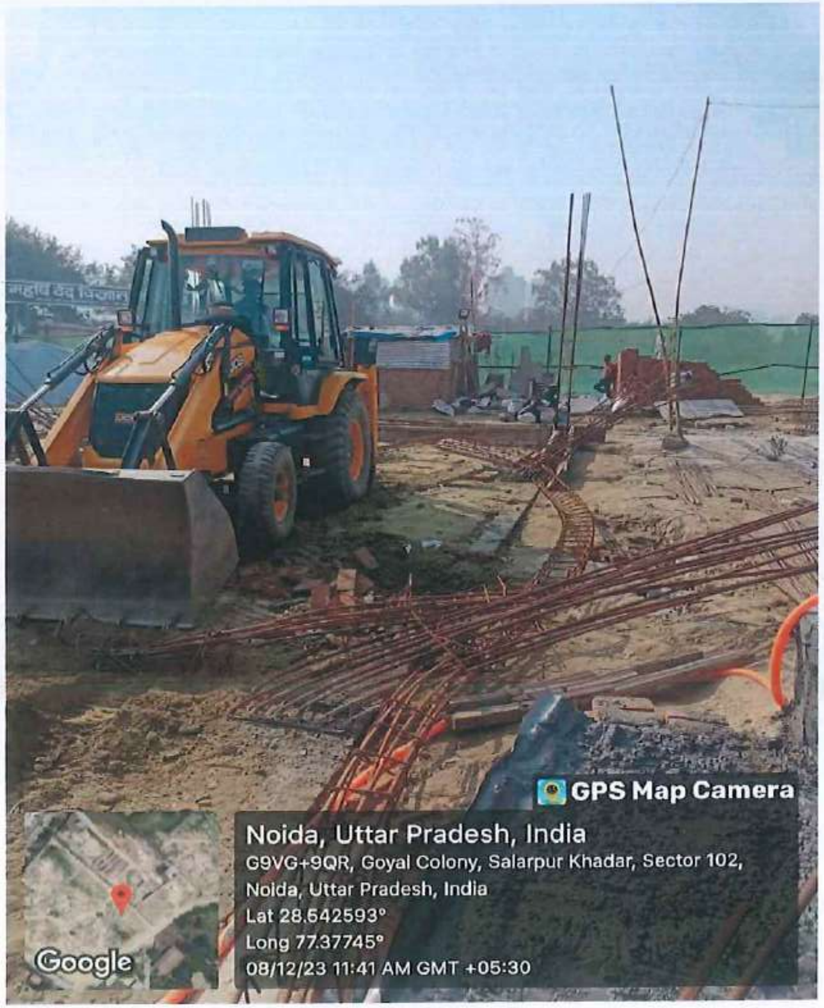

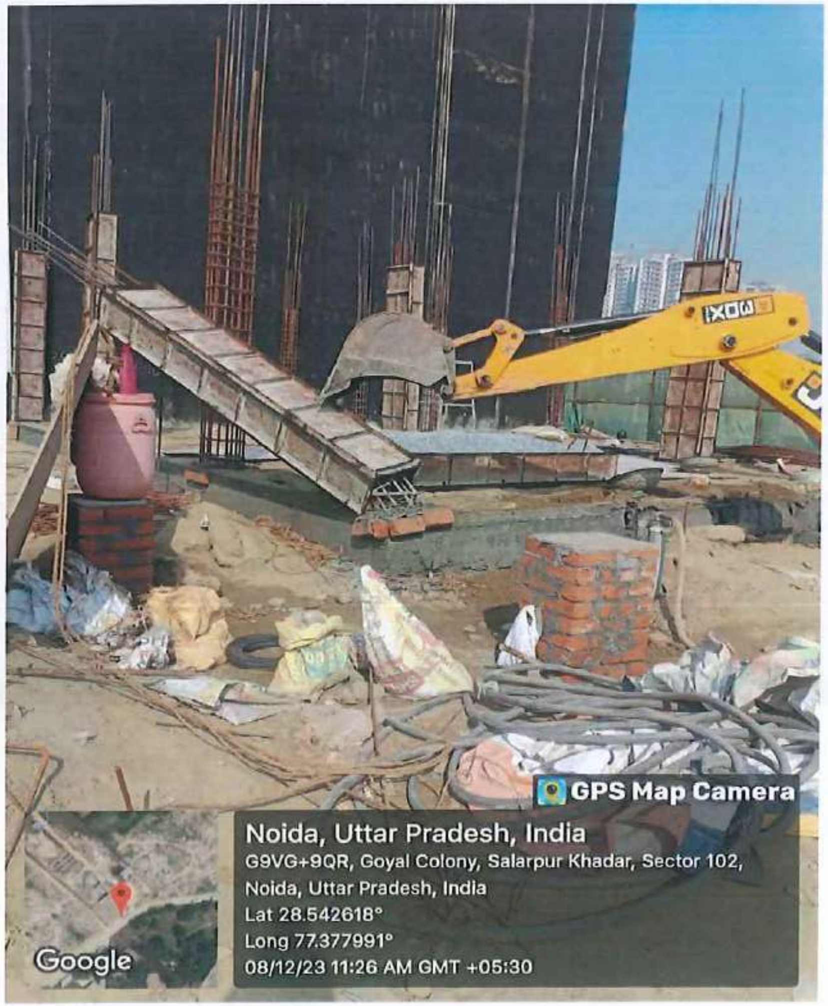

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

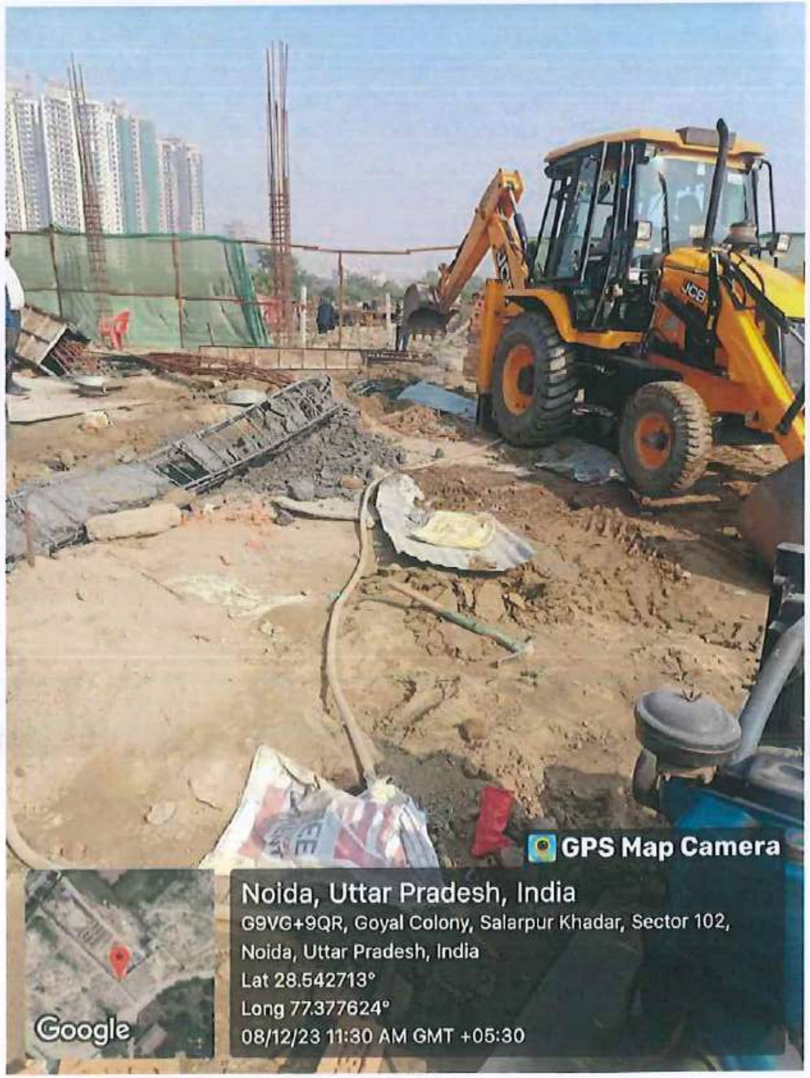

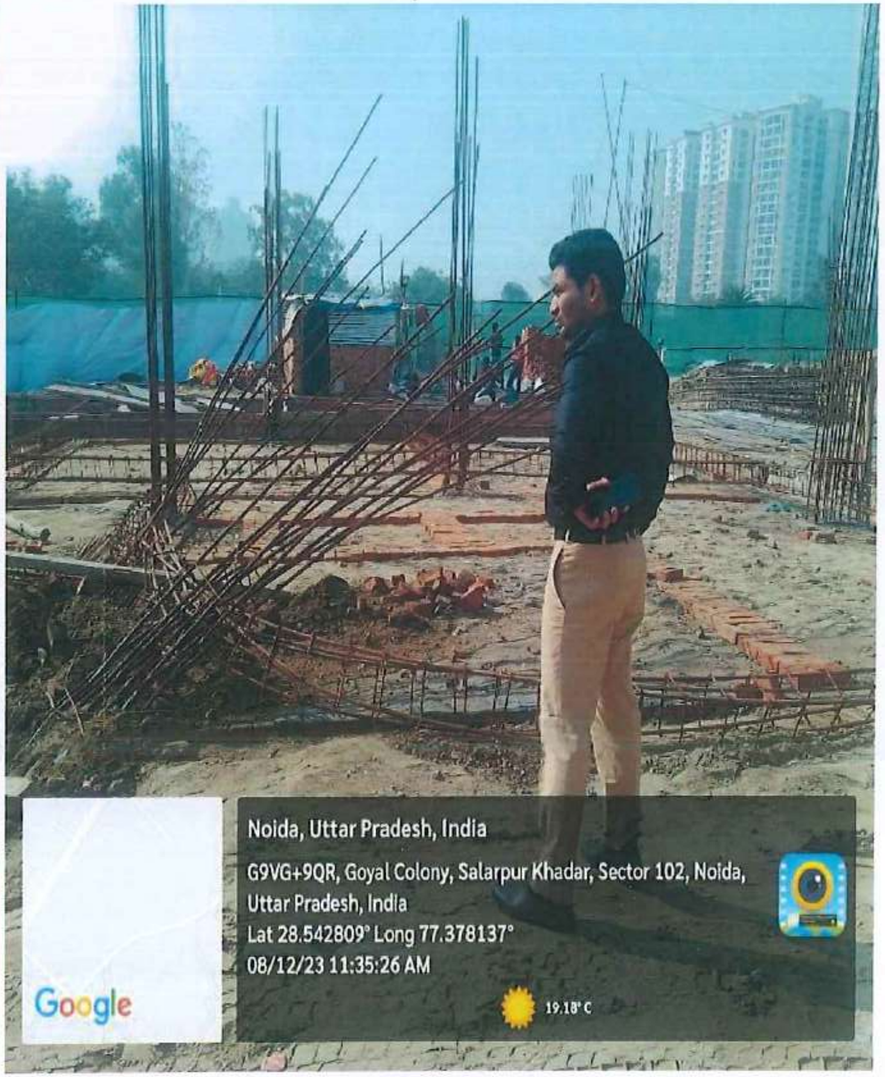

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

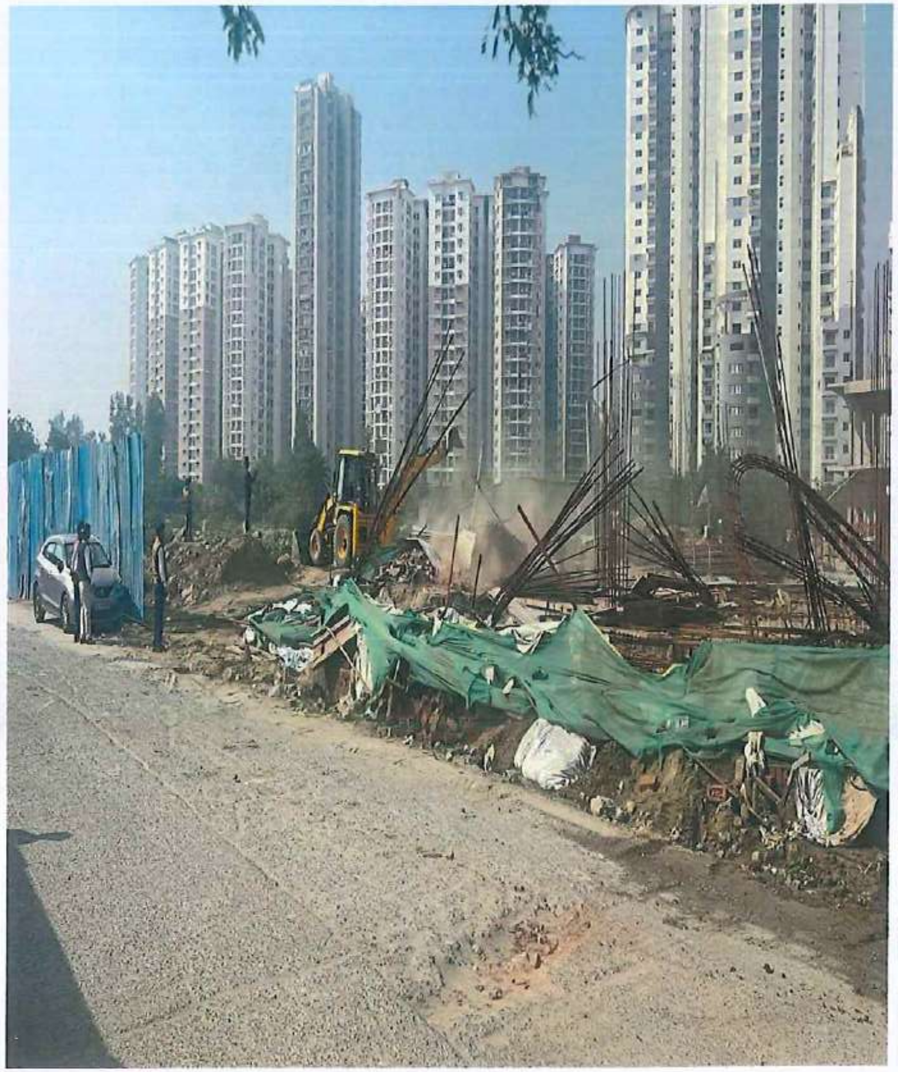

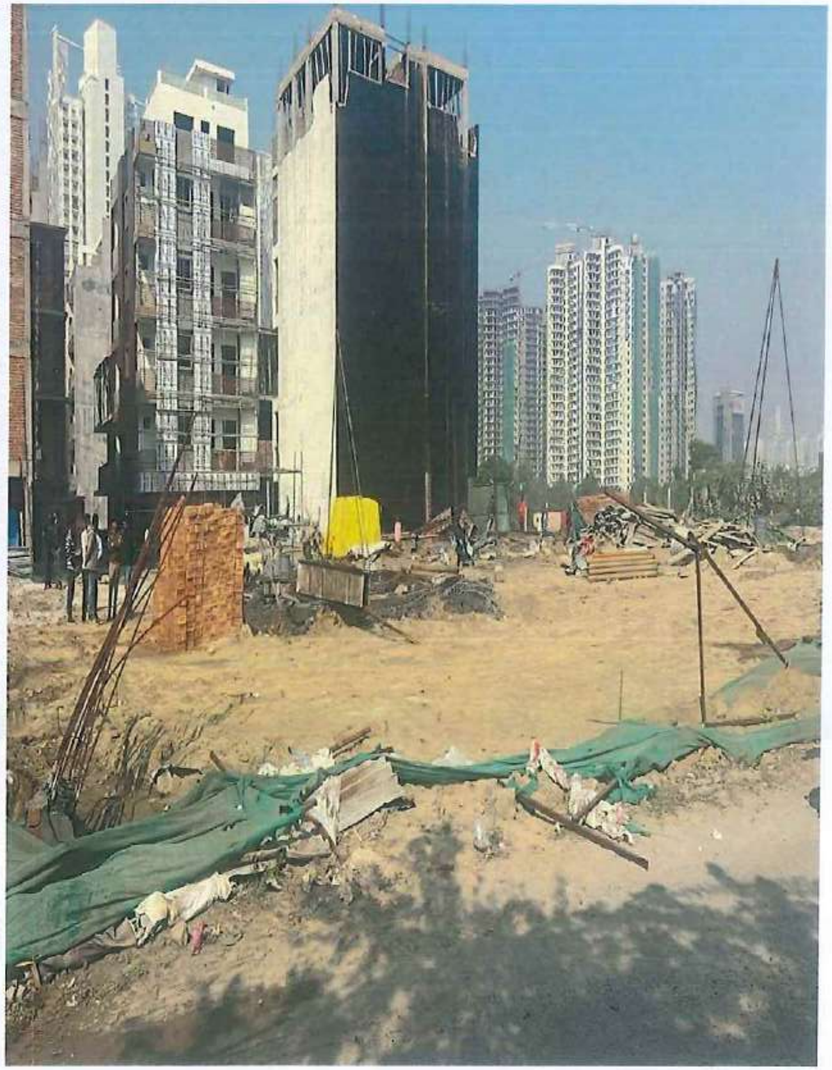

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

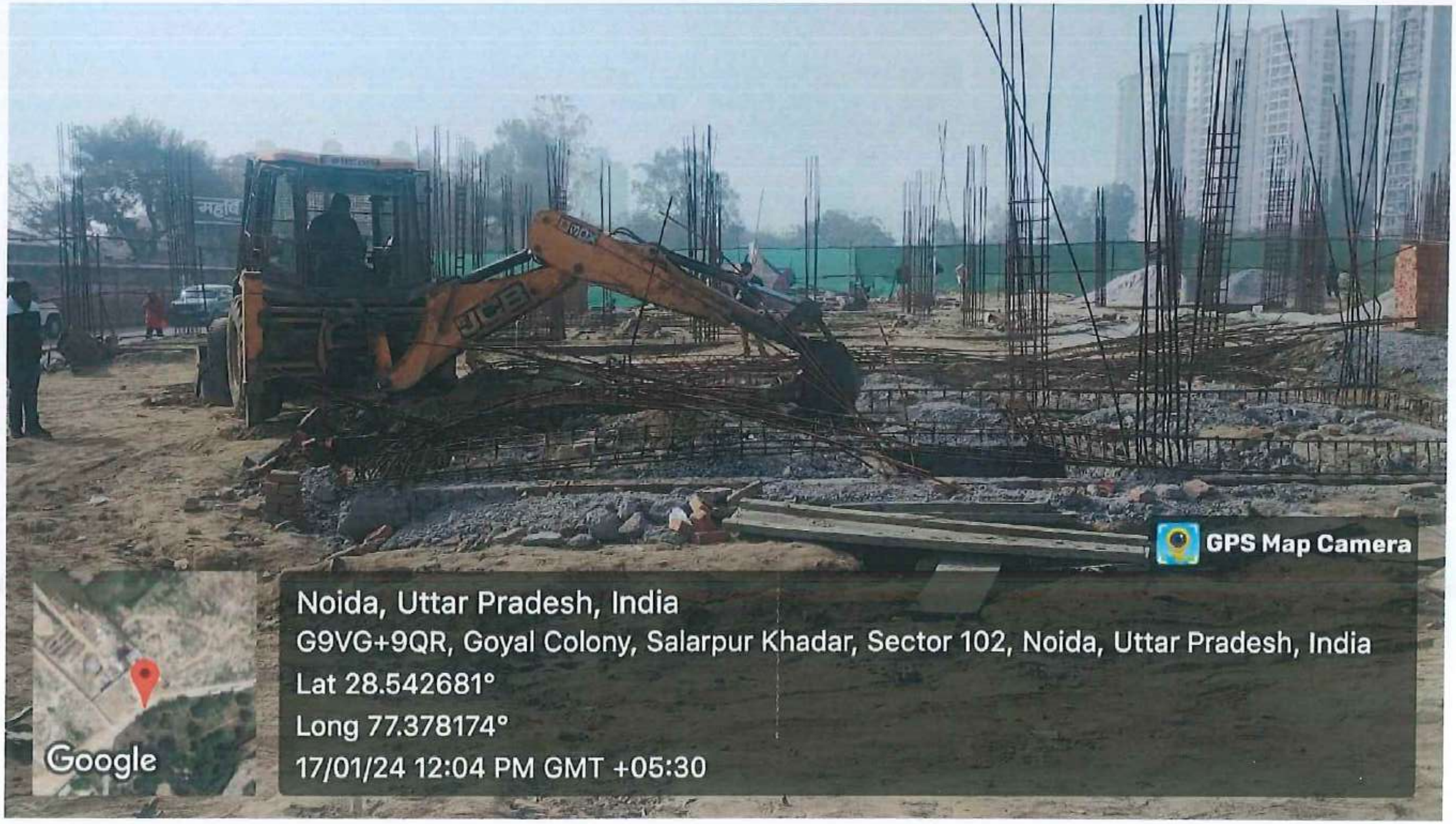

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

टिप्पणी

पेज संख्या (1)

विषयः– ग्राम–सलारपुर के खसरा संख्या 779 पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बंध में।

कृपया नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम–सलारपुर खादर के खसरा संख्या 779 की भूमि पर अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा प्रश्नगत स्थल पर अवैध रूप से पिलर खड़े करके बहुमंजिला इमारत का निर्माण किये जाने का कुप्रयास किया जा रहा था। जिसे वर्क सर्किल की टीम के द्वारा आज दिनांक 08.12.2023 को उक्त अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

मौके स्थल के फोटोग्राफ :-

टिप्पणी

पेज संख्या

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पत्रावली अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के.) महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

(रोहित सिंह)
प्रबन्धक
वर्क सर्किल–8, नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल–8)

08.12.23

DGM(civil)

ACEO(SK)

(विजय रावल)
उप महाप्रबन्धक (सिविल)
नौएडा

12/12/23
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के.)
नौएडा

DGM(C)

(विजय रावल)
उप महाप्रबन्धक (सिविल)
नौएडा

Mgr(R)

14.12.23

361
13/12/2023
NOIDA

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

ग्राम :– सलारपुर, खसरा संख्या :– 780

कम संख्या	विवरण	कार्यवाही
1	ध्वस्तीकरण नोटिस	Letter No. 373 Dt.12.02.2021 Letter No. 2175 to 2220 Dt. 19.09.2023 Letter No. 2447 to 2489 Dt 12.10.2023 Letter No. 1507 Dt.02.09.2024
2	एफ.आई.आर. दिनांक	07.01.2021, Letter No. 557, Date 19.04.2022 Letter No. 873, Date 24.05.2022 Letter No. 1751, Date 16.09.2021
3	ध्वस्तीकरण की दिनांक	20-04-2022, 26-04-2022, 11-05-2022, 20-05-2022,
4	स्थगन आदेश दिनांक	24-06-2021, 23.05.2022 (स्थगन आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु विधि विभाग से अनुरोध किया गया है।)
5	कार्यवाही अवलोकनार्थ	दिनांक 14.12.2023 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के.) महोदय द्वारा अवलोकित की गयी।
6	वर्तमान कार्यवाही	सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु पत्रावली गतिमान है।

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

सिविल जज गौतमबुद्धनगर आदेश दिनांक 24.05.2022 (876/2022)

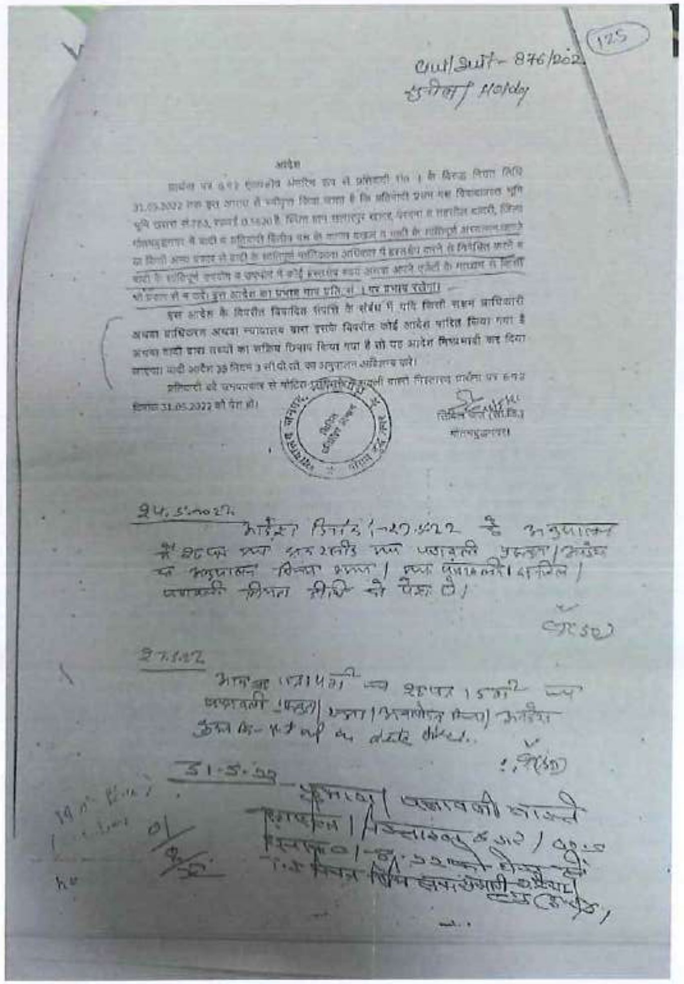

उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 24.06.2021

Neutral Citation No. - 2021:AHC:59100-DB

Court No. - 51
Case :- WRIT - C No. - 12676 of 2021
Petitioner :- Smt. Anila Soni And Another
Respondent :- New Okhla Industrial Development Authority And Another
Counsel for Petitioner :- Anurag Pathak,Harshit Pathak
Counsel for Respondent :- Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
Hon'ble Syed Aftab Husain Rizvi,J.

Heard Sri Anurag Pathak, counsel for the petitioners and Sri Kaushlendra Nath Singh for the respondents.

The petitioners have challenged a notice dated 12.2.2021 issued by respondent no.2 i.e. Chief Executive Officer, NOIDA, Gautam Budh Nagar under Section 10 of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 mentioning that the petitioners have raised/are raising constructions over Khasra Nos. 779 and 780 in Village Salarpur Khadar, Tehsil Dadri, District Gautam Budh Nagar without any approval from the Authority. The petitioners have been called upon to stop further constructions forthwith and to remove the same. The notice also calls upon the petitioners to submit their reply within seven days, failing which the unauthorised constructions would be removed by the Authority.

It is not in dispute before us that the petitioners have replied to the said notice on 2.3.2021. Alongwith the reply, the petitioners have also filed documentary evidence. The reply submitted by the petitioners has not been considered by the respondent Authority so far.

Sri Kaushlendra Nath Singh, counsel for the respondents states that the Authority will consider the objections and pass a speaking order within four weeks. He further states that till final orders are passed, no action for demolition will be taken. It is urged that at the same time, the petitioners should also be restrained from raising any new construction, which is agreed to by counsel for the petitioners Sri Anurag Pathak.

Accordingly, the writ petition is disposed of with direction to the NOIDA Authority to pass a speaking order within four weeks and till the decision is taken, strict status quo on spot shall be maintained by both the parties.

(S.A.H. Rizvi, J.) (Manoj Kumar Gupta, J.)

Order Date :- 24.6.2021
SL

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

एफ.आई.आर.

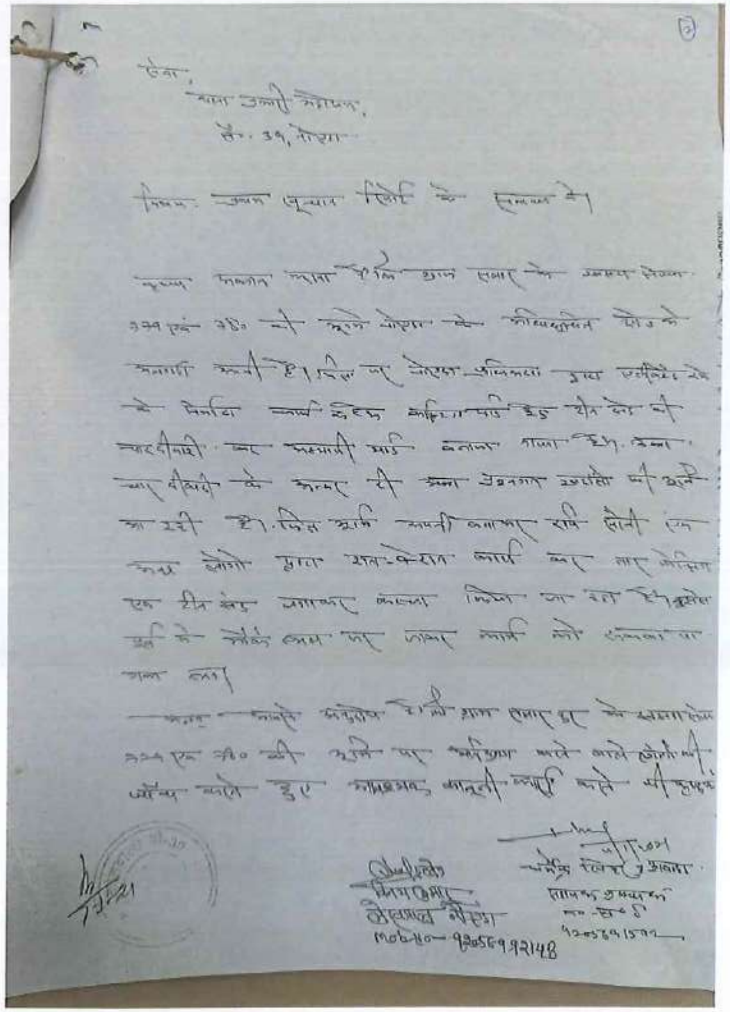

सेवा,
थाना प्रभारी महोदय,
सै. 39, नोएडा

विषय: [illegible] के सम्बन्ध में।

[illegible]

Mob No— [illegible]

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

एफ.आई.आर.

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक

वर्क सर्किल–8
वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड, सैक्टर–19, नौएडा

पत्रांक– नौएडा / व.प्र.(व0स0–8) / 2021 / 1751
दिनांक 16/9/2021

थानाध्यक्ष
सैक्टर–39, नौएडा।

विषयः– सैक्टर–107, ग्राम– सलारपुर के खसरा संख्या–779 व 780 पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि श्री राजीव रत्ती पुत्र स्व. रोशन लाल रत्ती एवं कु. सुनीता रत्ती, पुत्री स्व. रोशन लाल रत्ती, श्री रवि सोनी पुत्र एच.के.एल. सोनी, एव श्रीमती अनीता सोनी पत्नी श्री रवि सोनी, द्वारा सैक्टर–107, ग्राम– सलारपुर के खसरा संख्या–779 व 780 पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण किया गया। उक्त भूमि नौएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है। वर्क सर्किल एवं भूलेख की टीम द्वारा दिनांक 15.01.2021 को उक्त भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2021 को यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये गये थे। परन्तु अतिक्रमणकृता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए पुनः उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अतिक्रमणकृताओं के विरूध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे अतिक्रमणकृताओं द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति न की जाये।

लेखपाल
भूलेख विभाग, नौएडा

अवर अभियन्ता
वर्क सर्किल–8, नौएडा

प्रतिलिपिः–

- वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल–8, महोदय को सादर सूचनार्थ
- तहसीलदार महोदया को सादर सूचनार्थ।

o/c

लेखपाल
भूलेख विभाग, नौएडा

अवर अभियन्ता
वर्क सर्किल–8, नौएडा

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

एफ.आई.आर.

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक

वर्क सर्किल–8

वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड, सैक्टर–19, नौएडा

पत्रांक– नौएडा / व.प्र.(व0स0–8) / 2022 / 557

दिनांक 19/4/2022

थानाध्यक्ष
सैक्टर–39, नौएडा।

विषयः– ग्राम– सलारपुर खादर स्थित खसरा संख्या–779 व 780 की भूमि पर किये गये/जा रहें अतिकण के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम– सलारपुर के खसरा संख्या–779 व 780 की भूमि पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण/अतिकमण किया गया/जा रहा है। उक्त भूमि नौएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है। वर्क सर्किल एवं भूलेख की टीम द्वारा दिनांक 19.04.2021 को उक्त भूमि पर किये जा रहे अतिकमण को रोका गया। साथ ही अवगत कराना है कि पूर्व में भी उक्त भूखण्ड पर किये जा रहें अतिकमण को रोका/ध्वस्त कराया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2021 को यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये गये थे। परन्तु अतिकमणकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए पुनः उक्त भूमि पर अतिकमण करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अतिकमणकर्ताओं के विरूध माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा अवैध निर्माण/अतिकमण करने हेतु सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे अतिकमणकृताओं द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाये।

लेखपाल
भूलेख विभाग, नौएडा

अवर अभियन्ता
वर्क सर्किल–8, नौएडा

प्रतिलिपिः–
- वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल–8, महोदय को सादर सूचनार्थ
- तहसीलदार महोदया को सादर सूचनार्थ।

लेखपाल 12.4.2022
भूलेख विभाग, नौएडा

14/4/2022
अवर अभियन्ता
वर्क सर्किल–8, नौएडा

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

एफ.आई.आर.

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक

वर्क सर्किल–8
वाटर वर्कस कम्पाउण्ड, सैक्टर–19, नौएडा

पत्रांक– नौएडा / व.प्र.(व०स०–8) / 2022 / 873
दिनांक 24/5/2022

थानाध्यक्ष
थाना सैक्टर–39, नौएडा।

विषयः– ग्राम–सलारपुर के खसरा संख्या–779 एवं 780 की भूमि पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण किये जाने के सम्बंध में।

कृपया अवगत कराना है कि ग्राम–सलारपुर के खसरा संख्या 779 एवं 780 की भूमि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। जिस पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा एलीवेटिड रोड के निर्माण कार्य दौरान कास्टिंग यार्ड हेतु टीन सेड की चारदीवारी कर अस्थायी यार्ड बनाया गया है। उक्त चार दीवारी के अन्दर ही उक्त प्रश्नगत खसरों की भूमि आ रही है, जिस भूमि को अपनी बताकर श्री रवि सोनी, सिवांग डाका, जोनी भाटी व अन्य लोगों द्वारा रात–बैरात कार्य कर तार–फैन्सिंग एवं टीन सेड लागकर कब्जा किया जा रहा था। पूर्व में दिनांक 20.04.2022, 26.04.2022 व 11.05.2022 को मौके स्थल पर जाकर कार्य को रूकवाया गया था, वर्तमान में पुनः दिनांक 20.05.2022 को नौएडा प्राधिकरण पुलिस, भूलेख विभाग एवं वर्क सर्किल की टीम द्वारा उक्त खसरें पर किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी है। साथ ही अवगत कराना है कि पूर्व में भी इस हेतु दिनांक 07.01.2021 को एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति न की जाये।

संलग्नक–मौके स्थल के फोटोग्राफ।

(विनय चौहान)
लेखपाल
भूलेख विभाग, नौएडा

20-5-2022
(सूरज त्यागी)
अवर अभियन्ता
वर्क सर्किल–8, नौएडा

प्रतिलिपिः–

- तहसीलदार महोदया को सादर सूचनार्थ।
- वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल–8, महोदय को सादर सूचनार्थ

लेखपाल
भूलेख विभाग, नौएडा

20-5-2022
अवर अभियन्ता
वर्क सर्किल–8, नौएडा

स्थगन आदेश पर कार्यवाही हेतु विधि को प्रेषित पत्रावली

टिप्पणी

पेज संख्या-16

विषय:- खसरा संख्या 779 एवं 780 पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयगत प्रकरण में तथा पत्रावली में सम्मुख संलग्न वाद संख्या 876/2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें न्यायालय ने नौएडा प्राधिकरण का पक्ष सुने बिना ही एक पक्षीय रूप से निर्णय पारित किया गया है, जो पत्रावली के पेज संख्या 53 से 54 पर संलग्न है। जिसमें निम्न प्रकार आदेश निम्नवत् प्रदान किये गये है।

"प्रार्थना पत्र 6ग2 एकपक्षीय अंतरिम रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध नियत तिथि 31.05.2022 तक इस आशय से स्वीकृत किया जाता है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष विवादग्रस्त भूमि भूमि खसरा संख्या 760, रकबई 0.5620 है, स्थित ग्राम सलारपुर खादर, परगना व तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर में वादी व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के कब्जा दखल व वादी के शांतिपूर्ण अध्यासन/कब्जे या किसी अन्य प्रकार से वादी के शांतिपूर्ण मालिकाना अधिकार में हस्तक्षेप करने से निषेधित करने व वादी के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग में कोई हस्तक्षेप स्वयं अथवा अपने एजेंटो के माध्यम से किसी भी प्रकार से न करें। इस आदेश का प्रभाव मात्र प्रति संख्या 1 पर प्रभाव रखेगा।

इस आदेश के विपरीत विवादित संपत्ति के संबन्ध में यदि किसी सक्षम प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा इसके विपरीत कोई आदेश पारित किया गया है अथवा वादी द्वारा तथ्यो का सकिय छिपाव किया गया है तो यह आदेश निष्प्रभावी कर दिया जायेगा। वादी आदेश 39 नियम 3सी0पी0सी0 का अनुपालन अविलम्ब करें।"

उल्लेखनीय है कि नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र स्थित ग्राम सलारपुर खादर स्थित खसरा संख्या 779 व 780 अधिसूचित भूमि पर नौएडा प्राधिकरण के बगैर अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण किया गया/जा रहा था। इस संबन्ध में अतिक्रमणकर्ताओ को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किये गये थे। इस संबन्ध में अतिक्रमणकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 12676/2021 अनिला सोनी व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य योजित किया गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2021 को आदेश पारित किये गये, जिसका अंश निम्नवत् है:-

" Sri Kaushlendra Nath Singh, counsel for the respondents states that the Authority will consider the objections and pass a speaking order within four weeks. He further states that till final orders are passed, no action for demolition will be taken. It is urged that at the same time, the petitioners should also be restrained from raising any new construction, which is agreed to by counsel for the petitioners Shri Anurag Pathak.

Accordingly the writ petition is disposed of with direction to the NOIDA Authority to pass a speaking order within four weeks and till the decision is take, strict status quo on spot shall be maintained by both the parties"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश संख्या 24.06.2021 के अनुपालन में याची का प्रत्यावेदन दिनांक 28.07.2021 को निरस्त करते हुए निस्तारित किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति पेज संख्या 29 पर संलग्न है।

टिप्पणी

पेज संख्या-17

अतः विषयगत खसरे पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 779 एवं 780 पर दिनांक 24.04.2021 को यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये गये थे (छायाप्रति पेज संख्या 27 पर संलग्न)। परन्तु अतिक्रमणकर्ताओ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त मार्ग पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान स्थितियों में पुनः अतिक्रमण/अवैध निर्माण की प्रबल संभावना विद्यमान है तथा स्थानीय व्यक्तियो द्वारा सुनियोजित तरीके से अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्राधिकरण का पूर्व स्थापित बोर्ड भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

अवगत कराना है कि ग्राम सलारपुर के खसरा संख्या 779 एवं 780 पर श्री राजीव रत्ती पुत्र स्व0 रोशन लाल रत्ती एवं कु0 सुनीला रत्ती पुत्री स्व0 रोशन लाल रत्ती निवासी फ्लैट संख्या 06, एम, एन्ड. ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जिसके विरूद्ध अतिक्रमणकर्ताओ को दिनांक 12.02.2021 को नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। (छायाप्रति पृष्ठ संख्या 26 से 28 पर संलग्न) एवं उक्त अतिक्रमण को वर्क सर्किल की टीम द्वारा नौएडा पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया (फोटोग्राफ पृष्ठ संख्या 3 से 8 पर संलग्न)।

उल्लेखनीय है कि विषयगत खसरा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है। जिस पर वादी द्वारा किये गये अवैध/अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण/सील करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा आदेश संख्या नौएडा/भूलेख/2021/473 दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करते हुए याचीगणो का प्रत्यावेदन निरस्त किया जा चुका है (पेज संख्या 26 से 28 पर संलग्न)।

दिनांक 15.09.2021 को टिवटर के माध्यम से अवैध निर्माण/अतिकमण के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है (छायाप्रति पृष्ठ संख्या 29-30 पर संलग्न)। टिवटर के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त वर्क सर्किल की टीम द्वारा मौके स्थल पर निरीक्षण किया गया एवं उक्त अतिकमण को रूकवाया गया, किन्तु अतिक्रमणकर्ता द्वारा समय-बेसमय निरन्तर अवैध निर्माण/अतिकमण किया जा रहा है।

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट है कि विषयगत खसरा संख्या 779 व 780 पर माननीय उच्च न्यायालय के विरूद्ध वादी/अतिकमणकर्ताओं द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा है। जिस वर्क सर्किल द्वारा दिनांक 20.04.2022, 26.04.2022, 11.05.2022 एवं 20.05.2022 को विषयगत खसरे से अतिकमण हटाने की कार्यवाही सम्पादित कराई गई है (फोटोग्राफ संलग्न)। अतः अतिकमणकर्ताओं द्वारा सुनियोजित तरीके से अवैध कॉलोनी का निर्माण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में शाहबेरी जैसी अवैध कॉलोनी जैसी विषम स्थितियां उत्पन्न होगी एवं प्राधिकरण की छवि भी धूमिल होगी।

यह भी अवगत कराना है कि माननीय जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित है कि "*यदि किसी सक्षम प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा इसके विपरीत कोई आदेश पारित किया गया है*" एवं "*वादी द्वारा तथ्यो का सक्रिय छिपाव किया गया है तो यह आदेश निष्प्रभावी कर दिया जायेगा।*" के कम में स्पष्ट है कि विषयगत प्रकरण में वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

टिप्पणी

पेज संख्या-18

दिनांक 24.06.2021 एवं प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी अर्थात मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के आदेश दिनांक 28.07.2021 का सक्रिय छिपाव किया गया है तथा असत्य एवं भ्रामक तथ्यों से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर एक पक्षीय निर्णय पारित कराया गया है।

अतः प्रकरण में माननीय जिला न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पारित आदेश दिनांक 24.06.2021 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के आदेश दिनांक 28.07.2021 से तत्काल संज्ञानित कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। तत्क्रम में कृपया प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिवक्ता को उक्त हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

अतः पत्रावली अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(रोहित सिंह)	(राहुल शर्मा)
प्रबन्धक	वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-8	वर्क सर्किल-8

Manager, W.C.-8 — 80 — 8/6/2022 — NOIDA

महाप्रबन्धक

GM's on leave
19/6

प्रधान महाप्रबन्धक

प्रधान महाप्रबन्धक
नौएडा

मुख्य विधि सलाहकार

2168
13/6/2022
LO

1640
13/6/22

1253
13/6/22
24/6/22

CLA
15/6/2022

LA

ALO (SP)
20/6/22

टिप्पणी

पेज संख्या-19-

कृपया पूर्व पृष्ठ पर उल्लेखित आज्ञा के क्रम में मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.06.2021 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के आदेश दिनांक 28.07.2021 को मा. जनपद न्यायालय के संज्ञान में लाने तथा एकपक्षीय आदेश दिनांक 23.05.2022 को Vacate कराने हेतु नामित अधिवक्ता, श्री विजय शाही को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। जिसकी प्रति पत्रावली पर संलग्न कर दी गई है।

ALO

LA

CLA

PGM

GM

22/6/22
LA

Chief Legal Advisor
NOIDA

प्रधान महाप्रबन्धक
नौएडा

1640

2168

SM (8)

P.K. Kaushik
General Manager

86
27/6/2022

SM (W8)

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही से सक्षम स्तर को अवलोकनार्थ

टिप्पणी

पेज संख्या (1)

विषय— ग्राम—सलारपुर के खसरा संख्या 779 पर किये गये अवैध अतिकमण को हटाये जाने के सम्बंध में।

कृपया नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—सलारपुर खादर के खसरा संख्या 779 की भूमि पर अवैध अतिकमणकर्ताओं के द्वारा प्रश्नगत स्थल पर अवैध रूप से पिलर खड़े करके बहुमंजिला इमारत का निर्माण किये जाने का कुप्रयास किया जा रहा था। जिसे वर्क सर्किल की टीम के द्वारा आज दिनांक 08.12.2023 को उक्त अवैध अतिकमण को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

मौके स्थल के फोटोग्राफ :—

टिप्पणी

पेज संख्या

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पत्रावली अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के.) महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

(रोहित सिंह)
प्रबन्धक
वर्क सर्किल—8, नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल—8)

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल—8, नौएडा

DGM(civil)

(विजय रावल)
उप महाप्रबन्धक (सिविल)
नौएडा

ACEO(SKT)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के.)
नौएडा

DGM(C)

Mgr(R)

(विजय रावल)
उप महाप्रबन्धक (सिविल)
नौएडा

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

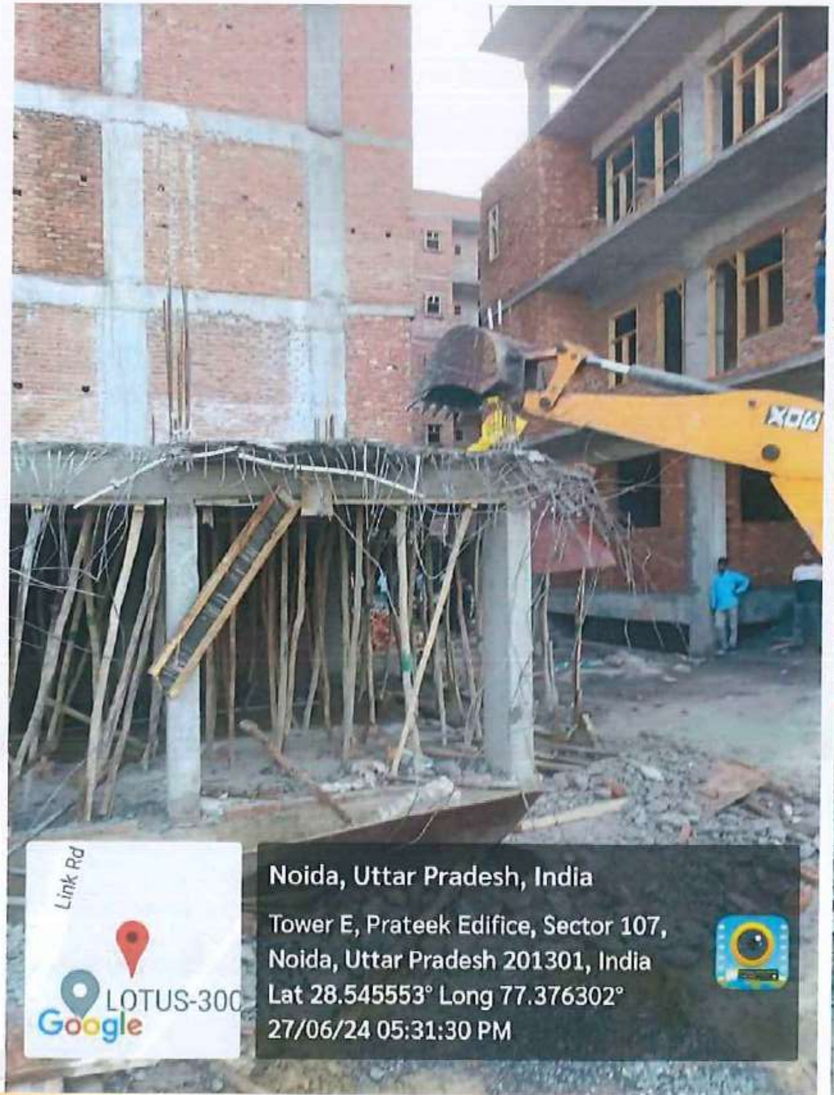

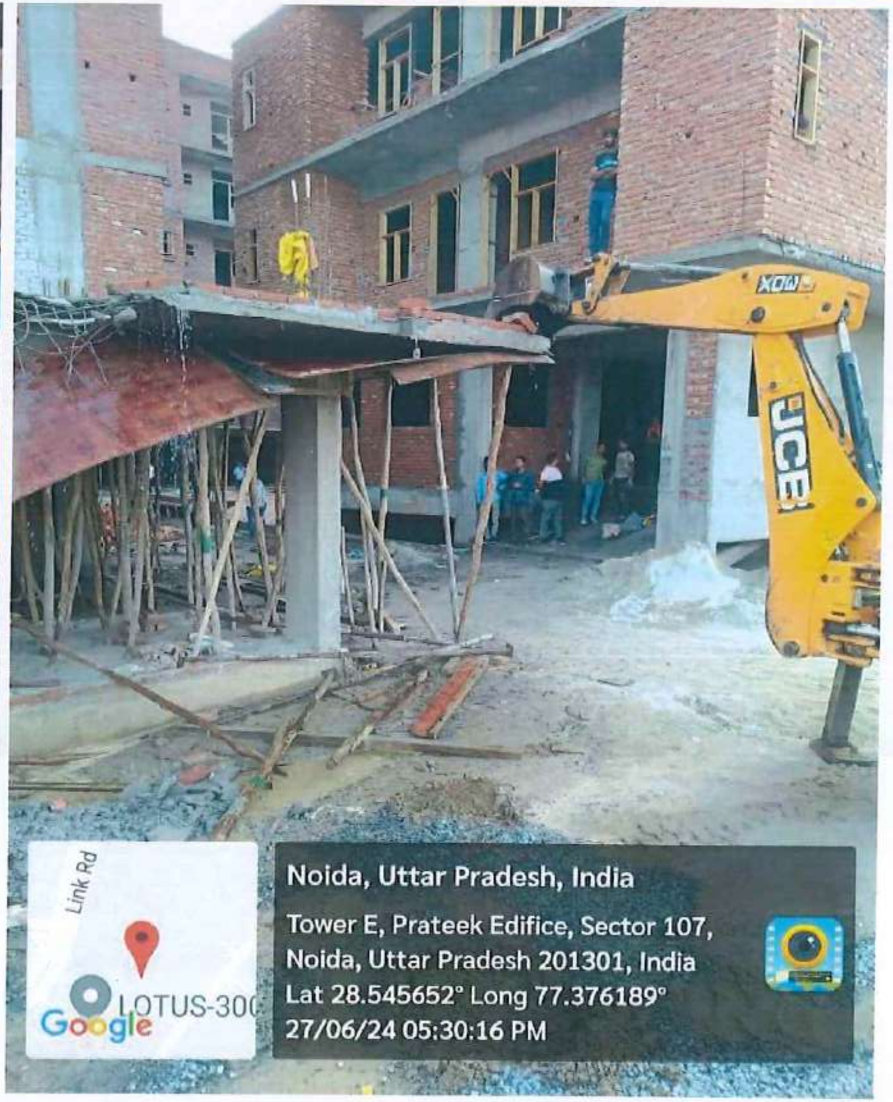

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

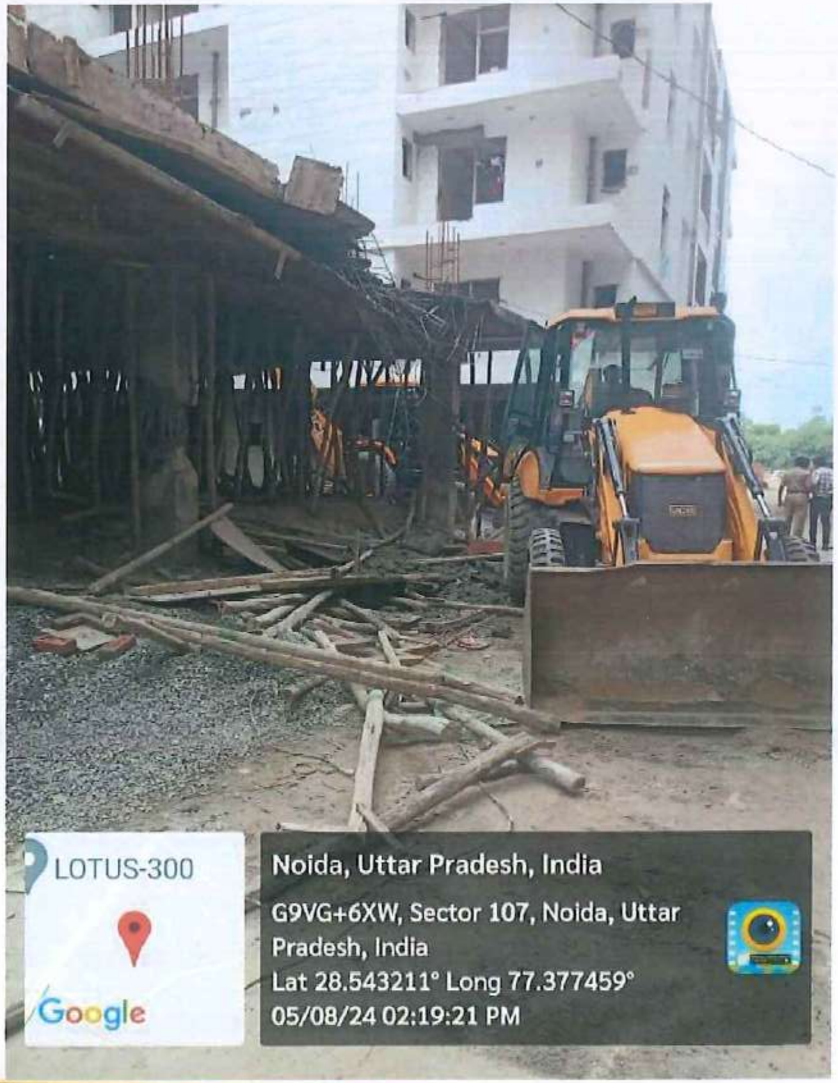

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

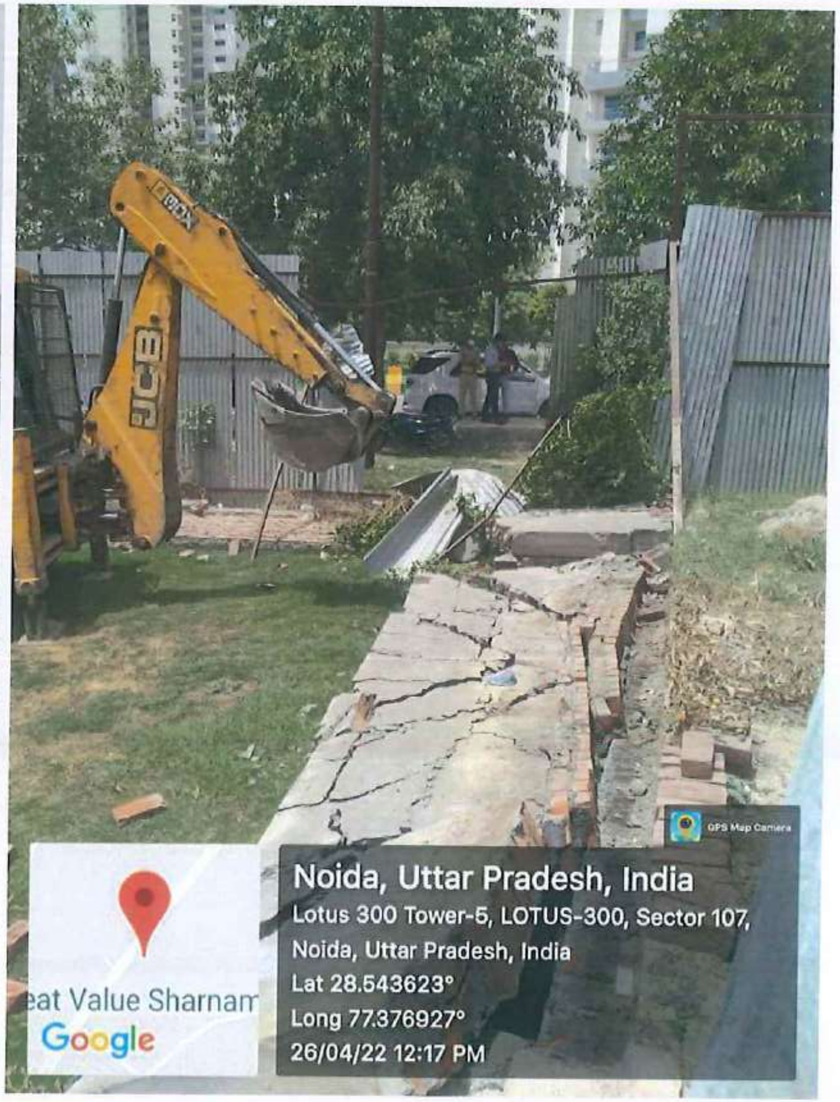

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

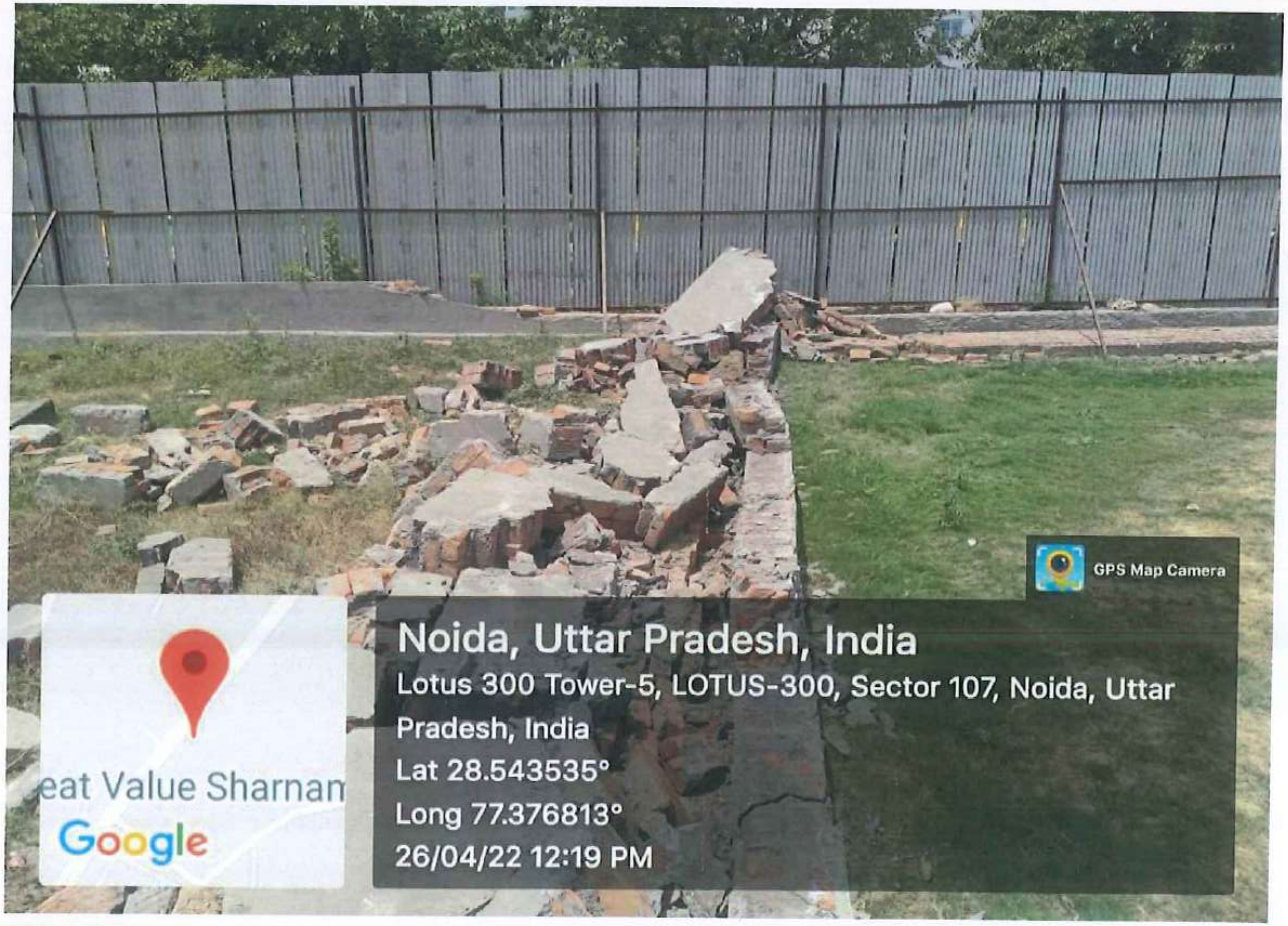

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

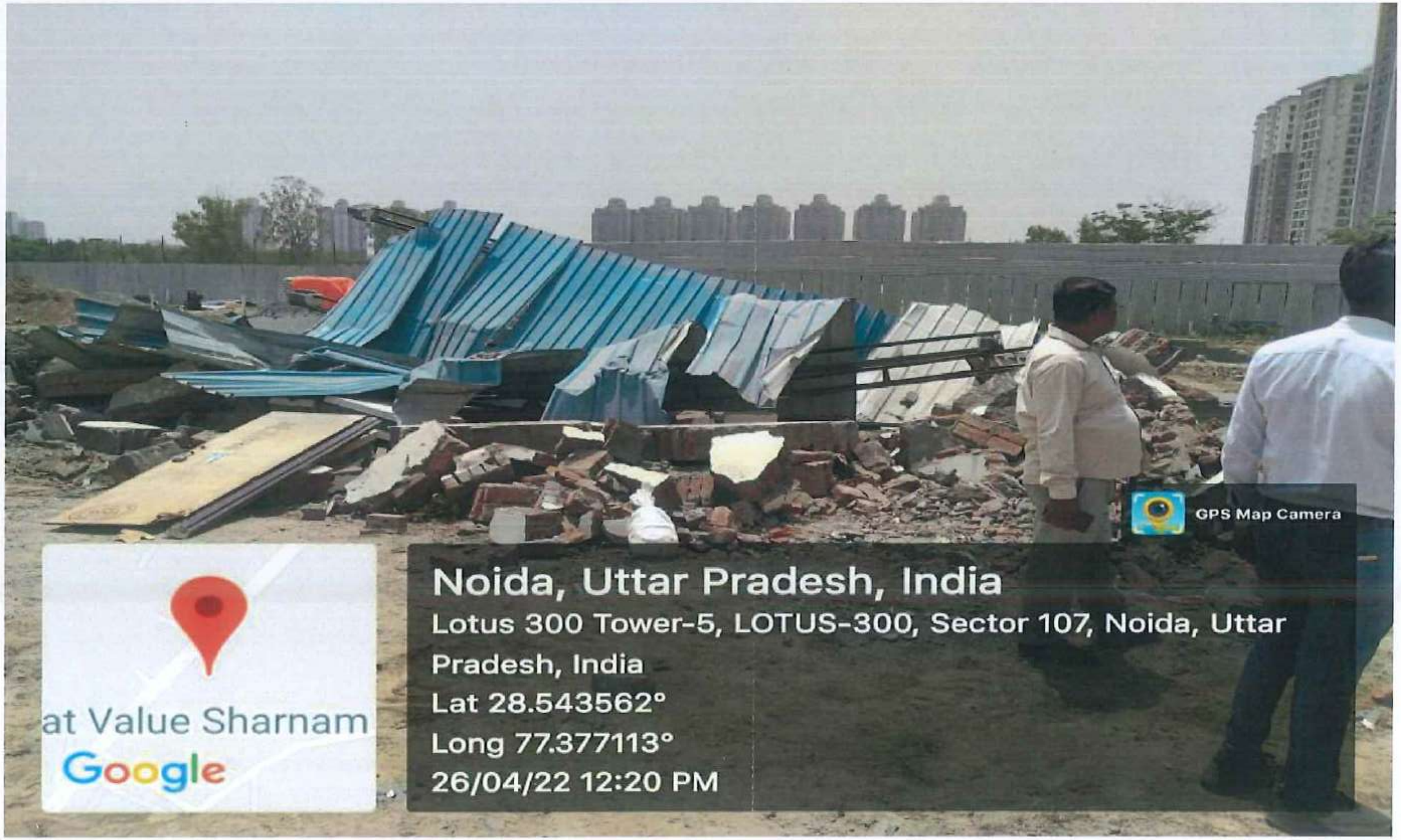

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

ग्राम :– सलारपुर, खसरा संख्या :–700 से 715

कम संख्या	विवरण	कार्यवाही
1	ध्वस्तीकरण नोटिस	नौएडा / व0प्र0(व0स0.8) / 2024 / 727, 16.04.2024
2	एफ.आई.आर. दिनांक	नौएडा / व0प्र0(व0स0.8) / 2023 / 2943 दिनांक 18.12.2023 नौएडा / व0प्र0(व0स0.8) / 2024 / 1964 दिनांक 04.10.2024
3	ध्वस्तीकरण की दिनांक	17-10-2023, 14.12.2023 **(प्रातः 3:30 बजे)** 28.04.2024
4	स्थगन आदेश दिनांक	माननीय सिविल जज (सी.डी.) गौतमबुद्धनगर के समक्ष वाद संख्या–478 / 2023, लम्बित है, जिसमें दिनांक 28.04.2023 को आदेश पारित किये गये है, वाद संख्या–583 / 2023 लम्बित है, जिसमें दिनांक 19.05.2023 को आदेश पारित किये गये है
5	वर्तमान कार्यवाही	**ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु पत्रावली गतिमान है।**

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

(1)

न्यायालय सिविल जज (सी.डि.), गौतमबुद्धनगर

[illegible] UP J.O.1982

CNR NO UPGB05 [illegible] -2023

सिविल वाद सं. 478/2023

मै. एल एण्ड बी इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. बनाम नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

दिनांक 28.04.2023

[illegible] पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय [illegible] से सुना गया।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 6 ग 2 इस आशय का दिया है कि वादी कम्पनी भूमि खाता संख्या 1 के खसरा संख्या 702 क्षेत्रफल 0.1770 है व खसरा संख्या 703 क्षेत्रफल 0.2020 है० व खसरा संख्या 704 क्षेत्रफल 0.1010 है० व खसरा संख्या 705 क्षेत्रफल 0.1260 है० व खसरा संख्या 706 क्षेत्रफल 0.1930 है० व खसरा संख्या 707 क्षेत्रफल 04170 है० व खसरा संख्या 708 क्षेत्रफल 0.0505 है० व खसरा संख्या 709 क्षेत्रफल 0.0630 है० व खसरा संख्या 710 क्षेत्रफल 0.0930 है० व खसरा संख्या 711 क्षेत्रफल 0.1010 है० स्थित ग्राम [illegible] परगना व तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर के मालिक काबिज स्वामी है। [illegible] कम्पनी का नाम राजस्व अभिलेखो मे उपरोक्त भूमि के बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है। वादी कम्पनी ने उक्त भूमि मे खसरा संख्या 702, 703, 704, 705, 706, 707 की भूमि [illegible] रजिस्टर्ड स्वामी ज्ञानयुग ट्रस्ट पंजीकृत कार्यालय 121 प्रथम तल डी. एल. एफ [illegible] मयूर विहार फेस-1 दिल्ली-110091 शाखा डी-ब्लॉक, आरोग्य धाम महर्षि नगर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव से क्रय दिनांक 18.08.2021 मे की है। जिसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ज्ञानयुग ट्रस्ट द्वारा वादी कम्पनी के हक मे सब रजिस्ट्रार सदर तृतीय जिला गौतमबुद्ध नगर के यहां पर दिनांक 18.08.2021 मे निष्पादित किया गया है। वादी कम्पनी ने उक्त भूमि मे से खसरा संख्या 708, 709, 710, 711 की भूमि रजिस्टर्ड स्वामी मे मैसर्स आईडियल न्यूट्रेशन कारपोरेशन इंडिया प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री बीबी सिंह से दिनांक 18.08.2021 मे क्रय की है। [illegible] रजिस्ट्रेशन विक्रय पत्र मैसर्स आईडियल न्यूट्रेशन कारपोरेशन इंडिया प्रा०लि० द्वारा वादी कम्पनी के हक मे सब रजिस्ट्रार सदर तृतीय गौतमबुद्धनगर के यहां पर दिनांक 18.08.2021 मे निष्पादित किया गया। वादी कम्पनी दिनांक 18.08.2021 से उक्त भूमि पर काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। वादी कम्पनी कि [illegible] के पूर्व मे [illegible] की भूमि है व पश्चिम मे [illegible] रोड तथा उत्तर मे

(2)

[illegible]

वादी द्वारा सूची [illegible] से एक किता खतौनी खसरा सं. 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711 स्थित ग्राम सलारपुर खादर की सत्यप्रतिलिपि, एक किता विक्रय पत्र दिनांकित 18.08.2021 की छायाप्रति, एक किता विक्रय पत्र दिनांकित 18.08.2021 की छायाप्रति, एक किता रेजुलेशन की मूलप्रति, एक किता आधार कार्ड [illegible] कुमार की छायाप्रति, एक किता प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी दादरी की छायाप्रति दिनांकित 21.01.2021, एक किता [illegible] दिनांकित 17.04.2021 की छायाप्रति व एक किता [illegible] की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल किए गए है।

सुना व पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन किया।

[illegible] ओर से दाखिल [illegible] खतौनी फसली वर्ष 1429-1434 के अवलोकन से स्पष्ट है कि [illegible] संख्या 702 क्षेत्रफल 0.1770 है व खसरा संख्या 703 क्षेत्रफल 0.2020 है० व खसरा संख्या 704 क्षेत्रफल 0.1010 है० व खसरा संख्या 705 क्षेत्रफल 0.1260 है० व खसरा संख्या 706 क्षेत्रफल 0.1930 है० व खसरा संख्या 707 क्षेत्रफल 04170 है० व खसरा संख्या 708 क्षेत्रफल 0.0505 है० व खसरा संख्या 709 क्षेत्रफल 0.0630 है० व खसरा संख्या 710 क्षेत्रफल 0.0930 है० व खसरा संख्या 711 क्षेत्रफल 0.1010 है० स्थित ग्राम सलारपुर खादर परगना व तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर पर वादी कंपनी का नाम अंकित है जबकि उपरोक्त नंबरान पर प्रतिवादी का नाम अंकित नहीं है। ऐसे में वादी उपरोक्त खसरा नंबरान के वर्तमान मे मालिक व काबिज प्रथम दृष्ट्या प्रकट हो रहा है। दाखिल किए गये प्रपत्रो से प्रकट है कि प्रश्नगत खसरा संख्या 702 क्षेत्रफल 0.1770 है व खसरा संख्या 703 क्षेत्रफल 0.2020 है० व खसरा संख्या 704 क्षेत्रफल 0.1010 है० व खसरा संख्या 705 क्षेत्रफल 0.1260 है० व खसरा संख्या 706 क्षेत्रफल 0.1930 है० व खसरा संख्या 707 क्षेत्रफल 04170 है० व खसरा संख्या 708 क्षेत्रफल 0.0505 है० व खसरा संख्या 709 क्षेत्रफल 0.0630 है० व खसरा संख्या 710 क्षेत्रफल 0.0930 है० व खसरा संख्या 711 क्षेत्रफल 0.1010 है० पर प्रथम दृष्ट्या मामला बन रहा है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी, वादी की प्रश्नगत संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे मे यदि [illegible] पर वादी के पक्ष मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रदान नहीं किया गया तो वादी को [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] वादी को [illegible] क्षति की प्रबल संभावना है। तदनुसार प्रार्थना पत्र 6 ग 2 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एकपक्षीय रूप से [illegible] के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

(6)

आदेश

[illegible]

उक्त आदेश इस शर्त के अधीन रहेगा कि इस आदेश के विपरीत विवादित संपत्ति के संबंध मे यदि किसी सक्षम प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा इसके विपरीत कोई आदेश पारित किया गया है अथवा वादी द्वारा तथ्यों का सक्रिय छिपाव किया गया है तो यह आदेश स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। [illegible]

[illegible]

सिविल जज (सी.डि.)

गौतमबुद्धनगर

[illegible]

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

न्यायालय सिविल जज (सी डि.), गौतमबुद्धनगर

[illegible] UP J.O.1982

CNR NO. [illegible] 836-2023

सिविल वाद सं. 583/2023

[illegible] बनाम नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

दिनांक 19.05.2023

[illegible]

[illegible] द्वारा [illegible] इस आशय का दिया है कि वादी कम्पनी भूमि [illegible] हेक्टेयर 1.2270 है० व [illegible] संख्या 701 हेक्टेयर 0.6700 है० स्थित ग्राम [illegible] तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर की मालिक [illegible] [illegible] वादी कम्पनी का नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त भूमि के [illegible] [illegible] वादी कम्पनी ने, उक्त [illegible] दिनांक 18.08.2021 [illegible] वादी कम्पनी की उक्त भूमि के [illegible] रोड निकला हुआ है [illegible] वर्ग मीटर भूमि रोड में चली गयी है। उसके बाद वादी कम्पनी की मौके पर [illegible] वर्ग मीटर बची है जिसमें से रोड के पश्चिम में बची भूमि 3638.38 वर्ग मीटर है [illegible] तथा उक्त रोड के पूरब में बची भूमि 1634 वर्ग मीटर है [illegible] जिस पर वादी कम्पनी का [illegible] है और वादी [illegible] भूमि पर काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रही है [illegible] वर्ग मीटर पर [illegible] [illegible] वादी कम्पनी की 1022 [illegible] वर्ग मीटर भूमि [illegible] वादी कम्पनी काबिज है और वादी कम्पनी उक्त भूमि [illegible] भूमि का उपयोग व उपभोग कर रही है [illegible]

[illegible] भूमि [illegible] वादी कम्पनी [illegible] प्रतिवादी [illegible] वादी कम्पनी [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] की याचना की गई है।

[illegible] खतौनी फसली वर्ष 1429-1434 [illegible] की छायाप्रति, एक किता [illegible] दिनांकित 18.08.2021 की छायाप्रति, एक [illegible] दिनांकित 18.08.2021 की छायाप्रति, एक किता रेजुलेशन की छायाप्रति, एक [illegible] मनोज कुमार की छायाप्रति, एक किता प्रार्थना पत्र [illegible] की छायाप्रति दिनांकित 21.03.2023, एक किता [illegible] की छायाप्रति व एक किता नक्शा नजरी की छायाप्रति [illegible] दाखिल किया गया है।

[illegible] पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन किया।

वादी की ओर से दाखिल उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1429-1434 के अवलोकन से [illegible] कि गाटा संख्या 700 हेक्टेयर 1.2270 है० में से 1.0571 है० व गाटा संख्या 701 हेक्टेयर [illegible] है० स्थित ग्राम सलारपुर खादर, परगना व तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर पर उक्त [illegible] पर वादी कंपनी का नाम अंकित है जबकि प्रश्नगत उपर्युक्त [illegible] पर प्रतिवादी का नाम अंकित नहीं है। ऐसे में वादी उपर्युक्त [illegible] के दौरान [illegible] प्रथम दृष्टया प्रकट हो रहा है। दाखिल किये गये प्रपत्रों से प्रकट है कि [illegible] खसरा संख्या 700 हेक्टेयर 1.2270 है० में से 1.0571 है० व [illegible] 0.6700 है० स्थित ग्राम सलारपुर खादर, परगना व तहसील दादरी, [illegible] प्रथम दृष्टया मालिक बन रहा है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी, [illegible] पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में यदि [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रदान नहीं किया गया तो [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] वादी को अपूर्णीय क्षति [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible]

आदेश

[illegible] स्वीकृत किया जाता है [illegible] भूमि [illegible]

[illegible]

उक्त आदेश इस शर्त के अधीन रहेगा कि इस आदेश के विपरीत [illegible] के संबंध में यदि किसी सक्षम अधिकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा इसके विपरीत कोई आदेश पारित किया गया है अथवा वादी द्वारा तथ्यों का सक्रिय छिपाव किया गया है तो यह आदेश निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। वादी आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. का अनुपालन [illegible] करें।

प्रतिवादी को [illegible] से नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र [illegible] दिनांक 01.07.2023 को पेश हो।

[illegible] 19.5.23
सिविल जज (सी डि.)
गौतमबुद्धनगर।

20.05.2023 [illegible] आदेश 15.05.2023 के अनुपालन में [illegible] 39 नियम 3 सी.पी.सी. में [illegible] K.O.P. & Put up on date fix.
[illegible]

फोटो सत्य प्रतिलिपि
[illegible]
22/05

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

टिप्पणी

पेज संख्या -1

कृपया उपरोक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि दिनांक 12.06.2023 को खसरा संख्या-700 से 715 पर वाद की अद्यतन स्थिति की जानकारी विधि विभाग से प्राप्त करने के उपरान्त भूमि के खसरे एवं खतौनी की जाँच तथा संबंधित खसरों के स्थल पर चिन्हांकन हेतु पत्रावली प्रेषित की गयी थी। भूलेख विभाग द्वारा भूमि के खसरे एवं खतौनी की जाँच तथा संबंधित खसरों के स्थल पर चिन्हांकन किया जाना वर्तमान तक अपेक्षित है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल पर अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा निरन्तर टीन सेड लगाकर स्वयं के स्तर से चिन्हांकन करते हुए अवैध निर्माण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसको वर्क सर्किल की टीम के द्वारा दिनांक 17.10.2023 को खसरा संख्या-700 से 715 की भूमि से अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही सम्पादित करायी गयी।

मौके स्थल के फोटोग्राफ :-

टिप्पणी

पेज संख्या-5

विधि विभाग के द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि माननीय सिविल जज (सी.डी.) गौतमबुद्धनगर के समक्ष वाद संख्या-478/2023, लम्बित है, जिसमें दिनांक 28.04.2023 को स्थगन आदेश पारित किये गये है, वाद संख्या-583/2023 लम्बित है, जिसमें दिनांक 19.05.2023 को स्थगन आदेश पारित किये गये है जिसके भूलेख विभाग से प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिका संख्या 19282/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2015 के विरूद्ध प्राधिकरण की तरफ से रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 45948/2016 योजित की गयी है। जिसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु नामित अधिवक्ता श्री अनुज श्रीवास्तव को विधि विभाग द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पत्रावली अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के.) महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

(Manager, W.C.-8) 358 7/12/2023

(रोहित सिंह) 7/12/23
प्रबन्धक
वर्क सर्किल-8, नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक (व.स.-8)

07.12.23
कपिल सिंह
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-8, नौएडा

(ACEO (SK)) 1606 11/12/23

DGM (Civil)

(विजय रावल)
उप महाप्रबन्धक (सिविल)
नौएडा

ACEO(SK)   OSD (CMP)
कृपया कार्य

(OSD (MP)) 189 12/12/23

11/12/23
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसके)
नौएडा

क० वार्ता

विशेष कार्याधिकारी-एमपी
प्रबंधक W.C.-8 / DGM (Civil)

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

एफ.आई.आर.

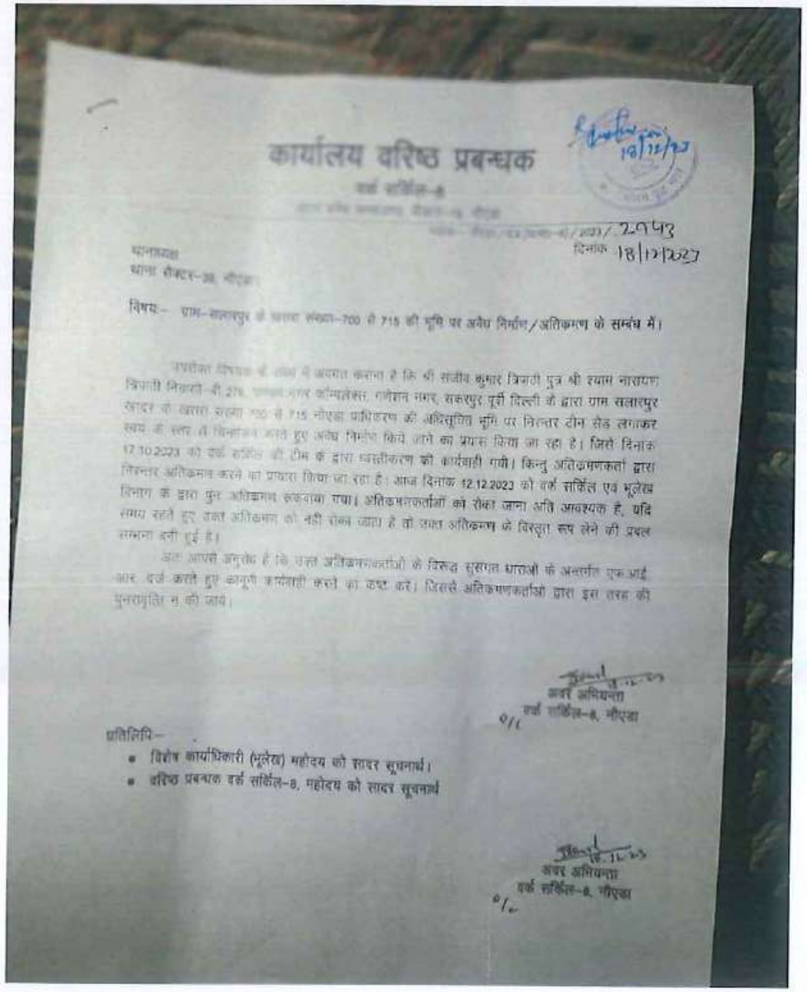

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-8

दिनांक 18/12/2023

थानाध्यक्ष
थाना सेक्टर-39, नोएडा।

विषयः- ग्राम-सलारपुर के खसरा संख्या-700 से 715 की भूमि पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण के सम्बंध में।

[illegible] में अवगत कराना है कि श्री संजीव कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री श्याम नारायण त्रिपाठी निवासी-बी 276, [illegible] नगर कॉम्पलेक्स, गणेश नगर, शकरपुर पूर्वी दिल्ली के द्वारा ग्राम सलारपुर खादर के खसरा संख्या 700 से 715 नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर निरन्तर टीन सैड लगाकर [illegible] करते हुए अवैध निर्माण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे दिनांक 17.10.2023 को वर्क सर्किल की टीम के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही गयी। किन्तु अतिक्रमणकर्ता द्वारा निरन्तर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। आज दिनांक 12.12.2023 को वर्क सर्किल एवं भूलेख विभाग के द्वारा पुनः अतिक्रमण रुकवाया गया। अतिक्रमणकर्ताओं को रोका जाना अति आवश्यक है, यदि समय रहते हुए उक्त अतिक्रमण को नहीं रोका जाता है तो उक्त अतिक्रमण के विस्तृत रूप लेने की प्रबल सम्भावना बनी हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति न की जाये।

अवर अभियन्ता
वर्क सर्किल-8, नोएडा

प्रतिलिपि-
- विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल-8, महोदय को सादर सूचनार्थ

अवर अभियन्ता
वर्क सर्किल-8, नोएडा

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

ग्राम :– सलारपुर, खसरा संख्या :– 700–715 पर स्थगन आदेश का संक्षिप्त विवरण

"प्रार्थना पत्र 6ग2 एकपक्षीय अंतरिम रूप से इस आशय से स्वीकृत किया जाता है कि प्रश्नगत खाता संख्या–1 के खसरा संख्या 700 क्षेत्रफल 1.2270हे. मे से बची शेष भूमि 5512 वर्ग मी. जिसे वादपत्र के अन्त में दर्शित नक्शा नजरी में बिन्दु ए, बी, सी, व जे, जी, एवं से दर्शित किया है व खसरा संख्या 701 क्षेत्रफल 0.6580 वर्ग मी. में से बची शेष भूमि 4758 वर्ग मी. जिसे वादपत्र के अंत में दर्शित बिन्दु संख्या डी., ई, एफ, जी, जे, से दर्शित किया गया है। स्थित ग्राम सलारपुर खादर, परगना व तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर पर संबंधित ग्राम के भू– राजस्व मानचित्रानुसार नियत तिथि तक हस्तक्षेप करने से प्रतिवादी को मना किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वादी द्वारा वादपत्र के अंत में नक्शा नजरी में दर्शित चौहद्दी, संबंधित ग्राम के राजस्व मानचित्र में दर्शित चौहद्दी से मेल नही खाती है, तो यह आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा।"

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

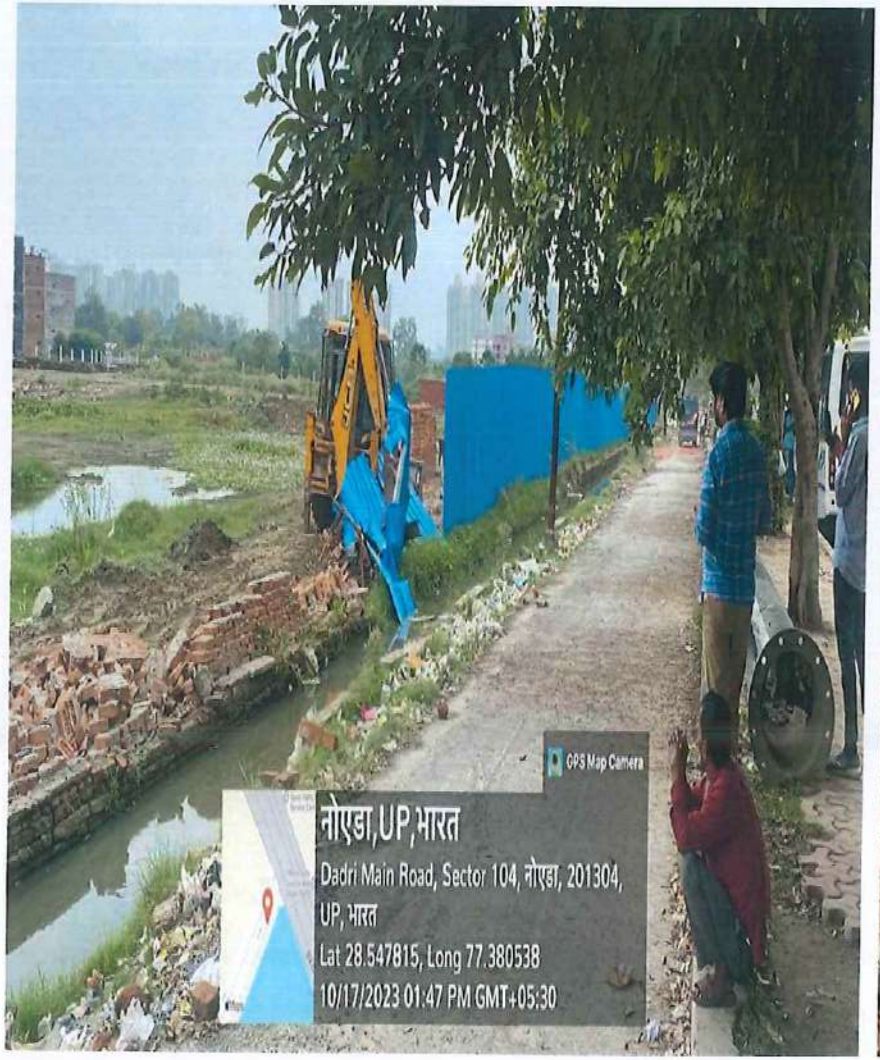

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

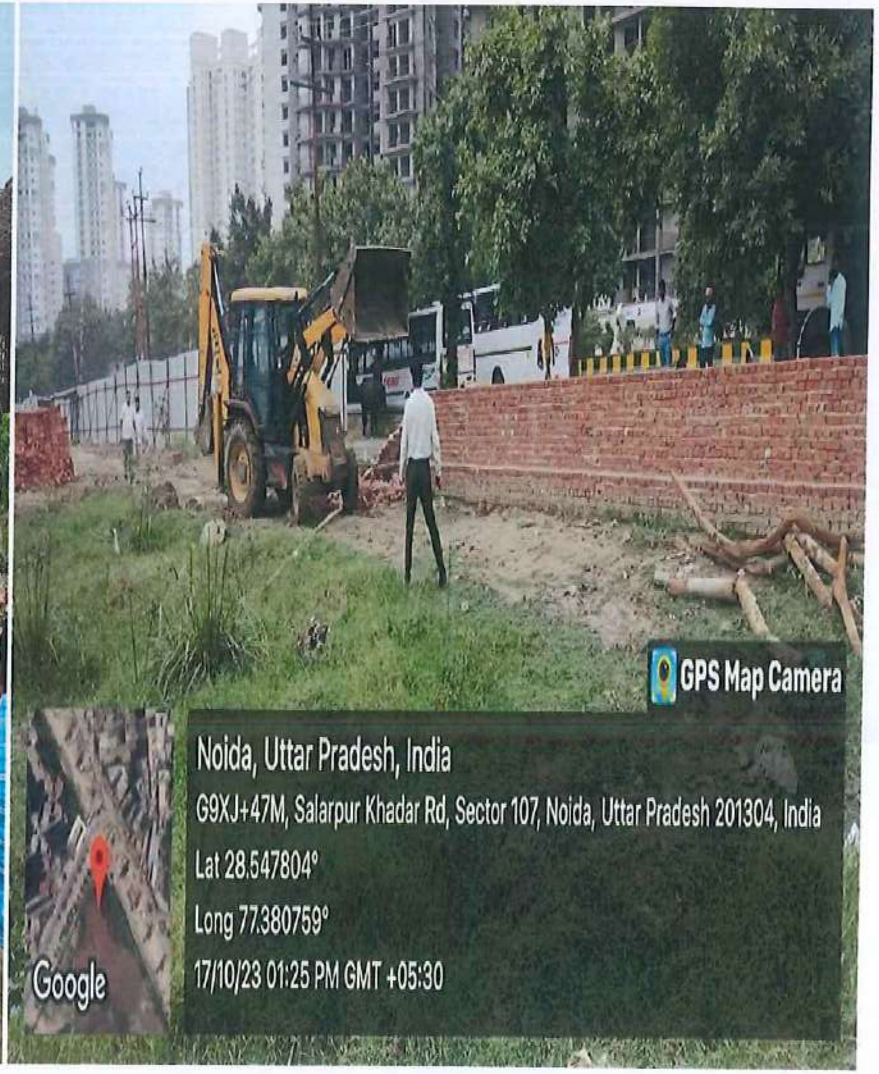

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

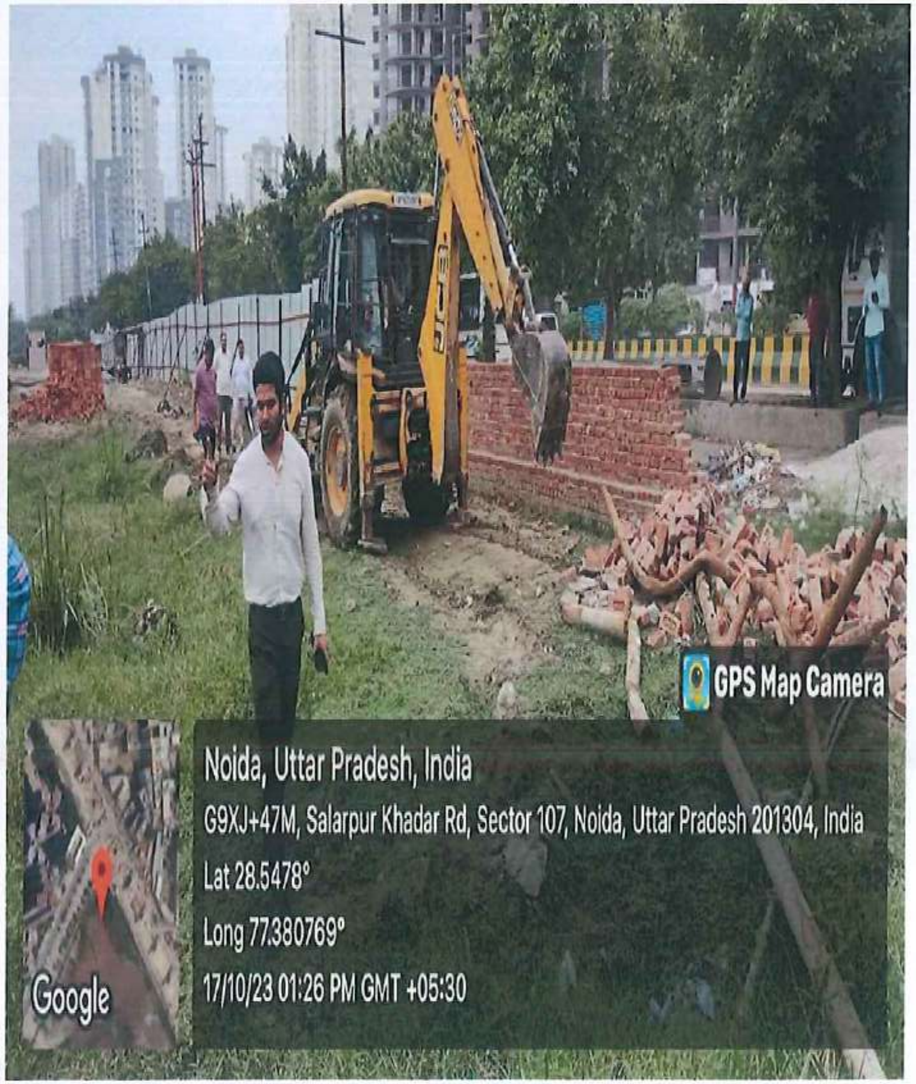

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

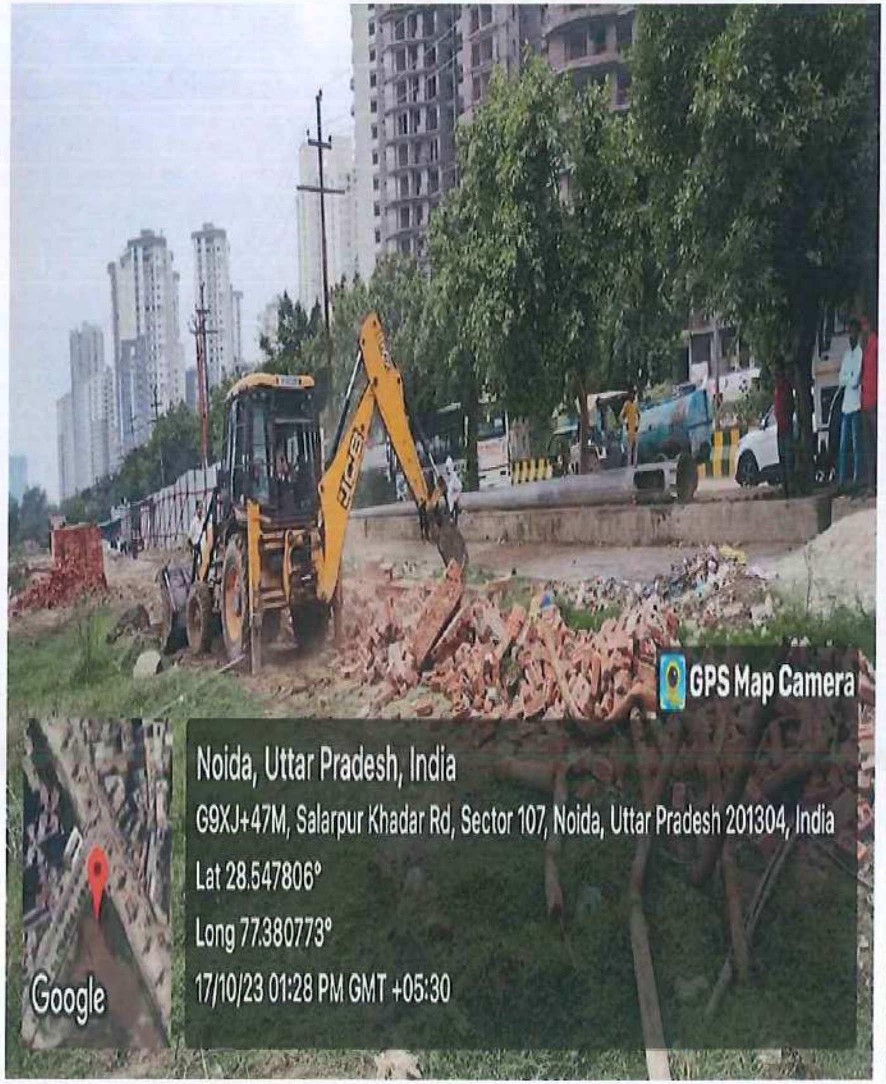

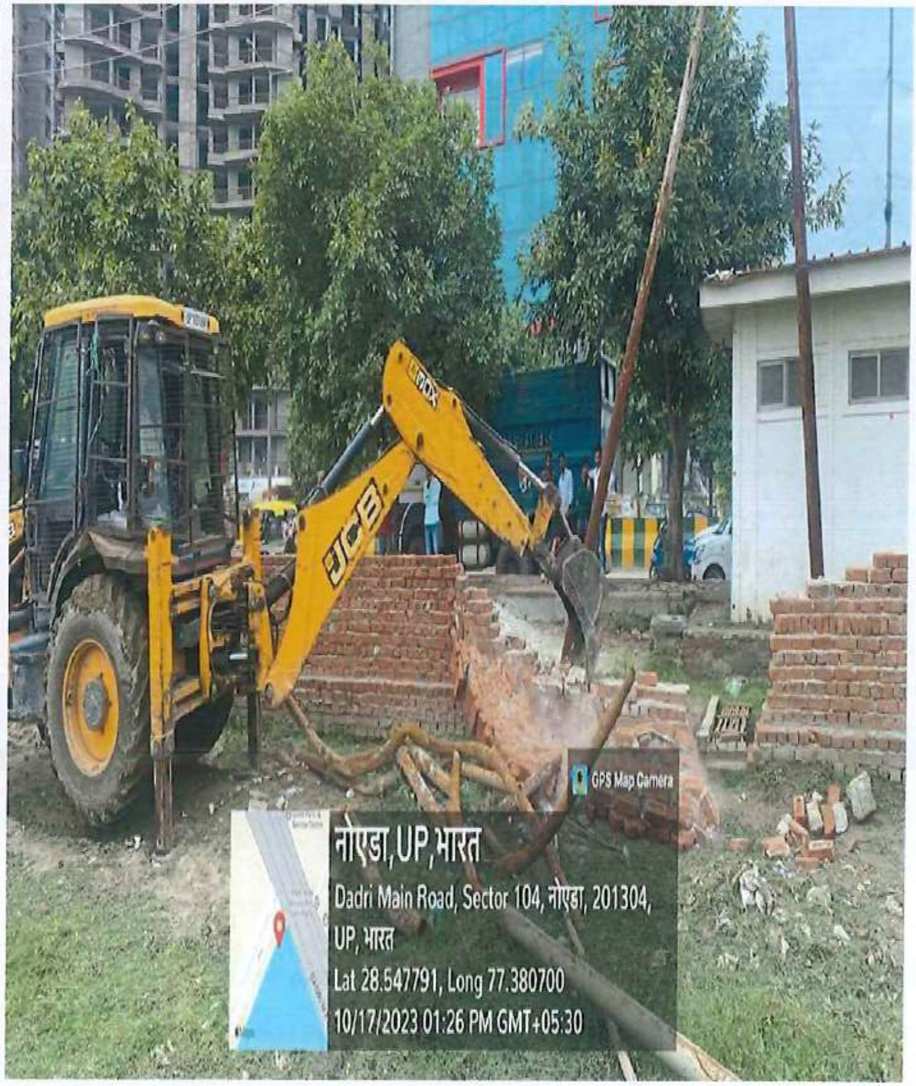

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

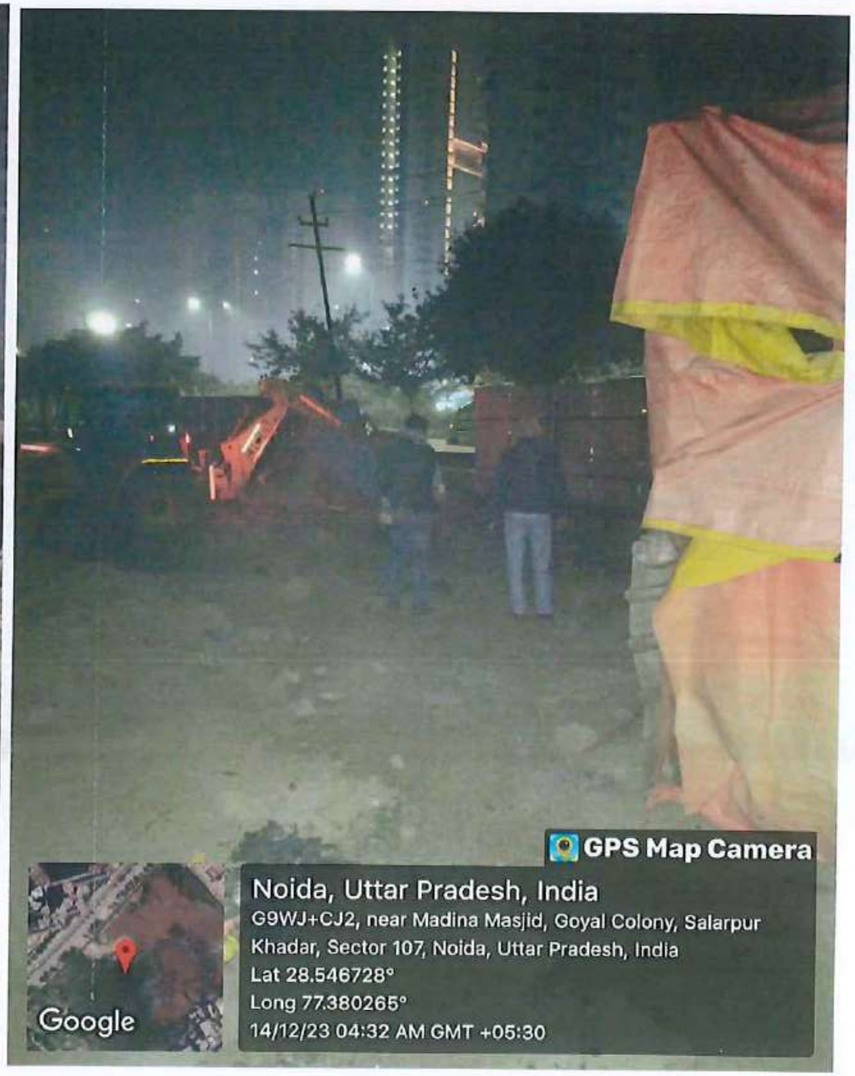

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

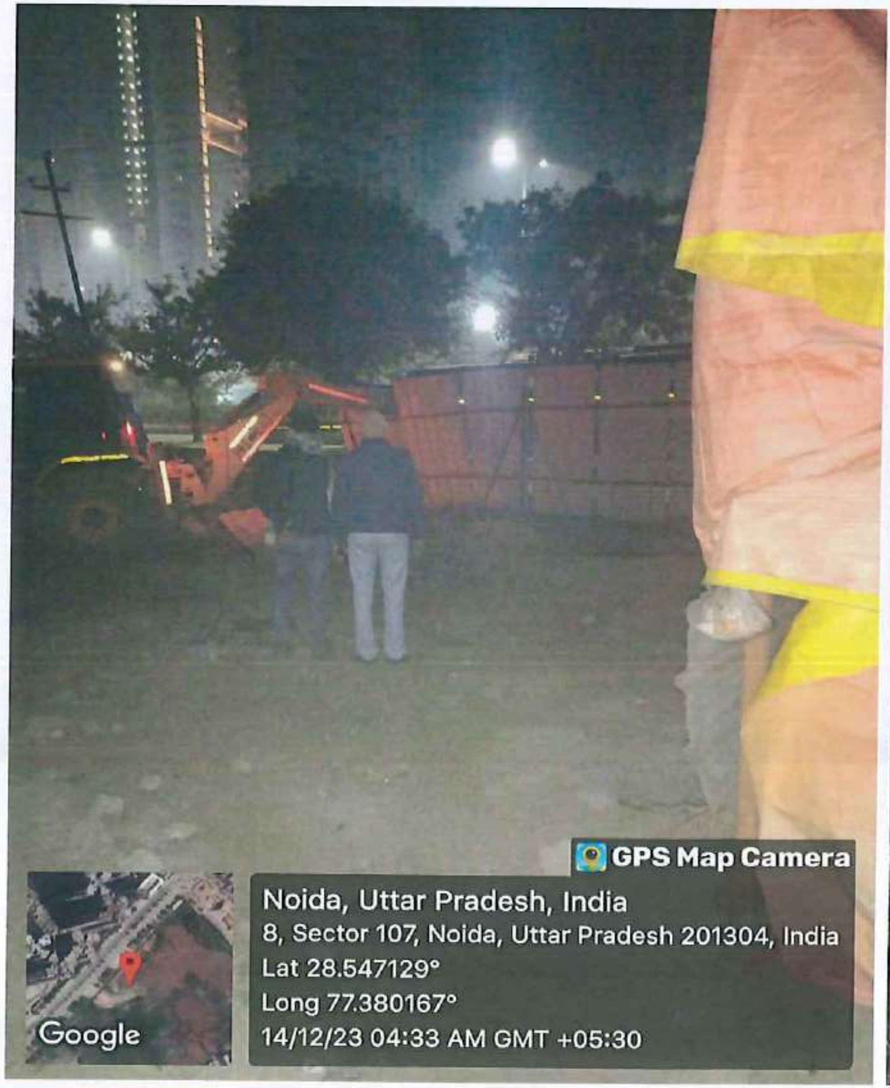

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

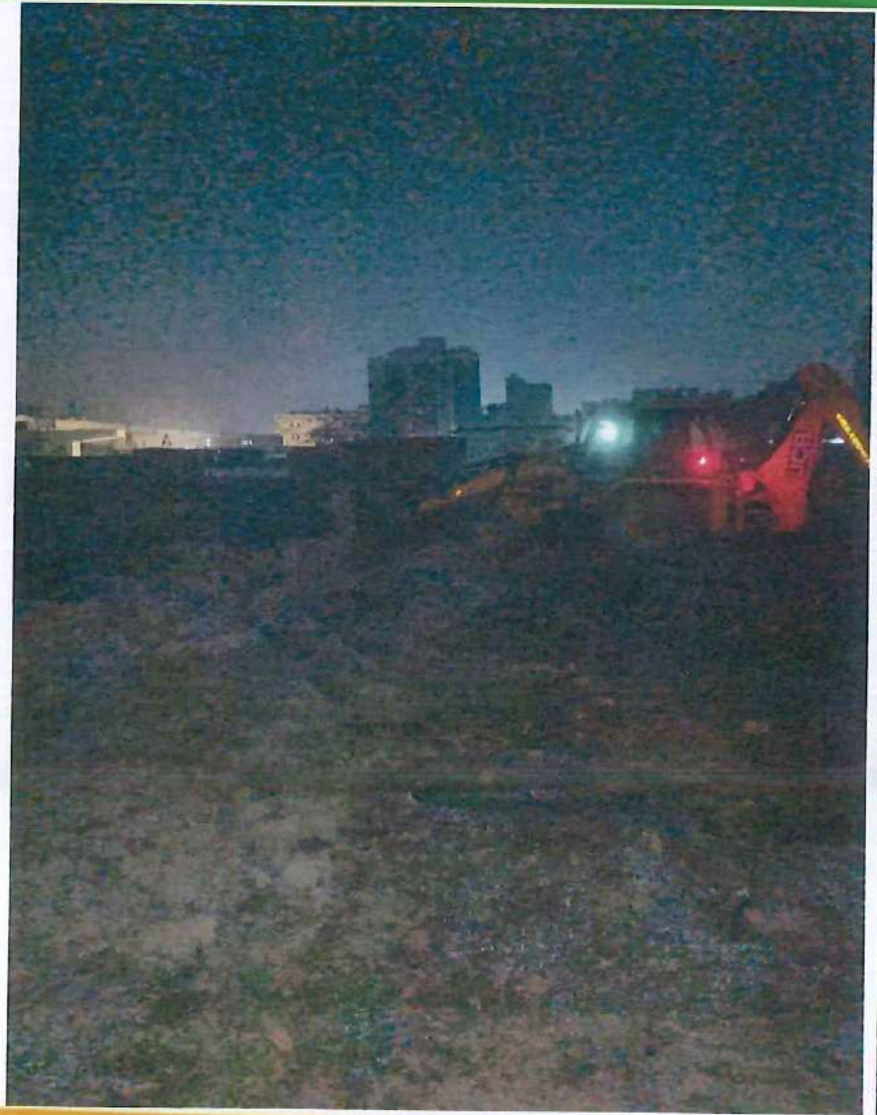

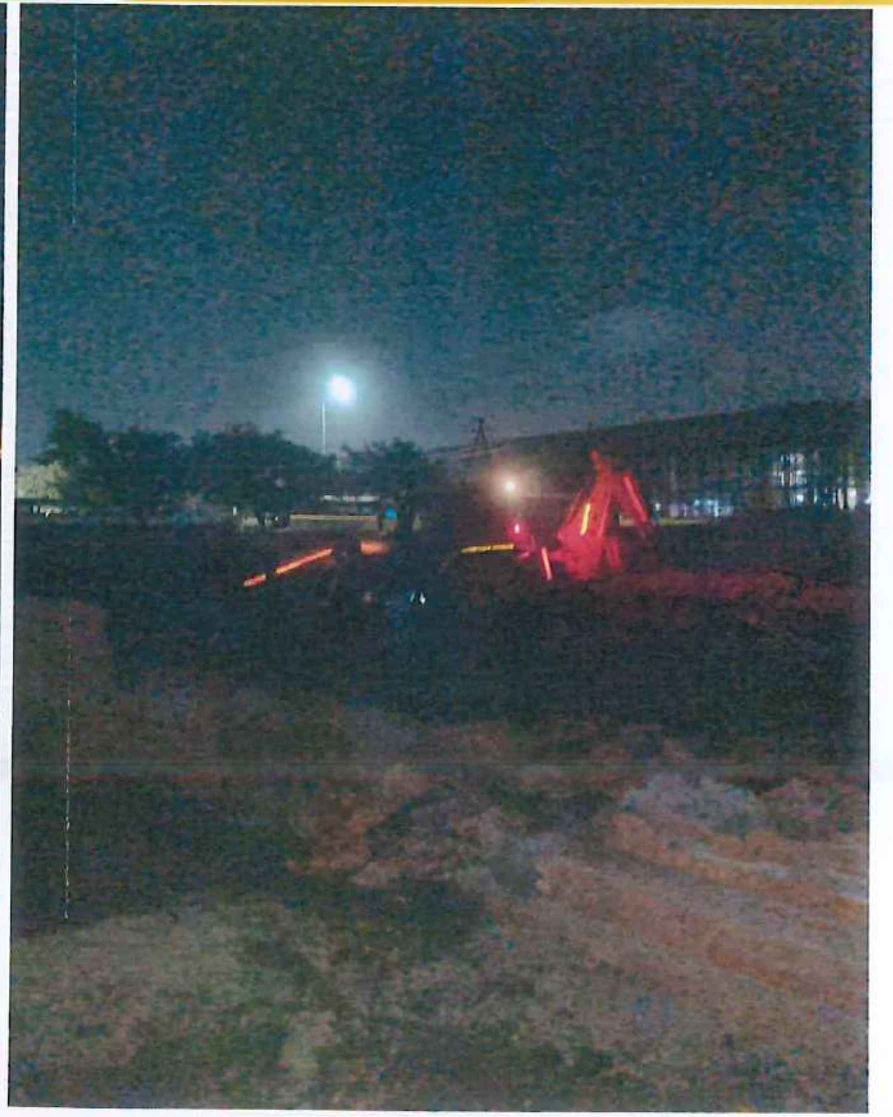

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

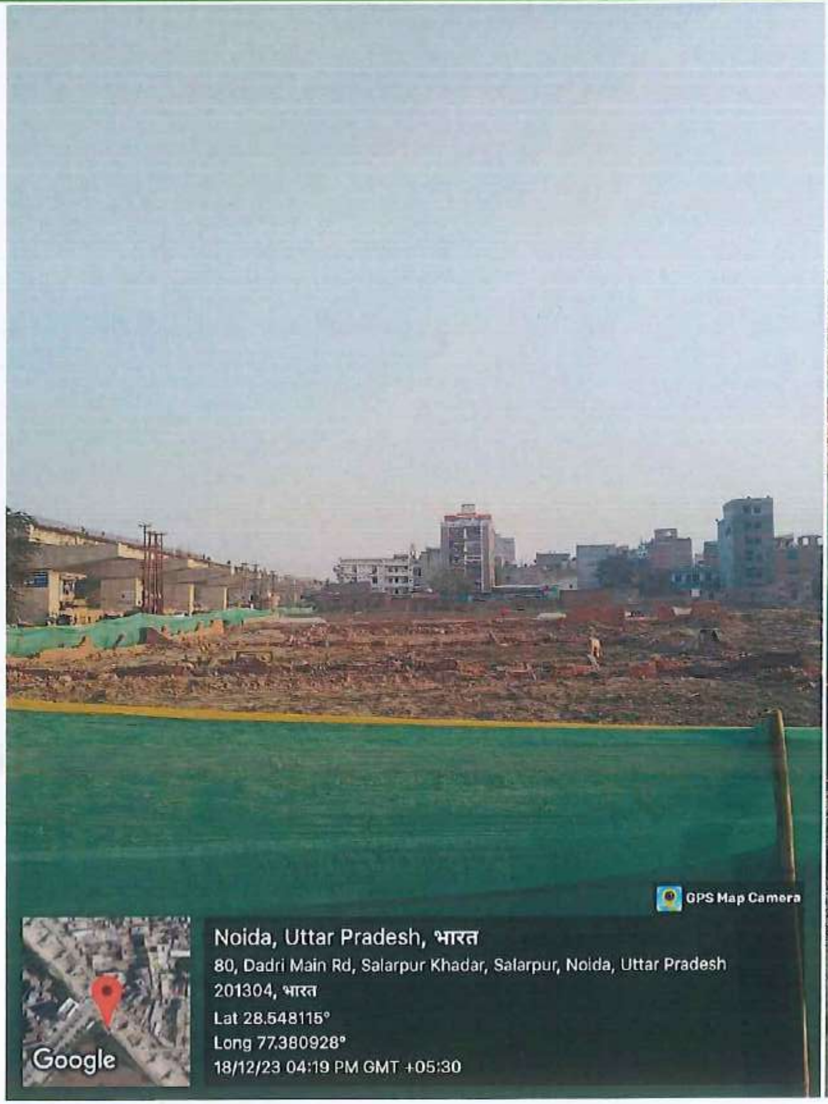

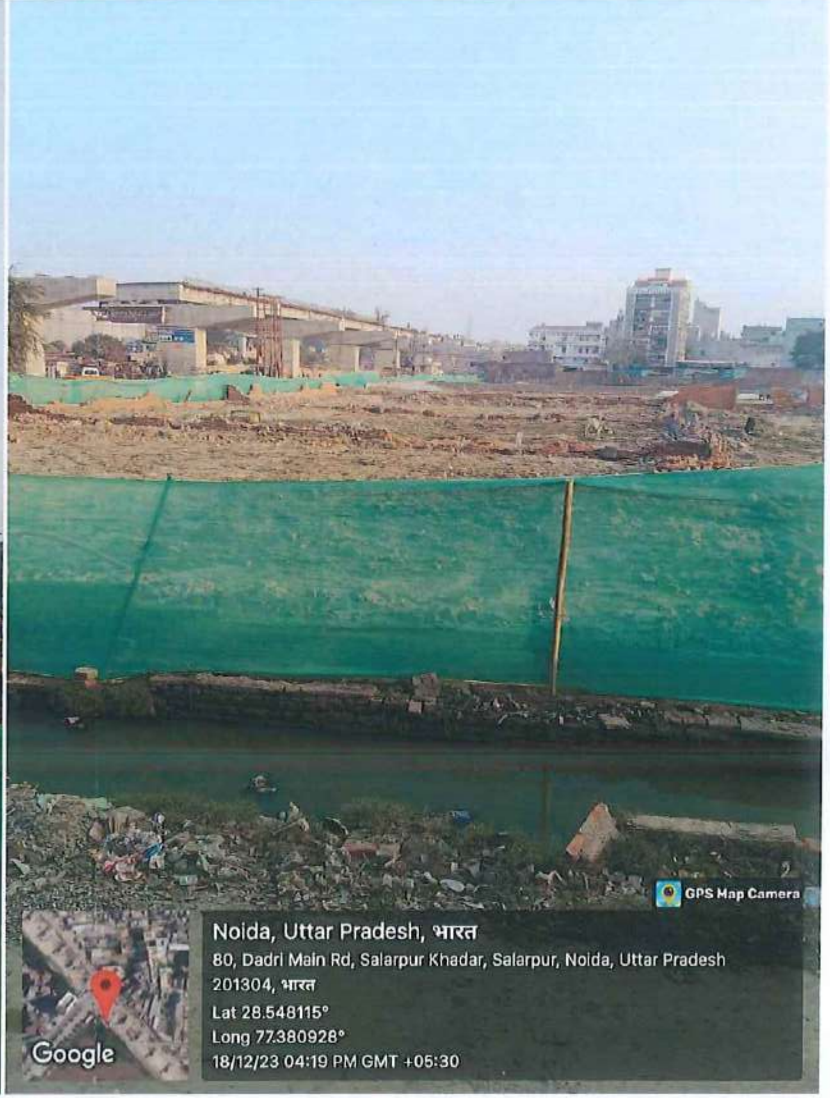

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

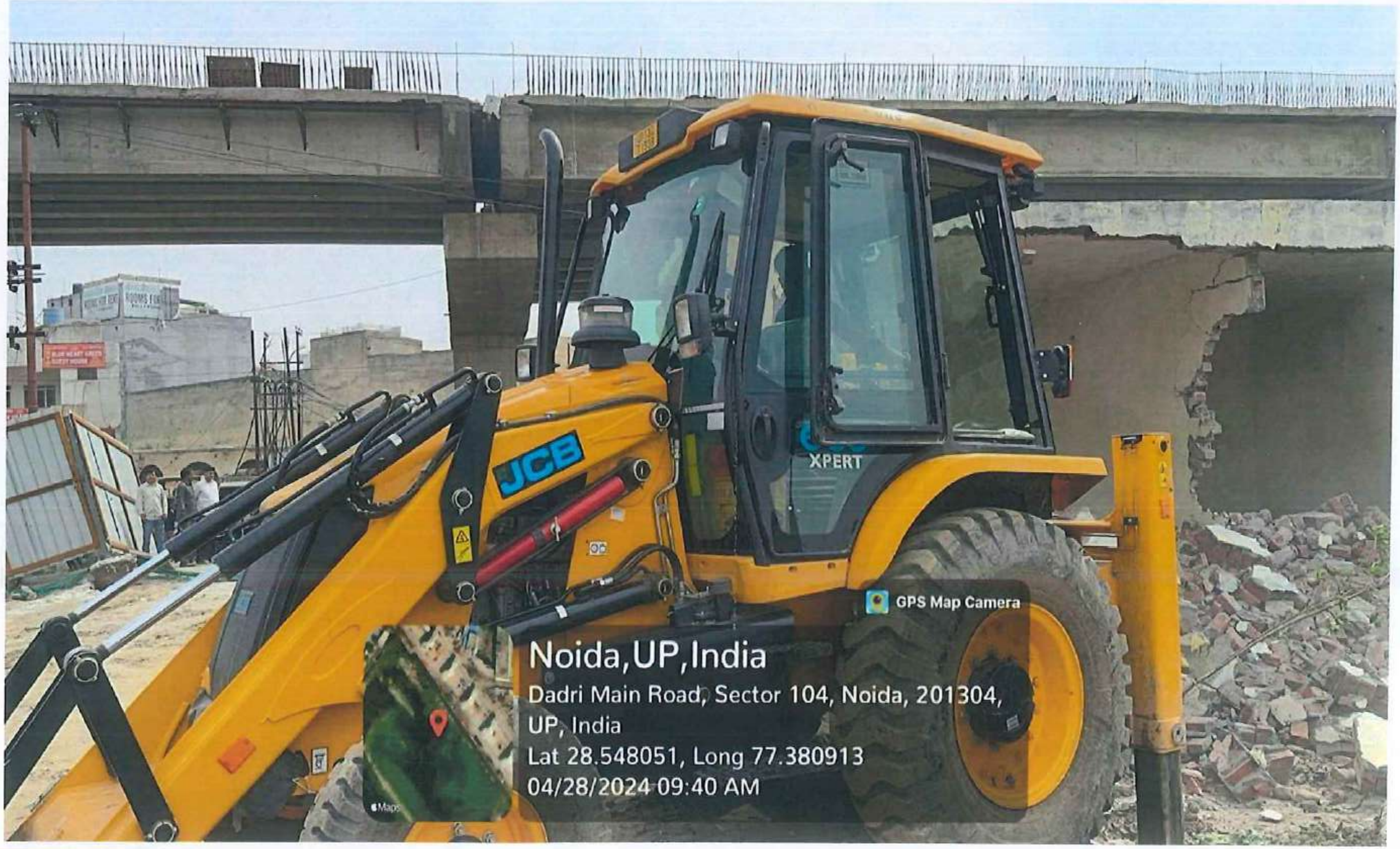

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

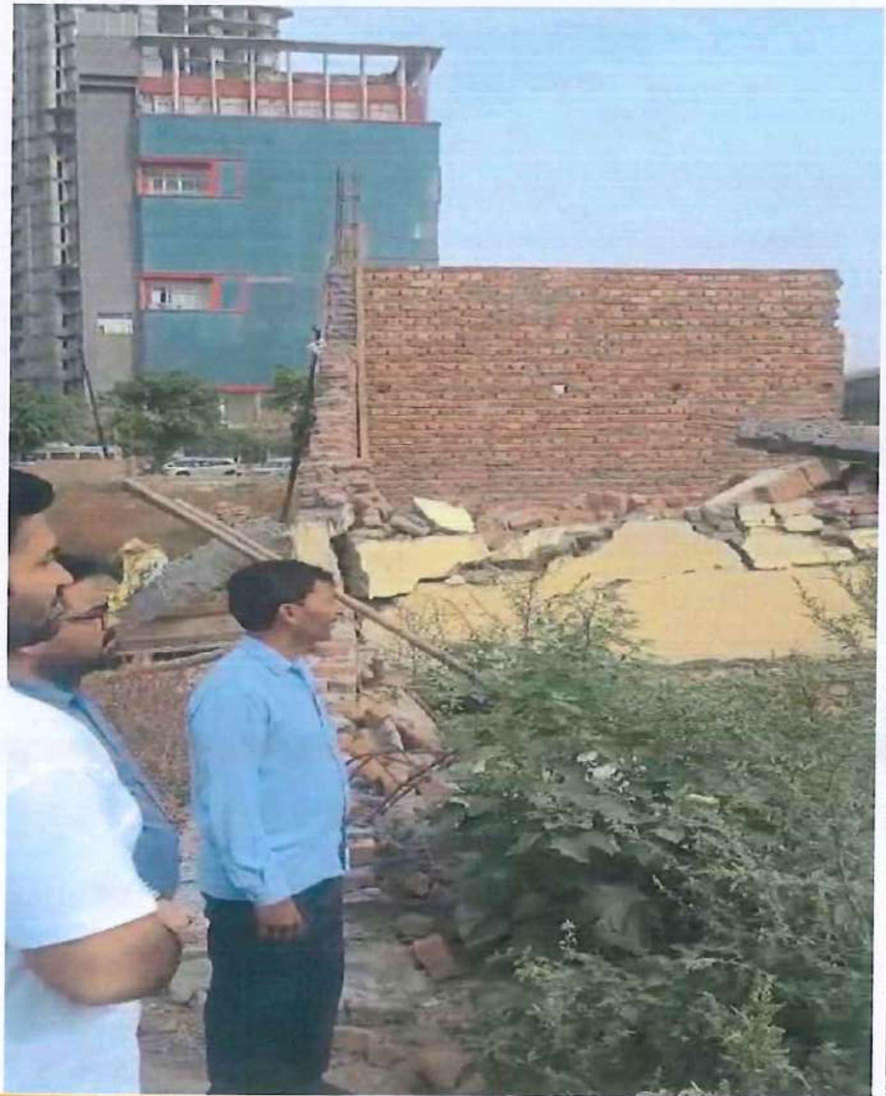

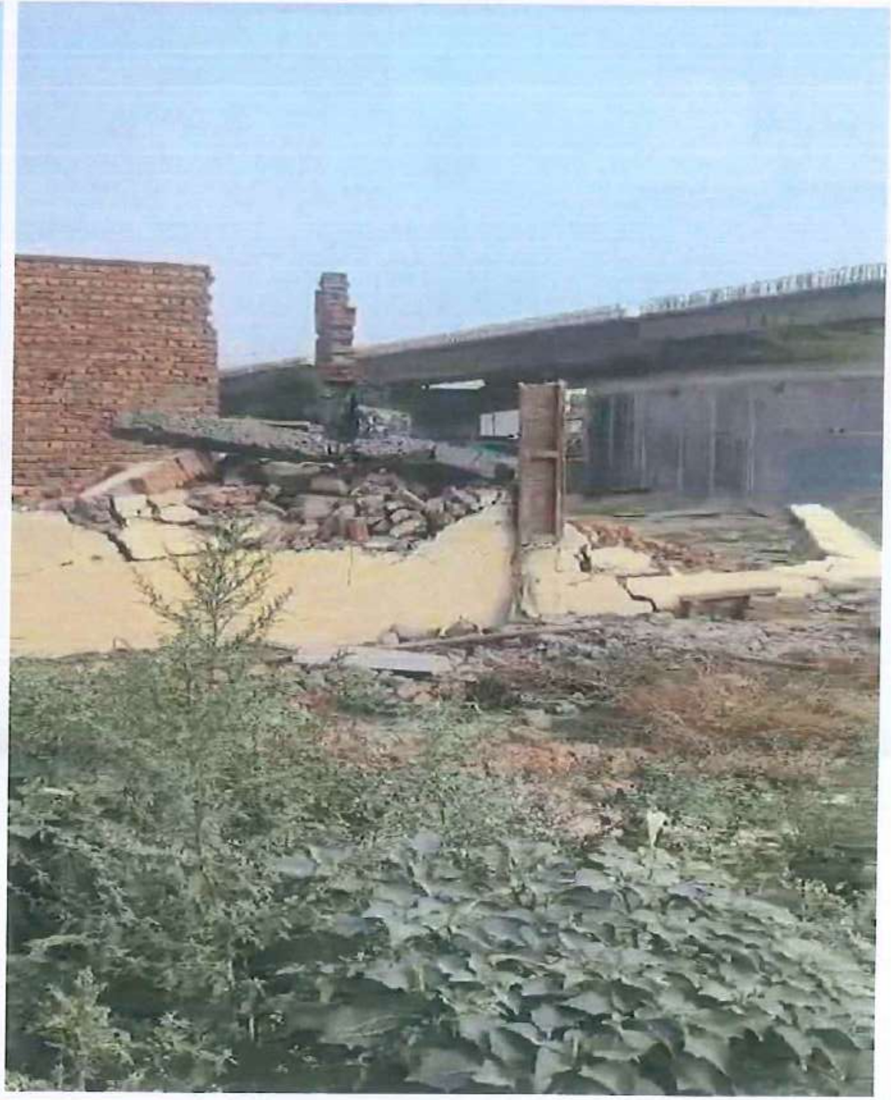

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

ग्राम :– सलारपुर, खसरा संख्या :–723, 724, 728–735, 745–752

कम संख्या	विवरण	कार्यवाही
1	ध्वस्तीकरण नोटिस	नौएडा/व0प्र0(व0स0.8)/2024/727, 16.04.2024
2	एफ.आई.आर. दिनांक	नौएडा/व0प्र0(व0स0.8)/2023/2943 दिनांक 18.12.2023 नौएडा/व0प्र0(व0स0.8)/2024/1964 दिनांक 04.10.2024
4	ध्वस्तीकरण की दिनांक	14-12-2022, 07-02-2023, 09-02-2023, 23-03-2023
5	स्थगन आदेश दिनांक	11-04-2018 (स्थगन आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु विधि विभाग से अनुरोध किया गया है।)
7	वर्क सर्किल द्वारा भूलेख को प्रेषित पत्र	पत्र संख्या नौएडा/व.प्र.(व.स.–8)/2023/80, दिनांक 11.01.2023 पत्र संख्या नौएडा/व.प्र.(व.स.–8)/2023/348, दिनांक 09.02.2023 पत्र संख्या नौएडा/व.प्र.(व.स.–8)/2023/544, दिनांक 10.03.2023 पत्र संख्या नौएडा/व.प्र.(व.स.–8)/2023/562, दिनांक 13.03.2023 पत्र संख्या नौएडा/व.प्र.(व.स.–8)/2023/745, दिनांक 29.03.2023 पत्र संख्या नौएडा/व.प्र.(व.स.–8)/2023/1704, दिनांक 24.07.2023 पत्र संख्या नौएडा/व.प्र.(व.स.–8)/2023/1953, दिनांक 28.08.2023 पत्र संख्या नौएडा/व.प्र.(व.स.–8)/2023/2033, दिनांक 11.09.2023 पत्र संख्या नौएडा/व.प्र.(व.स.–8)/2023/2038, दिनांक 11.09.2023 (संशोधित)
8	अभियुक्ति	अतिक्रमण कर्ता द्वारा उक्त भूमि पर डिक्री बताते हुए अवरोध उत्पन्न किया गया। इसके अतिरिक्त वर्क सर्किल स्तर से विषयगत प्रकरण को निरन्तर पत्राचार के माध्यम से भूलेख विभाग को संज्ञानित कराया जाता रहा है। उक्त के सम्बंध में पूर्व में पत्रांक संख्या नौएडा/व.प्र.(व.स.–8)/2023/745, दिनांक 29.03.2023, पत्र संख्या नौएडा/व.प्र.(व.स.–8)/2023/562, दिनांक 13.03.2023 व डिस्पेच संख्या 336, दिनांक 20.12.2022 के माध्यम से पत्रावली भूलेख विभाग को प्रेषित की जा चुकी है तथा अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा दिनांक 23.03.2023 को मौके पर भूमि से सम्बंधित प्रपत्र उपलब्ध कराये गये थे। जिसका सत्यापन भूलेख विभाग द्वारा किया जाना है। अतिक्रमणकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों की जॉच हेतु पत्रावली भूलेख विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। दिनांक 23.08.2023 को प्रश्नगत स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु कार्यक्रम नियत किया गया था, स्थल पर मौजूद कास्तकारों के द्वारा वरिष्ठ प्रबन्धक (डी.पी.) महोदय को डिक्री के आदेश दिखाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की गयी। वर्तमान में उक्त खसरों पर हो रहें निर्माण/अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण/सीलिंग की कार्यवाही हेतु पत्रावली गतिमान है।

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

स्थगन आदेश दिनांक 11.04.2018

CNR No - UPGB04-001619-2006

131/ct

1

न्यायालयः अपर सिविल जज (सी0डी0)/ तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर

उपस्थितः धीरेश चन्द्रा, उ0प्र0 न्यायिक सेवा

मूलवाद सं0–128 सन 2006

1– महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यापीठम्, महर्षि नगर जिला गौतमबुद्धनगर।

2– महर्षि आश्रम ए–14, मोहन कोआपरेटिव इन्डस्ट्रीज इस्टेट, मथुरा रोड नई दिल्ली–44

.............वादीगण

बनाम

1– नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यालय सैक्टर–6 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

..............प्रतिवादी

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया है।

संक्षेप में वाद पत्र के कथन इस प्रकार है कि वादी सं0–1 चैरिटेबिल ट्रस्ट है तथा श्री संतोष सिंह इसके अधिकृत प्रतिनिधि है। जिन्हें वाद योजित करने का अधिकार है और वादी संख्या–2 एक पंजीकृत सोसायटी है। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त विश्व में स्थान स्थान पर अनुष्ठान, प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये हुए है और ऐसा ही एक केन्द्र ग्राम भंगेल, सिलारपुर व गेझा आदि अन्य ग्राम स्थित जिला गौतमबुद्धनगर मे स्थापित किया हुआ है जो महर्षि नगर के नाम से प्रसिद्ध है। वादीगण व उनकी अन्य सहयोगी संस्थाओं के सम्मिलित रूप से लगभग 25 वर्ष पूर्व ग्राम भंगेल, सिलारपुर आदि ग्रामों में भूमि क्रय करके महर्षि आश्रम मे बहुत बडे स्तर पर विभिन्न भवनों का निर्माण किया जिनमें हजारों की संख्या में शिक्षार्थी व अनुसंधानकर्ता अपना पठन पाठन व अनुष्ठान तथा अनुसंधान आदि विश्व कल्याण के कार्य कर रहे है। मानवता के हित में इनकी संख्या को बढाने के लिए नये भवनों की आवश्यकता है। प्रतिवादी को कोई अधिकार महर्षि आश्रम में निर्मित भवनों के निर्माण मे हस्तक्षेप करने व उनको ध्वस्त करने तथा आश्रम की किसी भी गतिविधियों मे बाधा उत्पन्न करने का नहीं है इसके बावजूद प्रतिवादी ने महर्षि आश्रम के विरूद्ध उसमें स्थित निर्माण के संबंध में एक वाद संख्या–643 सन् 1987 न्यायालय सिविल प्रवर खण्ड गाजियाबाद में योजित किया जो अंततः दिनांक 23 अगस्त 2002 को निर्णीत हुआ जिसके द्वारा न्यायालय ने प्रतिवादी को यह आदेश दिया कि यह महर्षि आश्रम मे निर्मित किसी भी भवन को ध्वस्त न करे तथा महर्षि आश्रम को यह निर्देश दिया कि वह ग्राम भंगेल, सिलारपुर व गेझा में स्थित जमीनों पर कोई भी नवनिर्माण प्रतिवादी की अनुमति के बगैर न करे। यह अतिरिक्त भवन वादीगण की जिस भूमि पर निर्माण होना है वह भूमि ग्राम सलारपुर खादर, भंगेल बेगमपुर व गेझा तिलपताबाद की भूमि है जिसका खसरा नं0 व संबंधित क्षेत्रफल सहित पूर्ण विवरण वाद पत्र के साथ बतौर संलग्न (अ) किया गया है जो वाद पत्र का भाग है। वादीगण द्वारा जो मानचित्र तैयार कराये गये हैं वे सभी प्रतिवादी द्वारा गठित नियमों के अनुसार

2

तैयार कराये है तथा उन मानचित्रों को दिनांक 13 सितम्बर 2005 को प्रतिवादी के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किये और प्राप्ति की रसीद प्राप्त की। प्रतिवादी का यह दायित्व था कि वह प्रस्तुत मानचित्र का परीक्षण करके उसका निस्तारण करता परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी किसी प्रकार की किसी कमी या स्वीकृति की बावत कोई सूचना नहीं दी। वादी द्वारा दिनांक 10.09.2005 के पत्र जो प्रतिवादी के चेयरमैन व चीफ प्लानर के कार्यालय में 15.09.2005 को प्राप्त हुआ है कि द्वारा वादी के नक्शे की स्वीकृति के विषय में स्मरण कराया। इस प्रकार दिनांक 30.10.2005 व 18.10.2005 को लिखित नोटिस दिया जो प्रतिवादी के कार्यालय में प्राप्त हुआ परन्तु आज तक भी प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना वादी को नहीं दी गयी है। प्रतिवादी ने अपने नियमानुसार नक्शा प्राप्ति से 40 दिन के अन्दर व उसके पश्चात प्रतिवादी के चेयरमैन व समकक्ष अन्य अधिकारी को इस विषय मे लिखित जानकारी देने के बीस दिन पश्चात नक्शे स्वतः स्वीकृत माने जाते है। वादीगण आगामी महाशिवरात्रि दिनांक 26 फरवरी 2006 अथवा उसके बाद किसी भी दिन से योजना अनुसार स्थाई विश्व शान्ति की स्थापना एवं भारत को एक अजेय एवं समृद्ध राष्ट्र बनाने के निमित्त अपनी योजना कियान्वित करना चाहते हैं। इस योजना के अन्तर्गत आगामी गुरू पूर्णिमा दिनांक 11 जुलाई 2006 से वैदिक पद्धति द्वारा सहस्त्रों वैदिक विद्वानों द्वारा यज्ञ एवं अनुष्ठान आरम्भ होना है। जिसके लिए उपवर्णित मानचित्रों के अनुसार निर्माण प्रारम्भ करने की तुरन्त आवश्यकता है। जिसका प्रथम शुभ मुहुर्त आगामी महाशिवरात्रि दिनांक 26 फरवरी 2006 को निर्धारित किया है। जिसके लिए मौके पर कुछ निर्माण उपकरण, सामग्री एकत्र किया तथा सफाई कार्य व नींव खोदने हेतु चिन्ह लगाने का कार्य प्रारम्भ किया परन्तु कुछ व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने अपने को प्रतिवादी के कर्मचारी बताया, वादीगण के उपरोक्त कार्य पर दिनांक 20 फरवरी 2006 को आपत्ति की व धमकी दी कि यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तो उसे बल पूर्वक रोक दिया जायेगा। प्रतिवादी के कर्मचारियों को निर्माण कार्यों मे आपत्ति एवं बाधा उत्पन्न करने व वादी के मानचित्रों को स्वीकृत न मानने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी को अपने मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य करने के विधिक अधिकार की रक्षा हेतु न्यायालय के समक्ष वाद योजित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है इसलिए वाद प्रस्तुत है। वाद का कारण दिनांक 13.09.2005 को जब वादी द्वारा प्रतिवादी को लिखित ज्ञापन इस अनुरोध के साथ कि मानचित्र की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करे तथा जब प्रतिवादी के यहां मानचित्र प्रस्तुत हुए 60 दिन से अधिक समय व्यतीत होने के फलस्वरूप मानचित्र स्वतः स्वीकृत होने पर व तदानुसार निर्माण प्रारम्भ करने की प्रारम्भिक तैयारी पर दिनांक 20 फरवरी 2006 को जब प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा आपत्ति करने तथा भविष्य में बल पूर्वक निर्माण कार्य रोकने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। प्रश्नगत भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है जिसको श्रवण व निस्तारण करने का पूर्ण अधिकार है। न्यायालय के वित्तीय क्षेत्राधिकार एवं न्यायशुल्क हेतु वाद का मूल्यांकन कुल अंकन 50.00 लाख रूपये पर किया जाकर वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु न्यायशुल्क अंकन 500 रूपये अदा किया जाता है। प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय से पारित की जाये कि प्रतिवादीगण अपने किसी भी कर्मचारी व व्यक्ति के माध्यम से महर्षि आश्रम ग्राम भंगेल जिला गौतमबुद्धनगर में वादी द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों के अनुसार निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोकने के लिए बाध्य रहे।

पुनः सक्षेप में प्रतिवादी की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0–05 क इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि That the

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

स्थगन आदेश दिनांक 11.04.2018

contents of para2 are not admitted due to want of knowledge but the land of Village Salarpur, Gejha and Bhangel is under the notified are of the defendant and the land in question is required for the defendant's planned schemes. the land in question is under the notified area for the well planned scheme of the defendant No. one is allowed to raise the construction on the notified land and without prior permission of the answering defendant/NOIDA and neither the land use could be changed against the plans of the answering defendant /NOIDA So far as the suit No. 643/1997 is concerned it is to be stated here that an Appeal against that impugned Judgment is still pending before Hon'ble High Court, Allahabad. The plaintiff can not raise any construction on t he land in question without prior approval of the answering defendant /NOIDA. The department (Bhawan Prakoshth) where the plaintiff had submitted its Drawings/Maps is not entitled to approve the same because that department entertains only those matters which are in connection with lease hold properties and lease out by the answering defendant/NOIDA Actually the defendant had returned the original documents alongwith directions in spite of responding about the same. Provisions are accepted only for those matters which are in connection with the lease hold property and leased out by the answering defendant/NOIDA. It is also pertinent to mention here that the land in question where the plaintiff wants to raise the construction in under Notified Area of the answering defendant and no on is allowed to raise any type construction without prior approval of the defendant/NOIDA. There is no legal cause to file the present suit against the answering defendant. The suit of the plaintiffs based on allegations which are against the facts and law and hence the same is liable to be rejected with cost. the land where the plaintiff wants is raise unauthorized construction lies under the Notified Area of the NOIDA and very soon important scheme are to be launched for the well planned development of the area and therefore no one is allowed to raise the construction without prior approval of the answering defendant. The cause of plaintiffs is not prayed prima facia and neither the balance of convenience lies in their favor. The suit of the plaintiffs is barred by the provisions of Section 34, 41 of Specific Relief Act. No irreparable loss would be caused to the plaintiffs in the event of dismissal of the suit and in case of the grant of relief in

favor of the plaintiffs . the answering defendants would suffer a great loss which could not be compensation in either way.

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में अपने कथन के समर्थन में पी०डब्लू०–1 के रूप में संतोष सिंह को परीक्षित कराया गया है।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से फेहरिस्त 10ग1 से असल रिजोल्यूशन की प्रति 11ग, डिक्लेरेशन की फोटोप्रति 12ग, मानचित्र की प्रति 13ग, प्रार्थना पत्र दिनांकित 10.09.2005 की प्रति 14ग, प्रार्थना पत्र दिनांकित 10.09.2005 की प्राप्ति प्रति 15ग, रिमाइन्डर प्रार्थना पत्र की प्रति दिनांकित 03.10.2005 16ग, रिमाइन्डर प्रार्थना पत्र की प्राप्ति प्रति 17ग, रिमाइण्डर–2 प्रार्थना पत्र की प्रति दिनांकित 18.10.2005 की प्रति 18ग, रिमाइण्डर–2 प्रार्थना पत्र की दिनांकित 18.10.2005 की प्राप्ति प्रति 19ग, निर्णय दिनांकित 213.08.2002 की नकल 20ग, भूमि का विवरण ग्राम सलारपुर 70ग, दस्तावेजी सूची 84क से खतौनी खसरा सं0–701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 की प्रमाणित प्रति 85ग, खसरा संख्या–708 , 709, 710, 711 व 777 खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 86ग, खसरा संख्या–708, 709, 710, 711, 775, 776, 777 बैनामे की प्रमाणित प्रति 87ग, बैनामा दिनांकित 04.05.82 की प्रमाणित प्रति 88ग, बैनामा की प्रमाणित प्रति 89ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 90ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 91ग, विक्रय पत्र दिनांकित 22.06.85 की सत्यप्रतिलिपि 92ग/1–8, विक्रय पत्र 22.06.85 की सत्यप्रतिलिपि 93ग, बैनामा दिनांकित 26.12.79 की सत्यप्रतिलिपि 94ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 95ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 96ग बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 98ग, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि 99ग/1–4, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि 100ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 101ग, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि 102ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 103ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 104ग–105ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 106ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 107ग, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि 108ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 110ग, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि 111ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 112ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 113ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 114ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 115ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 116ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 116ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 117ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि–118ग–120ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 121ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 122ग–1–6, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 124ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 125ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 126ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 127ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 128ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 129 व बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 130ग, वाद पत्र वाद संख्या–643/87 की प्रमाणित प्रति प्रतिवादी पत्र वाद संख्या–643/87 की प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांकित 23.08.2002 की प्रमाणत प्रति दाखिल की गयी है।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में अपने कथन के समर्थन में डी0डब्लू–1 के रूप में धर्मपाल भारद्वाज व डी0डब्ल्यू0–2 के रूप में जगत सिंह को परीक्षित कराया गया है।

प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजी सूची 41ग से बिल्डिंग रेग्यूलेशन एण्ड डायरेक्शन की फोटोप्रति 42ग, दस्तावेजी सूची 61ग से सरकारी गजट दिनांकित 2 दिसम्बर 1989 की सत्यप्रतिलिपि 62ग, अधिकार पत्र की सत्यप्रतिलिपि 63ग, अधिकार पत्र की सत्यप्रतिलिपि 63ग/1–11, कब्जा पत्र की सत्यप्रतिलिपि 64ग, अधिसूचना की सत्यप्रतिलिपि दाखिल किये गये हैं।

स्थगन आदेश दिनांक 11.04.2018

5

उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2006 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये:—

1—क्या वादी विवादित सम्पत्ति का मालिक काबिज है?

2—क्या प्रतिवादीगण व उसके किसी कर्मचारी को वादी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर मानचित्रों के अनुसार निर्माण में बाधा पहुंचाने का कोई विधिक अधिकार है?

3— क्या वाद वादी, धारा— 34, 38, 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

4— क्या वादी के द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया एवं प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

5— किन—किन अनुतोषों का यदि कोई हो वादी पाने का अधिकारी है?

मैने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

<u>निस्तारण वाद विन्दु सं0—1</u>

वाद विन्दु सं0—1 इस आशय का विरचित किया गया है—क्या वादी विवादित सम्पत्ति का मालिक काबिज है?

यह विवाद विन्दु वादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। जिसको साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया है कि वह अपनी विवादित सम्पत्ति का मालिक है। इस हेतु वादी की ओर से खसरा संख्या—708, 709, 710, 711, 775, 776, 777 बैनामे की प्रमाणित प्रति 87ग, बैनामा दिनांकित 04.05.82 की प्रमाणित प्रति 88ग, बैनामा की प्रमाणित प्रति 89ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 90ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 91ग, विक्रय पत्र दिनांकित 22.06.85 की सत्यप्रतिलिपि 92ग/1—8, विक्रय पत्र 22.06.85 की सत्यप्रतिलिपि 93ग, बैनामा दिनांकित 26.12.79 की सत्यप्रतिलिपि 94ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 95ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 96ग बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 98ग, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि 99ग/1—4, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि 100ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 101ग, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि 102ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 103ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 104ग—105ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 106ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 107ग, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि 108ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 110ग, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि 111ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 112ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 113ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 114ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 115ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 116ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 116ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 117ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि—118ग—120ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 121ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 122ग—1—6, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 124ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 125ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 126ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 127ग, बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 128ग, खतौनी की सत्यप्रतिलिपि 129 व बैनामा की सत्यप्रतिलिपि 130ग दाखिल की गयी है। प्रतिवादी की ओर से इस बात से इन्कार नहीं किया गया है कि वादी विवादित सम्पत्ति का मालिक काबिज न हो। प्रतिवादी का मात्र यह कथन है

6

कि विवादित सम्पत्ति प्रतिवादी द्वारा नोटिफाईड एरिया के अन्तर्गत आती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादित सम्पत्ति को प्रतिवादी द्वारा न तो अधिग्रहीत किया गया है और न ही वादी से अपने पक्ष में ट्रान्सफर और न ही कब्जा हस्तान्तरित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विधि अनुसार विवादित सम्पत्ति का मालिक व काबिज वादी है। अतः यह वाद बिन्दु वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या—02</u>

वाद बिन्दु संख्या—2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि —क्या प्रतिवादीगण व उसके किसी कर्मचारी को वादी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर मानचित्रों के अनुसार निर्माण में बाधा पहुंचाने का कोई विधिक अधिकार है?

इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी को कोई अधिकार विवादित सम्पत्ति के संबंध में नहीं है। वादी का कथन है कि विवादित सम्पत्ति न तो कभी प्रतिवादी द्वारा अधिग्रहीत की गयी है और न ही इसका कब्जा स्थानान्तरित प्रतिवादी को हुआ है। प्रतिवादी अर्थात नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा महर्षि आश्रम स्थित गांव सलारपुर नोएडा के विरूद्ध एक सिविल वाद संख्या—843/1987 न्यायालय अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड) गाजियाबाद में याजित किया गया जो दिनांक 28 अगस्त 2002 को निर्णीत हुआ, जिसमें यह आदेश पारित किया गया कि —"प्रतिवादी को स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि ग्राम भंगेल, सिलारपुर एवं गेझा में स्थित जमीनों पर कोई निर्माण वादी संस्था का अनुमति के बगैर न करे।"

प्रस्तुत निर्णय पत्रावली पर कागज संख्या—20ग के रूप में मौजूद है तथा इसकी सत्यप्रतिलिपि भी पत्रावली पर मौजूद है। उक्त निर्णय के अनुसार प्रतिवादी को प्रश्नगत सम्पत्ति पर निर्णय के मानचित्र के अनुसार बाधा पहुंचाने का विधिक अधिकार उत्पन्न हुआ, परन्तु निर्णय में दिये गये आदेश/निर्देश का अनुपालन करते हुए वादी द्वारा विवादित सम्पत्ति पर निर्माण हेतु मानचित्र/नक्शा को प्रतिवादी से अनुमति हेतु इस प्रार्थना पत्र के साथ कि उसका मानचित्र विधि अनुसार स्वीकृत कर लिया जाये और निर्माण की अनुमति चाही गयी है, जोकि पत्रावली पर कागज संख्या—13ग, 14ग व 18ग मौजूद है जिसमें चेयरमैन न्यू ओखला इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट आँथोरिटी गौतमबुद्धनगर को सम्बोधित किया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि— We want to construct residential and administrative block in our Maharishi Ashram complex. I am here with enclosing the detailed drawings of the buildings as designed by our architect M/s Nouveau design group CA/98/23683 New Delhi as per the Noida bylaws and building regulations, The land belongs to some of the trusts (including Maharishi Ved Vigyan Vishwa Vidya Peetham), which are constituents of Maharishi Ashram and societies. The proposed construction plans are according to the existing bylaws and building regulations of Noida. These plans are being submitted for your approval as per the order of Ghaziabad court. Order copy enclosed for your king information. We assure you that we will abide by all the legal conditions likely to be imposed

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

स्थगन आदेश दिनांक 11.04.2018

by you for the construction of all these facilities to augment our prevalent educational activities. If any other documents or more information is required, intimate us with in a reasonable time, so that we can submit the same at the earliest. We, therefore request you to kindly approve our building plans and permit us to construct the proposed buildings at the earliest.

वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिये जाने के बाद जब प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वादी द्वारा दिनांक 03.10.2005 को रिमाइण्डर प्रथम भेजा गया जोकि पत्रावली पर कागज संख्या–16ग मौजूद है। जिसकी प्राप्ति रसीद कागज संख्या–17ग पत्रावली पर मौजूद है। दूसरा रिमाइण्डर दिनांक 18.10.2005 को दिया गया है जो कि कागज संख्या–18 ग पत्रावली पर मौजूद है और जिसकी प्राप्ति रसीद कागज संख्या–19ग भी पत्रावली पर मौजूद है। परन्तु इसके उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा, वादी द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि विवादित भूमि कभी उसके द्वारा अधिग्रहीत की गयी हो अथवा किसी विशिष्ट योजना जिसके अन्तर्गत इसे अधिग्रहीत किया जाना हो। बल्कि साक्ष्य के दौरान प्रतिवादी के साक्षी डी०डब्ल्यू०–01 धर्मपाल ने यह स्वीकार किया है कि नक्शा पास कराने के लिए प्रा0 पत्र दिया गया था और यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि किसी योजना में अधिग्रहीत नहीं है। प्रतिवादी साक्षी सं0–1 धर्मपाल ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि– "मै इस बात की कोई वजह नहीं बता सकता कि वादी द्वारा निर्माण हेतु जो नक्शे ऑथोरिटी को दिये गये थे वे किन कारणों से स्वीकृत नहीं हो सकते। उन कारणों की सूचना ऑथोरिटी द्वारा वादी को क्यों नहीं दी गयी कि यह भी नहीं बता सकता कि ऑथोरिटी के किसी अधिकारी ने वादी द्वारा प्रस्तुत किए गये नक्शों को अस्वीकृत करने सम्बन्धी कोई आदेश पारित किया था या नहीं। मुझे यह भी नही पता कि इस भूमि के बारे में भू–अर्जन की कोई कार्यवाही की है या नहीं, आज तक भी वादी की भूमि के विषय में ऑथोरिटी ने अपनी कोई योजना नहीं बनायी है। यह कहना सही है कि आज तक ऑथोरिटी द्वारा कोई योजना इस भूमि के विषय में नहीं बनाई है परन्तु यह कहना गलत है कि मास्टर प्लान के नक्शे में यह भूमि पृथक छोड़ी नहीं है। यह कहना सही है कि ऑथोरिटी के मास्टर प्लान के अन्तर्गत जो गांव की आबादी है तथा फ्री होल्ड प्रोपर्टी है, उस पर ऑथोरिटी के नियम लागू नही होते (बिल्डिंग लॉज) लागू नहीं होते। फ्री होल्ड लैण्ड पर भूस्वामी अपने आप निर्माण कर लेते हैं।"

वादी की ओर से दाखिल बिल्डिंग रैग्यूलेसंस एण्ड डायरेक्शन्स प्रकाशन गजट 1 फरवरी 1986 के नियम–16 में अवधारित है कि–**Sections or refusal of building permit- (i) The Chief Executive Officer shall verify or cause to be verified the facts given in the application for permit and Annexures from technical, administrative and legal point of view. The title of land shall also be verified. He may either sanction or refuse a building permit or may sanction it with such modifications or thereupon shall communicate the decision to the applicant in the prescribed form given in Appendix-4**

(ii) If within forty days of the receipt of the application, refusal or sanction is not granted the application with its annexures shall be deemed to have been allowed and the permit sanctioned provided such fact is immediately brought to the notice of the Chief Executive Officer in writing by the applicant within twenty days after the expiry of the said period of forty days ...."

प्रतिवादी की ओर से कागज संख्या–42ग बिल्डिंग रेग्यूलेशन्स एण्ड डायरेक्संस गजट प्रकाशन 16 दिसम्बर, 2006 दाखिल की गयी है। इसके सन्दर्भ में यह स्पष्ट है कि यह 16 दिसम्बर 2006 से लागू होती है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दायर करने की दिनांक 23.02.2006 है। इस प्रकार यह नियमावली इस केस में लागू नहीं होती है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नक्शा पास करने के लिए दिया गया था, यह पत्रावली पर कागज संख्या–13ग व 14ग है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निर्धारित समय अवधि 40 दिन तक प्रतीक्षा करने के पश्चात भी प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आती है तो विधि अनुसार यह माना जायेगा कि वह नक्शा पास हो चुका है और वादी को इस पर निर्माण करने की अनुमति मिल गयी है। तदानुसार गजट के नियम 16(i)(ii) के अनुसार वादी को कोई विपरीत उत्तर नहीं मिलने के कारण वादी विवादित सम्पत्ति के दिये गये मानचित्र के अनुसार निर्माण करने का अधिकारी हो जाता है। स्वयं प्रतिवादी के साक्षी डी०डब्ल्यू०– 02 जगत सिंह ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि –"यह कहना सही है कि ऑथोरिटी के रूलेशन सं0–16(ii) में यह लिखा है कि निर्माण हेतु नक्शे का प्रार्थना पत्र पर प्राप्ति के 40 दिन के अन्दर स्वीकृत व निरस्त नहीं किया जाता है तो ऐसा नक्शा स्वीकृत माना जायेगा।" तदानुसार वादी के द्वारा प्रस्तुत नक्शे एवं अनुमति प्रार्थना पत्र 10.09.2005 व रिमाइण्डर प्रा0 पत्र दिनांकित 03.102005 व 18.10.2005 प्रस्तुत किये जाने पर भी नोएडा ऑथोरिटी की कोई आपत्ति नहीं आने के कारण वादी विधिक रूप से दिये गये मानचित्र के अनुसार उस पर निर्माण करने का अधिकारी हो जाता है और प्रतिवादी को उसके निर्माण में कोई बाधा पहुंचाने का कोई विधिक औचित्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा, वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मानचित्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः यह माना जायेगा कि वादी को निर्माण करने की अनुमति परोक्ष रूप से मिल गयी है। अर्थात वादी को प्रतिवादी नोएडा आथोरिटी द्वारा परोक्ष रूप से अनुमति दी जा चुकी है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या–2 निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–03</u>

वाद बिन्दु संख्या–3 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि –क्या वाद वादी धारा– 34, 38, 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

इस वाद बिन्दु का साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही पत्रावली में कोई तथ्य मौजूद है जिससे यह साबित होता हो कि वादी का वाद धारा– 34, 38 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित हो। तदनुसार यह वाद बिन्दु वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

स्थगन आदेश दिनांक 11.04.2018

9

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–04

वाद बिन्दु संख्या–04 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है एवं प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

इस वाद बिन्दु का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2008 को किया जा चुका है। जो इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–05

वाद बिन्दु संख्या–05 इस आशय का विरचित किया गया है कि भिन्न–भिन्न अनुतोषों का यदि कोई हो वादी पाने का अधिकारी है?

वाद बिन्दु संख्या–1 एवं वाद बिन्दु संख्या–2 वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किये गये है। वाद बिन्दु संख्या–1 व वाद बिन्दु संख्या–2 के निस्तारण में दिये गये निष्कर्षों के अनुसार वादी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नक्शे प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे और वादी द्वारा निर्माण की अनुमति भी चाही गयी थी, परन्तु प्रतिवादी की ओर से निर्धारित समय के अन्तर्गत कोई आपत्ति नहीं की गयी और प्रस्तुत वाद न्यायालय में दाखिल करने तक भी कोई आपत्ति प्रतिवादी द्वारा नहीं दी गयी है। अतः नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र एवं नक्शे पर यह अवधारणा की जायेगी कि प्रतिवादी को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और निर्माण करने की अनुमति वादी को प्राप्त हो चुकी थी। तदनुसार वादी द्वारा चाहा गया स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष को पाने का अधिकारी है। तदनुसार यह वाद बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

आदेश

वादी का वाद सव्यय आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह वाद पत्र के साथ संलग्न किये गये नक्शे के अनुसार किये जाने वाले निर्माण कार्य में बिना किसी विधिक प्रक्रिया के किसी प्रकार का कोई व्यवधान व हस्तक्षेप करने से बाज रहे।

दिनांक :–11.04.2018

11/4/18
(वीरेश चन्द्रा)
अपर सिविल जज (सी०डी०)/
तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक :–11.04.2018

11/4/18
(वीरेश चन्द्रा)
अपर सिविल जज (सी०डी०)/
तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर

फोटो सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
जनपद, न्यायालय, गौतम बुद्धनगर

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

स्थगन आदेश पर कार्यवाही हेतु विधि को प्रेषित पत्रावली

टिप्पणी

पेज संख्या -2-

महोदय,

कृपया पत्रावली के एन- 01 पर वरिष्ठ प्रबंधक वर्क सर्किल- 08 द्वारा अंकित आख्या का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके अन्तर्गत वर्क सर्किल द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम सलारपुर खादर स्थित खसरा संख्या- 779 व 780 से सटे भाग के खसरा संख्या- 723, 724, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 747, 748, 749, 750, 751, 752, इत्यादि में खसरा संख्या- 779 व 780 की भाँति किये जा रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमण के विरुद्ध दिनाँक 14.12.2022, 07.02.2023, 09.02.2023 व 23.03.2023 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी थी। पक्षकार/अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा दिनाँक 23.03.2023 को प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रपत्र उपलब्ध कराये गये थे, जिसके परीक्षण/सत्यापन हेतु मय पत्रावली भूलेख विभाग को प्रेषित की गयी है।

उल्लिखित करना है कि पत्रावली पर दायीं ओर सी0- 02 से 16 पर सलंग्न प्रपत्रों के अवलोकन से विदित हुआ कि महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ द्वारा नौएडा प्राधिकरण के विरुद्ध वाद संख्या- 128/2006 योजित किया गया था, जिसमें मा0 सिविल न्यायालय द्वारा दिनाँक 11.04.2018 को निषेधाज्ञा पारित किये गये हैं। अतः प्रश्नगत वाद/संबंधित खसरा नम्बरान पर यदि कोई वाद लम्बित हो तो उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु पत्रावली विधि विभाग को प्रेषित करना चाहें।

लेखपाल, नोएडा

विशेष कार्याधिकारी (डी0पी0)

देवेन्द्र प्रताप सिंह
विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

विशेष कार्याधिकारी (ए0)

मुख्य विधि सलाहकार

ALO (PH)

टिप्पणी

पेज संख्या- 5

कृपया पूर्व पृष्ठ पर अवगत ग्राम सलारपुर खादर के खसरा संख्या- 780 पर मा० जिला न्यायालय गौतमबुद्धनगर में वाद संख्या 876/2022, सुमित कुमार आदि बनाम नोएडा, विचाराधीन पाया गया है। जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2023 को स्थगन आदेश पारित किये गये हैं। उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 14.09.2023 नियत है। इसके अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बरों पर मा० जिला न्यायालय, गौतमबुद्धनगर में कोई वाद लम्बित नहीं पाया गया है। तद् विभाग अपने स्तर से भी परीक्षण करने का कष्ट करें।

LA

कृपया पृष्ठ 2/N पर विभागीय आख्या के दृष्टिगत मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद भूलेख पटल की रिपोर्ट पृष्ठ 25/C पर संलग्न कर दी गई है। मा० जिला न्यायालय गौतमबुद्धनगर की भी रिपोर्ट सम्बन्धित विधि अधिकारी द्वारा पृष्ठ 3/N पर अंकित कर दी गई है। विभाग तद्नुसार अवगत होना चाहें। पत्रावली विभाग को वापस भेजना चाहें।

28/8/23 LVD
L.A.

CLA

Chief Legal Advisor
NOIDA

OSD(A)/(Land)

विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

L. Vinay
01/9/23
OSD(L)

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

Notice -723, 724, 728, 732, 733, 734, 748, 479, 750, 751, 752

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(ध्वस्तीकरण नोटिस)

पत्रांक - नौएडा/व0प्र0/व0स0-8/नोटिस/2023/2502
दिनांक ...2-|10|2023

सेवा में,

श्री ऋषि अहान तिवारी पुत्र-मुक्त
श्री इकबाल चौधरी व अन्य

एवम्
अन्य OCCUPIER/ हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो तो)

आप द्वारा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सलारपुर खादर परगना व तहसील दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित खसरा संख्या-723, 724, 728, 732, 733, 734, 748, 749, 750, 751, 752 की भूमि पर आप द्वारा नौएडा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना कॉलोनिया/प्लाट काटकर अनाधिकृत निर्माण कराया जा रहा है। उक्त अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण से नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की अनुमति बिना किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी/प्लाट काटना/अनाधिकृत निर्माण अनुमन्य नहीं है।

उल्लेखनीय है कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण प्रतिबंधित होने के सम्बन्ध में समय समय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं स्थलों पर लगवाये गये चेतावनी/नोटिस बोर्डों के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार जनसामान्य को सचेत करने हेतु कराया जाता रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर कराये जा रहे अनाधिकृत निर्माण के निकट ही नौएडा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक सुस्पष्ट नोटिस बोर्ड स्थापित है, जिसमें अनाधिकृत निर्माण न करने हेतु स्पष्ट जन-सूचना /चेतावनी अंकित है। इसके बावजूद आप उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण में संलिप्त हो रहे हैं। अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 की धारा-10 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि:-

10. If it appears to the Authority that the condition or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper planning of, or the amenities in any part of the industrial development area of the interests of the general public there, it may serve on the transferee or occupier of that site of building a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain in it in such manner as may be specified therein and in case such transferee of occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter the Authority man itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier.

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित की गयी याचिका सं0 54217/14 सतराम व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2014 को पारित आदेश को भी उद्धृत किया जाना समीचीन है, जिसका सारवान अंश निम्नवत् है-

We are the considered opinion that no purpose would be served by keeping the writ petition pending.
The present writ petition in disposed of by providing as follows:

(a) It shall be open to the NOIDA authority to ensure that no unauthorized constructions are raised over any plot within its territory.
(b) If there are any existing constructions, demolition thereof shall not be made without following the provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 and the rules and regulations applicable.
(c) This order shall not entitle the petitioners to raise any unauthorized construction without getting a map sanctioned from the NOIDA....... "

नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं अन्य उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है, फिर भी आपके व अन्य हितबद्धक्ष (यदि कोई हो) द्वारा नौएडा प्राधिकरण की भूमि पर अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा संख्या- 723, 724, 728, 732, 733, 734, 748, 749, 750, 751, 752 की भूमि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र की भूमि है। प्रश्नगत् अनाधिकृत/अवैध निर्माण से नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जबकि नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये/नक्शा पास कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है। अतः प्रश्नगत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध एवं अनाधिकृत है। अतएव एतद्द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाता है कि आप प्रश्नगत अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को 07 दिनों के अन्दर स्वयं हटा लें अन्यथा अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिये समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण/सील करने की कार्यवाही नौएडा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति आप से ही की जायेगी। इसके साथ ही यदि उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के संबंध में आपको कोई लिखित उत्तर देना हो तो आप 07 दिनों के अन्दर अपना पक्ष वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-08, सेक्टर- 19, नौएडा के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि 07 दिनों के अन्दर आप अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार उपरोक्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

वरिष्ठ प्रबंधक
वर्क सर्किल-8, नौएडा

विशेष कार्याधिकारी (डी.पी.)
भूलेख, नौएडा

प्रतिलिपिः-

1). विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) महोदय को सादर सूचनार्थ।
2). नगर मजिस्ट्रेट/थानाध्यक्ष, सेक्टर-39, नौएडा को इस आशय से कि उक्त खसरा नम्बर पर अनाधिकृत निर्माण न होने दें।
3). उप महाप्रबन्धक (सिविल) महोदय को सादर सूचनार्थ।

वरिष्ठ प्रबंधक
वर्क सर्किल-8, नौएडा

विशेष कार्याधिकारी (डी.पी.)
भूलेख, नौएडा

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

Notice -723, 724, 728, 732, 733, 734, 748, 479, 750, 751, 752

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

अंतिम नोटिस

पत्रांक - नौएडा/नोटिस/व0प्र0(व0स0-08)/2024/..728
दिनांक.16/4/2024

सेवा में,

श्री ऋषि अवाना निवासी ग्राम भूड़ा
इकबाल चौधरी व अन्य
जनपद- गौतमबुद्धनगर।

एवम्

अन्य OCCUPIER/ हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो)

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम सालारपुर खादर परगना व तहसील दादरी जनपद-गौतमबुद्धनगर, स्थित खसरा संख्या- 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 748, 749, 750, 751, 752 की भूमि पर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना बहुमंजिला इमारत का निर्माण/ प्लाटिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। आप द्वारा किये गये/ किये जा रहे अवैध निर्माण को वर्क सर्किल- 08 के सहा0 प्रबंधक, श्री लोकेश शर्मा एवं भूलेख विभाग के क्षेत्रीय लेखपाल श्री विनय कुमार द्वारा रूकवाया गया था, किन्तु आप द्वारा अवैध निर्माण रोका नहीं गया गया है, निर्माण कार्य लगातार जारी है। प्रश्नगत अर्जित भूमि नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है, आप द्वारा नौएडा प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया/ किया जा रहा था। उक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को स्वयं हटाने के संबंध में आपको प्राधिकरण की ओर से नोटिस संख्या- नौएडा/नोटिस/व0प्र0(व0स0-08)/2023/2502, दिनांक 12.10.2023 निर्गत किया गया था।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.10.2023 को निर्गत नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण प्रतिबंधित होने के संबंध में समय-समय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं स्थल पर लगवाये गये चेतावनी/नोटिस बोर्डों के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना का प्रचार- प्रसार जनसामान्य को सचेत करने हेतु कराया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर कराये जा रहे अनधिकृत निर्माण के निकट ही नौएडा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक सुस्पष्ट नोटिस बोर्ड स्थापित है, जिसमें अनधिकृत निर्माण न करने हेतु स्पष्ट जन-सूचना/चेतावनी अंकित है, इसके बावजूद आप उपरोक्त अनधिकृत निर्माण में संलिप्त हो रहे हैं।

उल्लिखित करना है कि इसी प्रकार के अन्य मामले में मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-54217/2014, रूपराम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 का सारवान अंश भी उद्धृत किया जाना समीचीन है, जिसमें निम्नवत आदेश पारित किया गया-

"Petitioner have approached this Court by means of the present writ petition alleging that the NOIDA authority is trying to demolish the constructions which are standing over plot No. 680 and 681M.

According to the petitioners the plots have neither been acquired nor there is any other legal justification for the NOIDA to take possession of the plots. Therefore, he has prayed for a mandamus commanding the respondents not to demolish the constructions standing over plot No.680 and 681M situate in village-Gulawali, pargana-Dankaur, district-Gautam Budh Nagar.

In pursuance to the order of the Court counsel for the NOIDA has filed a short counter affidavit and in paragraph 6 it has been stated that there is no Abadi or structure over khasra No. 680 and 681M. The petitioner wants to raise unauthorized colony. It has been then stated that both plots are within the limit of NOIDA authority and therefore no constructions can be raised within the territory of the NOIDA without getting a map duly sanctioned under the U.P. Industrial Area Development Act, 1976. There is no attempt on behalf of the NOIDA to take possession of the land in question. Counsel for the petitioners submits that the constructions, which are standing on the said plots, are very old and they are in existence since prior to the constitution of NOIDA authority. We are of the considered opinion that no purpose would be served by keeping the writ petition pending. The present writ petition is disposed of by providing as follows:

(a) It shall be open to the NOIDA authority to ensure that no unauthorized constructions are raised over any plot within its territory.

(b) If there are any existing constructions, demolition thereof shal not be made without following the provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 and the rules and regulations applicable.

(c) This order shall not entitle the petitioners to raise any unauthorized construction without getting a map sanctioned from the NOIDA."

नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/ प्रावधानों एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 की सुसंगत धाराओं के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है, फिर भी आपके व अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा नौएडा प्राधिकरण की भूमि पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण किया गया है।

श्री ऋषि अवाना निवासी ग्राम भूड़ा व इकबाल चौधरी व अन्य लोगों द्वारा किये गये अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 12.10.2023 को जारी नोटिस के जवाब में अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपने प्रत्यावेदन में उपरोक्त किये गये/ किये जा रहे निर्माण के संबंध में भवन नियमावली के वर्णित प्रावधानों एवं नक्शा स्वीकृति के संबंध में तथा प्राधिकरण से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम सलारपुर खादर स्थित खसरा संख्या- 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 748, 749, 750, 751, 752 की भूमि नौएडा की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि है। प्रश्नगत् अनधिकृत/अवैध निर्माण से नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जबकि नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/ प्रावधानों एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है। अतः प्रश्नगत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध एवं अनधिकृत है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री ऋषि अवाना निवासी ग्राम भूड़ा व इकबाल चौधरी व अन्य लोगों को इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये नोटिस दिनांक 12.10.2023 को अंतिम किया जाता है। इसके साथ ही आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत अर्जित भूमि पर से आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा किये गये अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से 07 दिन के अन्दर स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण/ सीलिंग की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिसपर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसंबंधित से ही की जायेगी।

तहसीलदार
नौएडा

वरिष्ठ प्रबंधक
वर्क सर्किल-8, नौएडा

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. थानाध्यक्ष सैक्टर- 39 को इस आशय के साथ कि उपरोक्त खसरों की भूमि पर अवैध/ अनधिकृत निर्माण न होने दें।
3. पुलिस निरीक्षक, सैक्टर- 06 को इस आशय के साथ कि उपरोक्त खसरों की भूमि पर अवैध/ अनधिकृत निर्माण न होने दें।

तहसीलदार
नौएडा

वरिष्ठ प्रबंधक
वर्क सर्किल-8, नौएडा

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

विक्रय न करने हेतु अखबारों में विज्ञापन का पत्र एवं ड्राफ्ट

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–8
सैक्टर–19 नौएडा

पत्रांक नौएडा/वरि०प्रब०(व०स०–08)/2023/ 2937
दिनांक 15/12/2023

प्रबंधक (प्रचार प्रसार)
नौएडा।

विषय : सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि सैक्टर–82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143ए, 143बी, 144, ग्राम– सलारपुर, हाजीपुर, गेझा, भंगेल, गढ़ी व शहदरा मे विभिन्न विकास एव अनुरक्षण कार्य वर्क सर्किल–08 द्वारा कराये जा रहे। कार्यो के सम्पादन के दौरान सज्ञानित हो रहा है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों / माफियो द्वारा सैक्टरो एव ग्रामो के साथ स्थित भूमि जोकि नौएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है, पर प्लाटिग करते हुए आम जनमानस को विक्रय कर दी जाती है, जोकि प्राधिकरण के नियमो के पूर्णत विपरीत है।

अत अनुरोध है कि पत्र के साथ सलग्न किये गये सार्वजनिक सूचना को 2 अलग–अलग समाचार पत्रों (एक हिन्दी व एक अंग्रेजी संस्करणों) में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

ह० 15-12-23
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–8, नौएडा

प्रतिलिपि :
1. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के.) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. उप महाप्रबन्धक (सिविल) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक/अवर अभियताओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ह०
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–8, नौएडा

NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

Work Circle-8, Sector-19, Noida, UP

PUBLIC NOTICE

The general public is informed that land along / nearby Sector- 82, 91, 92, 93, 93A, 93B, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143A, 143B, 144, Village Salarpur, Haripur, Bhangel, Gejha, Garhi and Shahdara which is notified land of Noida Authority, is being sold to general public by some unknown persons by doing plotting, which is completely contrary to the rules of the authority.

Therefore, the general public is warned not to purchase any land without examining the verified documents issued by the authority, so that the general public does not suffer any financial loss.

With Permission

Senior Manager
Work Circle-8, Noida

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–8

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सैक्टर–82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143ए, 143बी, 144, ग्राम– सलारपुर, हाजीपुर, गेझा, भंगेल, गढ़ी व शहदरा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों / माफियो द्वारा सैक्टरो एव ग्रामो के साथ स्थित भूमि जोकि नौएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है, पर प्लाटिंग करते हुए आम जनमानस को विक्रय कर दी जाती है, जोकि प्राधिकरण के नियमों के पूर्णत विपरीत है।

अत आमजनमासन को चेतावनी दी जाती है कि बिना प्राधिकरण द्वारा जारी सत्यापित प्रपत्रो का परीक्षण करते हुए किसी भी भूमि को क्रय नही करें, जिससे आमजनमानस को कोई वित्तीय हॉनि नही पहुँच सके।

आज्ञा से

वरिष्ठ प्रबंधक
वर्क सर्किल–8, नौएडा

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

विक्रय न करने हेतु अखबारों में विज्ञापन

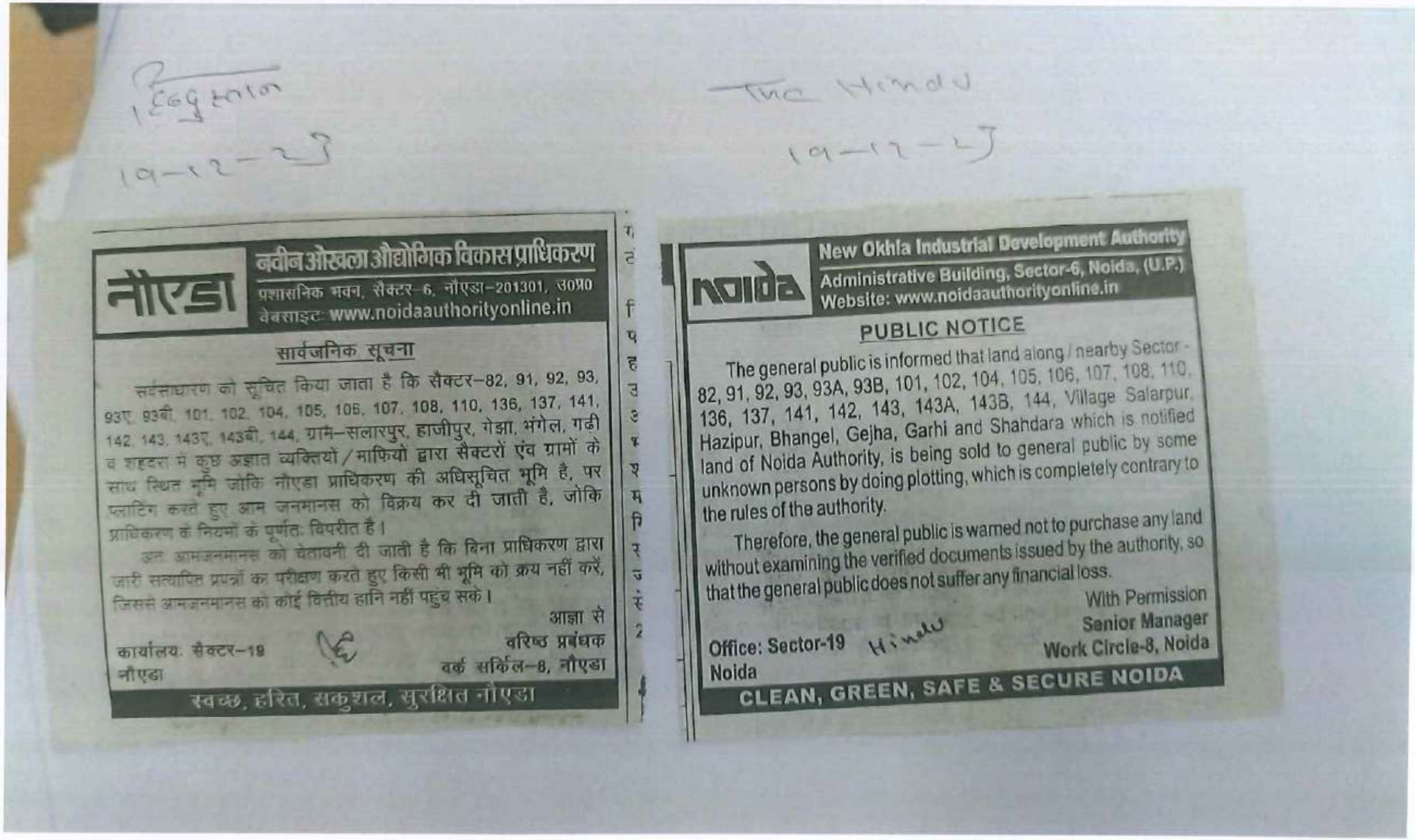

हिन्दुस्तान
19-12-23

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा-201301, उ0प्र0
वेबसाइट: www.noidaauthorityonline.in

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सैक्टर-82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143ए, 143बी, 144, ग्राम-सलारपुर, हाजीपुर, गेझा, भंगेल, गढ़ी व शहदरा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों / माफियों द्वारा सैक्टरों एंव ग्रामों के साथ स्थित भूमि जोकि नौएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है, पर प्लाटिंग करते हुए आम जनमानस को विक्रय कर दी जाती है, जोकि प्राधिकरण के नियमों के पूर्णतः विपरीत है।

अतः आमजनमानस को चेतावनी दी जाती है कि बिना प्राधिकरण द्वारा जारी सत्यापित प्रपत्रों का परीक्षण करते हुए किसी भी भूमि को क्रय नहीं करें, जिससे आमजनमानस को कोई वित्तीय हानि नहीं पहुंच सके।

आज्ञा से
वरिष्ठ प्रबंधक
वर्क सर्किल-8, नौएडा

कार्यालय: सैक्टर-19
नौएडा

स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा

The Hindu
19-12-23

New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida, (U.P.)
Website: www.noidaauthorityonline.in

PUBLIC NOTICE

The general public is informed that land along / nearby Sector - 82, 91, 92, 93, 93A, 93B, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143A, 143B, 144, Village Salarpur, Hazipur, Bhangel, Gejha, Garhi and Shahdara which is notified land of Noida Authority, is being sold to general public by some unknown persons by doing plotting, which is completely contrary to the rules of the authority.

Therefore, the general public is warned not to purchase any land without examining the verified documents issued by the authority, so that the general public does not suffer any financial loss.

With Permission
Senior Manager
Work Circle-8, Noida

Office: Sector-19
Noida

Hindu

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

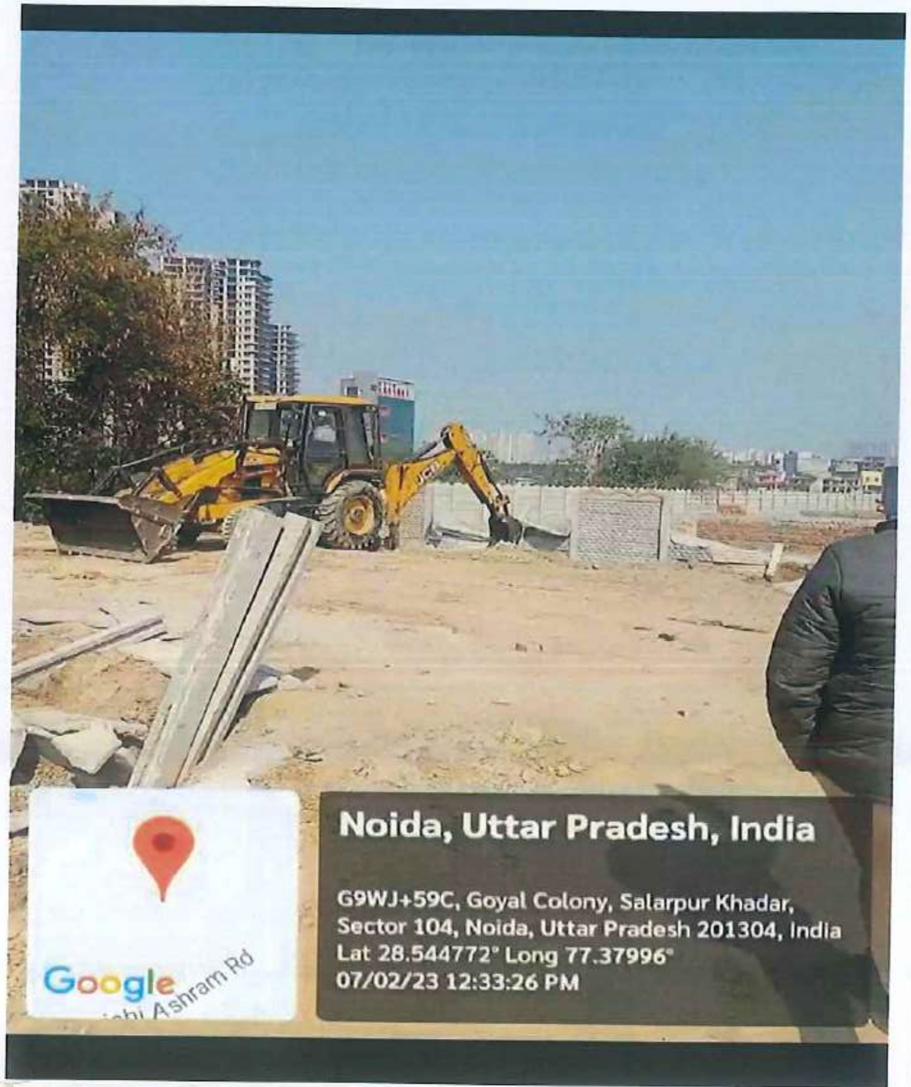

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

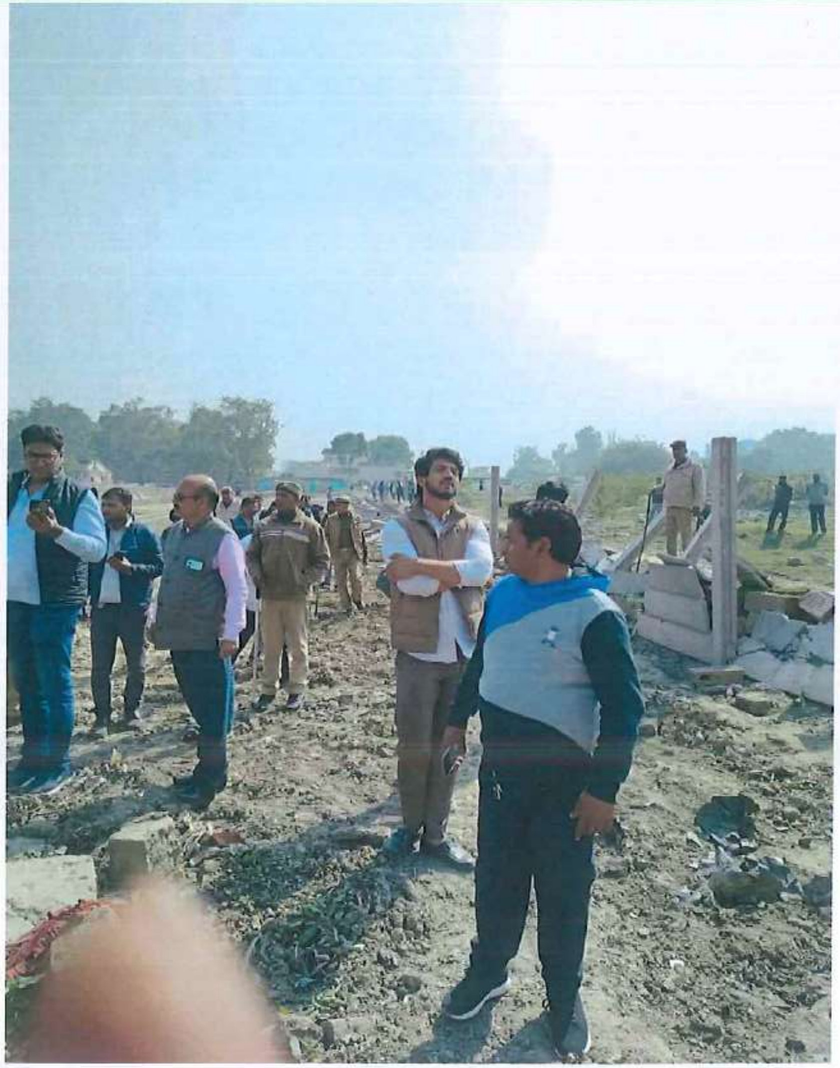

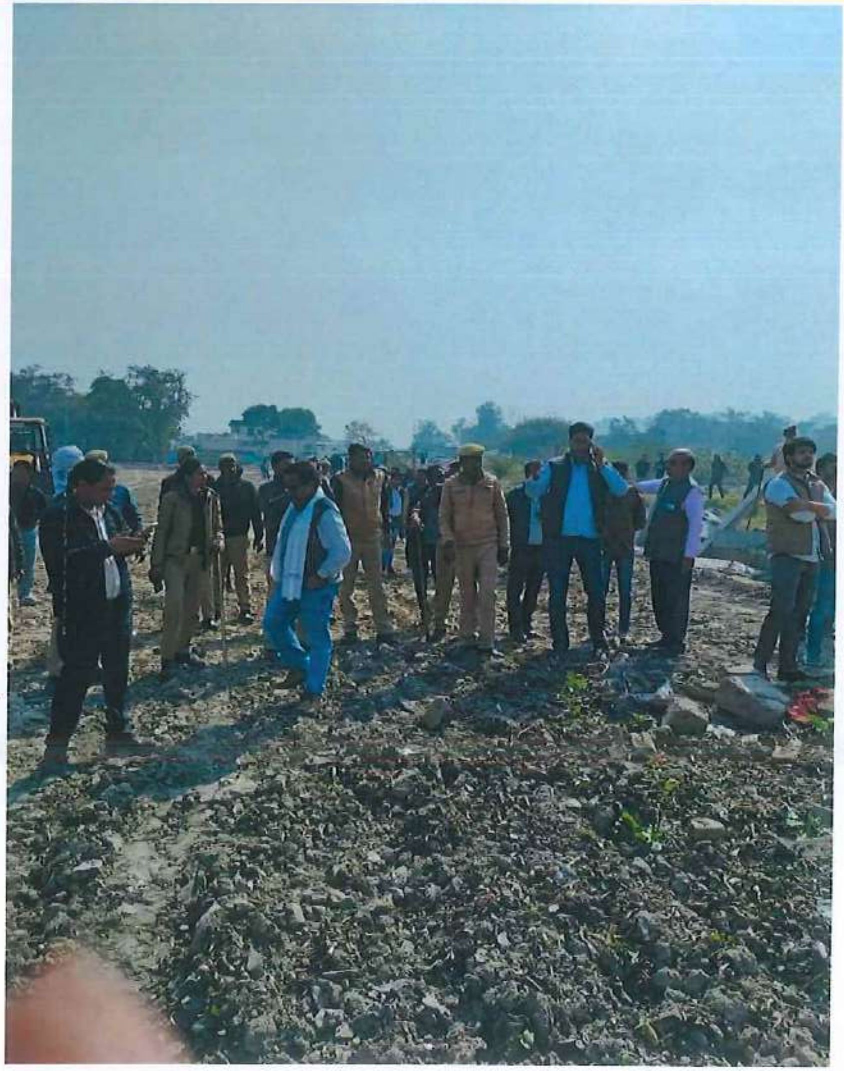

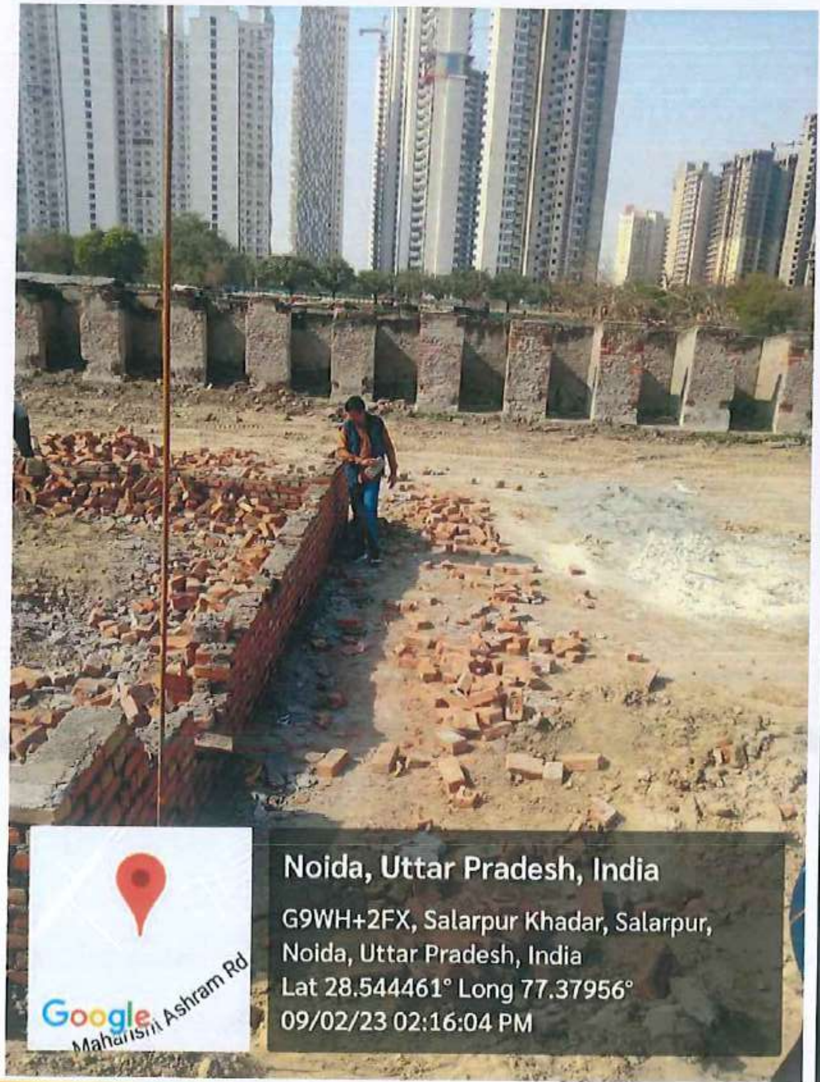
Noida, Uttar Pradesh, India
G9WH+2FX, Salarpur Khadar, Salarpur, Noida, Uttar Pradesh, India
Lat 28.544461° Long 77.37956°
09/02/23 02:16:04 PM
Google
Maharishi Ashram Rd

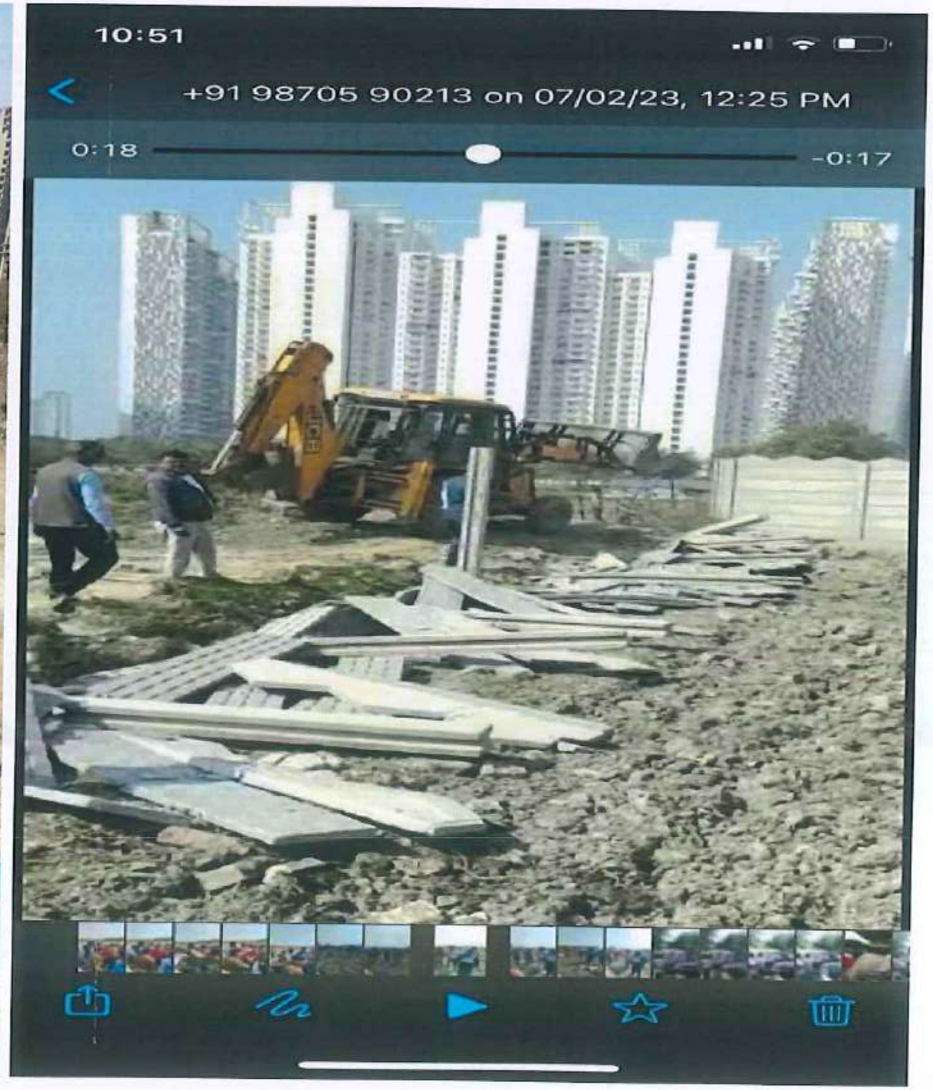
10:51
+91 98705 90213 on 07/02/23, 12:25 PM
0:18
-0:17

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

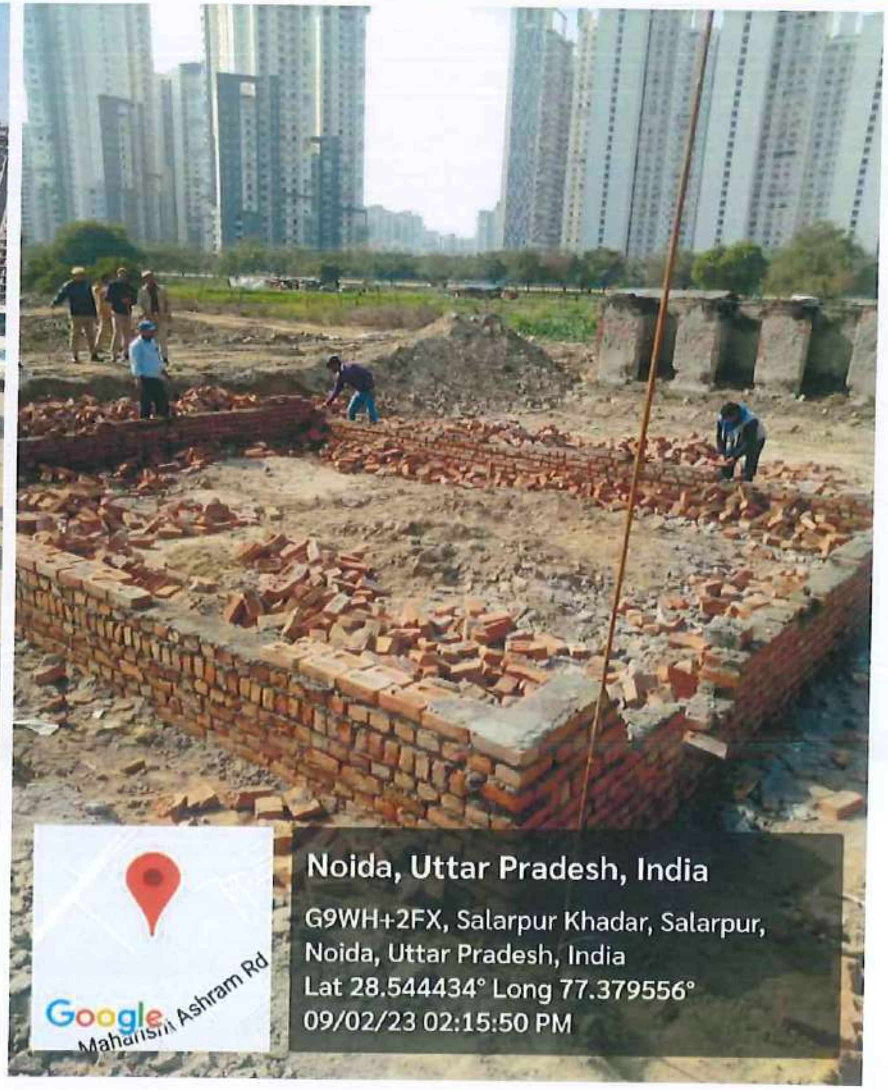

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

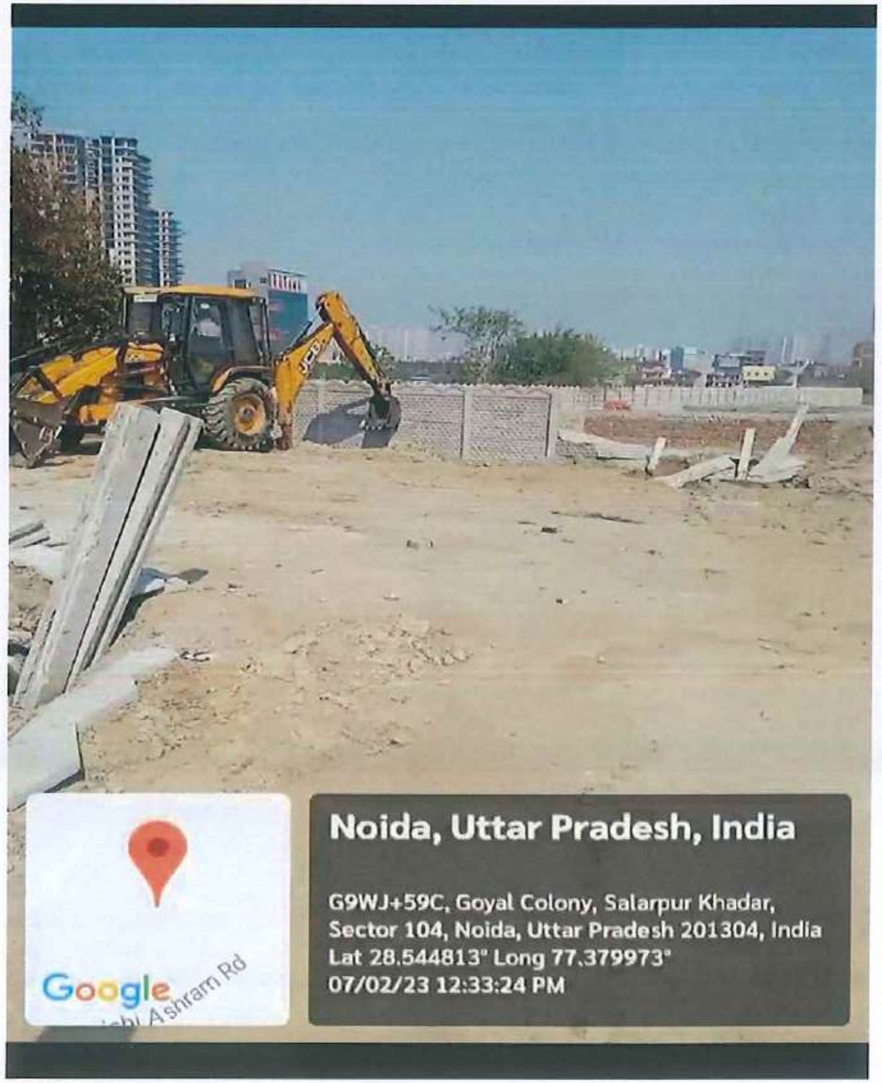

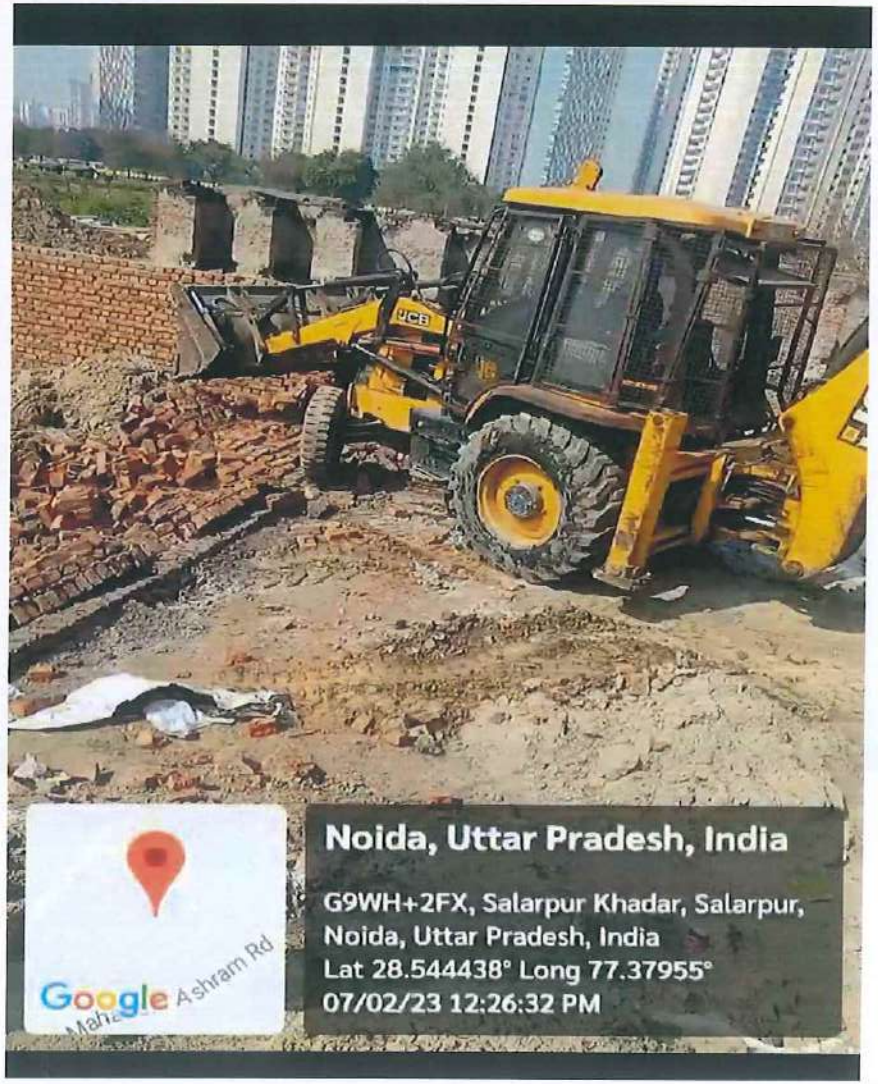

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

225, Notice

ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
वर्क सर्किल-8 सैक्टर-19, नौएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर

पत्रांक - नौएडा/नोटिस/व0प्र0 (व.स.-8)/2023/......
दिनांक......

ध्वस्तीकरण नोटिस

सेवा में,

धर्मा प्रतिष्ठानम पता 121 फर्स्ट फ्लोर डी0एल0एफ0 गैलेरिया मयूर विहार फेस-1 दिल्ली द्वारा अनुज गौर पुत्र श्री राम सिंह शर्मा नि0 सी-218 सूरजमल विहार दिल्ली-110092, व मनीश जैन (मो0नं0 7827301404)

मै0 बिल्डलोपर्स इण्डिया प्रा.लि. डायरेक्टर श्री आशीष पाठक पुत्र श्री जी.पी. पाठक, नि0 937, सेकेण्ड फ्लोर नीतिखण्ड 1 इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

मै0 अदबैत्या कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 प्लॉट नं0 3 बी, ग्राम-हाजीपुर, नौएडा द्वारा श्री अजय अरोरा पुत्र पी0पी0 अरोरा, नि0 ए-501 पांचवा फ्लोर प्रिन्सटाईन एवेन्यू गौर सिटी-2, ग्रेटर नौएडा।

एवम्
अन्य OCCUPIER/ हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो)

आप द्वारा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम-भंगेल बेगमपुर, परगना व तहसील-दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर स्थित खसरा संख्या-225 की भूमि पर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध एवं अनधिकृत रूप से प्लाटिंग/निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपके द्वारा किये जा रहे अवैध एवं अनधिकृत प्लॉटिंग/निर्माण वर्क सर्किल-8 के सहा0 प्रबंधक एवं लेखपाल, नौएडा द्वारा रूकवाया गया था किन्तु आप द्वारा अवैध निर्माण कार्य को रोका नहीं गया है।

उल्लेखनीय है कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण प्रतिबंधित होने के संबंध में समय-समय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं स्थल पर लगवाये गये चेतावनी/ नोटिस बोर्डों के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार जनसामान्य को सचेत करने हेतु कराया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर कराये जा रहे अनधिकृत निर्माण के निकट ही नौएडा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक सुस्पष्ट नोटिस बोर्ड स्थापित है, जिसमें अनधिकृत निर्माण न करने हेतु स्पष्ट जन-सूचना/चेतावनी अंकित है। इसके बावजूद आप उपरोक्त अनधिकृत निर्माण में संलिप्त हो रहे हैं।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी याचिका संख्या-54217/14, रमराम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2014 को आदेश पारित किए गए हैं, जिसका सारवान अंश निम्नवत् है -

"........We are the considered opinion that no purpose would be served by keeping the writ petition pending. The present writ petition is disposed of by providing as follows.

(i) It shall be open to the NOIDA authority to ensure that no unauthorised constructions are raised over any plot within its territory.

(ii) If there are any existing constructions, demolition thereof shall not be made without following the provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 and the rules and regulations applicable.

(iii) This order shall not entitle the petitioners to raise any unauthorised construction without getting a map sanctioned from the NOIDA...."

इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त याचिका में अपने आदेश दिनांक 03.11.2014 में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि नौएडा प्राधिकरण, नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार का अवैध एवं अनधिकृत निर्माण न हो, साथ ही यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल एरिया डेवेलपमेंट एक्ट, 1976 में निहित प्राविधानों के अनुसार ऐसे अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

चूंकि वर्तमान में प्रचलित एवं उपरोक्तानुसार वर्णित प्राविधानों और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 का उल्लंघन करते हुये आप द्वारा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कराया/किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त सार्वजनिक सूचनाओं के अतिरिक्त अब एतद्द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाता है कि आप प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण तत्काल बन्द कर दें तथा अब तक किये गये अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को एक सप्ताह के

ध्वस्तीकरण/सील करने की कार्यवाही नौएडा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति आप से ही की जायेगी।

इसके साथ ही यदि उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के संबंध में कोई लिखित उत्तर देना चाहते हो तो आप नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर ही अपना पक्ष वरि0 प्रबंधक, वर्क सर्किल-8, सैक्टर-19, नौएडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि एक सप्ताह में आप अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार उपरोक्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरि0 प्रबंधक
वर्क सर्किल-8, नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. विशेष कार्याधिकारी (डी.) महोदय को सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक (सिविल) को सूचनार्थ।
3. थानाध्यक्ष, थाना-सेक्टर-39, नौएडा को इस आशय से कि उक्त खसरा नम्बर पर अनधिकृत निर्माण न होने दें।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-8, नौएडा।

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

FIR

(7)

कार्यालय परियोजना अभियन्ता

वर्क सर्किल-8, सैक्टर-19, नौएडा

पत्रांक - नौएडा/प0प्र0/ (व0स0-8) /2022/1.58।
दिनांक....14/11/2022

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
थाना सेक्टर-39,
नौएडा

विषयः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत करना है कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम भंगेल बेगमपुर स्थित खसरा संख्या-228, जो सैक्टर-104 के अंतर्गत आती है। उक्त भूमि पर श्री राहुल बंसल पुत्र देवराज बंसल, नि0 सी-58, सेक्टर-40, नोएडा व कमलकिशोर शर्मा, नि0-242ए, सुपर एमआईजी फ्लैट, सेक्टर-93, जनपद-गौतमबुद्धनगर व अन्य द्वारा अवैध एवं अनधिकृत रूप निर्माण किया जा रहा है। उक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को रूकवाने का भूलेख विभाग एवं वर्क सर्किल विभाग के स्तर पर कई बार प्रयास किया गया है, परन्तु उक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कार्य को नही रोका जा रहा है। उक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण से नौएडा का सुनियोजित विकास कुप्रभावित हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के विरूद्ध "Uttar Pradesh Prevention of damage to public property act 1984" एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(महेश कुमार) लेखपाल नौएडा 9205691627	4/4/22 (आदेश त्यागी) अवर अभियन्ता, व0स0-8, नौएडा 9810776331

प्रतिलिपि -

1. वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-8/डिप्टी कलेक्टर, नौएडा को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस निरीक्षक, नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

लेखपाल नौएडा	4/4/22 अवर अभियन्ता, व0स0-8, नौएडा

(42)

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्

वर्क सर्किल-8

वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड, सैक्टर-19 नौएडा

पत्रांक-नौएडा/व.प्र.(व0स0-08)/2022..2650
दिनांक- 9/12/2022

थानाध्यक्ष
सैक्टर-39, नौएडा।

विषयः- सैक्टर-104, ग्राम-भंगेल बेगमपुर के खसरा सं0-225 व 226 की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि ग्राम-भंगेल बेगमपुर के खसरा सं0-225 व 226 की भूमि पर प्राधिकरण की बिना अनुमति प्राप्त किये मनीष जैन(मो0नं0-7827301404) आदि द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। उक्त भूमि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र की भूमि है। उक्त अवैध निर्माण को लेखपाल एवं अवर अभियन्ता की संयुक्त टीम द्वारा रोका गया किन्तु अतिक्रमणकर्ता द्वारा देर-सवेर अवैध/अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है, जिससे नौएडा का सुनियोजित विकास प्रभावित हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे अतिक्रमणकर्ता द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति न की जाये।

08/12/2022 (महेश कुमार) लेखपाल भूलेख विभाग, नौएडा मो0नं0-9205691627	08/12/22 (आदेश त्यागी) अवर अभियन्ता वर्क सर्किल-08, नौएडा मो0नं0-9810776331	08/12/22 (लोकेश शर्मा) अवर अभियन्ता वर्क सर्किल-08, नौएडा मो0नं0-9999698384

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कार्याधिकारी(भूलेख) महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. डिप्टी कलेक्टर(भूलेख) महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-08 महोदय को सादर सूचनार्थ।

08/12/2022 लेखपाल भूलेख विभाग, नौएडा	08/12/22 अवर अभियन्ता वर्क सर्किल-08, नौएडा	08/12/22 अवर अभियन्ता वर्क सर्किल-08, नौएडा

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

ग्राम :– भंगेल, खसरा संख्या :–225, 226

कम संख्या	विवरण	कार्यवाही
1	ध्वस्तीकरण नोटिस	468, 27.02.2023 469, 27.02.2023 पत्रांक सं0 387 दिनांक 15.02.2023 पत्रांक सं0 314 दिनांक 06.02.2023 पत्रांक सं0 2126 दिनांक 18.10.2022 पत्रांक सं0 1945 दिनांक 27.09.2022, पत्रांक सं0 1944 दिनांक 27.09.2022
2	एफ.आई.आर. दिनांक	नौएडा/व0प्र0(व0स0.8)/2024/345 दि. 26.02.2024 नौएडा/व0प्र0(व0स0.8)/2024/151 दि. 24.01.2024 नौएडा/व0प्र0(व0स0.8)/2023/426 दि. 22.02.2023 नौएडा/व0प्र0(व0स0.8)/2022/2640, 09.12.2022 नौएडा/व0प्र0(व0स0.8)/2022/447, 04.04.2022 नौएडा/व0प्र0(व0स0.8)/2024/1168 दि. 05.07.2024
3	ध्वस्तीकरण की अनुमति दिनांक	21.12.2022
4	कार्यवाही	वर्तमान में पुनः ध्वस्तीकरण/सीलिंग की कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित किये जाने हेतु पत्रावली गतिमान है।
5	अवैध निर्माण को रोकने हेतु कार्यवाही	वर्क सर्किल द्वारा दिनांक 26.12.2023 को अवैध निर्माण/अतिक्रमण को रोकने की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

ध्वस्तीकरण की अनुमति

टिप्पणी

पेज संख्या—11

विषय— सैक्टर–104 से सटे महर्षि आश्रम की ग्राम भंगेल बैगमपुर की भूमि पर अवैध निर्मित हाईटेक होम्स ब्रहम निवास सोसाईट एवं उसके पास बनाई जा रही दूसरी अवैध इमारत के सम्बंध में।

कृपया मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के सम्मुख संलग्न पत्र संख्या नोएडा/मु.का.अ./2022/2109, दिनांक 08.12.2022 एवं इस पत्र के साथ संलग्न महर्षि आश्रम की ग्राम भंगेल बैगमपुर की भूमि पर हाईटेक होम्स ब्रहम निवास सोसाईटी के निवासियों के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि हाईटेक होम्स ब्रहम निवास सोसाईटी के निवासियों के द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके बिल्डर आलोक पाठक एवं अमन सोलंकी के द्वारा हाईटेक होम्स ब्रहम निवास सोसाईटी के निवासियों को इस सोसाईटी के घर भविष्य में पास में बनने वाली ईमारत व उक्त ईमारत के बीच में 10 फिट की दूरी बता कर बेचे थे। वर्तमान में जो ईमारत हाईटेक होम्स ब्रहम निवास सोसाईटी के बराबर में बनाई जा रही है, उसके व हाईटेक होम्स ब्रहम निवास सोसाईटी के बीच की दूरी शून्य है।

उक्त प्रकरण के सम्बंध में अवगत कराना है कि उपरोक्त भूमि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि है। प्राधिकरण की नीति के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र की गैर कब्जा प्राप्त भूमि पर भी नोएडा प्राधिकरण की बिना अनुमति के निर्माण किया जाना अवैध है।

अतः उपरोक्त हाईटेक होम्स ब्रहम निवास सोसाईटी, वर्ष–2019 के पूर्व से अवैध रूप से बनी हुई ईमारत है।

वर्तमान में उक्त अवैध ईमारत से सटा कर जो अवैध ईमारतें बनाई जा रही हैं वे महर्षि आश्रम की ग्राम–भंगेल बैगमपुर के खसरा संख्या 225 व 226 में पड़ती हैं, जिन पर अतिक्रमणकर्ता बिक्रान्त दुग्गल व नेपाल हवान के विरूद्ध ध्वस्तीकरण हेतु नोटिस दिनांक 18.04.2022 को (एन–2) एवं अन्तिम ध्वस्तीकरण का नोटिस दिनांक 27.09.2022 को (एन–8) लगाया जा चुका है। वर्तमान में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु मुलेख विभाग से दिनांक 08.12.2022 को (एन–10) पत्रावली वर्क सर्किल को प्राप्त हुई है। पुलिस बल का आंकलन करते हुए शीघ्र ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जानी है। इसके अतिरिक्त उक्त निर्माणाधीन ईमारतों के आगे खसरा संख्या 225 व 226 में ही एक और अन्य ईमारत निर्माणाधीन है, जो मनीष जैन के द्वारा बनायी जा रही है। जिसके विरूद्ध दिनांक 09.12.2022 को प्राथमिकि दर्ज करने हेतु सम्बंधित थाना अध्यक्ष को सूचित कर दिया गया है। जिसकी प्रतिलिपि सम्मुख पृष्ठ संख्या सी– 42 पर संलग्न है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत महर्षि आश्रम की ग्राम–भंगेल बैगमपुर के खसरा संख्या 225 व 226 पर हाईटेक होम्स ब्रहम निवास सोसाईटी सहित समस्त पूर्व निर्मित अवैध ईमारतों एवं समस्त निर्माणाधीन ईमारतों को ध्वस्त किये जाने की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली सादर प्रेषित है। उक्त की स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया है।

(लोकेश रावी) अवर अभियन्ता — (अरूण वर्मा) अवर अभियन्ता — (आदेश त्यागी) अवर अभियन्ता — (बिशुन दयाल) अवर अभियन्ता 14.12.22

(रोहित सिंह) प्रबन्धक — (विश्वास कुमार त्यागी) वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल–8)

83 14/12/2022

उप महाप्रबन्धक (सिविल)

उप महाप्रबन्धक (सिविल) नौएडा

6559 19/12/22

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एन)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एन) नोएडा

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1151 16/12/22

4763 20/12/22

21/12

Chief Executive Officer NOIDA

1670 21/12/22

उप महाप्रबन्धक (सिविल)

1151

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

(34)

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरि० प्रबंधक वर्क सर्किल-8, सैक्टर-19, नौएडा

पत्रांकः- नौएडा/व०प्र०/व०स०-08/22/...1945
दिनांक 27/9/2022

ध्वस्तीकरण हेतु अन्तिम नोटिस

विकान्त दुग्गल पुत्र बलदेव दुग्गल,
नि0-7ए, गली नं0-3, नियर शिव कला मन्दिर, रामनगर,
कृष्ण नगर दिल्ली-51।

एवम्

अन्य OCCUPIER / हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो)

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-भंगेल बेगमपुर परगना व तहसील-दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित खसरा संख्या-225 की भूमि पर नोएडा की अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया/किया जा रहा है। उक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को स्वंय हटाने के संबंध में आप को इस कार्यालय द्वारा डिप्टी कलेक्टर, नौएडा एवं वरि० प्रबंधक वर्क सर्किल-08, नौएडा के संयुक्त हस्ताक्षर से नोटिस सं0 नौएडा/नोटिस/व०प्र०/(व०स०-08)/2022/542, दिनांक 18.04.2022 को निर्गत किया गया था।

उपरोक्त नोटिस में यह भी कहा गया था कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण प्रतिबन्धित होने के संबंध में समय-समय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं स्थलों पर लगाये गये चेतावनी/नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार जन सामान्य को सचेत करने हेतु कराया जाता रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर किये गये अनधिकृत निर्माण के निकट ही नौएडा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक सुस्पष्ट नोटिस बोर्ड स्थापित है, जिसमें अनधिकृत निर्माण न करने हेतु स्पष्ट जनसूचना/चेतावनी अंकित है। इसके बावजूद आप द्वारा उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कर लिया गया।

नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं अन्य उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है, फिर भी आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा नौएडा प्राधिकरण की भूमि पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण किया गया है। उपरोक्त नोटिस के द्वारा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने की अपेक्षा की गयी थी, अन्यथा की दशा में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को नौएडा प्राधिकरण द्वारा हटाए जाने के संबंध में विधिक कार्यवाही की जायेगी और इसमें होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसम्बन्धित से ही की जानी थी। इसके साथ ही यदि उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के संबंध में सर्वसम्बन्धित एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हों) को कोई लिखित उत्तर देना हो तो नोटिस के जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अपना पक्ष वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-08, सैक्टर-19, नौएडा के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था।

उक्त नौएडा प्राधिकरण की ओर से निर्गत नोटिस दिनांक 18.04.2022 के जवाब में आप द्वारा कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त नोटिस के क्रम में अन्य सुसंगत अभिलेखों का विश्लेषण एवं परीक्षण किया गया, जिसमे पाया गया कि आपका एवं अन्य हितबद्धपक्ष का प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण खसरा सं0-225 की भूमि पर है। उल्लिखित करना है कि ग्राम-भंगेल बेगमपुर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-4157 भा3/18-11, दिनाँक 17 अप्रैल, 1976 एवं उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग अनुभाग-11 संख्या-2042 भा3/18-11-123/एन/85 लखनऊ दिनाँक 11.07.1989 द्वारा नौएडा प्राधिकरण का अधिसूचित ग्राम है। प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण से नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जबकि नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है।

(33)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2(डी), धारा-10 एवं मा0 न्यायालय के अन्य सुसंगत प्राविधानो के तहत किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पूर्व नौएडा प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध एवं अनाधिकृत हैं।

अतएव उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आप द्वारा कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया है। इस कार्यालय के नोटिस दिनांक 18.04.2022 को अंतिम किया जाता है। इसके साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि ग्राम-भंगेल बेगमपुर स्थित खसरा सं0-225, जो नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र की भूमि है, पर आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा किये गये अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्वयं हटा लें अन्यथा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण/सीलिंग करने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसम्बन्धित से ही की जायेगी।

पेज की कुल संख्याः 02।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-08, नौएडा।

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कार्याधिकारी (डी.) महोदय को सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक (सिविल.) महोदय को सूचनार्थ।
3. थानाध्यक्ष, थाना-सेक्टर-39, नौएडा को इस आशय से कि उक्त खसरा नम्बर पर अनधिकृत निर्माण न होने दें।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-08, नौएडा।

226 Notice

(46)

नवीन ओखला औ[illegible]कास प्राधिकरण

कार्यालय वरि० प्रबंधक [illegible] सैक्टर-19, नौएडा

पत्रांक - नौएडा/नोटिस/व0स0 (व.स.-8)/2023/..469
दिनांक..22/2/2023..

ध्वस्तीकरण नोटिस

सेवा में,

मै0 पिट्ठू इन्फ्राटेक एल.एल.पी. बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स पता 156ए जयपुरा सनराईज प्लाजा इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा पार्टनर नीरज अग्रवाल पुत्र महेश चन्द्र अग्रवाल, नि0 ग्राम साधवाला खेमगंगा, फरूखाबाद।
मै0 आराजी डवलपर्स द्वारा पार्टनर अशफाक अली वांगरू पुत्र अली मौहम्मद वांगरू प्रथम तल-30 कैलाश हिल्स ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली, तैमूर अजीम पुत्र अब्दुल अजीम, व सतपाल सिंह आदि।

एवम्

अन्य OCCUPIER/ हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो)

आप द्वारा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम-मंगोल बेगमपुर, परगना व तहसील-दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर स्थित खसरा संख्या-226 की भूमि पर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध एवं अनधिकृत रूप से प्लाटिंग/निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपके द्वारा किये जा रहे अवैध एवं अनधिकृत प्लॉटिंग/निर्माण वर्क सर्किल-8 के सहा0 प्रबंधक एवं लेखपाल, नौएडा द्वारा रुकवाया गया था, किन्तु आप द्वारा अवैध निर्माण कार्य को रोका नहीं गया है।

उल्लेखनीय है कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण प्रतिबंधित होने के संबंध में समय-समय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं स्थल पर लगवाये गये चेतावनी/नोटिस बोर्डों के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार जनसामान्य को सचेत करने हेतु कराया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर कराये जा रहे अनधिकृत निर्माण के निकट ही नौएडा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक सुस्पष्ट नोटिस बोर्ड स्थापित है, जिसमें अनधिकृत निर्माण न करने हेतु स्पष्ट जन-सूचना/चेतावनी अंकित है। इसके बावजूद आप उपरोक्त अनधिकृत निर्माण में संलिप्त हो रहे हैं।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी याचिका संख्या-54217/14, रूपराम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2014 को आदेश पारित किए गए हैं, जिसका सारवान अंश निम्नवत् है -

"........We are the considered opinion that no purpose would be served by keeping the writ petition pending. The present writ petition is disposed of by providing as follows.

(a) It shall be upon to the NOIDA authority to ensure that no unauthorized constructions are raised over any plot within its territory.

(b) If there are any existing constructions, demolition thereof shall not be made without following the provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 and the rules and regulations applicable.

(c) This order shall not entitle the petitioners to raise any unauthorized construction without getting a map sanctioned from the NOIDA..."

इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त याचिका में अपने आदेश दिनांक 03.11.2014 में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि नौएडा प्राधिकरण, नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार का अवैध एवं अनधिकृत निर्माण न हो, साथ ही यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, 1976 में निहित प्राविधानों के अनुसार ऐसे अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

चूँकि वर्तमान में प्रचलित एवं उपरोक्तानुसार वर्णित प्राविधानों और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 का उल्लंघन करते हुये आप द्वारा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कराया/किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त सार्वजनिक सूचनाओं के अतिरिक्त अब एतद्द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाता है कि आप प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण तत्काल बन्द कर दें तथा अब तक किये गये अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को एक सप्ताह के अन्दर स्वंय हटा लें अन्यथा अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिये समुचित उपाय [illegible] कार्यवाही नौएडा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने

(46)

इसके साथ ही यदि उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के संबंध में कोई लिखित उत्तर देना चाहते हो तो आप नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर ही अपना पक्ष वरि0 प्रबंधक, वर्क सर्किल-8, सैक्टर-19, नौएडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि एक सप्ताह में आप अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार उपरोक्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरि0 प्रबंधक
वर्क सर्किल-8, नौएडा

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कार्याधिकारी (डी.) महोदय को सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक (सिविल) को सूचनार्थ।
3. थानाध्यक्ष, थाना-सेक्टर-39, नौएडा को इस आशय से कि उक्त खसरा नम्बर पर अनधिकृत निर्माण न होने दें।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-8, नौएडा।

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरि० प्रबंधक वर्क सर्किल-8, सैक्टर-19, नौएडा

पत्रांकः- नौएडा/व0प्र0/व0स0-08/22/..1.7.५.५
दिनांक 2.-२/9/2022

ध्वस्तीकरण हेतु अन्तिम नोटिस

नैपाल डबास पुत्र स्व0 उम्मेद सिंह,
नि0-259, सैक्टर-2 सी वसुन्धरा, गाजियाबाद।

एवम्

अन्य OCCUPIER / हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो)

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-भंगेल बेगमपुर परगना व तहसील-दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित खसरा संख्या-226 की भूमि पर नौएडा की अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया/किया जा रहा है। उक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को स्वंय हटाने के संबंध में आप को इस कार्यालय द्वारा डिप्टी कलेक्टर, नौएडा एवं वरि0 प्रबंधक वर्क सर्किल-08, नौएडा के संयुक्त हस्ताक्षर से नोटिस सं0 नौएडा/नोटिस/व0प्र0/(व0स0-08)/2022/541, दिनांक 18.04.2022 को निर्गत किया गया था।

उपरोक्त नोटिस में यह भी कहा गया था कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण प्रतिबन्धित होने के संबंध में समय-समय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं स्थलों पर लगाये गये चेतावनी/नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार जन सामान्य को सचेत करने हेतु कराया जाता रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर किये गये अनधिकृत निर्माण के निकट ही नौएडा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक सुस्पष्ट नोटिस बोर्ड स्थापित है, जिसमें अनधिकृत निर्माण न करने हेतु स्पष्ट जनसूचना/चेतावनी अंकित है। इसके बावजूद आप द्वारा उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है।

नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं अन्य उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है, फिर भी आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा नौएडा प्राधिकरण की भूमि पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण किया गया है। उपरोक्त नोटिस के द्वारा प्रश्नगत् अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने की अपेक्षा की गयी थी, अन्यथा की दशा में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को नौएडा प्राधिकरण द्वारा हटाए जाने के संबंध में विधिक कार्यवाही की जायेगी और इसमें होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसम्बन्धित से ही की जानी थी। इसके साथ ही यदि उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के संबंध में सर्वसम्बन्धित एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हों) को कोई लिखित उत्तर देना हो तो नोटिस के जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अपना पक्ष वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-08, सेक्टर-19, नौएडा के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था।

उक्त दिनांक 18.04.2022 को नौएडा प्राधिकरण की ओर से निर्गत नोटिस के जवाब में आप द्वारा दिनाँक 28.06.2022 को जवाब/प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया है।

जवाब के क्रम में अन्य सुसंगत अभिलेखों का विश्लेषण एवं परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि आपका एवं अन्य हितबद्धपक्ष का प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण खसरा सं0-226 की भूमि पर है। उल्लिखित करना है कि ग्राम-भंगेल बेगमपुर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-4157 भाउ/18-11, दिनाँक 17 अप्रैल, 1976 एवं उत्तर प्रदेश सरकार उदयोग अनुभाग-11 संख्या-2042 भाउ/18-11-123एन।/85 लखनऊ दिनाँक 11.07.1989 द्वारा नौएडा प्राधिकरण का अधिसूचित ग्राम है। प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण, जो निर्माणाधीन फ्लैटो के रूप में है, उक्त निर्माण से नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जबकि नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है।

(29)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2(डी), धारा-10 एवं मा0 न्यायालय के अन्य सुसंगत प्राविधानों के तहत किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पूर्व नौएडा प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध एवं अनाधिकृत है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रतिउत्तर दिनांक 28.06.2022 बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। इस कार्यालय के नोटिस दिनांक 18.04.2022 को अंतिम किया जाता है। इसके साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि ग्राम-भंगेल बेगमपुर स्थित खसरा सं0-226, जो नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र की भूमि है, पर आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा किये गये अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्वयं हटा लें अन्यथा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण/सीलिंग करने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसम्बन्धित से ही की जायेगी।

पेज की कुल संख्याः 02।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-08, नौएडा।

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कार्याधिकारी (डी.) महोदय को सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक (सिविल.) महोदय को सूचनार्थ।
3. थानाध्यक्ष, थाना-सेक्टर-39, नौएडा को इस आशय से कि उक्त खसरा नम्बर पर अनधिकृत निर्माण न होने दें।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-08, नौएडा।

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

ग्राम :– भंगेल, खसरा संख्या :–217

कम संख्या	विवरण	कार्यवाही
1	ध्वस्तीकरण नोटिस	पत्रांक सं0 387 दिनांक 15.02.2023 पत्रांक सं0 314 दिनांक 06.02.2023 पत्रांक सं0 2126 दिनांक 18.10.2022 पत्रांक सं0 1945 दिनांक 27.09.2022, पत्रांक सं0 1944 दिनांक 27.09.2022
2	एफ.आई.आर. दिनांक	Letter No. 407 Dt.17.02.2021 नौएडा / व0प्र0(व0स0.8) / 2024 / 149 दि. 24.01.2024 नौएडा / व0प्र0(व0स0.8) / 2024 / 326, दिनांक 22.02.2024 नौएडा / व0प्र0(व0स0.8) / 2024 / 1168 दि. 05.07.2024 नौएडा / व0प्र0(व0स0.8) / 2024 / 1648 दि. 11.09.2024
3	कार्यवाही	प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाने हेतु दिनांक 13.12.2023, 26.12.2023, 12.01.2024 तथा 30.01.2024 को नियत करते हुए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय महोदय को, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के.) महोदय की ओर से पत्र प्रेषित किया गयाथा, किन्तु दिनांक 12.01.2024 को प्रबन्धक, वर्क सर्किल–8 एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना सैक्टर–39 के साथ हुई वार्ता के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा अपर पुलिस उपायुक्त , महोदय को दिनांक 09.01.2024 में उक्त के सम्बंध में पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु दिनांक 12.01.2024 को ध्वस्तीकरण हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने के सम्बंध में थाना सैक्टर–39 में किसी प्रकार की जानकारी नही दी गयी है। जिस कारण प्रश्नगत तिथि पर पुलिस बल उपलब्ध नही हो सका, परिणामस्वरूप ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित नही की जा सकी। अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही हेतु पुनः दिनांक 08.02.2024 को प्रातः 10:00 बजे का कार्यक्रम नियत है।
4	अवैध निर्माण को रोकने हेतु कार्यवाही	वर्क सर्किल द्वारा दिनांक 26.12.2023 को अवैध निर्माण / अतिक्रमण को रोकने की कार्यवाही सम्पादित की गयी। दिनांक 20.05.2024 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

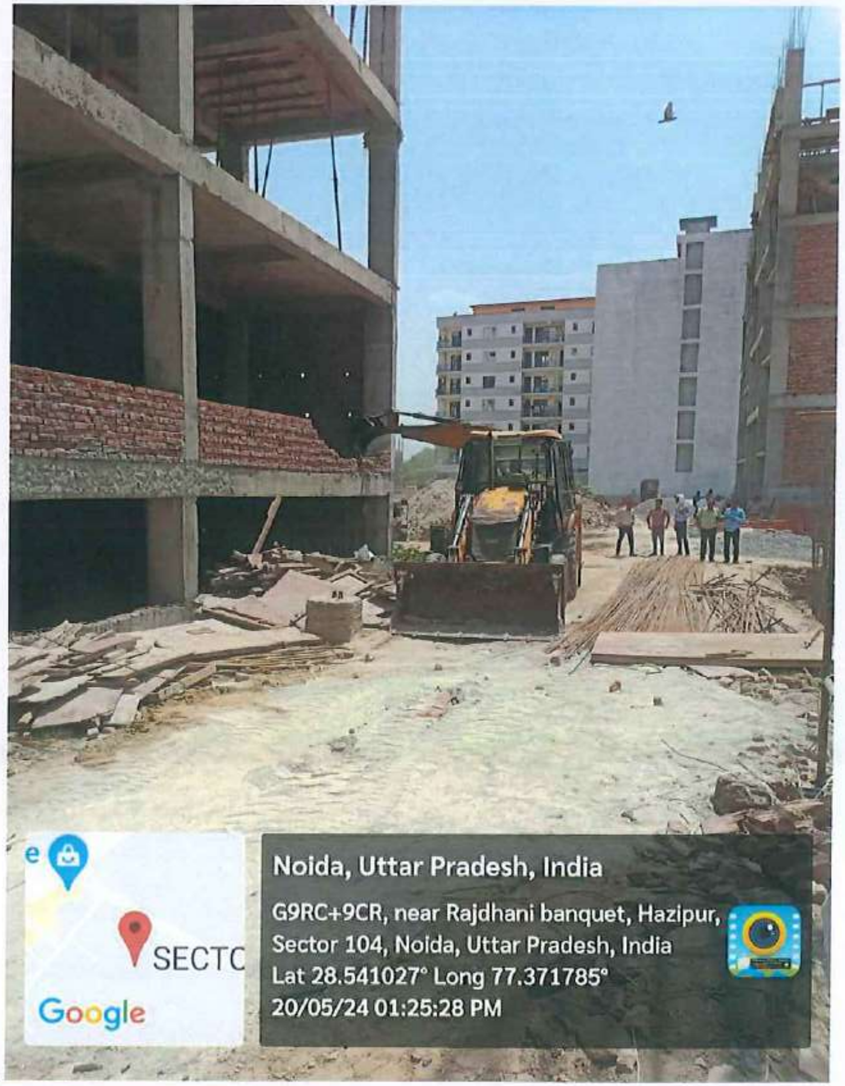

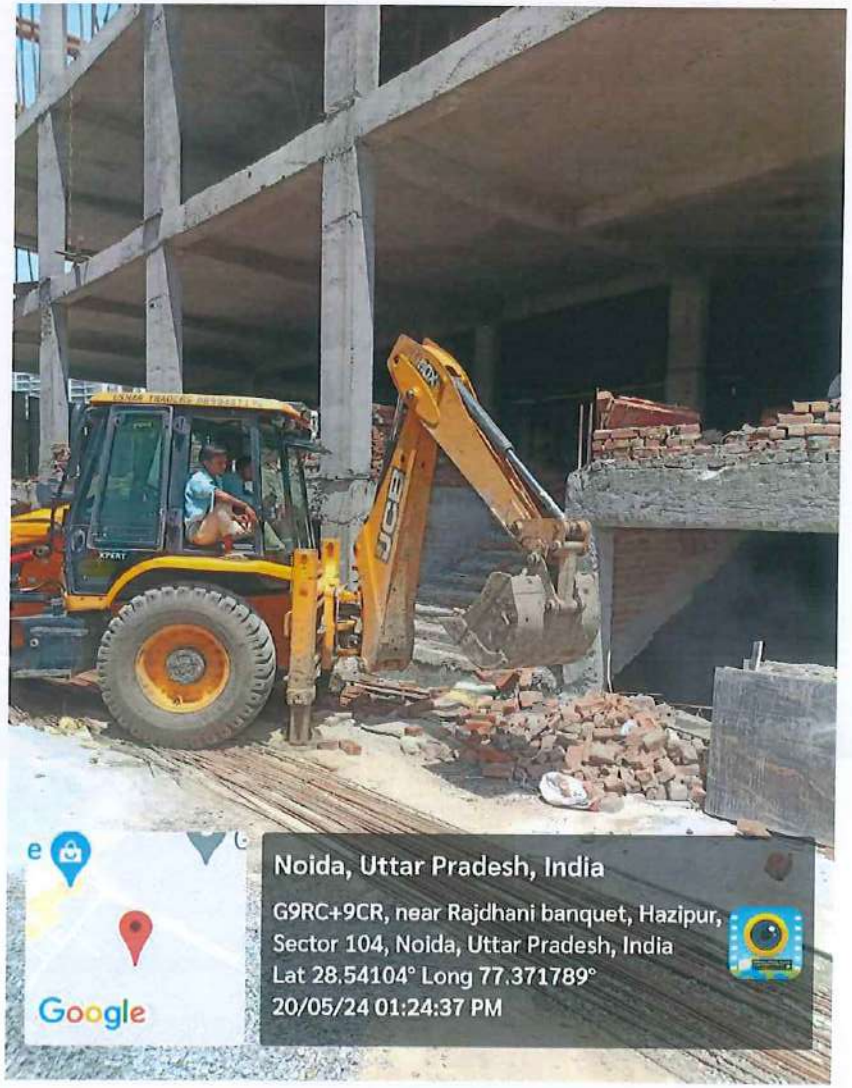

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

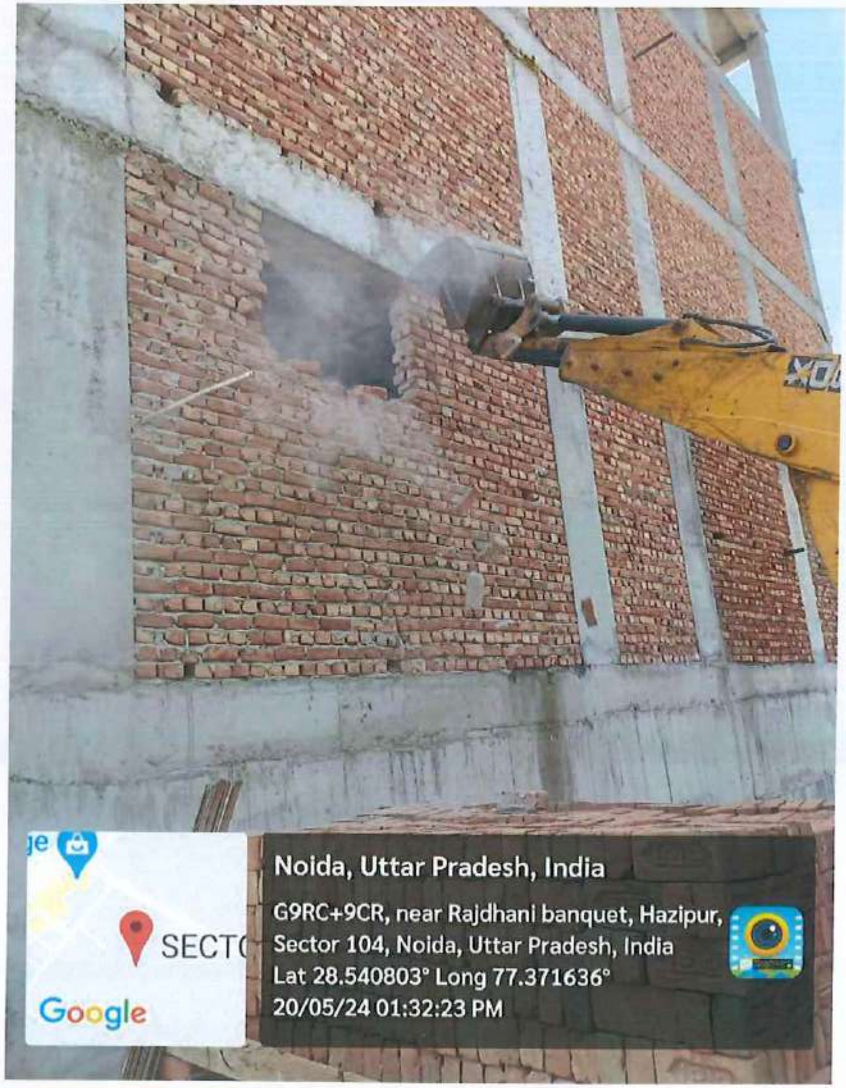

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

Notice

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरि० प्रबंधक वर्क सर्किल-8, सैक्टर-19, नौएडा

पत्रांकः- नौएडा/व०प्र०/व०स०-08/23/..314.
दिनांक 6/2/2023

ध्वस्तीकरण हेतु अन्तिम नोटिस

मैसर्स एनर्जी बिल्डिंग सोलूशन्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय-ए-41 अधिकृत हस्ताक्षरी संजीव कुमार त्रिपाठी पुत्र श्यामनारायण त्रिपाठी, नि० म०न०-डी-276, गणेश नगर पाण्डव नगर, कॉम्पलेक्स शकरपुर पूर्वी दिल्ली।

एवम्

अन्य OCCUPIER / हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो)

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-भंगेल बेगमपुर, परगना व तहसील-दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित खसरा संख्या-217 की भूमि पर नोएडा की अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया/किया जा रहा है। उक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को स्वंय हटाने के संबंध में आप को इस कार्यालय द्वारा डिप्टी कलेक्टर, नौएडा एवं वरि० प्रबंधक वर्क सर्किल-08, नौएडा के संयुक्त हस्ताक्षर से नोटिस सं० नौएडा/नोटिस/व०प्र०/(व०स०-08)/2022/2126, दिनांक 18.10.2022 को निर्गत किया गया था।

उपरोक्त नोटिस में यह भी कहा गया था कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण प्रतिबन्धित होने के संबध में समय-समय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं स्थलों पर लगाये गये चेतावनी/नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार जन सामान्य को सचेत करने हेतु कराया जाता रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर किये गये अनधिकृत निर्माण के निकट ही नौएडा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक सुस्पष्ट नोटिस बोर्ड स्थापित है, जिसमें अनधिकृत निर्माण न करने हेतु स्पष्ट जनसूचना/चेतावनी अंकित है। इसके बावजूद आप द्वारा उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कर लिया गया।

नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं अन्य उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है, फिर भी आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा नौएडा प्राधिकरण की भूमि पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण किया गया है। उपरोक्त नोटिस के द्वारा प्रश्नगत् अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने की अपेक्षा की गयी थी, अन्यथा की दशा में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को नौएडा प्राधिकरण द्वारा हटाए जाने के संबंध में विधिक कार्यवाही की जायेगी और इसमें होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसम्बन्धित से ही की जानी थी। इसके साथ ही यदि उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के संबंध में सर्वसम्बन्धित एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) को कोई लिखित उत्तर देना हो तो नोटिस के जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अपना पक्ष वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-08, सेक्टर-19, नौएडा के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था।

उक्त नौएडा प्राधिकरण की ओर से निर्गत नोटिस दिनाँक 18.10.2022 के जवाब में आप द्वारा कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त नोटिस के क्रम में अन्य सुसंगत अभिलेखों का विश्लेषण एवं परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि आपका एवं अन्य हितबद्धपक्ष का प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण खसरा सं०-217 की भूमि पर है। उल्लिखित करना है कि ग्राम-भंगेल बेगमपुर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-4157 भाउ/18-11, दिनाँक 17 अप्रैल, 1976 एवं उत्तर प्रदेश सरकार उदयोग अनुभाग-11 संख्या-2042 भाउ/18-11-123एन/85 लखनऊ दिनाँक 11.07.1989 द्वारा नौएडा प्राधिकरण का अधिसूचित ग्राम है। प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण से नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जबकि नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है।

(6)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2(डी), धारा-10 एवं मा० न्यायालय के अन्य सुसंगत प्राविधानों के तहत किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पूर्व नौएडा प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध एवं अनाधिकृत है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आप द्वारा कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया है। इस कार्यालय के नोटिस दिनांक 18.10.2022 को अंतिम किया जाता है। इसके साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि ग्राम-भंगेल बेगमपुर स्थित खसरा सं०-217, जो नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र की भूमि है, पर आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा किये गये अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्वयं हटा ले अन्यथा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण/सीलिंग करने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसम्बन्धित से ही की जायेगी।

पेज की कुल संख्याः 02।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-08, नौएडा।

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कार्याधिकारी (डी.) महोदय को सूचनार्थ।
2. उप महाप्रबंधक (सिविल) महोदय को सूचनार्थ।
3. थानाध्यक्ष, थाना-सेक्टर-39, नौएडा को इस आशय से कि उक्त खसरा नम्बर पर अनधिकृत निर्माण न होने दें।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-08, नौएडा।

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

(5)

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वर्क सर्किल-8 सैक्टर-19, नौएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर

पत्रांक - नौएडा/नोटिस/व0प्र0 (व.स.-8)/2022/..२८१२८

दिनांक........१८/१०/2022

ध्वस्तीकरण नोटिस

सेवा में,

मैसर्स एनर्जी बिल्डिंग सोलूशन्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय-ए-41 अधिकृत हस्ताक्षरी संजीव कुमार त्रिपाठी पुत्र श्यामनारायण त्रिपाठी, नि0 म0न0-डी-276, गणेश नगर पाण्डव नगर, कॉम्पलेक्स शकरपुर पूर्वी दिल्ली।

एवम्

अन्य OCCUPIER/ हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो)

आप द्वारा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम-भंगेल बेगमपुर, परगना व तहसील-दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर स्थित खसरा संख्या-217 की भूमि पर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध एवं अनधिकृत रूप से प्लाटिंग/निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपके द्वारा किये जा रहे अवैध एवं अनधिकृत प्लॉटिंग/निर्माण वर्क सर्किल-8 के सहा0 प्रबंधक एवं लेखपाल, नौएडा द्वारा रूकवाया गया था, किन्तु आप द्वारा अवैध निर्माण कार्य को रोका नहीं गया है।

उल्लेखनीय है कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण प्रतिबंधित होने के संबंध में समय-समय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं स्थल पर लगवाये गये चेतावनी/नोटिस बोर्डों के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार जनसामान्य को सचेत करने हेतु कराया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर कराये जा रहे अनधिकृत निर्माण के निकट ही नौएडा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक सुस्पष्ट नोटिस बोर्ड स्थापित है, जिसमें अनधिकृत निर्माण न करने हेतु स्पष्ट जन-सूचना/चेतावनी अंकित है। इसके बावजूद आप उपरोक्त अनधिकृत निर्माण में संलिप्त हो रहें है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी याचिका संख्या-54217/14, रूपराम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2014 को आदेश पारित किए गए हैं, जिसका सारवान अंश निम्नवत् है -

"........We are the considered opinion that no purpose would be served by keeping the writ petition pending.

The present write petition in disposed of by providing as follows.

(a) *I shall be open to the NOIDA authority to ensure that no unauthorized constructions are raised over any plot within its territory.*

(b) *If there are any existing constructions, demolition thereof shall not be made without following the provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 and the rules and regulations applicable.*

(c) *This order shall not entitle the petitioners to raise any unauthorized construction without getting a map sanctioned from the NOIDA...."*

इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त याचिका में अपने आदेश दिनांक 03.11.2014 में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि नौएडा प्राधिकरण, नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार का अवैध एवं अनधिकृत निर्माण न हो, साथ ही यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल एरिया डेवेलपमेंट एक्ट, 1976 में निहित प्राविधानों के अनुसार ऐसे अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

(4)

चूँकि वर्तमान में प्रचलित एवं उपरोक्तानुसार वर्णित प्राविधानों और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 का उल्लंघन करते हुये आप द्वारा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कराया/किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त सार्वजनिक सूचनाओं के अतिरिक्त अब एतद्द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाता है कि आप प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण तत्काल बन्द कर दें तथा अब तक किये गये अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को एक सप्ताह के अन्दर स्वंय हटा लें अन्यथा अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिये समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण/सील करने की कार्यवाही नौएडा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति आप से ही की जायेगी।

इसके साथ ही यदि उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के संबंध में कोई लिखित उत्तर देना चाहते हो तो आप नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर ही अपना पक्ष वरि0 प्रबंधक, वर्क सर्किल-8, सैक्टर-19, नौएडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि एक सप्ताह में आप अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध मे कुछ नही कहना है और तद्नुसार उपरोक्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-8, नौएडा।

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कार्याधिकारी (डी.) महोदय को सूचनार्थ।
2. उप महाप्रबंधक महोदय को सूचनार्थ।
3. थानाध्यक्ष, थाना-फेस-II, नौएडा को इस आशय से कि उक्त खसरा नम्बर पर अनधिकृत निर्माण न होने दें।

डिप्टी कलेक्टर
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-8, नौएडा।

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

विक्रय न करने हेतु अखबारों में विज्ञापन का पत्र एवं ड्राफ्ट

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–8,
सैक्टर–19, नौएडा

पत्रांक नौएडा/वरि०प्र०(वर्क०स०–08)/2023/ 2937
दिनांक 15/12/2023

प्रबंधक (प्रचार प्रसार)
नौएडा।

विषय : सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि सैक्टर–82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143ए, 143बी, 144, ग्राम– सलारपुर, हाजीपुर, गेझा, भंगेल, गढ़ी व शहदरा में विभिन्न विकास एवं अनुरक्षण कार्य वर्क सर्किल–08 द्वारा कराये जा रहे। कार्यों के सम्पादन के दौरान संज्ञानित हो रहा है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों/माफियों द्वारा सैक्टरो एवं ग्रामो के साथ स्थित भूमि जोकि नौएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है, पर प्लाटिंग करते हुए आम जनमानस को विक्रय कर दी जाती है, जोकि प्राधिकरण के नियमों के पूर्णत विपरीत है।

अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न किये गये सार्वजनिक सूचना को 2 अलग–अलग समाचार पत्रों (एक हिन्दी व एक अंग्रेजी संस्करणों) में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

15-12-23

ह०
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–8, नौएडा

प्रतिलिपि :
1. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के.) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. उप महाप्रबन्धक (सिविल) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक/अवर अभियंताओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ह०
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–8, नौएडा

NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

Work Circle-8, Sector-19, Noida, UP

PUBLIC NOTICE

The general public is informed that land along / nearby Sector- 82, 91, 92, 93, 93A, 93B, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143A, 143B, 144, Village Salarpur, Hazipur, Bhangel, Gejha, Garhi and Shahdara which is notified land of Noida Authority, is being sold to general public by some unknown persons by doing ploting, which is completely contrary to the rules of the authority.

Therefore, the general public is warned not to purchase any land without examining the verified documents issued by the authority, so that the general public does not suffer any financial loss.

With Permission

Senior Manager
Work Circle-8, Noida

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–8

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सैक्टर–82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143ए, 143बी, 144, ग्राम– सलारपुर, हाजीपुर, गेझा, भंगेल, गढ़ी व शहदरा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों/माफियों द्वारा सैक्टरो एवं ग्रामो के साथ स्थित भूमि जोकि नौएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है, पर प्लाटिंग करते हुए आम जनमानस को विक्रय कर दी जाती है, जोकि प्राधिकरण के नियमों के पूर्णत विपरीत है।

अतः आमजनमासन को चेतावनी दी जाती है कि बिना प्राधिकरण द्वारा जारी सत्यापित प्रपत्रों का परीक्षण करते हुए किसी भी भूमि को क्रय नही करें, जिससे आमजनमानस को कोई वित्तीय हॉनि नही पहुँच सके।

आज्ञा से

वरिष्ठ प्रबंधक
वर्क सर्किल–8, नौएडा

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024 को ग्राम :– शहदरा के खसरा संख्या–169 पर की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

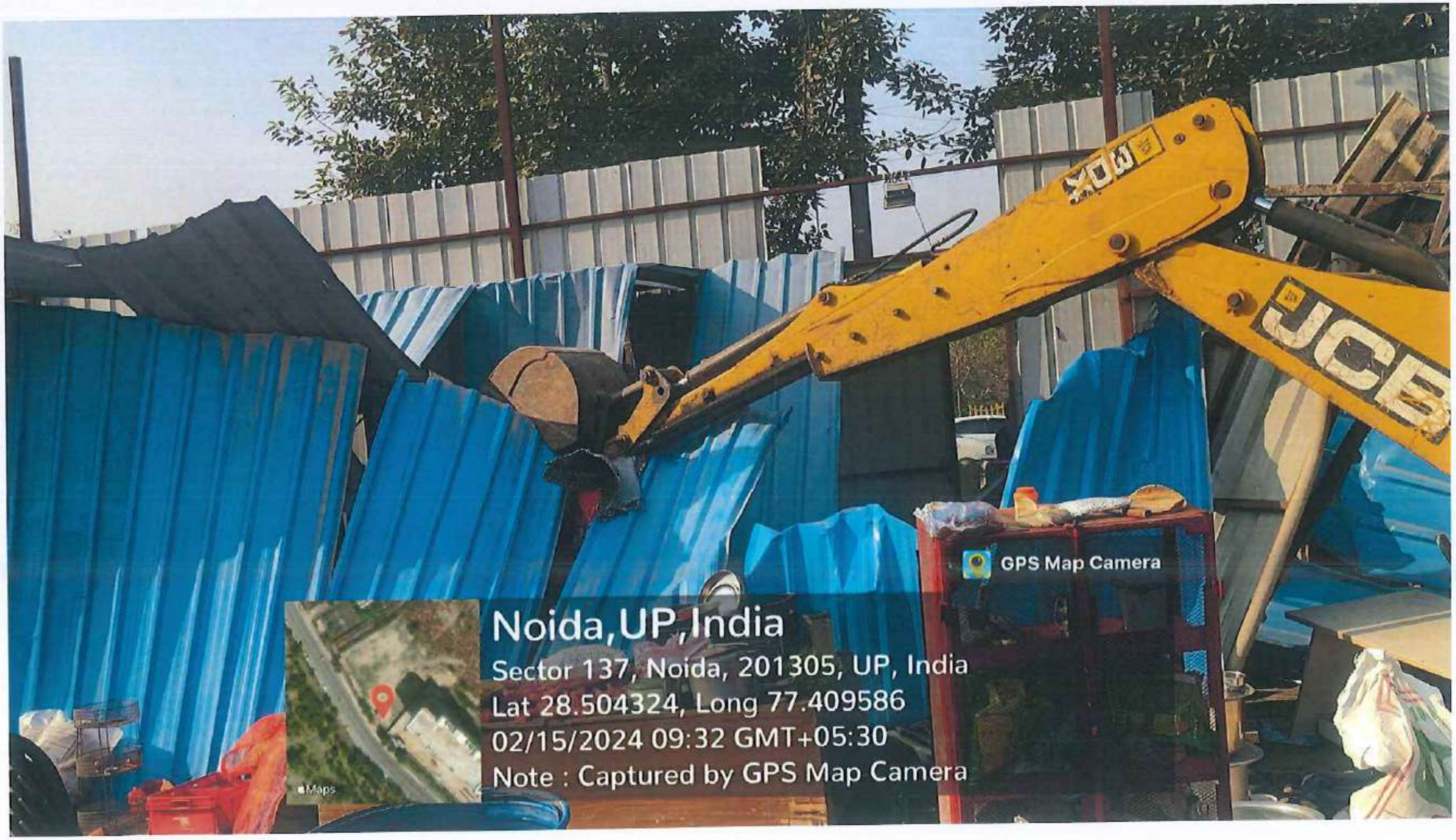

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

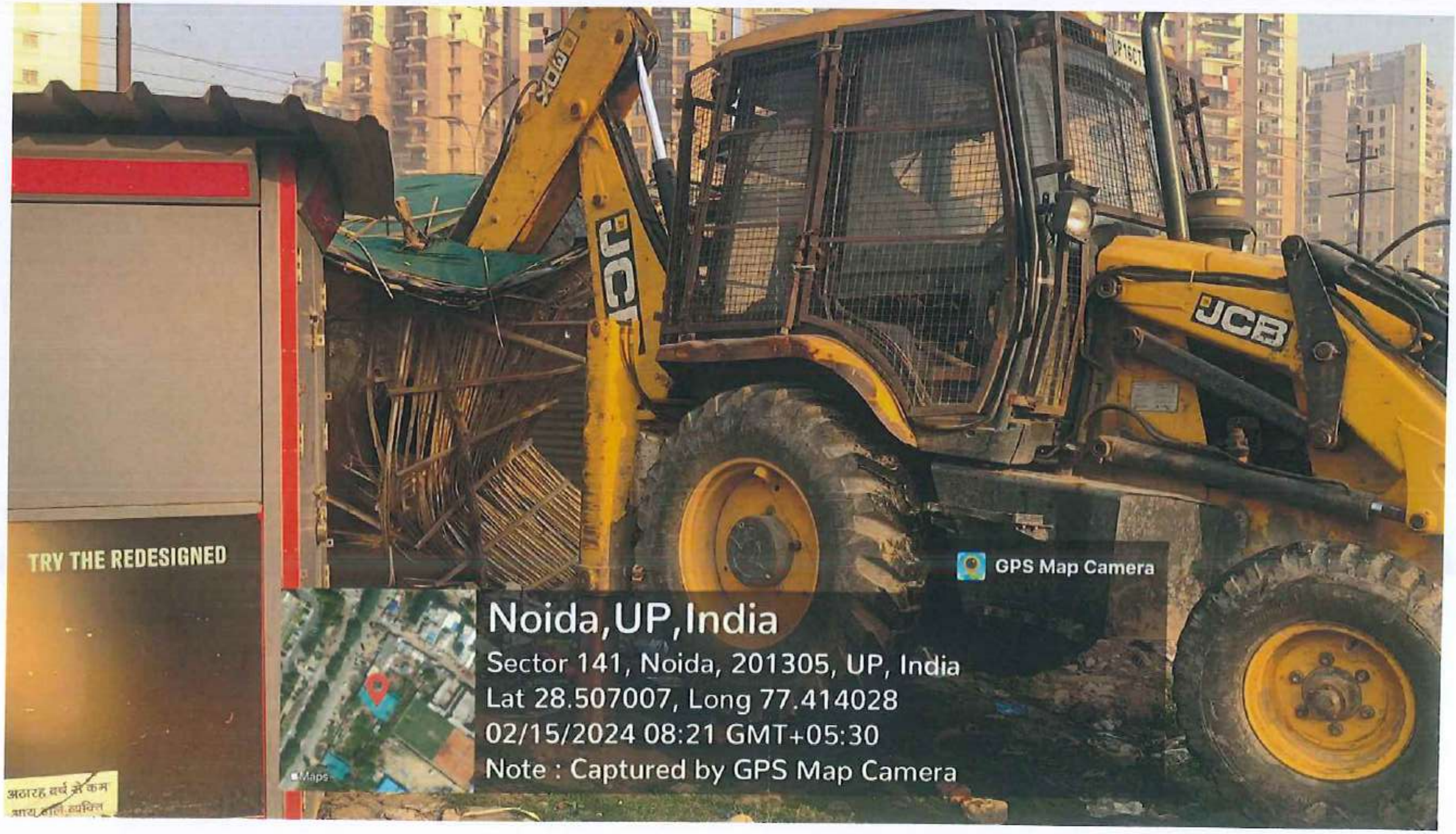

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

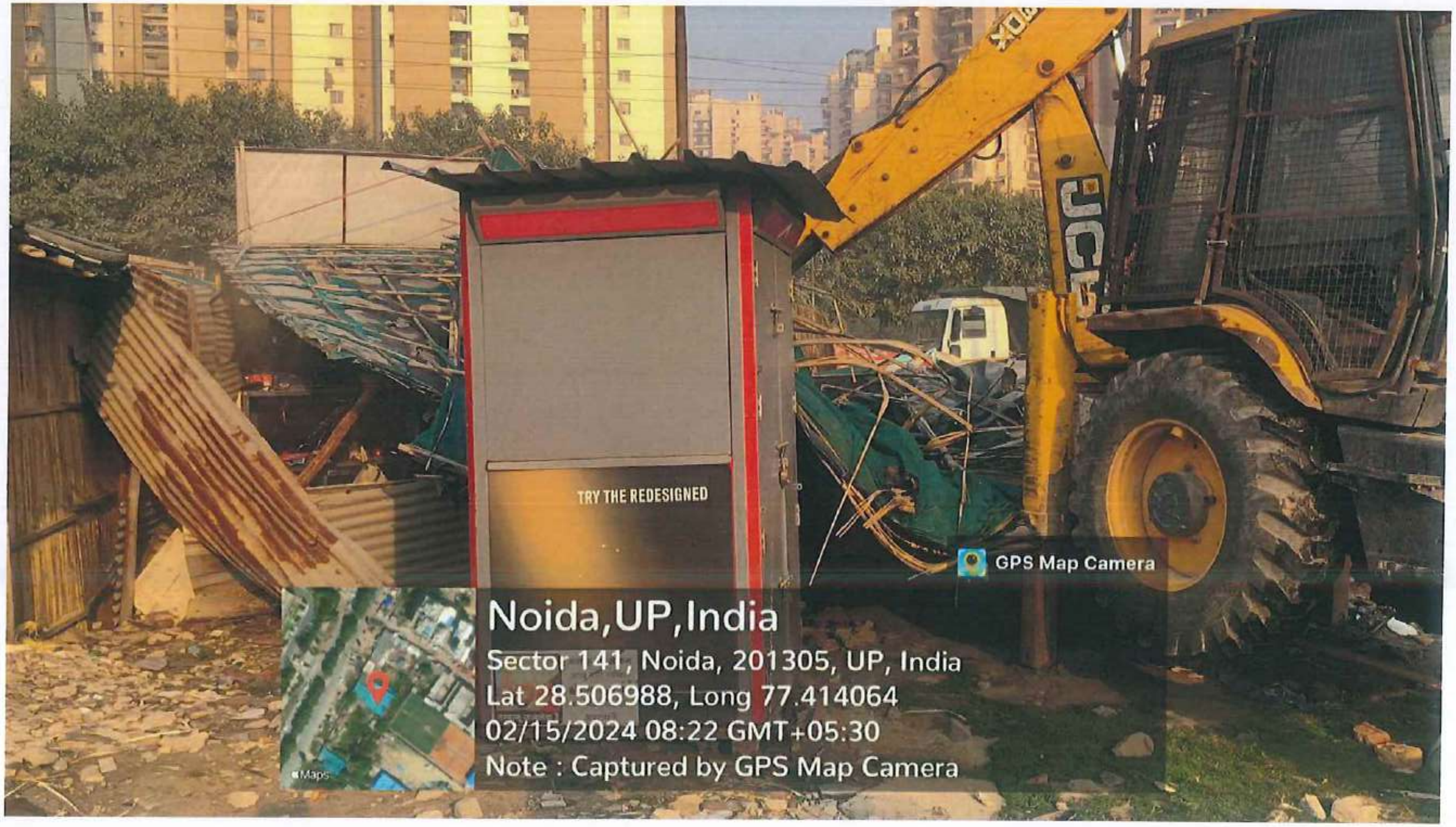

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

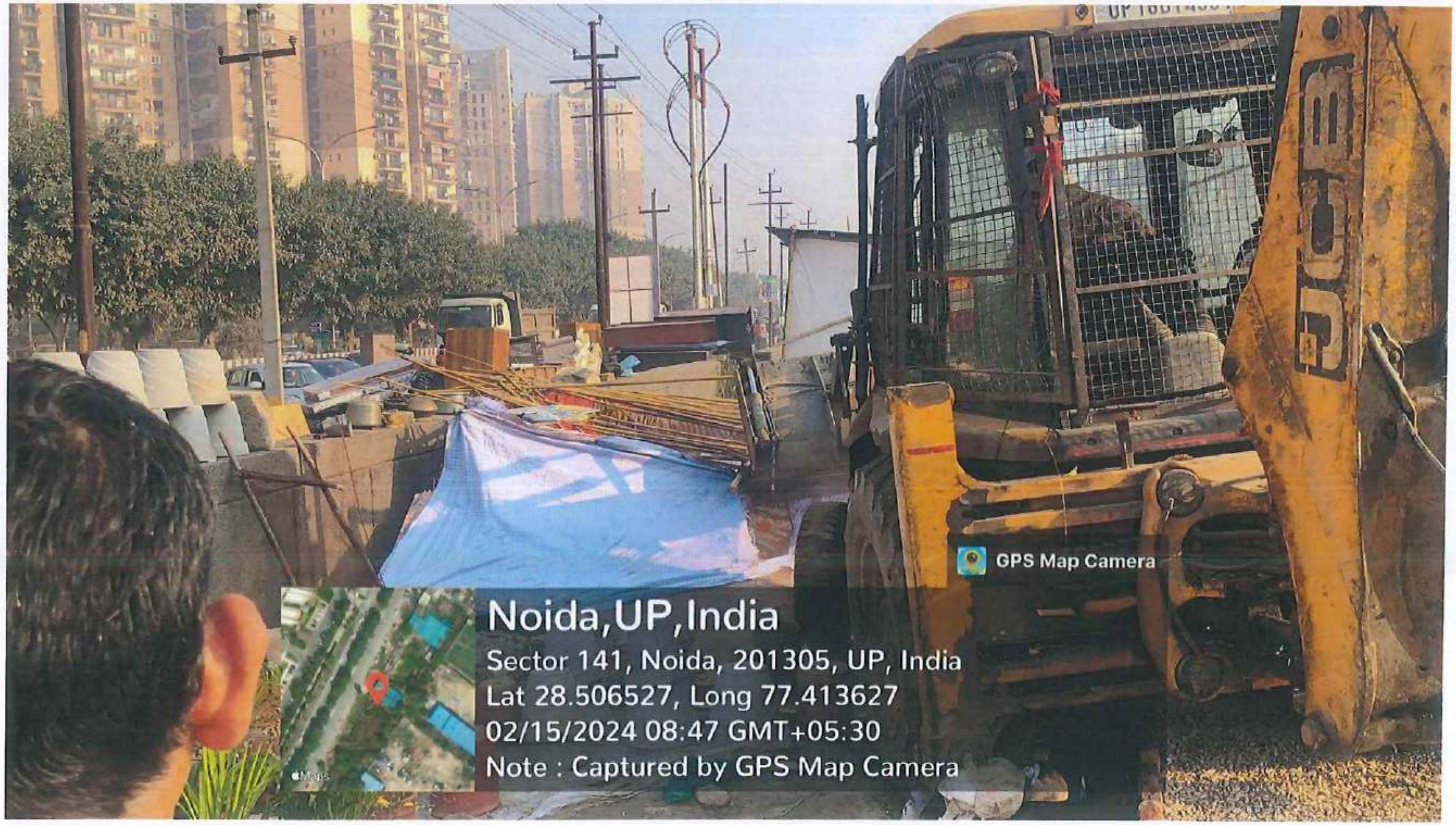

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

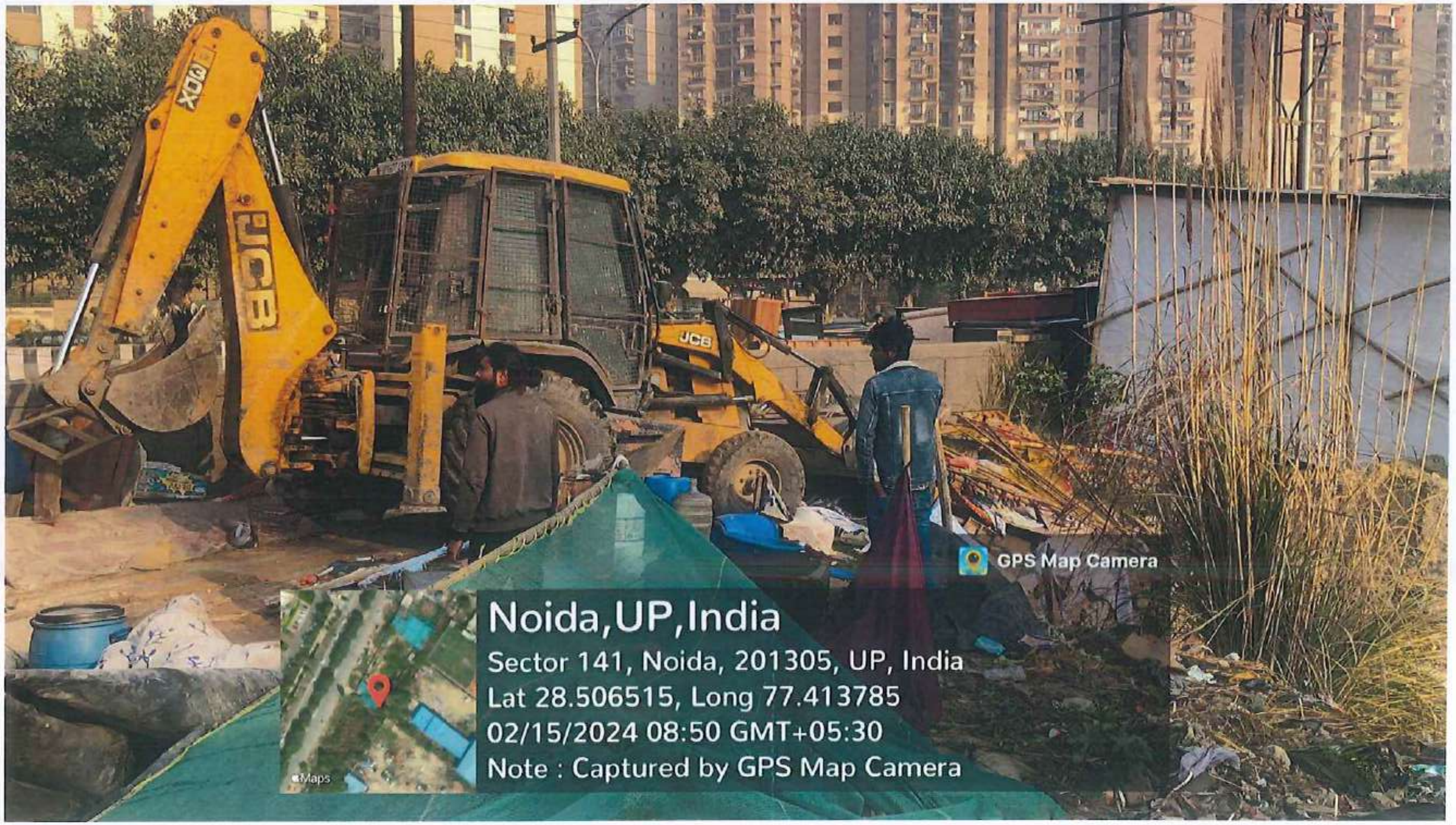

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

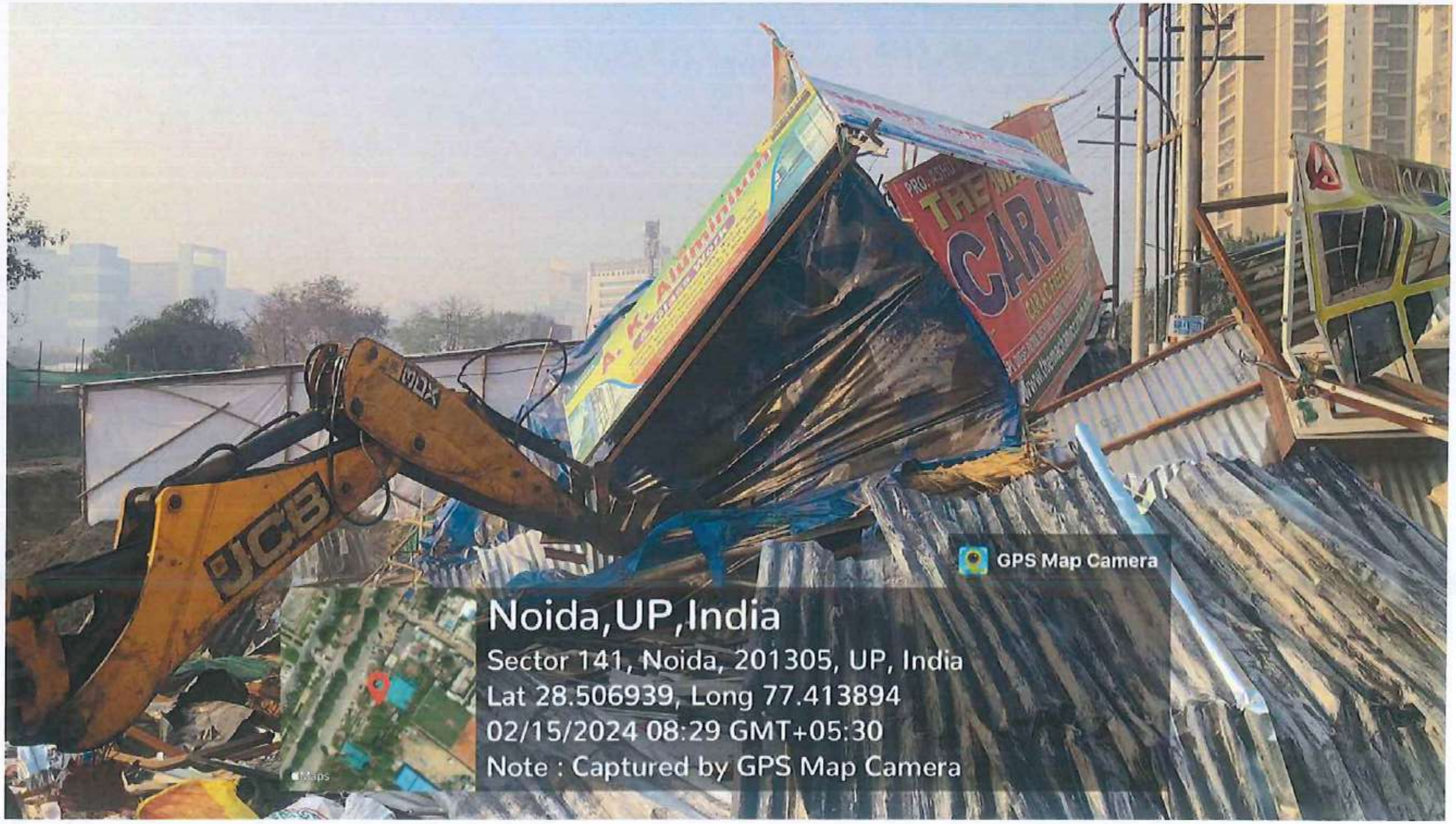

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

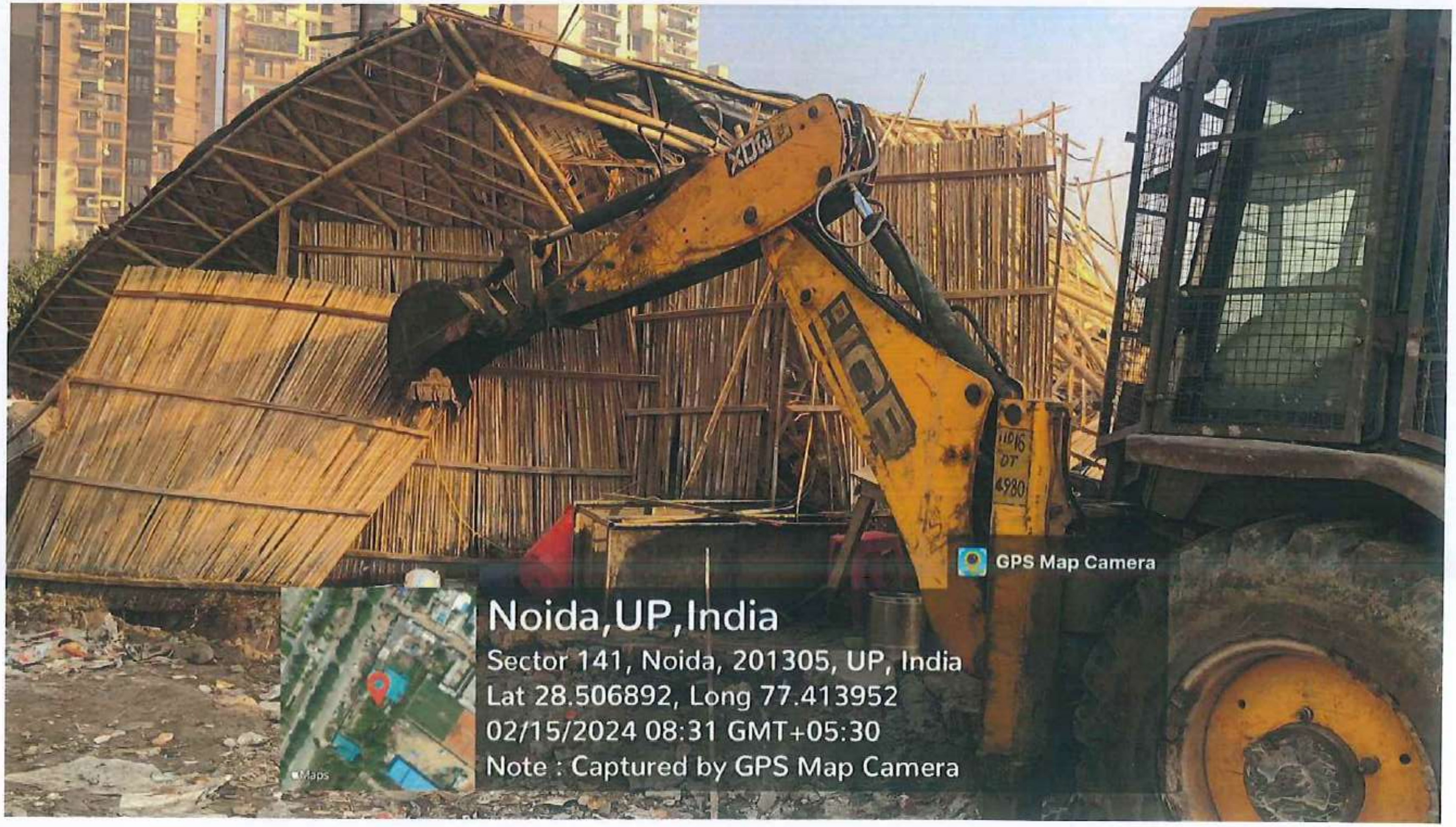

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

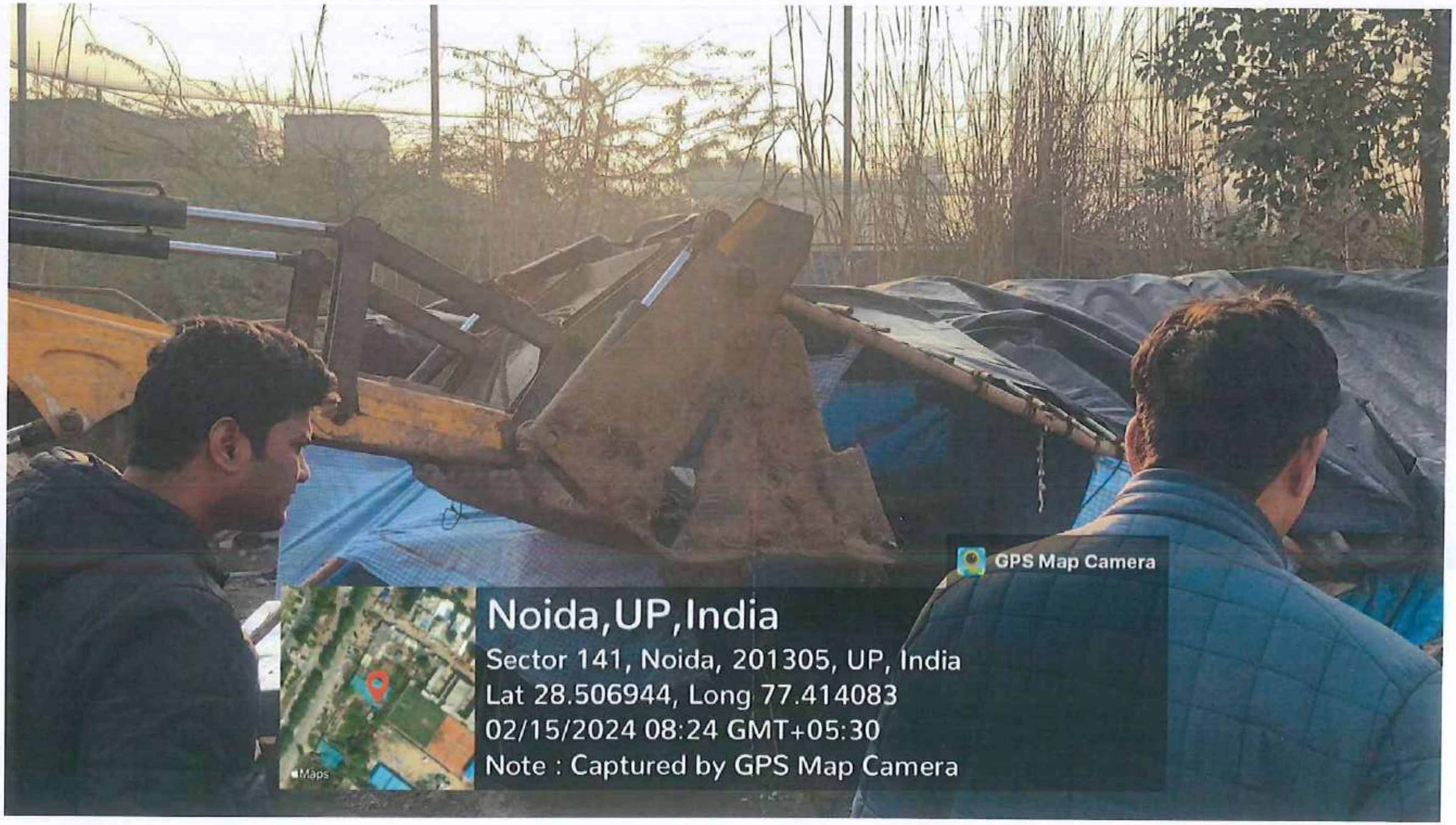

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

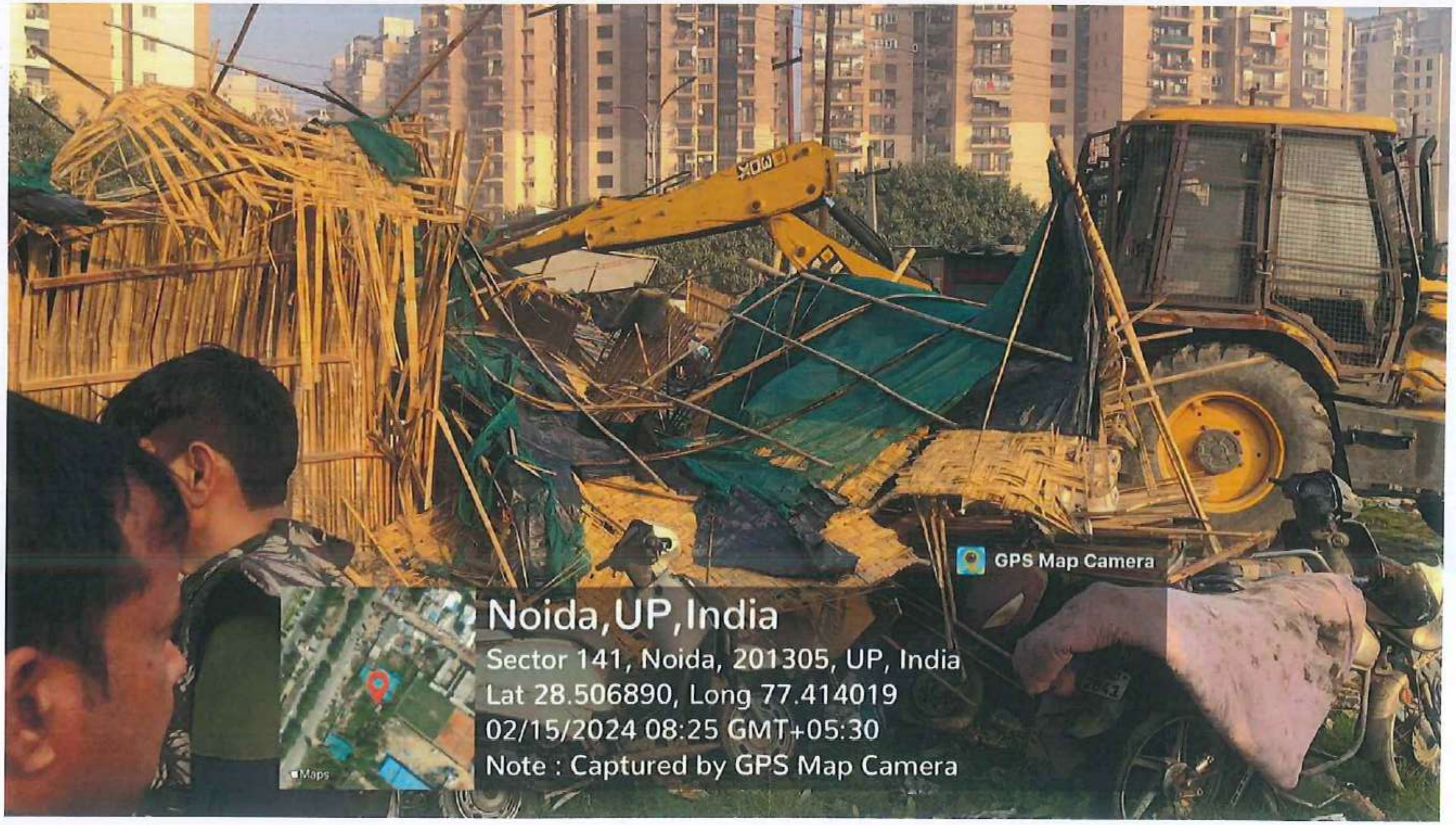

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

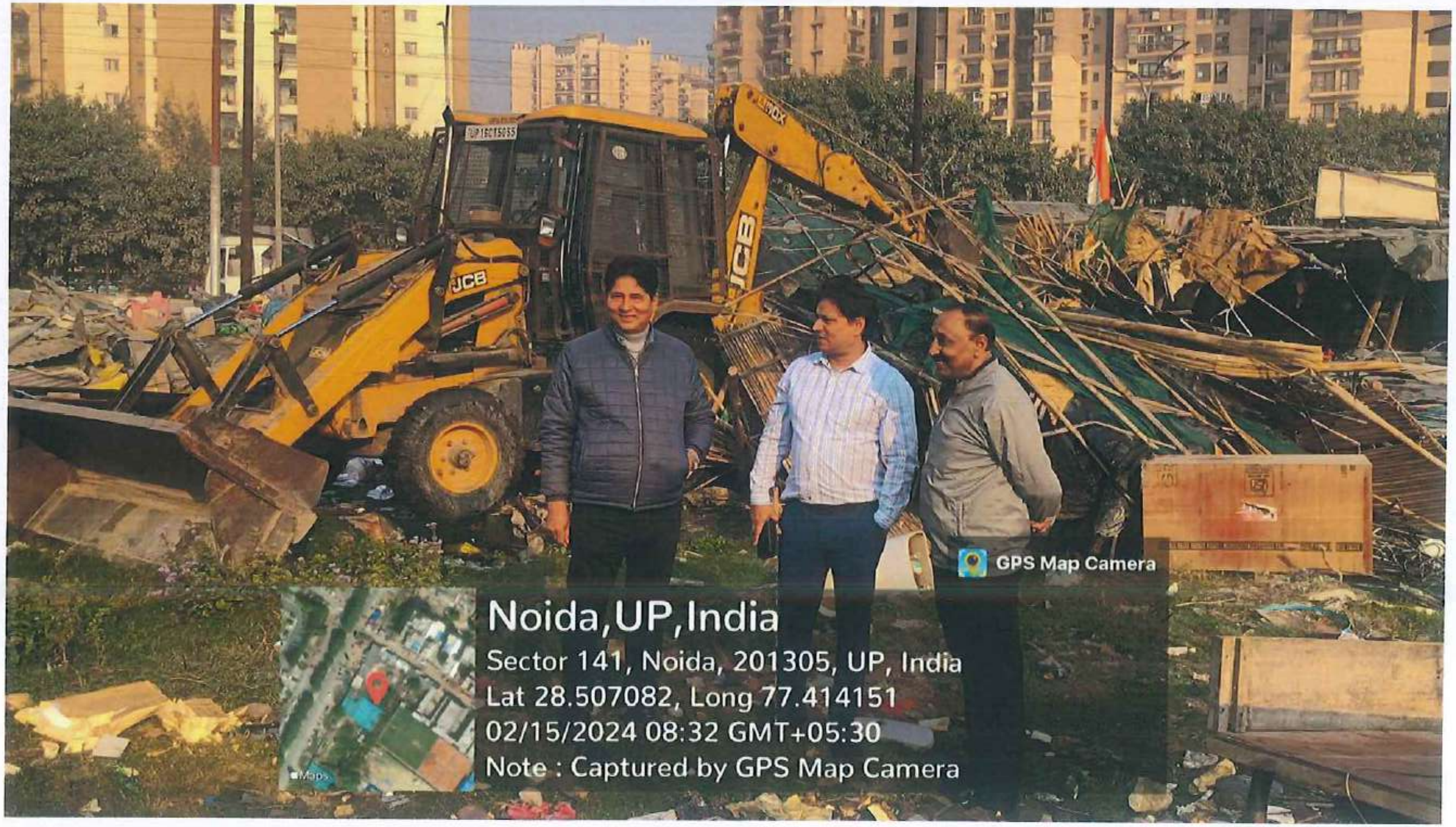

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

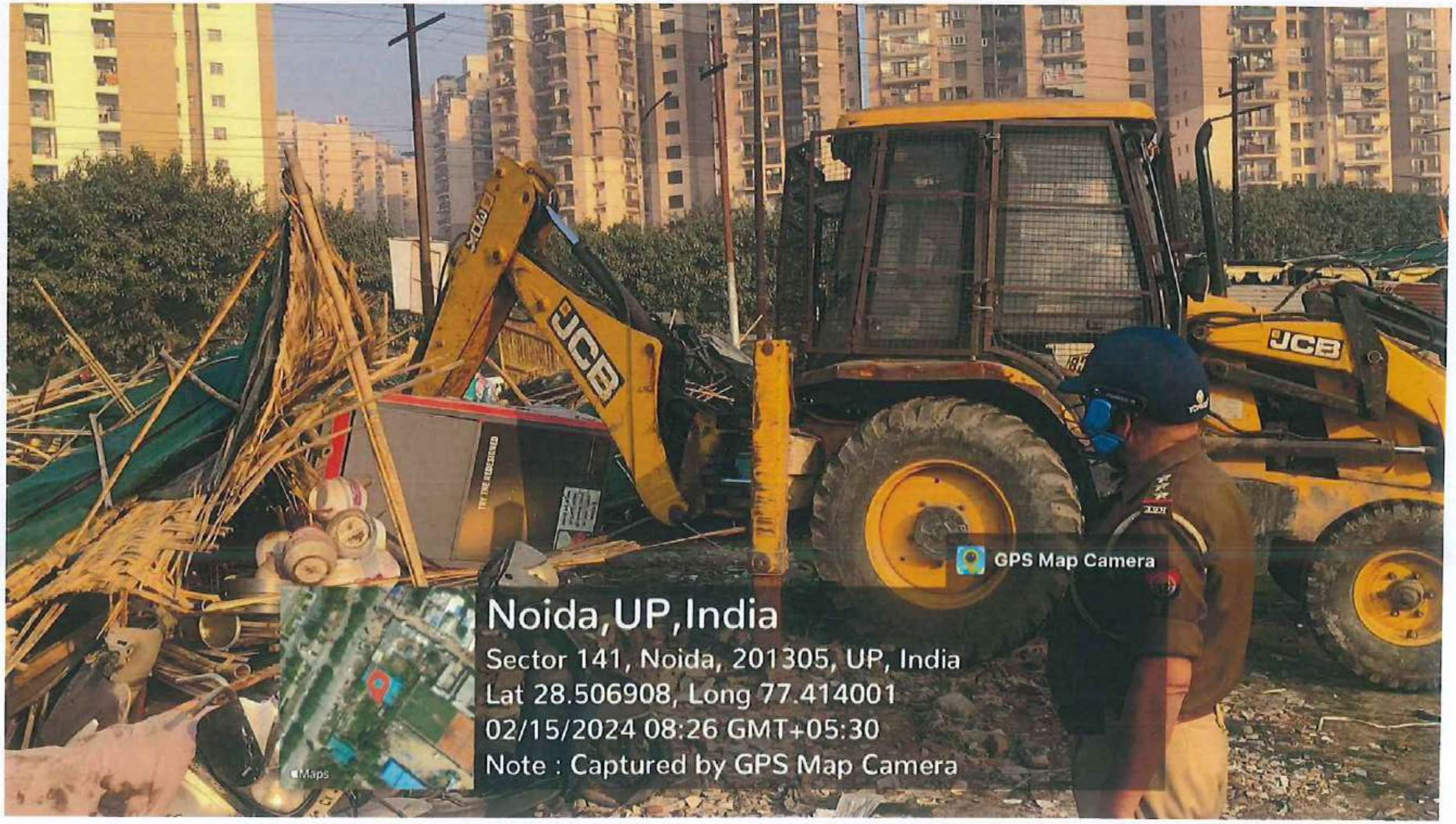

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

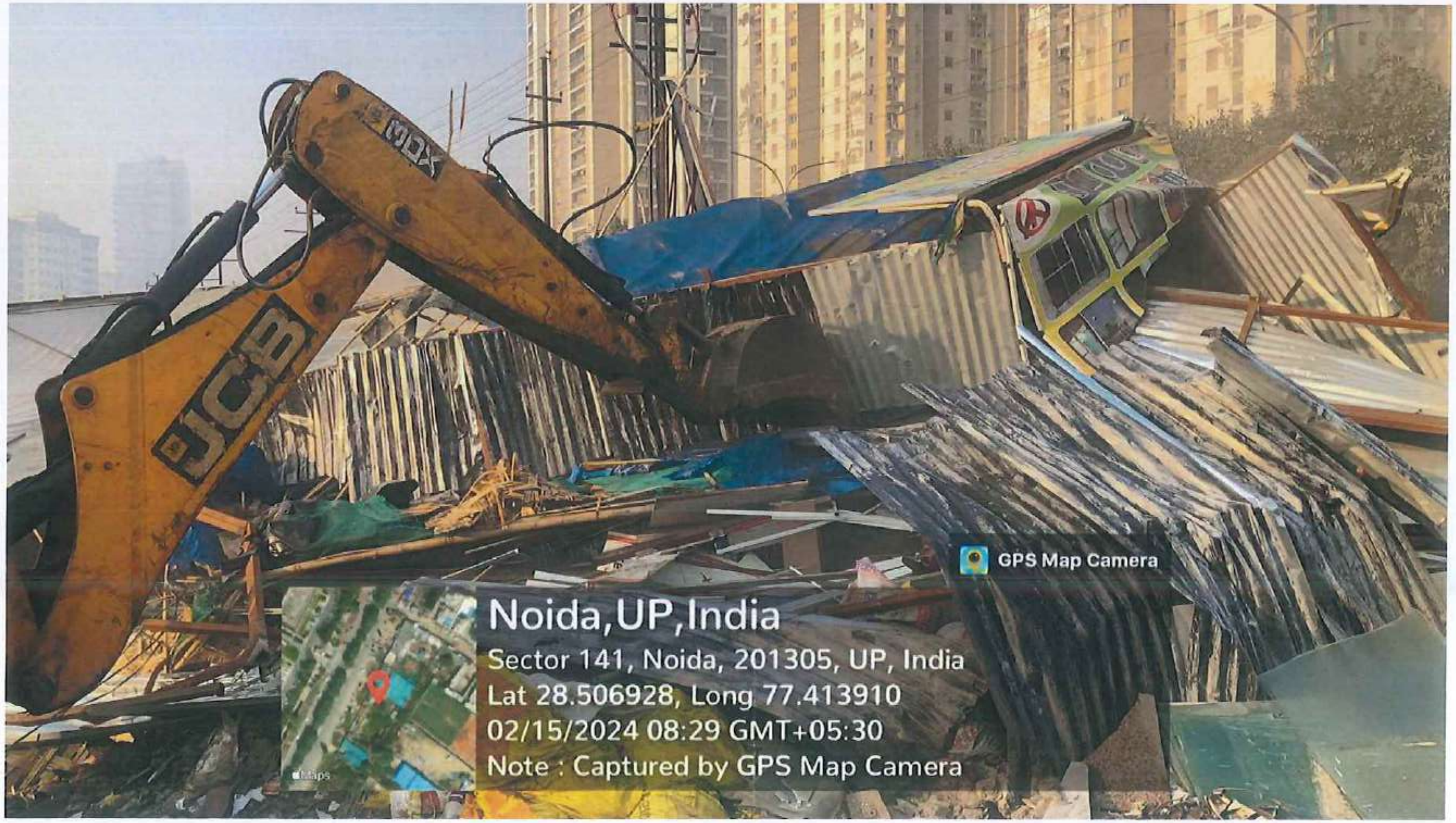

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

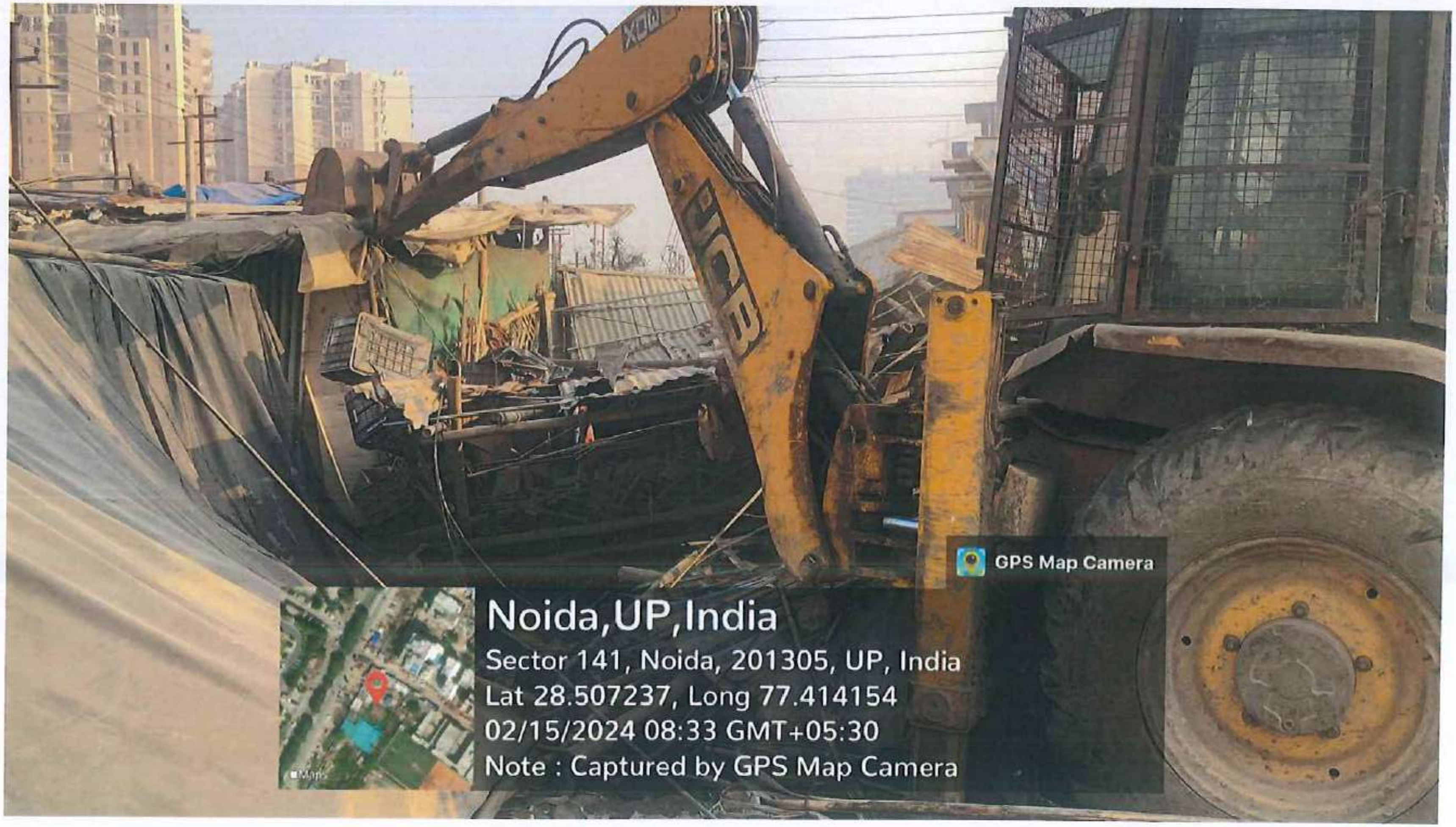

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

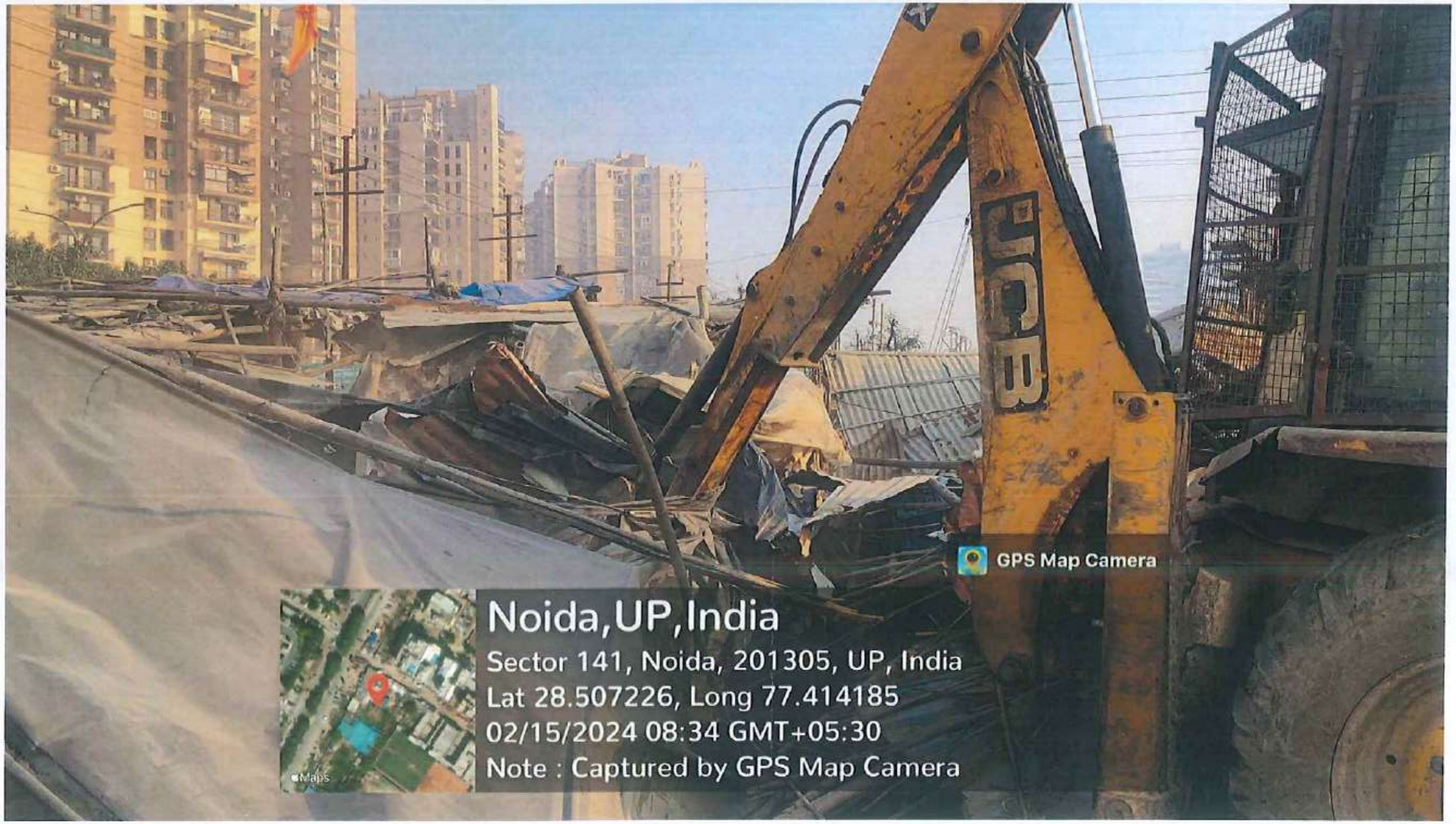

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

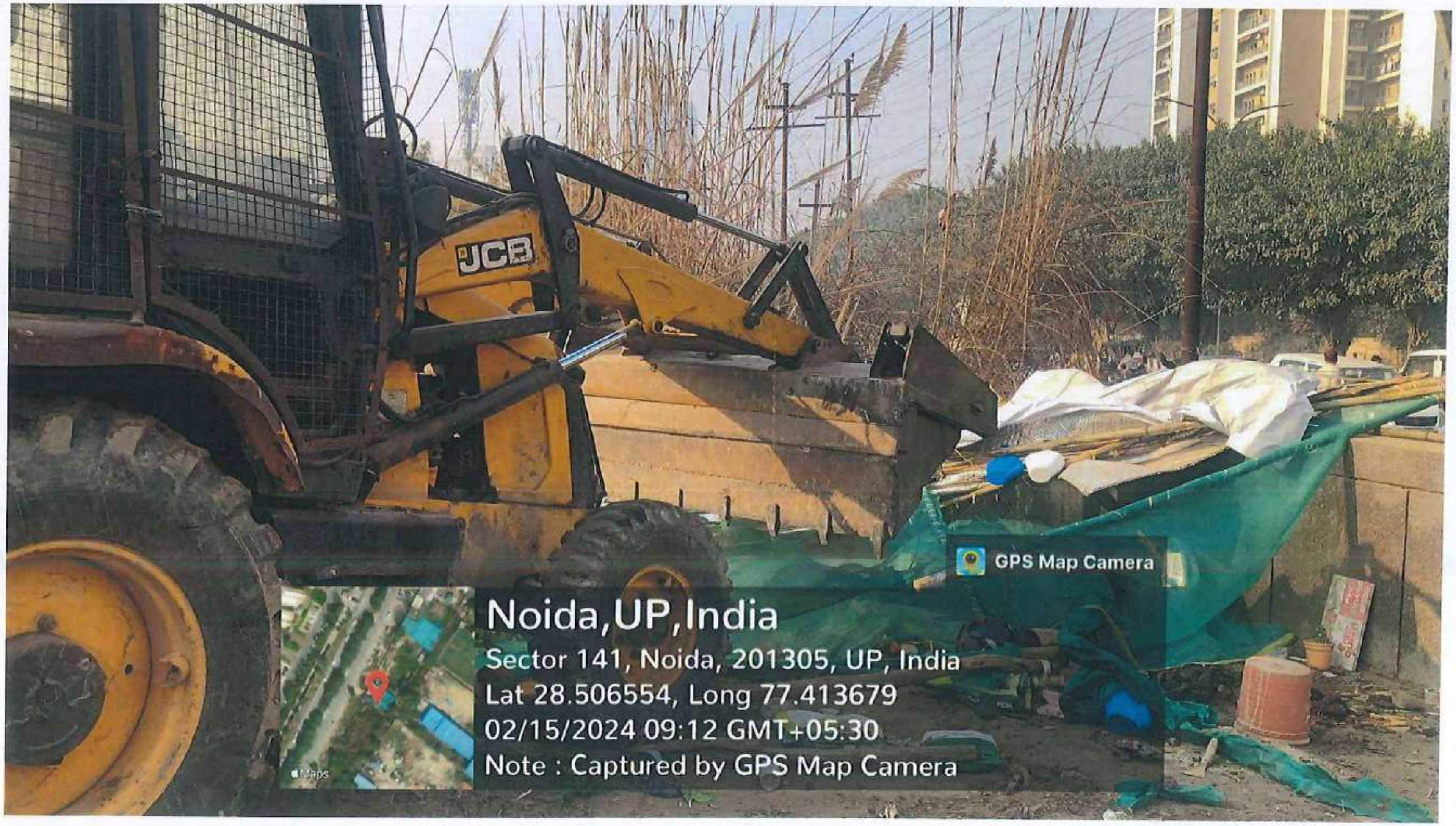

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

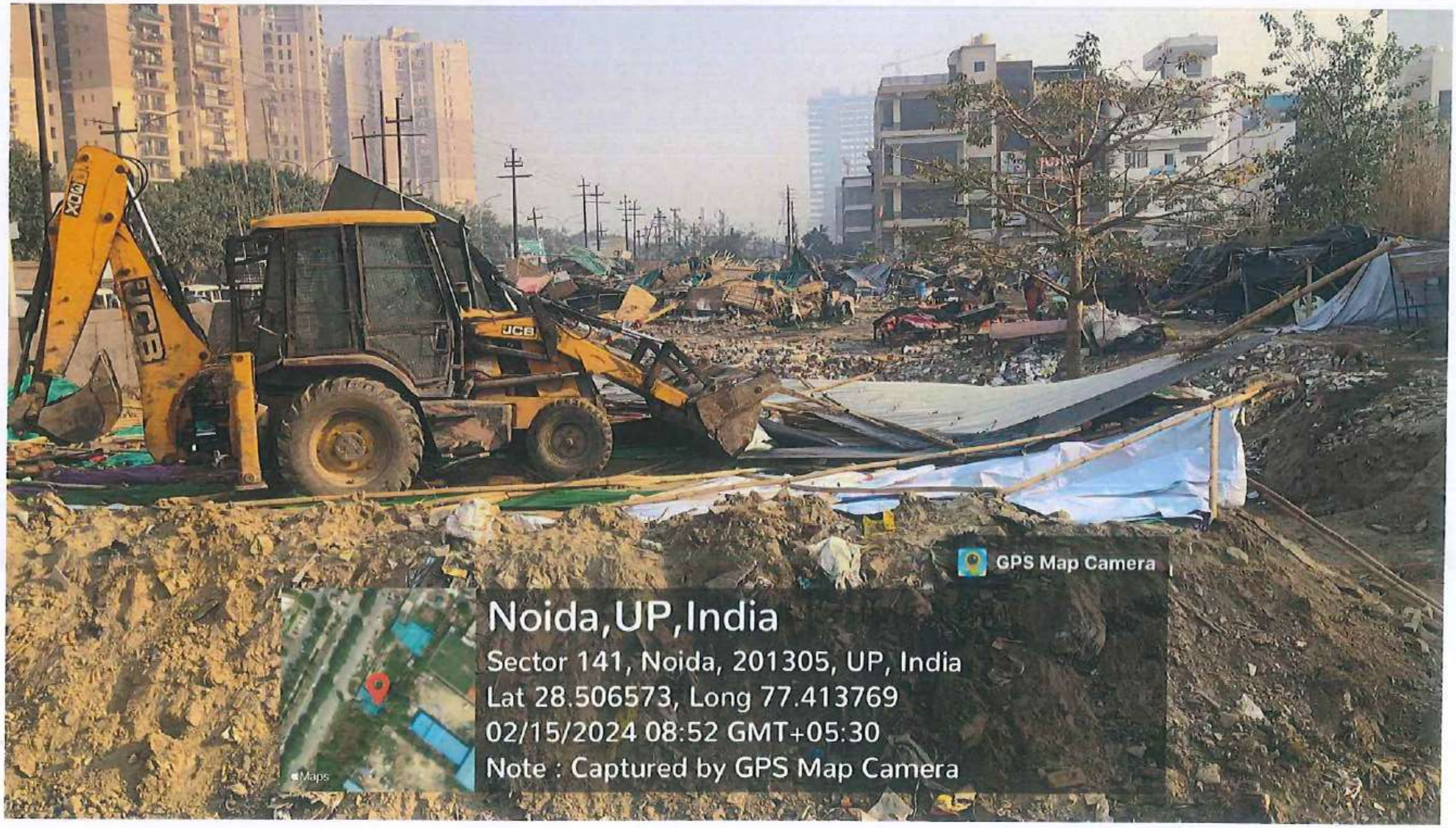

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

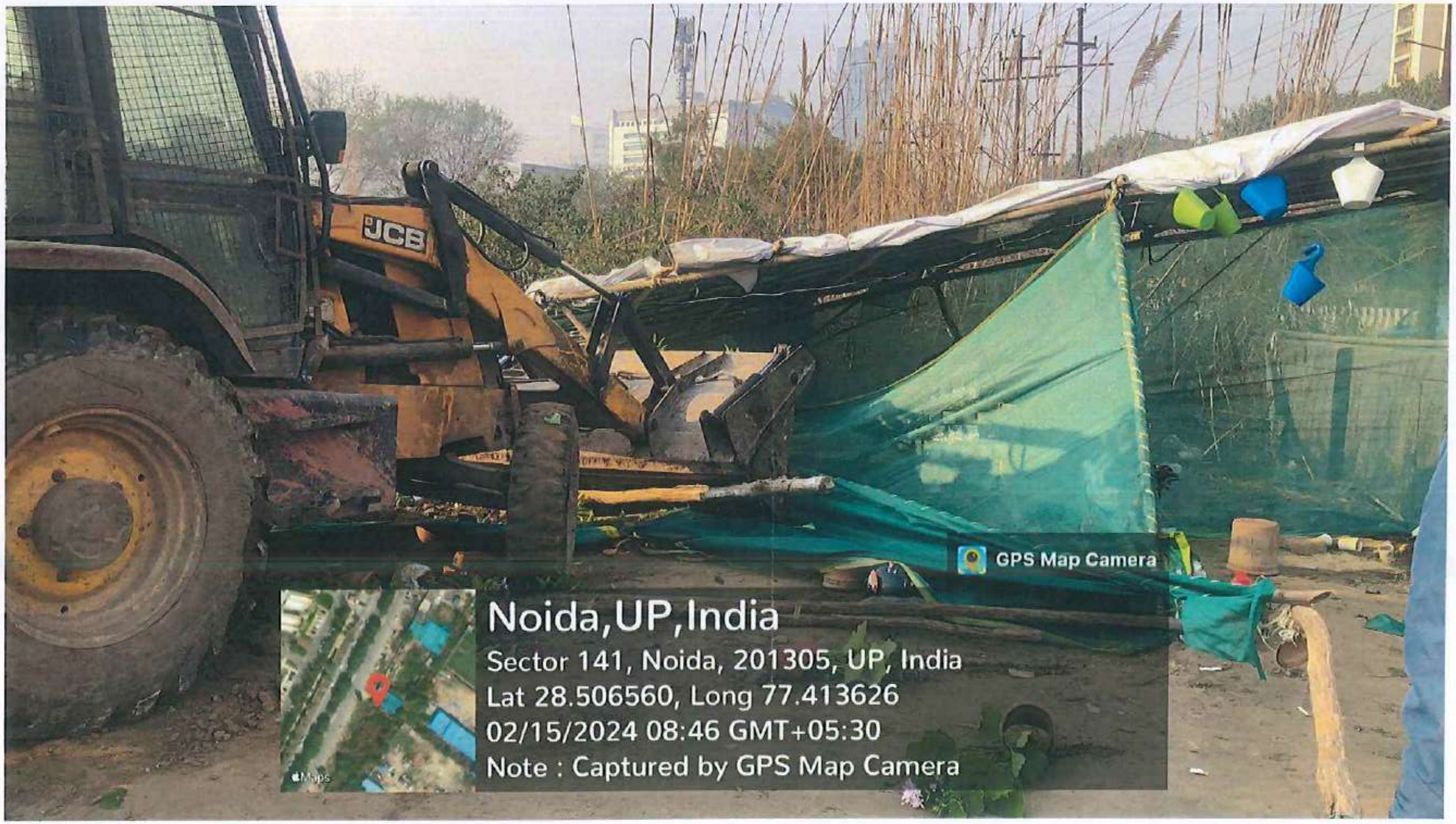

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

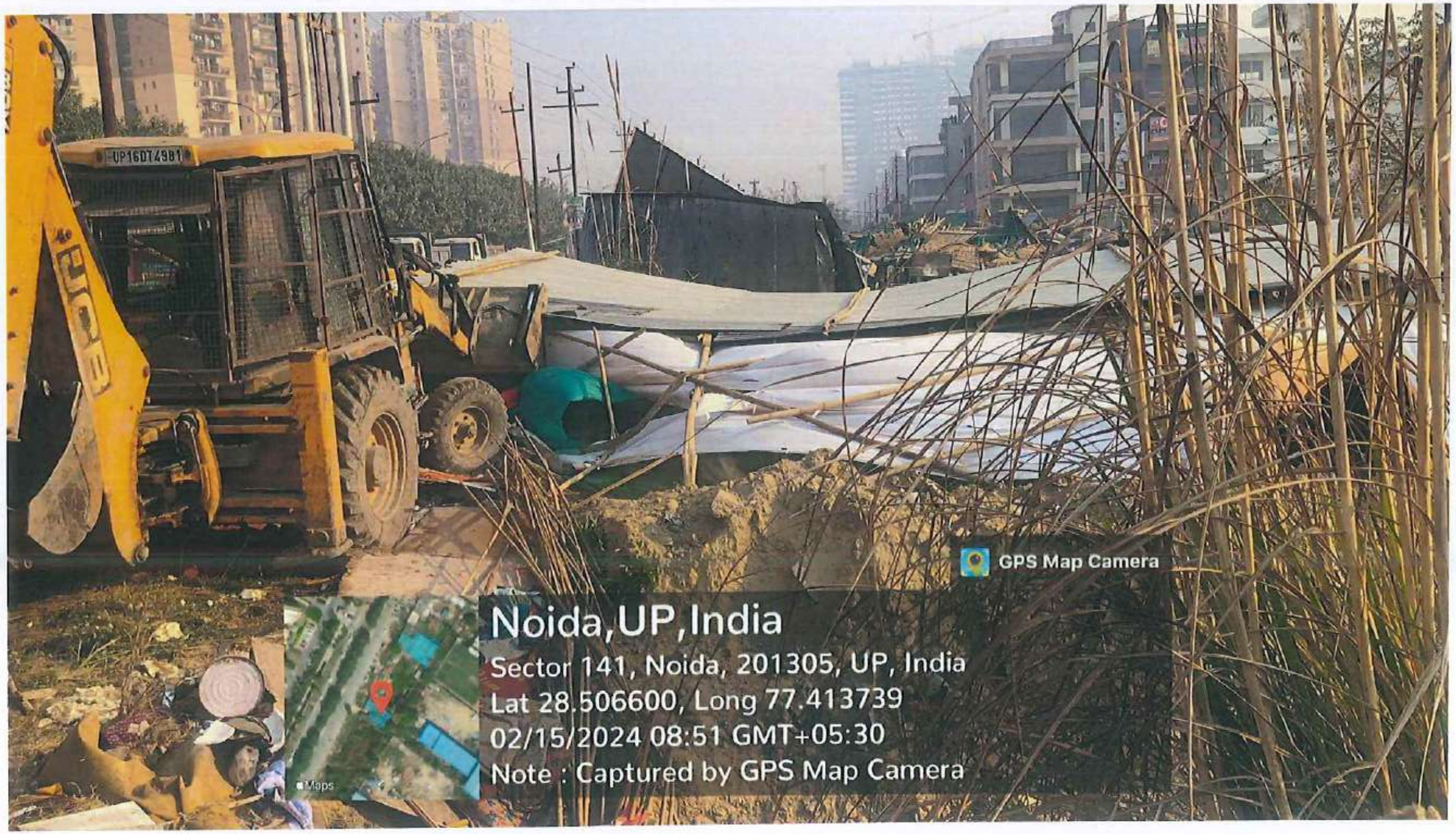

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

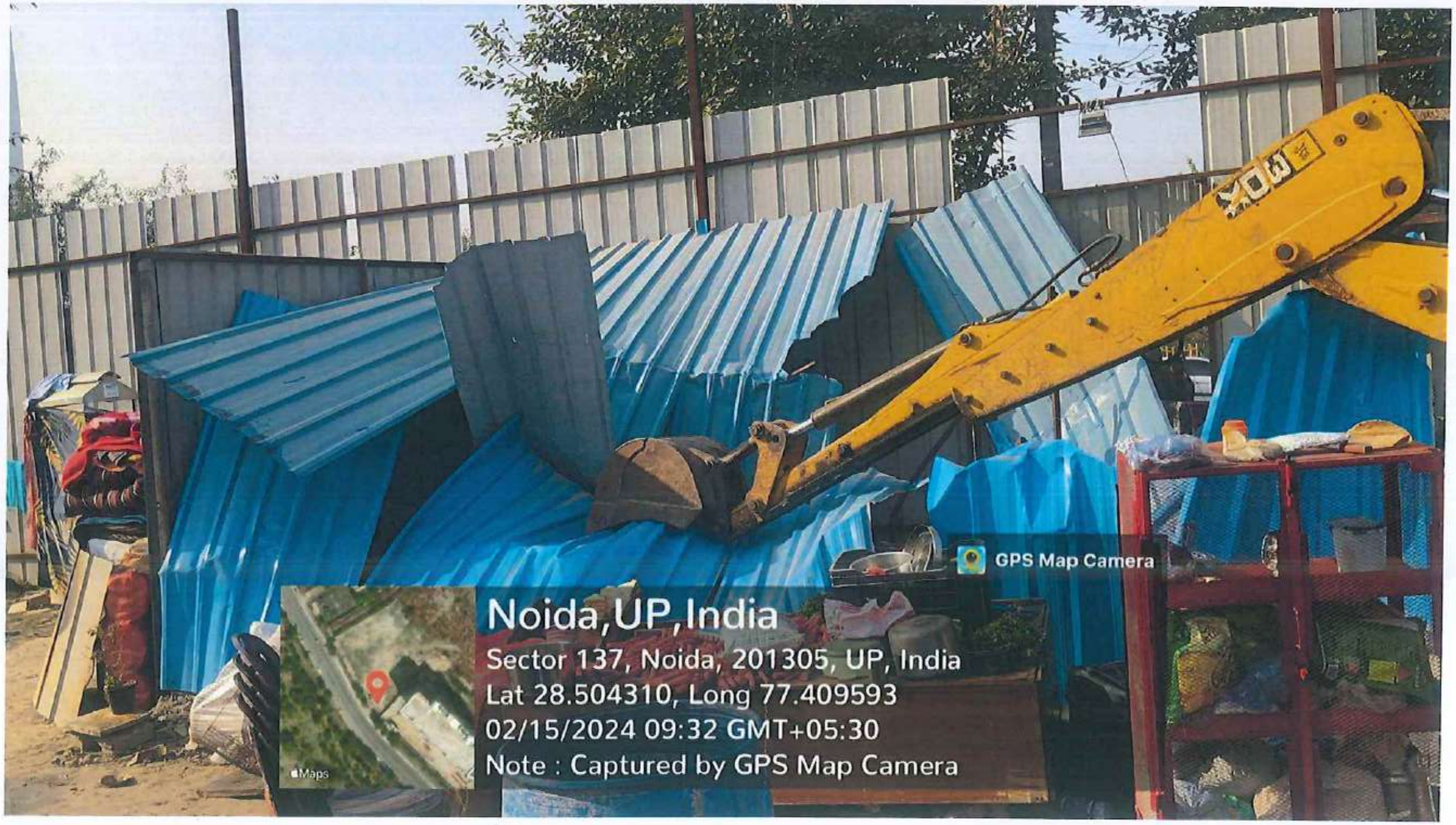

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

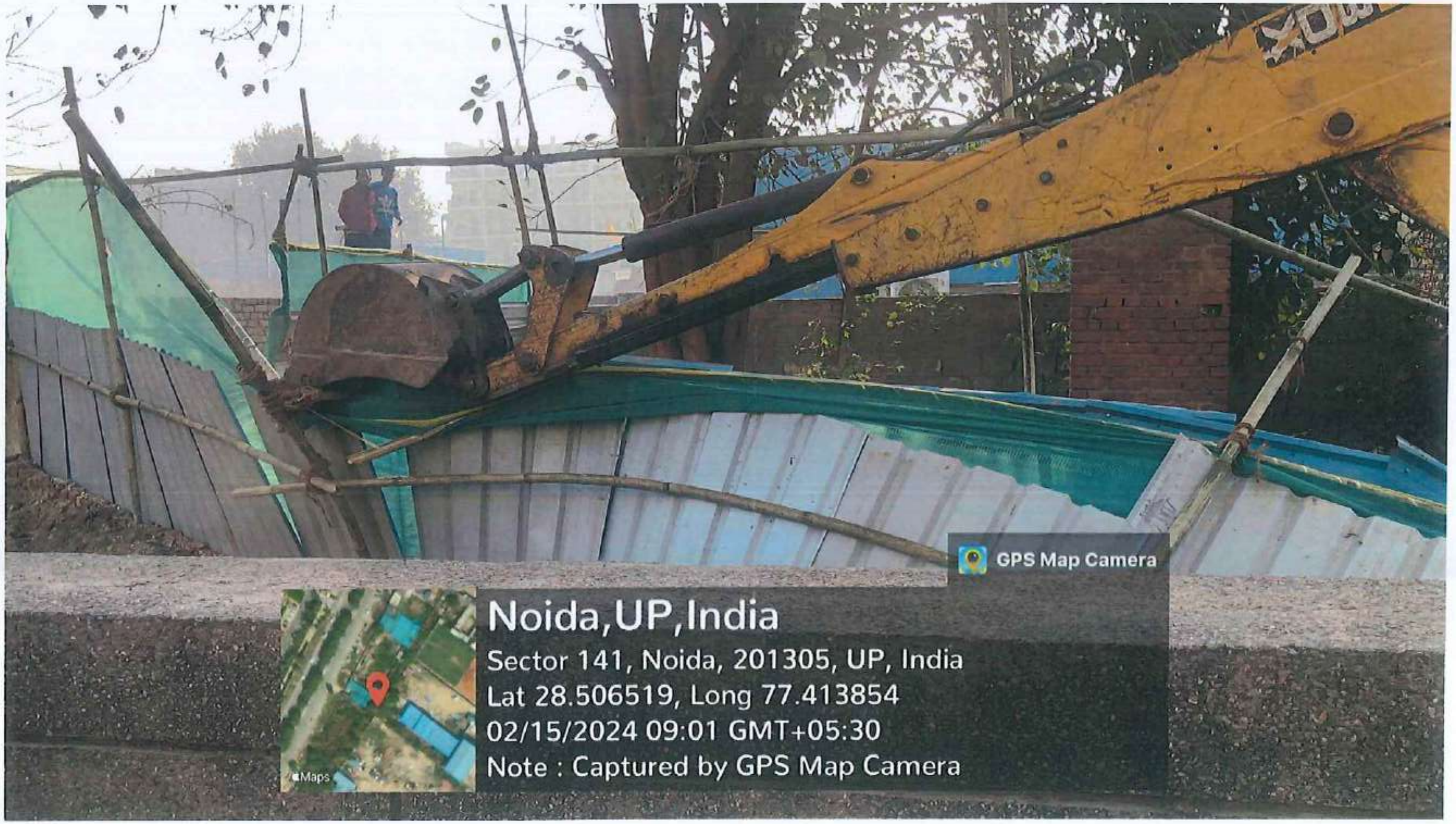

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

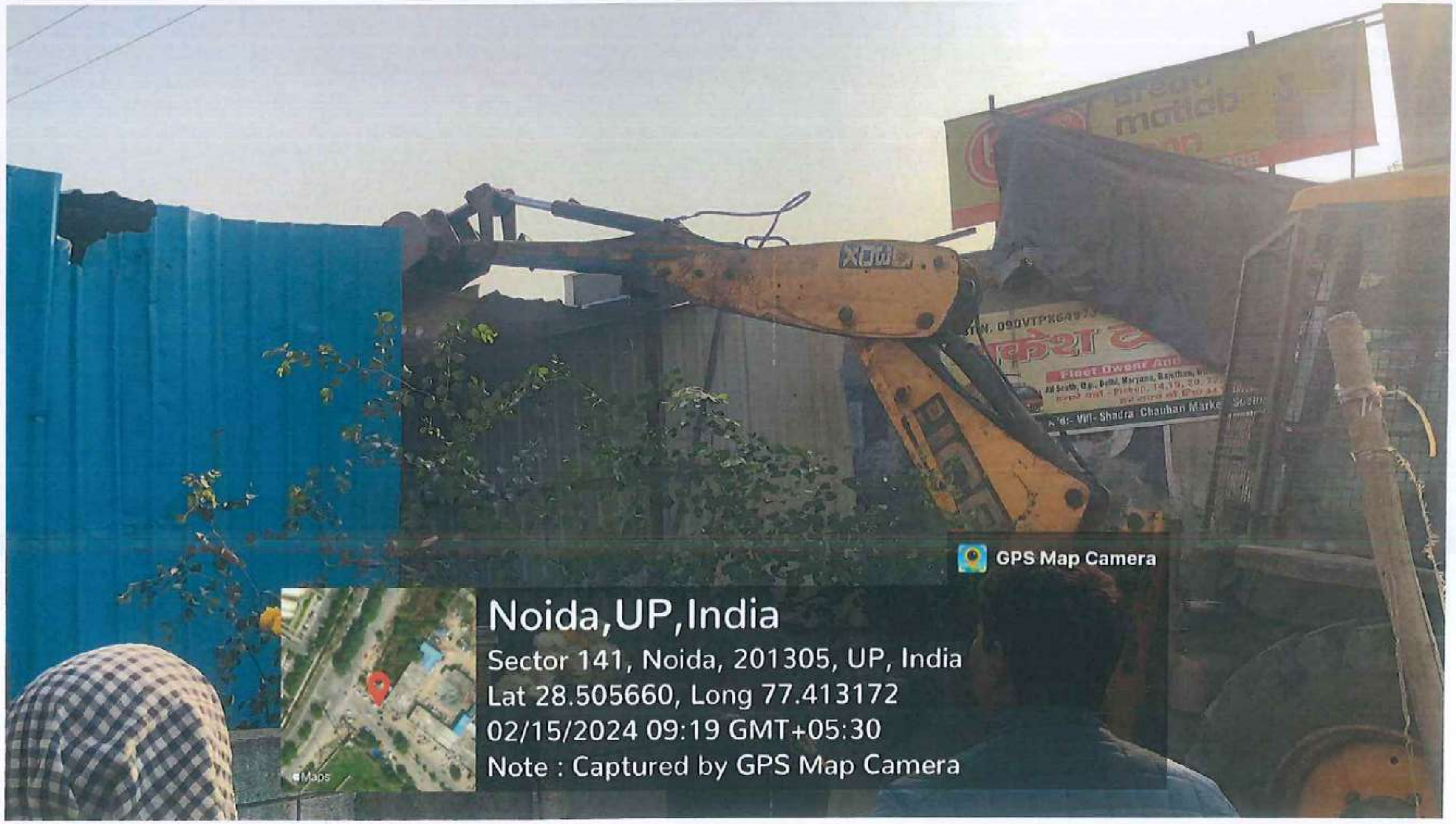

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

दिनांक 15.02.2024

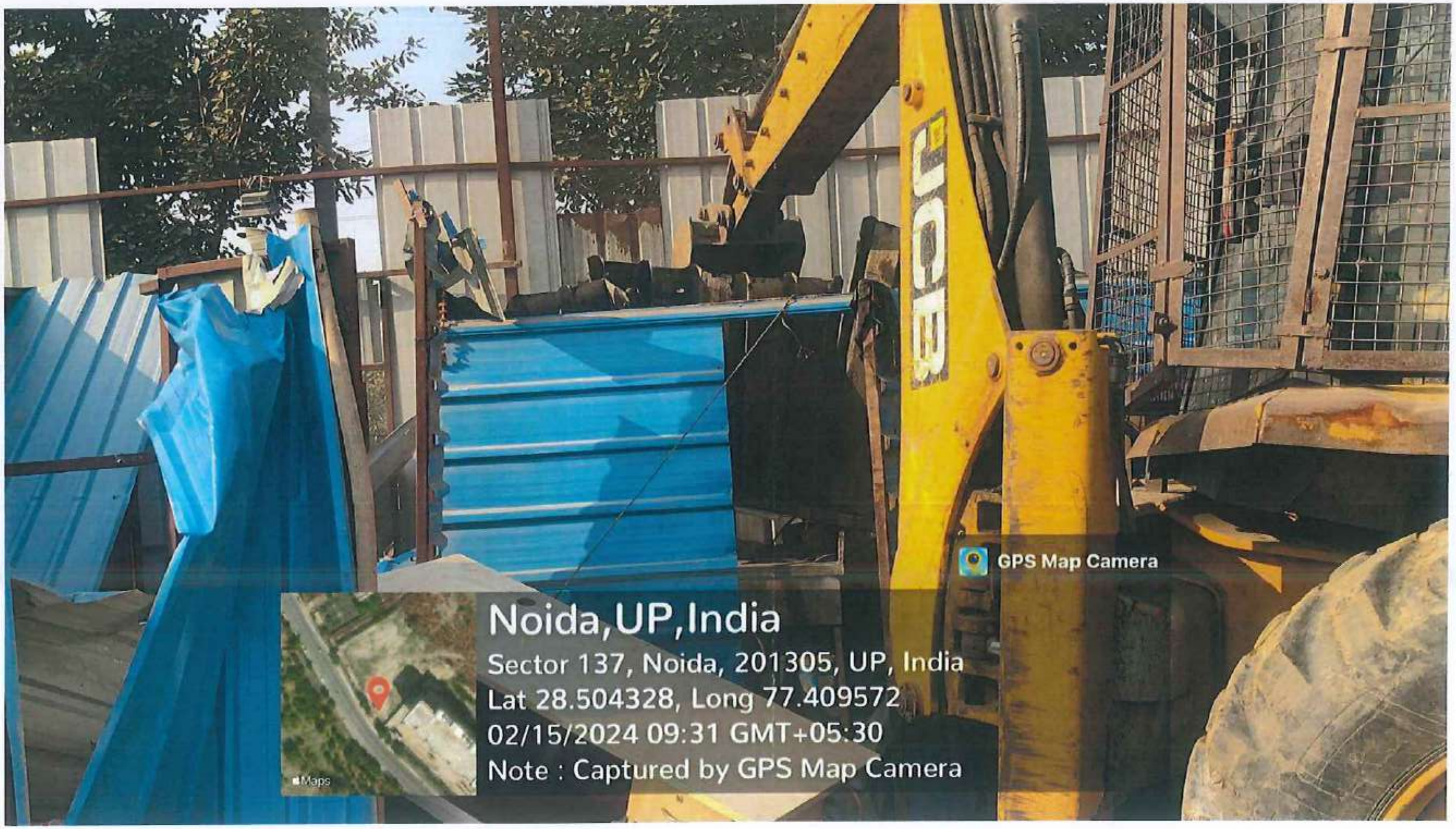

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

विक्रय न करने हेतु अखबारों में विज्ञापन का पत्र एवं ड्राफ्ट

हिन्दुस्तान
19-12-23

नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा–201301, उ0प्र0
वेबसाइट: www.noidaauthorityonline.in

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सैक्टर–82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143ए, 143बी, 144, ग्राम–सलारपुर, हाजीपुर, गेझा, भंगेल, गढ़ी व शहदरा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों / माफियों द्वारा सैक्टरों एंव ग्रामों के साथ स्थित भूमि जोकि नौएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है, पर प्लाटिंग करते हुए आम जनमानस को विक्रय कर दी जाती है, जोकि प्राधिकरण के नियमों के पूर्णतः विपरीत है।

अतः आमजनमानस को चेतावनी दी जाती है कि बिना प्राधिकरण द्वारा जारी सत्यापित प्रपत्रों का परीक्षण करते हुए किसी भी भूमि को क्रय नहीं करें, जिससे आमजनमानस को कोई वित्तीय हानि नहीं पहुंच सके।

आज्ञा से
वरिष्ठ प्रबंधक
वर्क सर्किल–8, नौएडा

कार्यालय: सैक्टर–19
नौएडा

स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा

The Hindu
19-12-23

noida

New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida, (U.P.)
Website: www.noidaauthorityonline.in

PUBLIC NOTICE

The general public is informed that land along / nearby Sector - 82, 91, 92, 93, 93A, 93B, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143A, 143B, 144, Village Salarpur, Hazipur, Bhangel, Gejha, Garhi and Shahdara which is notified land of Noida Authority, is being sold to general public by some unknown persons by doing plotting, which is completely contrary to the rules of the authority.

Therefore, the general public is warned not to purchase any land without examining the verified documents issued by the authority, so that the general public does not suffer any financial loss.

With Permission
Senior Manager
Work Circle-8, Noida

Office: Sector-19
Noida

Hindu

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 8.06.2022

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 8.06.2022

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 11.06.2022

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 11.06.2022

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 16.06.2022

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 16.06.2022

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 17.10.2023

कार्यवाही दिनांक 17.10.2023

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 8.06.2022

कार्यवाही दिनांक 8.06.2022

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 11.06.2022

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 11.06.2022

कार्यवाही दिनांक 16.06.2022

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 16.06.2022

कार्यवाही दिनांक 17.10.2023

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 17.10.2023

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 8.06.2022

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 8.06.2022

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 11.06.2022

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 11.06.2022

नौएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 16.06.2022

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 16.06.2022

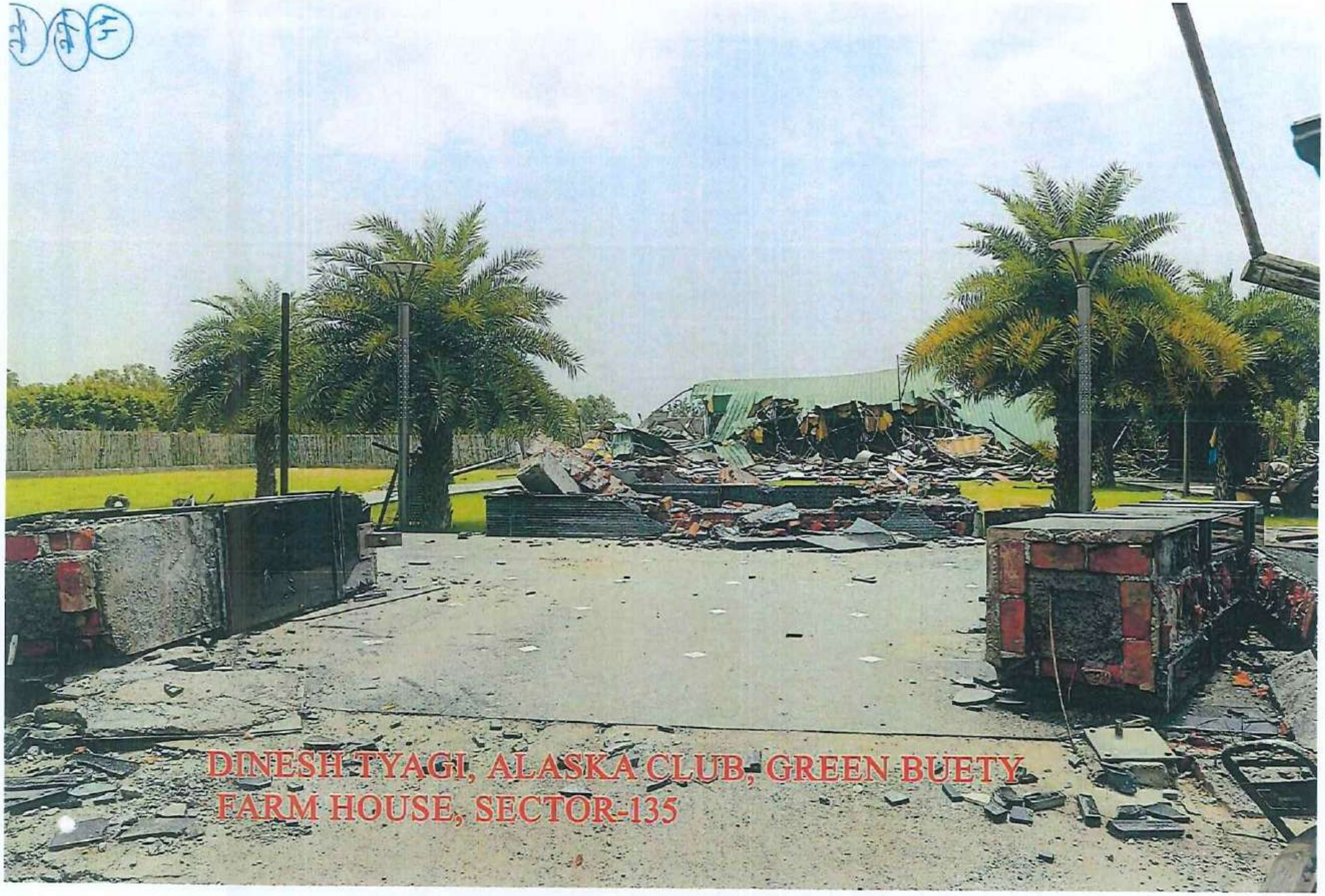

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 17.10.2023

नोएडा
एक उत्कृष्ट क्षेत्र

कार्यवाही दिनांक 17.10.2023

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-09, नौएडा।

पत्रांक - नौएडा/नोटिस/व0प्र0 (व.स.-09)/2024/465
दिनांक 23/02/2024

ध्वस्तीकरण हेतु अंतिम नोटिस

श्री बलजीत सिंह व रामचन्द्र पुत्रगण भूले सिंह,
कुलदीप व प्रदीप पुत्रगण वीरसैन
निवासी ग्राम- रामपुर खादर
सै0- 126, नौएडा।

एवम्

अन्य OCCUPIER/ हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो)

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम-सदरपुर, परगना व तहसील- दादरी, जनपद- गौतमबुद्धनगर स्थित खसरा संख्या- 483 की भूमि जो नौएडा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि है। आप द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नौएडा की अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण कार्य किया गया/ कराया जा रहा है, जिससे नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं अन्य सुसंगत दिशा निर्देशों के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की अनुमति बिना किसी भी प्रकार का अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण किया जाना अनुमन्य नही है। उक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा नोटिस संख्या- नौएडा/नोटिस/व0स0-09/2022/803, दिनांक- 30.05.2022 को निर्गत किया गया था तथा प्रश्नगत स्थल पर चस्पानगी भी की गयी थी।

उपरोक्त नोटिस में यह कहा गया था कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण प्रतिबंधित होने के संबंध में समय-समय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं स्थल पर लगवाये गये चेतावनी /नोटिस बोर्डो के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार जनसामान्य को सचेत करने हेतु कराया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर कराये जा रहे अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के निकट ही नौएडा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक सुस्पष्ट नोटिस बोर्ड स्थापित है, जिसमें अवैध एवं अनधिकृत निर्माण न करने हेतु स्पष्ट जन-सूचना/चेतावनी अंकित है। इसके बावजूद आप द्वारा उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण किया गया/किया जा रहा है।

नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/ प्राविधानों एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम- 1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अर्जित/ अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है, फिर भी आप एवं अन्य हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो तो) द्वारा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र की भूमि पर पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है। उपरोक्त नोटिस के द्वारा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने की अपेक्षा की गयी थी, अन्यथा की दशा में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को नौएडा प्राधिकरण द्वारा हटाए जाने के संबंध में विधिक कार्यवाही की जायेगी और इसमें होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसंबंधित से ही की जानी थी। इसके साथ ही यदि उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के संबंध में सर्वसंबंधित एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) को कोई लिखित उत्तर देना हो तो एक सप्ताह के अन्दर वे अपना पक्ष वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-09, नौएडा के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते थे।

प्राधिकरण द्वारा उक्त जारी नोटिस दिनॉक 30.05.2022 के क्रम में आप द्वारा वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-09 को संबोधित प्रत्यावेदन दिनॉकित- 03.06.2022 प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यह कहा गया कि खसरा संख्या- 483 पर उनकी पुरानी आबादी बनी हुई है, इस भूमि का प्रतिकर उनके द्वारा नहीं प्राप्त किया गया है आबादी सर्वे (सेटेलाईट) में इस भूमि पर आबादी विद्यमान थी तथा इस भूमि के चारों तरफ सघन आबादी है, साथ ही प्रश्नगत खसरे की भूमि को 6क के तहत 1000 वर्ग मी0 प्रति बालिग सदस्य के आधार पर आबादी विनियमित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम सदरपुर स्थित खसरा संख्या 483 रकबा 4-0-0 बीघा भूमि नौएडा के सुनियोजित विकास हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत धारा 4/17 दिनांक 28.11.2001, धारा 6/17 दिनांक 26.02.2002 को जारी होकर नौएडा प्राधिकरण के पक्ष में कब्जा दिनांक 23.03.2002 को हस्तांतरित करते हुए अभिनिर्णय दिनांक 31.10.2009 को घोषित किया जा चुका है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल आवासीय प्रयोजन हेतु प्रबंधन एवं विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) विनियमावली-2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत Case to Case Basis पर नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में ग्रामवासियों की विद्यमान आबादी/निर्माण का निस्तारण किया जाता है। *वर्तमान प्रचलित आबादी विनियमावली, 2006 यथासंशोधित-2011 में आबादी विनियमितीकरण* हेतु 450 वर्ग मी0 की वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 1000 वर्ग मी0 करने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णय के क्रम में शासन से संस्तुति प्राप्त करने हेतु नौएडा प्राधिकरण की ओर से उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किया गया था प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत 1000 वर्ग मी0 प्रति बालिग सदस्य के आधार पर विनियमितीकरण के प्रस्ताव को शासन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, जिसके दृष्टिगत आप द्वारा 1000 वर्ग मी0 प्रतिबालिग सदस्य के आधार पर विनियमित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचार किये जाने योग्य नहीं है।

उल्लिखित करना है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 की धारा-10 में निम्नवत प्राविधान किये गये है:-

" If it appears to the Authority that the condition or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper planning of, or the amenities in any part of the industrial development area of the interests of the general public there, it may serve on the transferee or occupier of that site of building a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain in it in such manner as may be specified therein and in case such transferee of occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter the Authority man itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier."

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित की गयी याचिका सं0 54217/14 रूपराम व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2014 को पारित आदेश को भी उद्धृत किया जाना समीचीन है, जिसका सारभूत अंश निम्नवत् है-

"............ We are the considered opinion that no purpose would be served by keeping the writ petition pending. The present writ petition in disposed of by providing as follows:

(a) It shall be open to the NOIDA authority to ensure that no unauthorized constructions are raised over any plot within its territory.

(b) If there are any existing constructions, demolition thereof shall not be made without following the provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 and the rules and regulations applicable.

(c) This order shall not entitle the petitioners to raise any unauthorized construction without getting a map sanctioned from the NOIDA......."

इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त याचिका में अपने आदेश दिनांक 03.11.2014 में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि नौएडा प्राधिकरण, नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार का अवैध एवं अनधिकृत निर्माण न हो, साथ ही यूपी0 इण्डस्ट्रीयल एरिया डेवेलपमेंट एक्ट 1976 में निहित प्राविधानों के अनुसार ऐसे अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों को हटाये जाने के संबंध में कार्यवाही करेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या- 2437/2022, विशेष कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 निम्नवत् है:-

1. The issue raised in the present petition filed in public interest is regarding removal of illegal encroachment for which even notice had been issued to the illegal occupants on May 30, 2022 giving seven days' time. 2. However, as claimed by petitioner, no action has been taken thereafter. 3. Learned counsel appearing for respondent no. 3 submitted that Chief Justice's Court Serial No. 11 PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 2437 of 2022 Through :-Mr. Sanjay Kumar Jaiswal, Advocate v/s Through :- Mr. Rajeev Singh, Standing Counsel for respondent nos. 1 & 2 and Mr. Ridham Gupta, Advocate for Mr. Kaushalendra Nath Singh, Advocate for respondent no. 3 CORAM : HON'BLE RAJESH BINDAL, CHIEF JUSTICE HON'BLE J.J. MUNIR, JUDGE Vishesh Kumar .....Petitioner State of U.P. and others .....Respondents Neutral Citation No. - 2023:AHC:179-DB final action shall be taken in terms of the notice dated May 30, 2022 within four weeks from the date of receipt of copy of the order. 4. In view of aforesaid statement, the present petition is disposed of in terms thereof.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में याची श्री विशेष कुमार द्वारा अवमानना याचिका संख्या-3910/2023, विशेष कुमार बनाम रितु माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा योजित किया गया था, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2023 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

The opposite party shall comply with the directions of the writ court and intimate the applicant the order through the selfaddressed envelop within a week thereafter.

In case, the opposite party does not comply with the order, it would be open to the applicant to approach this court again. With the aforesaid observations, this application is finally disposed of at this stage.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 18.05.2023 के अनुपालन में आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम स्तर से दिनांक 28.08.2023 को करते हुए आपके विरुद्ध जारी नोटिस दिनांक 30.05.2022 को पत्र संख्या- नौएडा/नोटिस/व0प्र0(व0स0-09)/2023/2104, दिनांक 28.08.2023 द्वारा शासन स्तर से निर्णय आने तक स्थगित किया गया था।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में याची श्री विशेष कुमार द्वारा पुनः अवमानना याचिका संख्या-284/2024, विशेष कुमार बनाम लोकेश एम0, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा योजित किया गया है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2024 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

Today Sri Kaushalendra Nath Singh has produced before this Court a set of four documents which includes a notice dated 28.8.2023 and the decision on the representation dated 28.8.2023. It is being sought to be contended that in view of the 2011 policy which is the regularisation policy which is pending before the State Government the notice dated 30.5.2022 has been suspended. He submits that three weeks time be accorded so as to comply with the order of the writ court.

Put up this case on 5.3.2024 in the additional cause list at 2.00 p.m. by which time an affidavit of compliance be filed. Instruction filed today is taken on record and marked as AppendixA

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आप द्वारा नौएडा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना है चूंकि प्रश्नगत अनधिकृत/ अवैध निर्माण से नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जबकि नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/ प्राविधानों एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर नौएडा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है अतः प्रश्नगत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध एवं अनधिकृत है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या 2437/2022, विशेष कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023, अवमानना याचिका संख्या-3910/2023, विशेष कुमार बनाम रितु माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा तथा अवमानना याचिका संख्या- 284/2024 में पारित आदेश दिनाँक 07.02.2024 के आलोक में आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनाँक 03.06.2022 बलहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है और इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये नोटिस दिनांक 30.05.2022 को अंतिम मानते हुए आदेशित किया जाता है कि ग्राम सादरपुर स्थित खसरा संख्या-483 जो नौएडा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि है, पर आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा किये गये अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से सात दिन के अन्दर स्वयं हटा लें अन्यथा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जायेगी, जिसपर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसंबंधित से ही की जायेगी।

विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

वरि0 प्रबंधक
वर्क सर्किल-09, नौएडा

प्रतिलिपिः- पुलिस निरीक्षक, सैक्टर-06 नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

वरि0 प्रबंधक
वर्क सर्किल-09, नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वर्क सर्किल-9, सेक्टर-39, नौएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर

पत्रांक - नौएडा/नोटिस/व0 प्र0 (व.स.9)/2023/....2184
दिनांक ...1/9/23.......

ध्वस्तीकरण हेतु अन्तिम नोटिस

परमानंद पुत्र शेरा,
निवासी ग्राम सुल्तानपुर,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

एवम्

अन्य OCCUPIER / हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो)

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-सुल्तानपुर परगना व तहसील-दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित नौएडा की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त खसरा सं0-578 व 531 की भूमि पर नौएडा की अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध एवं अनधिकृत का निर्माण कार्य किया गया/किया जा रहा है, उक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को स्वंय हटाने के संबंध में आप को इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार नौएडा एवं वरि0 प्रबंधक वर्क सर्किल-9, नौएडा के संयुक्त हस्ताक्षर से नोटिस सं0 नौएडा/नोटिस/व0प्र0/ (व0स0-9)/2023/1764, दिनांक 21.07.2023 को निर्गत किया गया था।

उपरोक्त नोटिस में कहा गया था कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण प्रतिबन्धित होने के संबंध में समय-समय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं स्थलों पर लगाये गये चेतावनी/नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार जन सामान्य को सचेत करने हेतु कराया जाता रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर किये गये अनधिकृत निर्माण के निकट ही नौएडा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक सुस्पष्ट नोटिस बोर्ड स्थापित है, जिसमें अनधिकृत निर्माण न करने हेतु स्पष्ट जनसूचना/चेतावनी अंकित है। इसके बावजूद आप द्वारा उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कर लिया गया।

नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं अन्य उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है, फिर भी आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा नौएडा प्राधिकरण की भूमि पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण किया गया है। उपरोक्त नोटिस के द्वारा प्रश्नगत् अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने की अपेक्षा की गयी थी, अन्यथा की दशा में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को नौएडा प्राधिकरण द्वारा हटाए जाने के संबंध में विधिक कार्यवाही की जायेगी और इसमें होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसम्बन्धित से ही की जानी थी। इसके साथ ही यदि उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के संबंध में सर्वसम्बन्धित एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) को कोई लिखित उत्तर देना हो तो एक सप्ताह के अन्दर वे अपना पक्ष वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-9, नौएडा के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते थे।

उक्त नोटिस के क्रम में दिनांक 24.07.2023 को जबाव/प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत है-

"......प्रार्थी का प्रश्नगत भूखण्ड न तो नौएडा प्राधिकरण द्वारा अर्जित व कब्जा प्राप्त सं0-578 व 531 की भूमि में नही आती है। और ना ही उसका कोई वास्ता व सरोकार खसरा सं0-578 व 531 की भूमि से है। इस संदर्भ में नोटित उपरोक्त वर्णित में दिये तथ्यों के भौतिक सत्यापन के प्रयोजन से कोई मौका मुआयना आज तक प्राधिकरण या प्रशासन की ओर से नही किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड गाँव की पुरानी आबादी का हिस्सा है। जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौके पर आज भी उपलब्ध हैं। अतः प्रार्थी के सारभूत सामाजिक हितों के असंगत होने के कारण उपरोक्त वर्णित ध्वस्तीकरण नोटिस न्यायहित में वापिस लिया जाना आवश्यक है।....."

उपरोक्त नोटिस के क्रम में प्राप्त जवाब/प्रत्यावेदन एवं अन्य सुसंगत स्थलीय/अभिलेखों का विश्लेषण एवं परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि आपका एवं अन्य हितबद्धपक्ष का प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण खसरा सं0-578 व 531 की भूमि पर है। ग्राम-सुल्तानपुर स्थित खसरा सं0-578, क्षेत्रफल 0.2780हे0 भूमि नौएडा की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि है, जिसकी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4/17 की विज्ञप्ति दिनांक 02.05.2003, धारा-6/17 की विज्ञप्ति दिनांक 29.05.2003 को जारी होकर दिनांक 24.06.2003 को नौएडा प्राधिकरण के पक्ष में कब्जा हस्तानांतरित किया गया है, जिसका अधिनिर्णय दिनांक 10.09.2009 को घोषित किया जा चुका है। खसरा सं0-531 की भूमि को आपसी समझौते के आधार पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा क्रय

Scanned with OKEN Scanner

गया था। नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2(डी), धारा-10 एवं मा0 न्यायालय के अन्य सुसंगत प्राविधानों के तहत किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पूर्व नौएडा प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध एवं अनधिकृत है।

मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस आशय के आदेश पारित किये जाते रहे हैं कि अर्जन प्रक्रिया आरम्भ होने यथा धारा-4, धारा-6 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात प्रस्ताव में शामिल खसरा नम्बर की भूमि को क्रय / विक्रय, खुर्द, बुर्द करना इत्यादि विधि विरुद्ध है।

उल्लेखनीय है कि आप द्वारा नौएडा की अर्जित, कब्जा प्राप्त भूमि पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया/ किया जा रहा है। प्रश्नगत अनधिकृत/अवैध निर्माण से नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जबकि नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण आप द्वारा किया जाना अनुमन्य नहीं है। अतः प्रश्नगत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध एवं अनधिकृत है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 24.07.2023 बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है एवं इस कार्यालय के नोटिस दिनांक 21.07.2023 को अंतिम किया जाता है। इसके साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि ग्राम-सुल्तानपुर, परगना व तहसील-दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर स्थित खसरा सं0-578 व 531, जो नौएडा प्राधिकरण की विधिक रूप से अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि है, पर आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा किये गये अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्वयं हटा लें अन्यथा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसम्बन्धित से ही की जायेगी।

पेज की कुल संख्याः 02।

विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-9, नौएडा।

प्रतिलिपिः-
1. विशेष कार्याधिकारी (ए.) को सूचनार्थ।
2. उप महाप्रबंधक (सिविल) को सूचनार्थ।
3. थानाध्यक्ष, थाना-नॉलेज पार्क, नौएडा को इस आशय से कि उक्त खसरा नम्बर पर अनधिकृत निर्माण न होने दें।

विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-9, नौएडा।

5-9-2023

Scanned with OKEN Scanner

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वर्क सर्किल-09, सैक्टर-39, नौएडा

पत्रांक:-नौएडा/व0प्र0/व0स0-09/24/..1038

दिनांक ..13/6/24.....

धवस्तीकरण हेतु अन्तिम नोटिस

श्री संजय, अशोक, महेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रगण सूरजभान,
निo-ग्राम-सुल्तानपुर,
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

एवम्

अन्य OCCUPIER / हितबद्ध पक्ष (यदि कोई हो)

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-सुल्तानपुर, परगना व तहसील-दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित नौएडा की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त खसरा सं0-600 की भूमि पर नौएडा की अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध एवं अनधिकृत का निर्माण कार्य किया गया/ किया जा रहा है, उक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को स्वयं हटाने के संबंध में आप को इस कार्यालय द्वारा नोटिस सं0 नौएडा/नोटिस /व0प्र0/(व0स0-09)/2024/781, दिनांक 15.04.2024 को निर्गत किया गया था।

उपरोक्त नोटिस में यह कहा गया था कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण प्रतिबन्धित होने के संबंध में समय-समय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं स्थलों पर लगाये गये चेतावनी/नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार जन सामान्य को सचेत करने हेतु कराया जाता रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर किये गये अनधिकृत निर्माण के निकट ही नौएडा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया एक सुस्पष्ट नोटिस बोर्ड स्थापित है, जिसमें अनधिकृत निर्माण न करने हेतु स्पष्ट जनसूचना/चेतावनी अंकित है। इसके बावजूद आप द्वारा उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कर लिया गया।

नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं अन्य उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है, फिर भी आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा नौएडा प्राधिकरण की भूमि पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण किया गया है। उपरोक्त नोटिस के द्वारा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने की अपेक्षा की गयी थी, अन्यथा की दशा में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को नौएडा प्राधिकरण द्वारा हटाए जाने के संबंध में विधिक कार्यवाही की जायेगी और इसमें होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसम्बन्धित से ही की जानी थी। इसके साथ हो यदि उपरोक्त अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के संबंध में सर्वसम्बन्धित एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) को कोई लिखित उत्तर देना हो तो एक सप्ताह के अन्दर वे अपना पक्ष वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल-09, नौएडा के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते है।

उक्त नोएडा प्राधिकरण की ओर से निर्गत नोटिस दिनाँक 15.04.2024 के जबाब में आप द्वारा दिनाँक 24.04.2024 को निम्नलिखित आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है-

" ....प्रार्थीगण के पक्ष में सन् 1982 में ग्राम प्रधान द्वारा आवासीय पटटे हुए थे और तभी से आबादी कायम करके प्रार्थीगण सपरिवार निवास करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की आबादी में कोई निर्माण कार्य भी नही चल रहा है। गॉव की की पार्टीबाजी होने के कारण गाँव के कुछ अभद्र व्यक्ति प्रार्थीगण के खिलाफ झूठे प्रार्थन पत्र देकर प्राधिकरण व प्रशासन में देकर प्राधिकरण के अधिकारियों को गुमराह करते रहते है, जिसके कारण उपरोक्त वर्णित नोटिस प्रार्थीगण के विरुद्ध जारी हो गया है। उक्त नोटिस प्रार्थीगण को दिनाँक 22.04.2024 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण का कोई वास्ता या सरोकार खसरा संख्या-600 से न होने के कारण प्रार्थीगण के विरुद्ध उपरोक्त नोटिस का कायम रहना प्रार्थीगण के साम्पातिक हित के विरुद्ध व अन्यायपूर्ण होगा।...... "

उपरोक्त नोटिस के क्रम में प्रस्तुत की गई आपत्ति एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का विश्लेषण एवं परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि आपका एवं अन्य हितबद्धपक्ष का प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण खसरा सं0-600 की भूमि पर ही है। ग्राम-सुल्तानपुर स्थित खसरा सं0-600 नौएडा की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि है। नौएडा प्राधिकरण की प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना अनुमन्य नहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस आशय के आदेश पारित किये जाते रहे है कि अर्जन प्रक्रिया आरम्भ होने यथा धारा-4, धारा-6 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात प्रस्ताव में शामिल खसरा नम्बरान की भूमि को क्रय/विक्रय, खुर्द, बुर्द करना इत्यादि विधि विरूद्ध है।

उल्लेखनीय है कि आप द्वारा नौएडा की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त खसरा संख्या-600 की भूमि पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया/किया जा रहा है। प्रश्नगत अनधिकृत/अवैध निर्माण से नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जबकि नौएडा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्राविधानों एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण आप

Scanned with OKEN Scanner

अतएव उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आप द्वारा नोटिस के क्रम में दिनांक 24.04.2024 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रतिउत्तर बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है । अतः इस कार्यालय के नोटिस दिनांक 15.04.2024 को अंतिम किया जाता है। इसके साथ ही आदेशित किया जाता है कि ग्राम-सुल्तानपुर स्थित नोएडा प्राधिकरण की विधिक रूप से अर्जित व कब्जा प्राप्त खसरा सं0-600 की भूमि पर आप एवं अन्य हितबद्धपक्ष (यदि कोई हो) द्वारा किये गये अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्वयं हटा लें अन्यथा प्रश्नगत अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भाँति सर्वसम्बन्धित से ही की जायेगी।

पेज की कुल संख्याः 02।

तहसीलदार
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-09, नौएडा।

प्रतिलिपिः-

1. थानाध्यक्ष, थाना-सेक्टर-126, नौएडा को इस आशय से कि उक्त खसरा नम्बर पर अनधिकृत निर्माण न होने दें।
2. पुलिस निरीक्षक, नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

तहसीलदार
नौएडा

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-09, नौएडा।

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE R15/10 (COLLY)

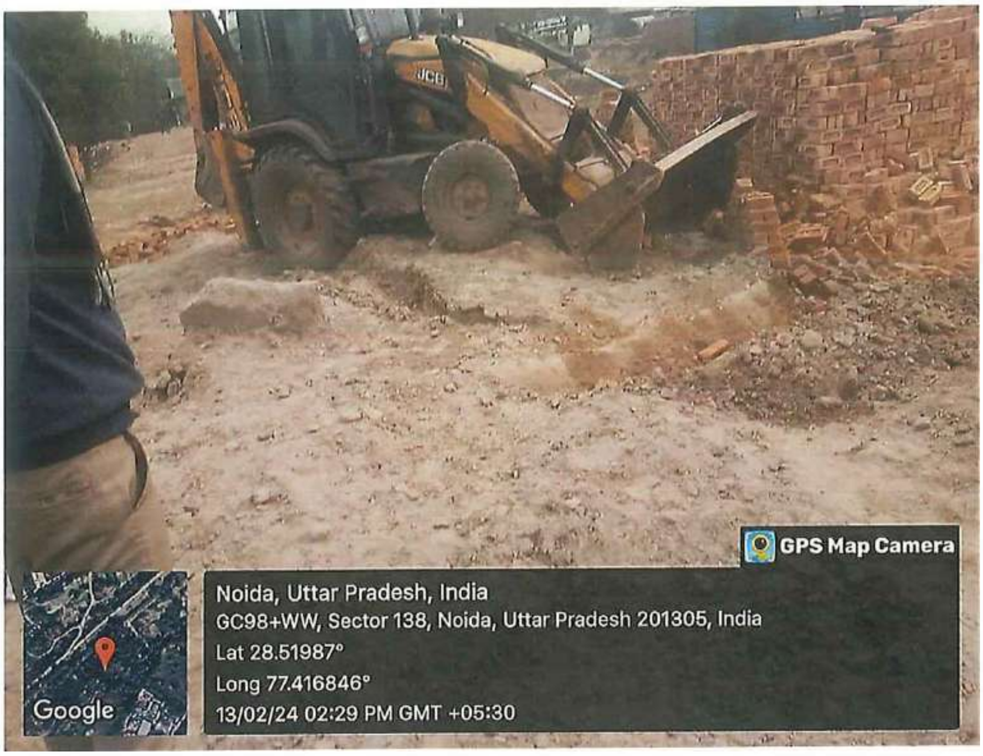

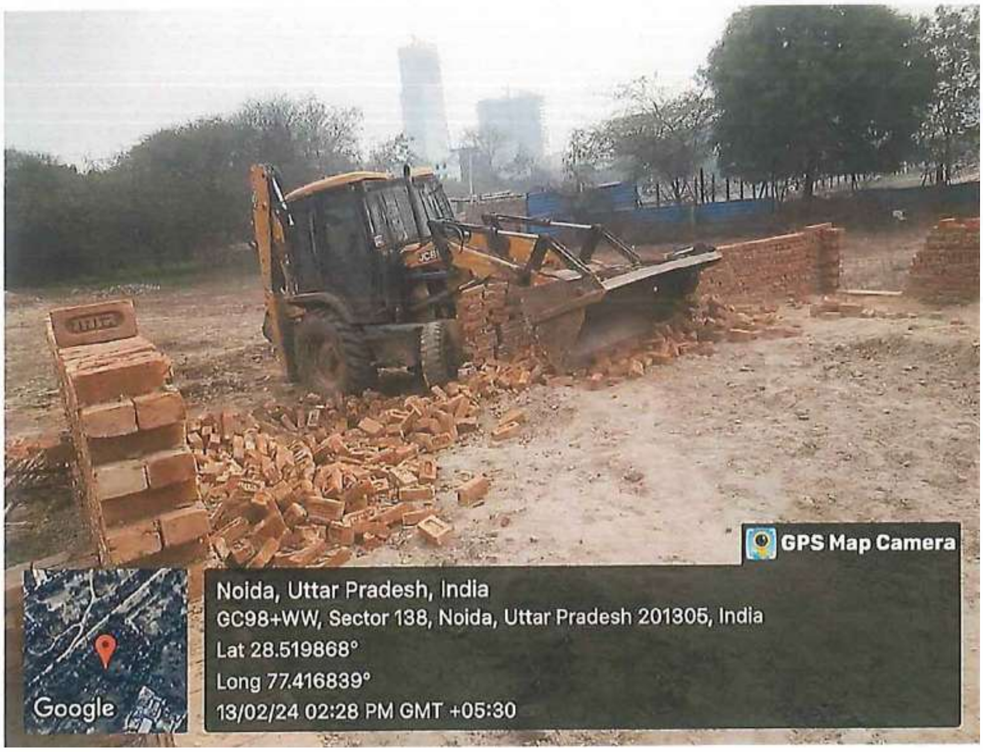

GPS Map Camera
नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत
GC99+8W3, सेक्टर 138, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201305, भारत
Lat 28.518812°
Long 77.419808°
13/02/24 02:11 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Noida, Uttar Pradesh, India
GC98+WW, Sector 138, Noida, Uttar Pradesh 201305, India
Lat 28.519916°
Long 77.416757°
13/02/24 02:33 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत
GC98+WW, सेक्टर 138, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201305, भारत
Lat 28.519829°
Long 77.416674°
13/02/24 02:39 PM GMT +05:30

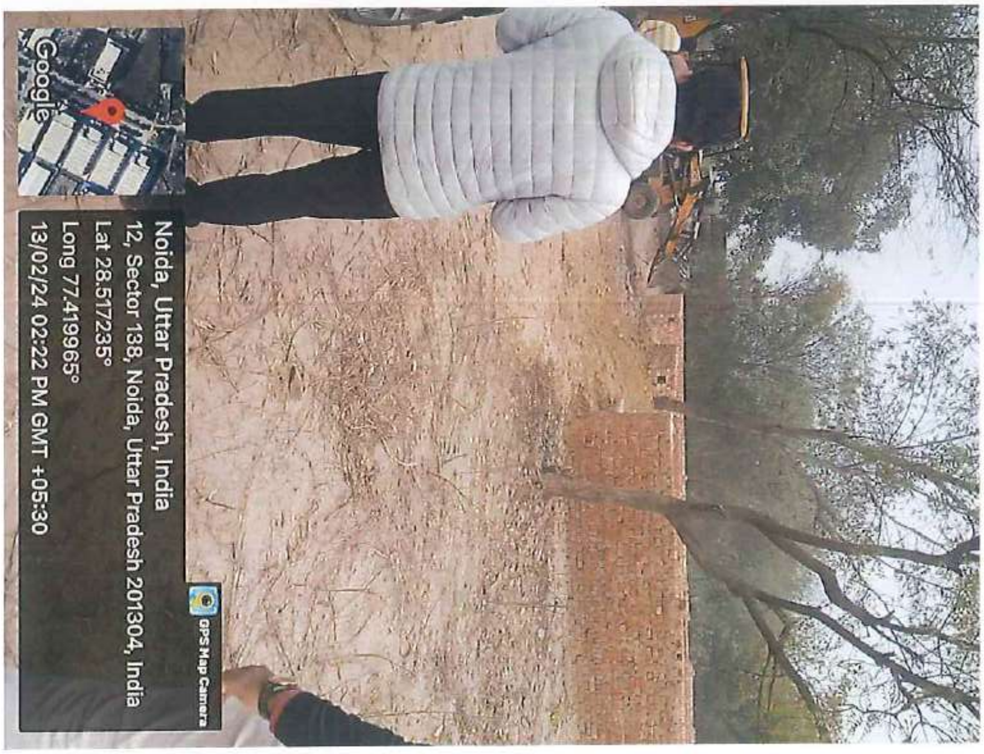
GPS Map Camera
Google
Noida, Uttar Pradesh, India
12, Sector 138, Noida, Uttar Pradesh 201304, India
Lat 28.517235°
Long 77.419965°
13/02/24 02:22 PM GMT +05:30

05273, 6/12/24

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (व0स0–5)

द्वितीय–तल, जी–ब्लॉक मार्केट, सैक्टर–20, नौएडा

पत्र सं0 नौएडा/वरिप्र0(व0स0–5)/2024/2983
दिनांक 05/12/24

1) वरिष्ठ प्रबन्धक (नोडल)
वर्क सर्किल–10, नौएडा

2) विधि अधिकारी
सैक्टर–6, नौएडा

विषय– **O.A. No.329/2024 Rajendra Tyagi Vs Union of India & Ors.** के सम्बन्ध में। **(Village-Sorkha, Sarfabad, Garhi Chowkhandi, Parthla Khanjarpur, Beholopur, Salarpur, Sultanpur, Raipur, Gejha, Naya Baon, Shahdara, Hahabas, Bhangel, Momnathelpur, Tiwara, Kondali and Badauli** में हो रहे अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण का सारवान भाग निम्नवत है।

2. In this original application, Applicat has raised a grievance that unauthorized and illegal construction of houses shops and other commercial establishments on large scale is in progress in Greater Noida and Noida in violation of environmental norm. Since many of these illegal constructions are being done with top soil, the act is causing large scale illegal mining of top soil in and around the villages, resulting in deep, catastrophic ipts which is giving rise to a vicious cycle. It is the allegation of the Applicant that these construction are being done without obtaining mandatory Consent to Establish and Operate under Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 from the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB). It is also alleged the these illegal construction/colonis are being developed without having any sewerage network in place and without having Consent to Establish and Operate under the Air (Preventiona and Control of Pollution) Act, 1981 and without NOC to draw water from tubewells. In the OA, Applicant had given the details of places where such construction are in progress as under.

5. That illegal and unauthorized construction are also being carried out in village under Noida, including, but not limited to Sorkha, Sarfabad, Garhi Chowkhand, Parthla Khanjarpur, Behlolpur, Salarpur, Sultanpur, Raipur, Gejha, Naya Gaon, Shahdara, Ilahabaas, Bhangel, Momnathalpur, Tilwara, Kondli and Badauli. More than 1500 hc of land in usurped by private builders/colonizers/real estate agents/property dealers for carrying out illegal and unauthorized construction, in Noida

म0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेश के बिन्दु सं0 1(5) में उल्लिखित विवरण में नौएडा प्राधिकरण कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित है। नौएडा प्राधिकरण द्वारा बिन्दु में उल्लिखित उक्त ग्रामों व प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य ग्रामों में कॉलोनी/कॉमर्शियल परियोजना इत्यादि विकसित किये जाने हेतु नक्शा स्वीकृत प्राईवेट बिल्डर्स की सूची तथा अवैध रूप से विकसित की जा रही परियोजना की सूची व उनके विरूद्ध कृत. कार्यवाही का विवरण प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्क सर्किल–5 के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गढी चौखण्डी आता है। ग्राम गढी चौखण्डी का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम गढी चौखण्डी के अन्तर्गत हिन्डन नदी के डूब क्षेत्र में विकसित कालोनी कई सालों पूर्व से ही आबादी विकसित है। वर्क सर्किल–5 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत में कॉलोनी/कॉमर्शियल परियोजना अवैध रूप से विकसित नहीं की जा रही है। आख्या सादर प्रेषित है।

(पारसनाथ सोनकर)
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–5,नौएडा

प्रतिलिपि–

- उप महाप्रबन्धक–सिविल महोदय को सादर सूचनार्थ।
- प्रबन्धक–डी/सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं को उनकी आंख्या के क्रम में।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–5,नौएडा

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक

वर्क सर्किल–4

वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड, सैक्टर–19, नौएडा

पत्रांकः– नौएडा/वर्क सर्किल–4/2024/2140

दिनांक 05/12/24

1) विरिष्ठ प्रबन्धक (नोडल)
वर्क सर्किल–10, नौएडा

2) विधि अधिकारी
सैक्टर–6, नौएडा

विषयः– **O.A. No. 329/2024 Rajendra Tyagi Vs Union of India & Ors.** के सम्बन्ध में। **(Village-Sorkha, Sarfabad, Garhi Chowkhandi, Parthla Khanjarpur, Beholopur, Salarpur, Sultanpur, Raipur, Gejha, Naya Baon, Shahdara, Hahabas, Bhangel, Momnathelpur, Tiwara, Kondli and Badauli** मे हो रहे अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– **पत्रांक नौएडा/उ0म0प्र0(सि0)/2024/2422 दिनांक 05.12.2024**
पत्रांक नौएडा/वर्क सर्किल–4/2024/1053 दिनांक 18.06.2024

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपरोक्त प्रकरण का सारवान भाग निम्नवत है:–

2. In this original application, Applicat has raised a grievance that unauthorized and illegal construction of houses shops and other commercial establishments on large scale is in progress in Greater Noida and Noida in violation of environmental norm. Since many of these illegal constructions are being done with top soil, the act is causing large scale illegal mining of top soil in and around the villages, resulting in deep, catastrophic ipts which is giving rise to a vicious cycle. It is the allegation of the Applicant that these construction are being done without obtaining mandatory Consent to Establish and Operate under Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 from the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB). It is also alleged the these illegal construction/colonis are being developed without having any sewerage network in place and without having Consent to Establish and Operate under the Air (Preventiona and Control of Pollution) Act, 1981 and without NOC to draw water from tubewells. In the OA, Applicant had given the details of places where such construction are in progress as under :

5. That illegal and unauthorized construction are also being carried out in village under Noida, including, but not limited to Sorkha, Sarfabad, Garhi Chowkhand, Parthla Khanjarpur, Behlolpur, Salarpur, Sultanpur, Raipur, Gejha, Naya Gaon, Shahdara, Ilahabaas, Bhangel, Momnathalpur, Tilwara, Kondli and Badauli. More than 1500 he of land in usurped by private builders/colonizers/real estate agents/property dealers for carrying out illegal and unauthorized construction, in Noida

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेश के बिन्दु सं0 1(5) में उल्लिखित विवरण में नौएडा प्राधिकरण कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित है। नौएडा प्राधिकरण द्वारा बिन्दु में उल्लिखित उक्त ग्रामों व प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य ग्रामों में कॉलोनी/कॉमर्शियल परियोजना इत्यादि विकसित किये जाने हेतु नक्शा स्वीकृत प्राईवेट बिल्डर्स की सूची तथा अवैध रूप से विकसित की जा रही परियोजना की सूची व उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्क सर्किल–4 के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहलोलपुर आता है ग्राम बहलोलपुर का निरीक्षण किया गया निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम बहलोलपुर के अन्तर्गत कोई अवैध अतिकमण कर कालोनी नही बनाई जा रही है। हिन्डन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित कालोनी में कई सालो पूर्व से ही आबादी विकसित है हिन्डन नदी का यह डूब क्षेत्र उ0प्र0सिचाई विभाग के अन्तर्गत आता है। वर्क सर्किल–4 द्वारा ग्रामो की कालोनी/कॉमर्शियल परियोजना इत्यादि विकसित किये जाने हेतु किसी प्रकार का कोई भी नक्शा स्वीकृत नही किया जाता है। परियोजनाओं के नक्शे की स्वीकृति नौएडा के नियोजन विभाग द्वारा की जाती है। आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

(अशोक कुमार)
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–4, नौएडा

प्रतिलिपिः–

- उप महाप्रबन्धक (सिविल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- प्रबन्धक/सम्बन्धित अवर अभियन्ता को उनकी आख्या के कम में।

05/12/24
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–4, नौएडा

ANNEXURE-R15/13 (COLLY)

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्र सं0:– नौएडा/भूलेख/2024/961
दिनांक:– 11.07.24

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।

विषय:– ग्राम सौहरखा जाहिदाबाद (डूब क्षेत्र) के खसरा संख्या–420, 461, 463, 467, 469 व 481 की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम सौहरखा जाहिदाबाद (डूब क्षेत्र) के खसरा संख्या–420, 461, 463, 467, 469 व 481 की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाना है। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या नोएडा/भूलेख/2023/3902, दिनॉक 15.12.2023, नोएडा/भूलेख/2024/3990, दिनॉक 10.01.2024, नोएडा/ भूलेख/2024/4105, दिनॉक 15.02.2024 को प्रेषित किया गया था, किन्तु पुलिस बल न मिलने के कारण कार्यवाही संपन्न नहीं हो सकी। अतः अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने हेतु निम्नानुसार पुनः तिथि व समय नियत किया गया है:–

क्र0 सख्या	प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने वाले ग्रामों का नाम	अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने हेतु नियत तिथि	समय
1	ग्राम सौहरखा जाहिदाबाद खसरा संख्या–420, 461, 463, 467, 469, 481	23.07.2024	प्रातः 08:00 बजे

अनुमनित पुलिस बल

सहा0 पुलिस आयुक्त	थाना प्रभारी मय स्थानीय	महिला थाना प्रभारी	पुलिस उप–निरीक्षक पुरूष	पुलिस उप–निरीक्षक महिला	मुख्य आरक्षी/आरक्षी पुरूष	मुख्य आरक्षी/आरक्षी महिला	पी.ए.सी. प्लाटून	टीयर गैस	फायर सर्विस	वाटर केनन	एम्बूलेन्स
01	02	01	15	15	30	20	01	01	01	01	01

उपरोक्त अभियान को सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन कराये जाने हेतु पर्याप्त पुलिसबल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

(संजय कुमार खत्री)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
- मुख्य विधि सलाहकार, नौएडा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने हेतु।
- DCP (पुलिस), नौएडा, गौतमबुद्धनगर।
- विशेष कार्याधिकारी (एस.पी.)/(के.एस.)/(ए.के.)।
- उपजिलाधिकारी, दादरी गौतमबुद्धनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ACP (पुलिस) नौएडा (प्रथम), गौतमबुद्धनगर।
- तहसीलदार नौएडा को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्रश्नगत पर मय रिकार्ड के उपस्थित रहकर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- वरि. प्रबन्धक–व0स0–06 को इस निर्देश के साथ कि अपने वर्क सर्किल के समस्त उत्तरदायी फील्ड स्टाफ के साथ मौके पर उपस्थित रहकर उक्त अतिक्रमण को हटाने की समस्त व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
- वरिष्ठ प्रबन्धक–(सि./यां.–अनु–I) को नियत तिथि पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता–(सि./यां.) से समन्वय कर आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था एवं आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराने हेतु।
- थानाध्यक्ष सैक्टर–113, नौएडा।
- थानाध्यक्ष, बिसरख, ग्रेटर नौएडा।
- श्री नरेश कुमार सिंह (9528934440) पुलिस निरीक्षक, सैक्टर–06, नौएडा प्रशासनिक कार्यालय को इस निर्देश के साथ थाना सैक्टर–39/ACP/DCP नौएडा से संपर्क स्थापित कर मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- श्री प्रवेश दीक्षित, लेखपाल (6394037475) को इस निर्देश के साथ कि समस्त राजस्व रिकार्ड के साथ वर्क सर्किल से समन्वय स्थापित करते हुए नियत तिथि व मौके स्थल पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांकः नौएडा/भूलेख/2023/3990
दिनांक 10/01/24

प्रेषक,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्धनगर,उ0प्र0।

विषयः- ग्राम सौहरखा जाहिदाबाद (डूब क्षेत्र) के खसरा संख्या- 420, 461, 463, 467, 469 व 481 की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम सौहरखा जाहिदाबाद (डूब क्षेत्र) के खसरा संख्या- 420, 461, 463, 467, 469 व 481 की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाना है। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या नौएडा/भूलेख/2023/3902 दिनाँक 15.12.2023 को प्रेषित किया गया था किन्तु पुलिस बल न मिलने के कारण कार्यवाही संपन्न नहीं हो सकी। अतः अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने हेतु निम्नानुसार पुनः तिथि व समय नियत किया गया है-

क्रम संख्या	प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने वाले ग्रामों का नाम	अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने हेतु नियत तिथि	समय
1.	ग्राम सौहरखा जाहिदाबाद खसरा संख्या 420, 461, 463, 467, 469 व 481	19.01.2024	प्रातः 08.00 बजे

अनुमानित पुलिस बल

सहा0 पुलिस आयुक्त	थाना प्रभारी मय. स्थानीय.	महिला थाना प्रभारी	पुलिस उप-निरीक्षक पुरूष	पुलिस उप-निरीक्षक महिला	मुख्य आरक्षी/ आरक्षी पुरूष	मुख्य आरक्षी/ आरक्षी महिला	पी.ए.सी प्लाटून	टीयर गैस	फायर सर्विस	वाटर केनन	एम्बूलेन्स
01	06	01	50	20	150	30	01	02	02	02	02

उपरोक्त अभियान को सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन कराये जाने हेतु पर्याप्त पुलिसबल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(संजय कुमार खत्री)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- समस्त अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नौएडा।
- मुख्य विधि सलाहकार, नौएडा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने हेतु।
- DCP (पुलिस) नौएडा, गौतमबुद्धनगर।
- विशेष कार्याधिकारी (एम.पी)/ (डी.पी)।
- उपजिलाधिकारी, दादरी गौतमबुद्धनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ACP (पुलिस) नौएडा,(प्रथम) गौतमबुद्धनगर।
- वरि. प्रबन्धक-व.स.-06 को इस निर्देश के साथ कि अपने वर्क सर्किल के समस्त उत्तरदायी फील्ड स्टाफ के साथ मौके पर उपस्थित रहकर उक्त अतिक्रमण को हटाने की समस्त व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
- वरिष्ठ प्रबन्धक-(वि./यां-अनु-I) को नियत तिथि पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता-(वि./यां.) से समन्वय कर आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था एवं आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराने हेतु।
- थानाध्यक्ष सैक्टर-113, नौएडा।
- थानाध्यक्ष बिसरख, ग्रेटर नौएडा।
- श्री नरेश कुमार सिंह (9528934448) पुलिस निरीक्षक, सैक्टर- 6 नौएडा प्रशासनिक कार्यालय को इस निर्देश के साथ थाना सैक्टर-39/ACP/ DCP नौएडा से संपर्क स्थापित कर मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- श्री प्रवेश दीक्षित , लेखपाल (6394037475) को इस निर्देश के साथ कि समस्त राजस्व रिकार्ड के साथ वर्क सर्किल से समन्वय स्थापित करते हुए नियत तिथि पर मौके स्थल पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांक: नौएडा/भूलेख/2024/4105
दिनांक 15/02/24

प्रेषक,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।

विषयः- ग्राम सौहरखा जाहिदाबाद (डूब क्षेत्र) के खसरा संख्या- 420, 461, 463, 467, 469 व 481 की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम सौहरखा जाहिदाबाद (डूब क्षेत्र) के खसरा संख्या- 420, 461, 463, 467, 469 व 481 की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को धवस्त किया जाना है। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या नौएडा/भूलेख/2023/3902 दिनाँक 15.12.2023, नौएडा/भूलेख/2024/3990 दिनाँक 10.01.2024 को प्रेषित किया गया था किन्तु पुलिस बल न मिलने के कारण कार्यवाही संपन्न नहीं हो सकी। अतः अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने हेतु निम्नानुसार पुनः तिथि व समय नियत किया गया है-

क्रम संख्या	प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने वाले ग्रामों का नाम	अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने हेतु नियत तिथि	समय
1.	ग्राम सौहरखा जाहिदाबाद खसरा संख्या 420, 461, 463, 467, 469 व 481	23.02.2024	प्रातः 08.00 बजे

अनुमानित पुलिस बल

सहा0 पुलिस आयुक्त	थाना प्रभारी मय स्थानीय	महिला थाना प्रभारी	पुलिस उप-निरीक्षक पुरूष	पुलिस उप-निरीक्षक महिला	मुख्य आरक्षी/आरक्षी पुरूष	मुख्य आरक्षी/आरक्षी महिला	पी.ए.सी प्लाटून	टीयर गैस	फायर सर्विस	वाटर केनन	एम्बूलेन्स
01	06	01	50	20	150	30	01	02	02	02	02

उपरोक्त अभियान को सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन कराये जाने हेतु पर्याप्त पुलिसबल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही की जा सके।

सलंग्नक-उपरोक्तानुसार।

(संजय कुमार खत्री)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- समस्त अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नौएडा।
- मुख्य विधि सलाहकार, नौएडा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने हेतु।
- DCP (पुलिस) नौएडा, गौतमबुद्धनगर।
- विशेष कार्याधिकारी (एम.पी)/ (डी.पी)।
- उपजिलाधिकारी, दादरी गौतमबुद्धनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ACP (पुलिस) नौएडा (प्रथम) गौतमबुद्धनगर।
- वरि. प्रबन्धक-व.स.-06 को इस निर्देश के साथ कि अपने वर्क सर्किल के समस्त उत्तरदायी फील्ड स्टाफ के साथ मौके पर उपस्थित रहकर उक्त अतिक्रमण को हटाने की समस्त व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
- वरिष्ठ प्रबन्धक-(वि./यां-अनु-I) को नियत तिथि पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता-(वि./यां.) से समन्वय कर आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था एवं आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराने हेतु।
- थानाध्यक्ष सैक्टर-113, नौएडा।
- थानाध्यक्ष बिसरख, ग्रेटर नौएडा।
- श्री नरेश कुमार सिंह (9528934446) पुलिस निरीक्षक, सैक्टर- 6 नौएडा प्रशासनिक कार्यालय को इस निर्देश के साथ थाना सैक्टर-39/ACP/ DCP नौएडा से संपर्क स्थापित कर मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- श्री प्रवेश दीक्षित, लेखपाल (6394037475) को इस निर्देश के साथ कि समस्त राजस्व रिकार्ड के साथ वर्क-सर्किल से समन्वय स्थापित करते हुए नियत तिथि पर मौके स्थल पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

संख्या 5304
दिनांक 6/12/25

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक–वर्क सर्किल–6,

द्वितीय तल, जी ब्लाक शॉपिंग कॉमप्लेक्स, सैक्टर–20, नौएडा

पत्र सं0 नौएडा/व0प्र0–व0स0–6/2024/1721
दिनांक : 06-12-24

विधि अधिकारी,
सैक्टर–6, नौएडा

विषयः–ओ0ए0 नं0 329/2024 **Rajendra Tyagi Vs Union of India & Ors** के सम्बन्ध में ।
(Village- Sorkha, Sarfabad, Garhi Chowkhandi, Parthla Khanjarpur, Behlolpur, Salarpur, Sultanpur, Raipur, Gejha, Naya Gaon, Shahdara, ilabans, Bhangel, Momnathalpur, Tilwara, Kondli and Badauli में हो रहे अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र सं0 नौएडा/उ0म0प्र0–सि0/2024/2422, दिनांक 05.12.2024 के माध्यम से ओ0ए0 नं0 329/2024 के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है, जिसके सन्दर्भ में अवगत कराना है कि –

1. ग्राम सोरखा जाहिदाबाद के सम्मुख डूब क्षेत्र में किये गये अनाधिकृत निर्माणों पर नियमित रूप से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही वर्क सर्किल के स्तर से क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से की जाती है। पूर्व में इन क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरूद्ध दिनांक 19.01.2024, दिनांक 23.02.2024 व दिनांक 23.07.2024 को ध्वस्तीकरण हेतु कार्यक्रम नियत किया गया था, परन्तु पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही नहीं हो सकी ।
2. वर्क सर्किल–6 के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पर्थला खंजरपुर के डूब क्षेत्र में पूर्व से ही कॉलोनी बसी हुई है, जिसमें वर्तमान में कोई कॉलोनी नहीं बन रही है ।
3. वर्क सर्किल–6 के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सर्फाबाद की कोई भी भूमि डूब क्षेत्र नहीं है।

आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

06.12.24
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–6, नौएडा

प्रतिलिपिः–

- निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर सूचनार्थ।
- निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी–(एस0के0) महोदय के सादर सूचनार्थ ।
- उप महाप्रबन्धक–(सिविल) महोदय को पत्र सं0 नौएडा/उ0म0प्र0–सि0/2024/6128, दिनांक 19.11.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।
- प्रबन्धक–ए0एस0/ए0सी0/सहायक प्रबन्धक/सम्बन्धित अवर अभियन्ता को उनकी आख्या के कम में ।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–6, नौएडा

O.A. No. 329 OF 2024 _ Rajendra Tyagi vs Union of India & Ors, NGT, New Delhi.

From Ashwin Raj Jaiswal <ashwin@pslchambers.com>
Date Wed 26/03/2025 19:06
To akashvashishtha.official@gmail.com <akashvashishtha.official@gmail.com>; bhanwar09jadon@gmail.com <bhanwar09jadon@gmail.com>; bhanwar09@gmail.com <bhanwar09@gmail.com>; anupam@jsalaw.com <anupam@jsalaw.com>; gigicgeorge.adv42@yahoo.in <gigicgeorge.adv42@yahoo.in>; gigicgeorge.adv42@yahoo.com <gigicgeorge.adv42@yahoo.com>; srinivas@svlawchambers.in <srinivas@svlawchambers.in>; pradeepmisra@yahoo.com <pradeepmisra@yahoo.com>; kshaygoswami0512@gmail.com <kshaygoswami0512@gmail.com>
Cc Deepesh Raj <Deepesh@pslchambers.com>; Rohan Gulati <rohan@pslchambers.com>

Sir,

Under instruction of and on behalf of our client NOIDA, we hereby serve you the reply affidavit to the Original Application filed by the Applicant in the above-captioned matter pending before Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

Link to access the petition is as follows: Reply Affidavit on behalf of Noida Authority _ R15.pdf

Kindly be advised that the present service may be deemed as an advance service of the reply affidavit.

Best Regards,
Ashvin Raj Jaiswal
Associate

PSL Advocates & Solicitors

Direct: +91 11 4999 1260 | **Board:** +91 11 4999 1250 | **Mobile:** +91 8299 595 472
Office: A-220, Defence Colony, New Delhi, India – 110 024
Email: ashwin@pslchambers.com | **My LinkedIn**
Website: www.pslchambers.com | **About PSL** | **PSL LinkedIn**

Legal 500 – Winner – Dispute Resolution – Arbitration Firm of the Year [2024]; Tier 1 in Dispute Resolution: Arbitration [2024, 2023, 2022, 2021, 2020]
Benchmark Litigation – Ranked in International Arbitration, Construction, Commercial and Transactions, Insolvency and Government and Regulatory [2024, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018];
AsiaLaw – Recommended Firm in Dispute Resolution, Insolvency and Bankruptcy and Construction [2023, 2022, 2021, 2020]
India Business Law Journal – Winner – Indian Law Firm Awards in Arbitration and ADR [2022]
IFLR1000 – Notable Firm in Insolvency & Bankruptcy [2022, 2021]
Asia Legal Business – Ranked as Arbitration Law Firm of the Year and Dispute Resolution Boutique Law Firm of the Year [2024];
Expert Guides, Asia Pacific - Arbitration Expert [2020, 2021]
Forbes India – Tier 1 Tier in Arbitration & Insolvency [2021]

Strictly Confidential - Attorney-Client Privileged Communication
The contents of this email (including any attachments) are confidential and privileged and only intended for the recipient(s) addressed above. If you received this email by error, please notify the sender immediately and destroy it (and all attachments) without reading, storing and/or disseminating any of its contents (in any form) to any person.